अष्टम माला, खंड 50, अंक 48

शुक्रवार 12 मई, 1989
22 वैशाख, 1911 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

तेरहवां सत्र

(आठवीं लोक सभा)

(खंड 50 में अंक 41 से 49 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

[अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी । उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा]

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

शुक्रवार, 12 मई, 1989/22 वैशाख, 1911 (शक)

का

शुद्धि-पत्र

पृष्ठ	पंक्ति	शुद्धि
87	5	"कुलदईवेलू" के स्थान पर "कुल्लदईवेलू" पढ़िये
89	12	"राम भात पासवान" के स्थान पर "राम भगत पासवान" पढ़िये।

विषय-सूची

अष्टम माला, खण्ड 50, तेरहवां सत्र, 1989/1910-1911 (शक)

अंक 48, शुक्रवार, 12 मई, 1989/22 वैशाख, 1911 (शक)

विषय	पृष्ठ
सभा पटल पर रखे गए पत्र	5
राज्य सभा से सन्देश	6
असम विश्वविद्यालय विधेयक	
राज्य सभा द्वारा यथापारित	6
विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति	6
विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 1989	6
धन (उत्तराधिकार) शुल्क विधेयक	
पुरःस्थापित	7
नियम 377 के अधीन मामले	7
(एक) फसल बीमा योजना कपास उत्पादकों पर लागू किये जाने की आवश्यकता	
डा० दिग्विजय सिंह	
(दो) मैसूर जिले के गुंडलूपेट तालुक को निरन्तर सूखे से बचाए जाने हेतु वहां सिंचाई परियोजना के लिए एक विस्तृत सर्वेक्षण कराए जाने की आवश्यकता	
श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद	9
(तीन) वार्षिक पुरस्कार/प्रमाण पत्र दिए जाने के लिए पाली के विद्वानों को भी सम्मिलित किए जाने की आवश्यकता	
प्रो० नारायण चन्द पराशर	11
(चार) स्व वित्त घोषित योजना के अन्तर्गत फ्लैटों का घोषित मूल्य न बढ़ाने और 1979 की "हुडको" योजना के अन्तर्गत पंजीकृत लोगों को फ्लैट आवंटित किए जाने के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण को निर्देश दिए जाने की आवश्यकता	
श्री केशवराव पारधी	12

(पांच) एरनाकुलम और कन्याकुमारी के बीच अन्तर्देशीय जल परिवहन सुविधा प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री एन० डेनिस 13

(छः) आन्ध्र प्रदेश में सर सिल्क लिमिटेड, कागजनगर को श्रमिक सहकारी समिति को सौंपकर उसे पुनः चलाए जाने की आवश्यकता

श्री सी० माधव रेड्डी 13

(सात) सुन्दरबन (पश्चिम बंगाल) में दूरसंचार प्रणाली में सुधार किए जाने की आवश्यकता

श्री सनत कुमार मंडल 14

(आठ) किसानों को नुकसान से बचाने के लिए नेफेड को गुजरात में प्याज की खरीद किए जाने के निर्देश दिए जाने की आवश्यकता

श्रीमती पटेल रमाबेन रामजीभई मावणि 14

(नौ) बाह्य दिल्ली के गांवों को पानी की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता

श्री भरतसिंह 15

नियम 193 के अधीन चर्चाएं 15

(एक) केन्द्रीय सरकार के पदों पर/सेवाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व बढ़ाए जाने की दृष्टि से आदेशों को उदार बनाया जाना

श्री बालकवि बैरागी 15
श्री सैयद शाहबुद्दीन 19
श्री राम रतन राम 22
श्री डी०बी० पाटिल 25
श्री पी०के० थुंगन 27
श्री रामाश्रय प्रसादसिंह 29
श्री हरिहर सोरन 31
श्री बापूलाल मालवीय 33
श्री वी० तुलसीराम 34
श्री तरुण कान्ति घोष 37
चौधरी सुन्दरसिंह 38
श्री रामप्यारे सुमन 40
श्री अरविन्द नेताम 43
श्री प्रताप भानु शर्मा 44
श्री बनवारी लाल बेरवा 47
श्री पी० चिदम्बरम 49

(दो) महिलाओं पर अत्याचार 57

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया 57
कुमारी ममता बनर्जी 67
श्रीमती विभाघोष गोस्वामी 67
श्री ब्रजमोहन महन्ती 71
श्री के० रामचन्द्र रेड्डी 72
डा० गौरीशंकर राजहंस 75
श्रीमती मारग्रेट आल्वा 79
श्री पी० कुलनदई वेलू 82

(तीन) देश के विभिन्न भागों में पेयजल की भारी कमी 89

श्री हरीश रावत 89
श्री रामसिंह यादव 94
श्री श्रीकांत दत्त नरसिंहराज वाडियर 98
श्री गोपाल कृष्ण थोटा 100
श्री मोहम्मद अयूब खां (झुंझुनू) 102
श्री सैफुद्दीन चौधरी 104
श्री चन्दूलाल चन्द्राकर 108
श्री भरतसिंह 110
श्री वी०एस० कृष्ण अययर 112
श्री राम भगत पासवान 113
श्री सोमनाथ रथ 115
श्री पीयूष तिरकी 117
डा० फूलरेणु गुहा 119
श्री बनवारी लाल पुरोहित 120
श्री अजीज कुरेशी 122
प्रो० सैफुद्दीन सोज 125
श्री हरिहर सोरन 126
श्री केयूर भूषण 127

लोक सभा

शुक्रवार, 12 मई, 1989/22 वैशाख, 1911 (शक)

लोक सभा 11 बजे म०पू० पर समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री पी० कुलनदईवेलू (गोबिचेट्टिपालयम) : महोदय, मैंने 'इन्डियन एक्सप्रेस' के विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव दिया है। आज पृष्ठ संख्या 9 पर 'दि पी. ए. सींज न्यू चेयरमैन' (लोक लेखा समिति का नया सभापति), शीर्षक के अन्तर्गत, उन्होंने कहा है 'दि मैन हू मेक्स बाइल्ड चार्जेस' (वह व्यक्ति जो झूठे आरोप लगाता है)। इस शीर्षक के अन्तर्गत जनता के सामने मेरी स्थिति और प्रतिष्ठा को घात पहुँचाने की दृष्टि से यह चरित्र हनन किया गया है और उन्होंने गुप्त उद्देश्य से ऐसा किया है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : उसे मैं देख लूंगा।

[अनुवाद]

कुमारी ममता बनर्जी (जादवपुर) : महोदय, हमारे देश में, 'चोर मचाए शोर' की कहावत प्रसिद्ध है ... **(व्यवधान)** आप 'नेशनल हेरल्ड' देखिए। हेगड़े सरकार ने चारा उत्पादक एककों के लिए सीमा शुल्क से छूट दिये जाने के लिए कहा है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : कोई बात नहीं, इसमें हर्ज क्या है।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री शांताराम नायक (पणजी) : हिन्दी में कहावत है 'चोर मचाये शोर' .. **(व्यवधान)** वे ये सभी बातें करते रहे हैं और अब वे कुछ बहानों का सहारा ले रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : यदि उन्होंने कुछ अच्छी बात की है, तो आप उन्हें दोष क्यों देते हैं ?

श्री शांताराम नायक : जो स्वयं शीशे के घरों में रहते हैं उन्हें दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फैंकने चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : यह कोई बात नहीं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) श्री नायक का क्या आरोप है ?

वह कहते हैं 'चोर मचाए शोर'...**(व्यवधान)**

श्री शांताराम नायक : यह एक कहावत है .....**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : काहे को गड़बड़ करते हैं।

[अनुवाद]

श्री शांताराम नायक : मुझे आशा है कि इस मुहाबरे को कार्यकही वृत्तान्त से नहीं निकाला गया है ...(**व्यवधान**)

श्री एस० जयपाल रेड्डी (महबूबनगर) : महोदय, कल आपने सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिए आदेश दिया था कि बोफोर्स के सम्बन्ध में नियेजणक महालेखा परीक्षक का पैरा.....

अध्यक्ष महोदय : मैंने इसे पहले ही कर दिया है।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : यह सच है लेकिन इसके लिए समय क्या निर्धारित किया गया है ? हम आपसे यह आश्वासन और दिशानिर्देश चाहते हैं कि इसे कम से कम सोमवार तक सभा पटल पर रखा जाए।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : ऐसा है, मैंने जो कहा है, जो कह दिया है उसका जवाब दूंगा।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : आपने स्पष्ट रूप से यह कहा है कि इसे इसी अधिवेशन के दौरान ही सभा पटल पर रखा जाएगा।

अध्यक्ष महोदय : मैंने जो कहा है, मैं पहले ही कह चुका हूं। मैं अपने शब्दों से कभी भी पीछे नहीं हटता हूं। मैंने इसे पहले ही कर दिया है।

श्री बसुदेव आचार्य : आपकी दिशानिर्देशानुसार इसे सोमवार को सभा पटल पर रखा जाना चाहिए ...(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : हम इसे देखेंगे।

[हिन्दी]

देखेंगे।

[अनुवाद]

श्री एस० जयपाल रेड्डी : महोदय आपका निर्देश बेकार जायगा।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मैंने पहले ही कहा कि देखेंगे, आयेगी तब न। पहले कैसे कर दें।

[अनुवाद]

श्री एस० जयपाल रेड्डी : केवल एक दिन शेष रह गया है।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, अभी भी तीन दिन हैं।

(**व्यवधान**)

श्री अमल दत्ता (डायमंड हार्बर) : यदि वे इसे सोमवार को सभा पटल पर रख भी देते हैं, तो भी सभा में उस पर चर्चा नहीं होगी।

अध्यक्ष महोदय : मैं क्या कर सकता हूँ ? नियमों में भी ऐसी कोई शर्त नहीं है। मैं नियमों के विरुद्ध नहीं जा सकता था। ऐसी कोई शर्त नहीं है कि इस तारीख तक यह अवश्य करना होगा। इसी कारण मैंने कहा—अविलम्ब।

(व्यवधान)

श्री वी० किशोर चन्द्र एस० देव (पार्वतीपुरम) : रिपोर्ट सभा पटल पर रखनी ही होगी। इसके लिए संवैधानिक बाध्यता है.... **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : हो सकती है।

श्री अमल दत्ता : वे क्या कार्यवाही कर रहे हैं ? क्या वे रिपोर्ट में रद्दोबदल कर रहे हैं **(व्यवधान)** इसे सभा पटल पर रखा जाना चाहिए। इसमें सरकार कुछ नहीं कर सकती है ... **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : महोदय देखिए, हमने कल निश्चिय किया था; सभा में पूर्ण आश्वासन दिया गया था कि इसमें रद्दोबदल अथवा ऐसी कोई बात नहीं की जा सकती और न ही की जाएगी। केवल नियमों के अनुसार कार्यवाही करनी होगी।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : देरी के बारे में क्या कहना है ?

श्री अमल दत्ता : इसमें कार्यवाही क्या करनी है। देरी करने में क्या औचित्य है ? उन्हें स्पष्ट करने दीजिए ... **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : ऐसा कोई नियम नहीं हैं।

श्री वसुदेव आचार्य : यह रहस्यमय बात है कि इस रिपोर्ट को रक्षा मंत्रालय में भेज दिया गया है ... **(व्यवधान)** रिपोर्ट को सभा पटल पर रख दिए जाने के बाद वे इसे पढ़ सकते हैं ...**(व्यवधान)***

अध्यक्ष महोदय : हमने कल हर बात की चर्चा की थी। कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित न किया जाए।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैंने कल ही अपना विनिर्णय दे दिया था।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : वे मुझे बोलने ही नहीं देते।

(व्यवधान)

* कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

कुमारी ममता बनर्जी : महोदय, हम महिलाओं पर अत्याचारों के संबंध में और पेय जल की कमी के बारे में भी चर्चा करना चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय : हम महिलाओं पर अत्याचारों के सम्बन्ध में 2 बजे चर्चा करेंगे।

कुमारी ममता बनर्जी : पेय जल की कमी पर चर्चा के बारे में क्या कहना है।

अध्यक्ष महोदय : वह उसके बाद होगी।

श्री वी० किशोर चन्द्र एस० देव : महोदय, क्या सरकार ने आपको बताया है कि रपोर्ट कब.....

अध्यक्ष महोदय : किशोर चन्द्र जी, मैं तो केवल इतना कह सकता हूँ कि हमने कल इस पर विस्तार से चर्चा की थी। हमने इसी सभा में इस पर चर्चा की थी। नियमों के अन्तर्गत मैं जो कर सकता था वह मैंने किया। मैंने सरकार को बताया है और मेरे विचार में उन्होंने इसको नोट भी किया है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : जो कुछ मैंने करना था मैंने कर दिया है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने अपना काम कर दिया है और मेरे विचार से वे इसे करेंगे।

श्री अमल दत्ता : आप उनसे कहें कि वह आज ही रिपोर्ट रखें। आज ही रिपोर्ट क्यों नहीं रखी जानी चाहिए ?

अध्यक्ष महोदय : मैं वह नहीं कर सकता। अमल जी, मैं केवल उस सीमाओं तक ही जा सकता हूँ जिसकी मुझे अनुमति है, और मैं वहां तक गया हूँ। मैं जो कुछ कर सकता था वह मैंने कर दिया है।

श्री अमल दत्ता : सरकार का केवल कर्तव्य यह है कि वह इसे सभा पटल पर रखे।

अध्यक्ष महोदय : हमने कल यह किया था कि हमने निर्णय लिया था .....

श्री अमल दत्ता : आपने क्या निर्णय लिया था।

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको कल बताया था।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब सभा पटल पर पत्र रखे जांएं। श्री अरुणाचलम।

(व्यवधान)

श्री अमल दत्ता : इस रिपोर्ट को आज ही सभा पटल पर रखा जाना चाहिए ताकि सोमवार को उस पर चर्चा कर सकें।

अध्यक्ष महोदय : मैं वह नहीं कर सकता। मैं आपको आश्वासन नहीं दे सकता।

(व्यवधान)

श्री शांताराम नायक : आप सरकार को आदेश नहीं दे सकते। ... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कोई भी नियम मुझे ऐसा करने की अनुमति नहीं देते।

श्री वी० किशोर चन्द्र एस० देव : महोदय, मैंने गृह मंत्री श्री बूटा सिंह के विरुद्ध विशेषाधिकार का प्रस्ताव दिया है।

अध्यक्ष महोदय : मैं पहले ही कार्यवाही कर चुका हूँ और मैं आपकी बात पर ही आ रहा हूँ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यदि यह सभा आगे कार्यवाही जारी नहीं रखना चाहती तो मैं सभा को स्थगित कर सकता हूं। यदि आप ऐसा करना चाहते हैं, तो मैं क्या कर सकता हूं ?

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : आप पहले हमारी बात सुनिए।

अध्यक्ष महोदय : मैंने कल आपकी बात सुनी थी और मैंने आज भी आपकी बात सुनी है।

श्री वसुदेव आचार्य : आपका विनिर्णय क्या है ?

अध्यक्ष महोदय : मैंने कल आपको बताया था। विनियमों को हर रोज नहीं दोहराया जाता है।

श्री वसुदेव आचार्य : कल मैं इसे नहीं पढ़ सका।

अध्यक्ष महोदय : तब आप इसे पढ़िए।

अब सभा पटल पर पत्र रखे जाएं।

11.13 म० पू०

सभा पटल पर रखे गये पत्र

टूल रूम एण्ड ट्रेनिंग सेंटर, बिल्ली का वर्ष 1987-88 का वार्षिक प्रतिवेदन और कार्यकरण की समीक्षा तथा लघु सीमेंट संयन्त्रों के बारे में पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 7721 के दिनांक 2 मई, 1989 को दिये गये उत्तर में शुद्धि करने वाला विवरण

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :—

(1) टूल रूम एण्ड ट्रेनिंग सेंटर, दिल्ली के वर्ष 1987-88 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा परीक्षित लेखे ।

(2) टूल रूम एण्ड ट्रेनिंग सेंटर, दिल्ली के वर्ष 1987-88 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये । **देखिये** संख्या एल०टी० 7965/89]

(3) श्री मोहन भाई पटेल द्वारा लघु सीमेंट सयन्त्रों के बारे में पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 7721 के 2 मई, 1989 को दिए गए उत्तर में शुद्धि करने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रन्थालय में रखे गये । **देखिए** संख्या एल० टी० 7866/89]

11.13½ म० पू०

राज्य सभा से सन्देश

महासचिव : महोदय, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्न संदेश की सूचना सभा को देनी है :–

"राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 111 के उपबन्धों के अनुसरण में, मुझे राज्य सभा द्वारा 11 मई, 1989 को हुई अपनी बैठक में पारित असम विश्वविद्यालय विधेयक, 1989 की एक प्रति संलग्न करने का निदेश हुआ है ।"

11.14 म० पू०

असम विश्वविद्यालय विधेयक

राज्य सभा द्वारा यथापारित

महासचिव : महोदय, मैं असम विश्वविद्यालय विधेयक, 1989, राज्य सभा द्वारा यथापारित, सभा पटल पर रखता हूँ ।

11.14½ म० पू०

विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति

विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 1989

महासचिव : मैं, 7 अप्रैल, 1989 को सभा में राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त विधेयकों की सूचना दिये जाने के बाद, चालू सत्र के दौरान संसद की दोनों सभाओं द्वारा पारित तथा राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 1989 सभा पटल पर रखता हूँ ।

11.15 म० पू०

धन (उत्तराधिकार) शुल्क विधेयक

वित्त मन्त्रालय में राजस्व विभाग में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा) : श्री एस० बी० चव्हाण की ओर से मैं प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तराधिकार से प्राप्त धन पर शुल्क के उद्ग्रहण और संग्रहण का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि उत्तराधिकार से प्राप्त धन पर शुल्क के उद्ग्रहण और संग्रहण का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री ए० के० पांजा : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित* करता हूँ।

11.16 म० पू०

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) फसल बीमा योजना कपास उत्पादकों पर लागू किए जाने की आवश्यकता

डा० दिग्विजय सिंह (सुरेन्द्र नगर) : भारत के कपास उत्पादकों की दशा अन्य कृषि उत्पादकों की अपेक्षा बहुत खराब है क्योंकि कपास की खेती सीमान्त अर्ध-शुष्क क्षेत्रों में की जाती है और कपास उत्पादकों को बार-बार सूखे की परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है और फसल से हाथ धोना पड़ता है।

समान्य वर्षों में उन्हें कृत्रिम रेशे के बढ़ते हुए उपयोग के कारण विश्व भर में कपास के भरपूर उत्पादन के कारण तथा करण मिलों की संख्या बढ़ने के कारण कपास की लाभकारी कीमतें नही मिल पाती हैं।

कपास उत्पादकों को फसल बीमा योजनाओं का लाभ प्रदान करने के लिए मार्गोपाय अवश्य खोजे जाने चाहिए।

(व्यवधान)

श्री खुर्शीद अहमद चौधरी (फरीदाबाद) : महोदय, मैं एक ऐसे मामले का उल्लेख करना चाहता हूं जो ट्रिब्यून में प्रकाशित हुआ है। यह एक महत्वपूर्ण मामला है। केन्द्र सरकार ने अपनी गुप्तचर एजेंसियों के माध्यम से हरियाणा में श्री देवीलाल की सरकार को गिराने के लिए कार्यवाही शुरू कर दी है ·· **(व्यवधान)**

---

*राष्ट्रपति की शिफारिश से पुरःस्थापित।

अध्यक्ष महोदय : यह हमारे से सम्बन्धित विषय नहीं है। कृपया बैठ जाइये।

(व्यवधान)

श्री वी० किशोर चन्द्र एस० देव (पार्वतीपुरम) : महोदय, मैंने राम जन्म भूमि वाले मुद्दे पर सभा को जानबूझ कर गुमराह करने के लिये गृह मन्त्री श्री बूटा सिंह के विरुद्ध अपने विशेषाधिकार प्रस्ताव के बारे में आपसे पूछा था। परन्तु अभी सचिवालय के किसी कर्मचारी ने आकर मेरे कान में यह कहा है कि इसे अस्वीकृत कर दिया गया है। क्या हमें इस प्रकार की सूचना दी जाती है ?**(व्यवधान)**

गृह मन्त्री (सरदार बूटा सिंह) : मैं यहां से फुसफुसाहट कैसे कर सकता हूँ ? मैंने उनके कान में कोई कानाफूसी नहीं की है।

श्री वी० किशोर चन्द्र एस० देव : आपने नहीं। सचिवालय से कोई आया था और फुसफुसाहट की थी।**(व्यवधान)**

श्री अमल दत्ता (डायमण्ड हार्बर) : संसद को क्या हो रहा है ? आपके मुताबिक जिस प्रस्ताव को आपने उनके पास भेजा है, उसे आपने अस्वीकृत कर दिया है।**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : क्या यह बाबरी मस्जिद के बारे में है ? कृपया एक मिनट ठहरिए....मुझे देखने दीजिए। कोई चूक हो सकती है। जी हाँ। इसे अस्वीकृत कर दिया है। मुझे खेद है।

(व्यवधान)

श्री अमल दत्ता : यह बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है।

श्री वी० किशोर चन्द्र एस० देव : यह सभा को जानबूझ कर गुमराह करने का मामला है। यहां तक कि इसे टेलीविजन पर भी दिखा दिया गया है।

अध्यक्ष महोदय : अच्छा, यदि आप मेरे पास आयें तो हम इस पर चर्चा कर सकते हैं।

श्री अमल दत्ता : चर्चा करने के लिए क्या है ? हमें यह देखना है कि क्या उन्होंने सभा को गुमराह किया है या नहीं।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है। मैंने इस बारे में अपने आपको संतुष्ट कर लिया है और मैंने इसे अस्वीकृत कर दिया है।

(व्यवधान)

श्री भद्रेश्वर तान्ती (कलियाबोर) : महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र में 'बेहोरा टी एस्टेट' के प्रबन्धकों ने २२ श्रमिकों को अवैध रूप से नौकरी से निकाल दिया है.....**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : यह मामला असम राज्य से सम्बन्धित है। कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

श्री वी० किशोर चन्द्र एस० देव : महोदय, यह इस महान सदन को गुमराह करने का एक स्पष्ट मामला है।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस संबंध में संतुष्ट हूँ।

श्री अमल दत्ता : महोदय, क्या आप विनिर्णय देंगे ?

अध्यक्ष महोदय : यदि आप चाहते हैं तो मैं अपना विनिर्णय देता हूँ।

श्री अमल दत्ता : ·······**·····(व्यवधान)·······*·····

अध्यक्ष महोदय : नहीं, मैं इसकी अनुमति नहीं देता हूँ।

सरदार बूटा सिंह : महोदय, मैं इस पर कड़ी आपत्ति करता हूँ। इसे कार्यवाही-वृतान्त से निकाल दिया जाना चाहिए।

श्री आशुतोष लाहा (दमदम) : उन्हें माफी मांगनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : यह निकाल दिया जाता है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यदि आप अपने स्थान ग्रहण नहीं करते हैं तो मैं सभा स्थगित करूंगा।

श्री अमल दत्ता : आप क्यों सभा स्थगित करेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : क्योंकि आप मुझे सदन का काम ठीक प्रकार से नहीं चलाने देते हैं ?

(व्यवधान)

नियम 377 के अधीन मामले—जारी

(दो) मैसूर जिले के गुंडलूपेट तालुक को निरन्तर सूखे से बचाए जाने हेतु वहाँ सिंचाई परियोजना के लिए एक विस्तृत सर्वेक्षण कराए जाने की आवश्यकता

श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद (चागराजनगर) : मैसूर जिले का गुंडलूपेट ताल्लुक सिंचाई परियोजनाओं के अभाव में एक सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित किया गया है।

स्रवण-क्षेत्र में चार तालाब आसपास के क्षेत्र में वर्षा न होने के कारण पानी से खाली हैं। इसलिए नुगुहोल या हेबाला घाटी से पानी मोड़ना आवश्यक है ताकि इन चार तालाबों के अन्तर्गत आने वाली 2000 हैक्टेयर अचकट और नहर के साथ-साथ 1000 हैक्टेयर के नए अचकट को पानी की सप्लाई सुनिश्चित की जा सके।

पानी को मोड़ने के लिए व्यापक सर्वेक्षण करने होंगे। हेबाला घाटी के पानी को इकट्ठा करने और उसे गुंडू नदी की ओर मोड़ने के लिए भी वैकल्पिक सर्वेक्षण करने होंगे।

टोप शीट अध्ययन के आधार पर प्रस्तावों की प्रारम्भिक पूछताछ वर्ष 1977 से प्रगति पर है। परियोजना प्रतिवेदन को अन्तिम रूप नहीं दिया जा सकता, क्योंकि वन विभाग की अनुमति के अभाव में सर्वेक्षण नहीं किया जा सकता है। यह परियोजना बांकीपुर राष्ट्रीय पार्क की क्षेत्रीय सीमा में आता है जो केन्द्र द्वारा प्रायोजित "प्रोजेक्ट टाइगर" योजना के अन्तर्गत आता है, और आरक्षित

**अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

वन क्षेत्र में किसी प्रकार के निर्माण कार्य से प्राकृतिक आवास में बाधा पड़ेगी और वन्य जीवन और पारिस्थितिकी पर्यावरण बिगड़ जाएगा ।

मैं केन्द्रीय सरकार से निवेदन करता हूं कि इस परियोजना की व्यवहार्यता देखने के लिए विस्तारपूर्वक पूछताछ करने के लिए राज्य सरकार को अनुमति दें ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : केवल श्री श्रीनिवास प्रसाद की बात ही कार्यवाही-वृतान्त में सम्मिलित की जाएगी । बस ।

(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप लिखकर दे देना, मैं देख लूंगा ।

(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : केवल श्री श्रीनिवास प्रसाद की बात ही कार्यवाही-वृतान्त में सम्मिलित की जाएगी ।

(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : देखेंगे, आप बैठ जाइये ।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृतान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं होगा । आप बैठ जाइये ।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : जो कुछ मुझे समझना है वह मैंने सभा को स्पष्ट किया है ।

[हिन्दी]

ऐसा है श्रीमान, बहुत दफा कह दिया, जो कुछ कहना चाहिए था वह भी कह दिया गया है । सीधी सी बात एक है कि

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री अमल दत्ता (डाइमण्ड हार्बर) : मैंने आपको कल एक पत्र भेजा है ।

अध्यक्ष महोदय : मुझे कल आपका पत्र मिला । पहले भी मुझे आपका पत्र मिला । मैंने उसका उत्तर दिया है । यह प्रश्न आपकी इच्छा के अथवा उनकी इच्छा के अनुसार नहीं है । सीधी सी बात है ।

(व्यवधान)

*कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।

(तीन) वार्षिक पुरस्कार/प्रमाण पत्र दिए जाने के लिये पाली के विद्वानों को भी सम्मिलित किए जाने की आवश्यकता

प्रो० नारायण चन्द्र पराशर (हमीरपुर) : भारत सरकार संस्कृत, अरबी और फारसी के प्रसिद्ध विद्वानों को वार्षिक पुरस्कार और प्रमाण-पत्र प्रदान करती है। इन पुरस्कारों से अनेक प्रख्यात विद्वानों को प्रायः बुढ़ापे में मान्यता प्राप्त हुई है और इनका भरण पोषण किया है। फिर भी पाली विद्वानों को इनसे वंचित रखा जाता है यद्यपि पाली साहित्य एशिया में सर्वाधिक समृद्ध है और संस्कृत की भांति पुरानी संस्कृति और दर्शन का समृद्ध भण्डार है। इस समय पाली हमारे देश के अनेक विश्वविद्यालयों में और उच्च शिक्षा संस्थाओं में पढ़ाई जाती है और संघ लोक सेवा आयोग द्वारा इसे परीक्षा के विषय के रूप में भी स्वीकार किया गया है। पाली साहित्य के कुछ संकलन और इस भाषा से कुछ अनुवाद भी साहित्य अकादमी द्वारा प्रकाशित हुए हैं। अनेक पड़ोसी बौद्ध देश जैसे श्री लंका, बर्मा, थाईलैंड, लाउस, कम्पूचिया और वियतनाम तथा जापान ने भी पाली भाषा तथा साहित्य के विकास के लिए और इस समृद्ध क्षेत्र में अनुसंधान के लिए पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध की हैं।

अतः मैं भारत सरकार से निवेदन करता हूँ कि वार्षिक पुरस्कार/प्रमाण पत्र देने के लिए पाली विद्वानों को भी सम्मिलित किया जाए ताकि उन्हें मान्यता और प्रोत्साहन प्राप्त हो।

अध्यक्ष महोदय : बीच में व्यवधान मत डालिए।

श्री अमल दत्ता (डायमन्ड हार्बर) : इस संबंध में आपका क्या निर्णय है।

अध्यक्ष महोदय : यही तो मैं भी कह रहा हूँ। आप बैठ जाइए। जो कुछ हो गया है सो हो गया है। सारी बात तो सदन के समक्ष रखी गई है।

[हिन्दी]

हाउस हमारा मास्टर है, यह हमारा मालिक है। यह हाउस, यह सदन हमारा मालिक है और मैं इसका सेवक हूँ। मैंने पहले भी कहा है और आज फिर कहता हूँ कि

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : हर एक चीज हिसाब से होती है और सारा काम हिसाब से होता है। जो मैंने कह दिया है कानून के मुताबिक वह ठीक है और सारा काम उसी हिसाब से होगा। मैंने एक बात कही थी और आज भी है, कल भी है।

[अनुवाद]

श्री अमल दत्ता : इस विषय में क्या कानून लागू होता है ?

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : लॉ और सब्जैक्ट यह है कि जो आपने कहा है उसके मुत्तलिक जवाब दिया जा चुका है और नया जवाब नहीं है। आपके पास मौका है जो लेना चाहें उसको करलें। मेरा तो काम इतना है कि अगर मुझे किसानों का काम करते हुए फांसी लगती है तो कल की बजाय आज ही लग जाये। न मुझे आज परवाह है, न मुझे कल परवाह है और न मैंने कभी परवाह करी है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप आराम से बैठ जाइए ।

(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री पारधी की बात कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित की जा रही है। और तो कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृतान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं होगा।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : श्री पारधी के सिवा कुछ भी कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं होगा।

(व्यवधान)**

(चार) स्व वित्त पोषित योजना के अन्तर्गत फ्लैटों का घोषित मूल्य न बढ़ाने और 1979 की "हुडको" योजना के अन्तर्गत पंजीकृत लोगों को फ्लैट आबंटित किए जाने के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण को निर्देश दिए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री केशवराव पारधी (भण्डारा) : अध्यक्ष महोदय, दिल्ली विकास प्राधिकरण ने स्वयं वित्त योजना के अन्तर्गत हाल में कुछ मांग पत्र जारी किये हैं जिनमें फ्लैटों की कीमत को अचानक ही 50 से 75% तक बढ़ाकर दिखाया गया था। इससे हजारों लोग प्रभावित हुए और उन्होंने इसका जोरदार विरोध किया। परिणामस्वरूप मांग पत्र जारी करने के कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया किन्तु कीमतों में कमी करने का कोई निश्चित आश्वासन डी० डी० ए० द्वारा अब तक नहीं दिया गया है। लोक सभा में अतारांकित प्रश्न संख्या 7835 के उत्तर में भी मन्त्री महोदय ने कीमतों में कमी करने का कोई स्पष्ट आश्वासन नहीं दिया है। इससे फ्लैट पाने के हजारों इच्छुक व्यक्ति परेशान हैं और डी० डी० ए० कार्यालय का चक्कर लगा रहे हैं, जहां अधिकारीगण उन्हें ठीक-ठीक उत्तर नहीं देते हैं।

इसके अतिरिक्त 1979 में हुडको योजना के अन्तर्गत जिन लोगों का पंजीकरण किया गया था, डी. डी. ए. ने उन्हें अब तक फ्लैट आबंटित नहीं किये हैं। इससे हजारों की संख्या में निम्न आय वर्ग के लोग फ्लैट अब तक नहीं पा सके हैं।

सरकार से अनुरोध है कि स्वयं वित्त योजना के अन्तर्गत फ्लैटों में इस असामयिक एवं अनुचित वृद्धि को स्पष्ट रूप से वापस लेकर तथा पैसा जमा कराने के लिए पर्याप्त समय देकर सचमुच फ्लैट पाने के इच्छुक व्यक्तियों को राहत प्रदान करे तथा हुडको योजना के फ्लैटों को शीघ्र आबंटित करा कर निम्न आय वर्ग के साथ न्याय करे। (व्यवधान)*

---

* कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृतान्त में श्री पारधी के भाषण के अतिरिक्त कुछ भी नहीं जाएगा।

(पांच) एरनाकुलम और कन्याकुमारी के बीच अन्तर्देशीय जल परिवहन सुविधा प्रदान किये जाने की आवश्यकता

श्री एन० डेनिस (नागरकोइल) : एरनाकुलम और कन्याकुमारी के बीच अन्तर्देशीय जल परिवहन सुविधा होने से हमारे देश के दक्षिण-पश्चिम क्षेत्र का आर्थिक विकास बड़ी तेजी से हो सकेगा। इस प्रकार की सुविधा कुछ स्थानों मुख्यतः कन्याकुमारी और त्रिवेन्द्रम के बीच कुछ स्थानों में मरम्मत करने तथा दरारों को दूर करने से प्राप्त होगी।

कन्याकुमारी और त्रिवेन्द्रम के बीच पहले पुराने आनन्द विक्टोरिया मारतण्ड वर्मा नहर से जल-मार्ग द्वारा लोग आते-जाते थे। बाद में इस नहर में कई स्थानों पर टूट-फूट हो गई जिससे आनन्द विक्टोरिया मारतण्ड नहर कहीं-कहीं पर रेत और मिट्टी के कारण बन्द हो गयी और वर्षों तक इसको निकाला नहीं गया है। रखरखाव न करने और अधिक समय से उपेक्षित रहने के कारण अब तिरन्तर जल यातायात सेवा नहीं है। यदि आनन्द विक्टोरिया मारतण्ड नहर में दरारों को ठीक किया जाता है और नहर की मरम्मत होती है तो त्रिवेन्द्रम और कन्याकुमारी के बीच भी आसानी से अत्यन्त उपयोगी अतंर्देशीय जल परिवहन सुविधा प्राप्त हो सकती है। त्रिवेन्द्रम और क्विलॉन के बीच उत्तर की ओर मरम्मत और रखरखाव से एरनाकुलम और कन्याकुमारी के बीच अत्यन्त लाभदायक अन्तर्देशीय जल परिवहन सुविधा उपलब्ध की जा सकती है। इस सुविधा से व्यापार और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा और सुलभ तथा साधारण यातायात सुविधा भी उपलब्ध होगी। इससे राष्ट्रीय एकता भी मजबूत होगी।

मैं निवेदन करता हूँ कि सरकार एरनाकुलम और कन्याकुमारी के बीच इस अतंर्देशीय जल परिवहन सुविधा के कार्यान्वयन के लिए तुरन्त कदम उठाए।

(छः) आन्ध्र प्रदेश में सर सिल्क लिमिटेड, कागजनगर को श्रमिक सहकारी समिति को सौंपकर उसे पुनः चलाए जाने की आवश्यकता

श्री सी० माधव रेड्डी (आदिलाबाद) : मैं उद्योग मन्त्री का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूँ कि आन्ध्र प्रदेश में कागजनगर में स्थित सरसिल्क लिमिटेड उद्योग के चार वर्ष से भी अधिक समय से बन्द पड़े रहने के कारण 5 हजार से भी अधिक कर्मचारी बेरोजगार हो गए हैं।

इस उद्योग को पुनः चलाने के कार्यक्रम के अन्तर्गत यह मामला औद्योगिक और वित्त पुनर्निर्माण बोर्ड को भेजा गया था। किन्तु अभी तक पुनर्निर्माण से कोई योजना नहीं बन पाई है। मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि इस उद्योग को पुनः चालू करने के लिये इसे कर्मचारियों की सहकारी समिति को सौंप देना चाहिए और कर्मचारियों और उनके आश्रितों की कठिनाइयों को दूर किया जाए।

(सात) सुन्दरबन (पश्चिम बंगाल) में दूरसंचार प्रणाली में सुधार किए जाने की आवश्यकता

श्री सनत कुमार मण्डल (जयनगर) : यद्यपि पश्चिम बंगाल के सुन्दरबन में प्राकृतिक रूप से वनस्पति और जीवजन्तु पर्याप्त मात्रा में हैं, फिर भी यह समूचा क्षेत्र अत्यन्त दरिद्र और पिछड़ा हुआ है। दूर संचार और माइक्रोवेव और सैटेलाइट संपर्कों के वर्तमान तीव्र विकास को देखते हुए, इस क्षेत्र की उपेक्षा की गई है योजनाएं तैयार तो की गई हैं लेकिन लगता है कि ये योजनाएं केन्द्र में दूर-संचार विभाग में कहीं धूल चाट रही हैं।

मल्टी-एक्सेस ग्रामीण रेडियो प्रणाली सम्बन्धी पांच लम्बी दूरी वाले सार्वजनिक टेलीफोन जिसका स्टेशन कैनिंग–दि गेट वे टू सुन्दरबन–था, गत मार्च में चालू होनी थी, लेकिन इसे अभी तक चालू नहीं किया गया है। इसी पर, इस क्षेत्र के तथा पश्चिम बंगाल राज्य में शेष स्थानों पर लम्बी दूरी के अन्य सार्वजनिक टेलिफोन लगाना निर्भर करता है। मेरा अनुरोध है कि इसे शीघ्र चालू किया जाये।

जहां तक सुन्दरबन, में माइक्रोवेव स्टेशन की स्थापना का सम्बन्ध है, पश्चिम बंगाल दूर संचार सर्कल ने चालू योजना में कलकत्ता और कैनिंग के बीच एक 34एमबी/एस डिजिटल प्रणाली (420 चैनल) क्षमता की स्थापना का प्रस्ताव रखा है; लेकिन यह मामला अन्तिम जांच तथा धन आबंटन के लिए अभी भी दूर संचार मुख्यालय, नई दिल्ली में लंबित पड़ा है। मेरा अनुरोध है कि इसे तुरन्त स्वीकृति दी जाए और चालू योजना के इस अन्तिम वर्ष में इसे कार्यान्वित किया जाए। इन दोनों प्रणालियों के चालू हो जाने से न केवल यहां पर्यटकों की संख्या में वृद्धि होगी अपितु सुन्दरबन जैसे निर्धन और पिछड़े हुए क्षेत्र की अर्थव्यवस्था में सुधार होगा।

(आठ) किसानों को नुकसान से बचाने के लिये नेफेड को गुजरात में प्याज की खरीद किए जाने के निर्देश दिए जाने की आवश्यकता

श्रीमती पटेल रमाबेन रामजीभाई मावणि (राजकोट) : अध्यक्ष महोदय, गुजरात में तीन साल के सूखे के बाद इस वर्ष प्याज की अच्छी फसल हुई है। मगर आर्थिक दृष्टि से किसानों के लिए तो फिर एक बार सूखे का वर्ष साबित हुआ है अच्छी फसल होने की वजह से प्याज के भाव थोक बाजार में इतने ज्यादा गिर गये हैं कि किसान को प्याज की मंडी तक ले जाने का जो खर्च लगता है, उतना ही या कई बार तो उससे भी कम दाम मिलता है। मेरी राय में एक ऐसी नीति बना लेनी चाहिए कि जब कभी कृषि उत्पादन का भाव गिरने लगे तो अपने आप सरकारी संस्थान बिना किसी विलंब के हस्तक्षेप करें और कृषि उत्पादन के गिरते भावों को तुरन्त रोक लें। इस प्रकार की प्रवृति में सरकारी संस्थान को जो घाटा उठाना पड़ता है उस घाटे के बंटवारे के लिये भी एक निश्चित नीति बनाई जानी चाहिए।

इस वर्ष नाफेड या अन्य कोई सरकारी संस्थान के द्वारा गुजरात के प्याज उगाने वाले किसानों के हित में तुरन्त ही प्याज की खरीद शुरू करना जरूरी है।

इस काम में नाफेड को जो घाटा होगा उसका आधा गुजरात सरकार चुकाने को तैयार है। अगर बाकी के आधे घाटे को केन्द्र सरकार उठाने का निश्चय तुरन्त करे और नाफेड को तुरन्त हस्तक्षेप करने के आदेश दें जिससे गरीब किसानों को बचाया जा सके।

(नौ) बाह्य दिल्ली के गांवों को पानी की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित किये जाने की आवश्यकता

श्री भरत सिंह (बाह्य दिल्ली) : अध्यक्ष महोदय, मेरे इलाके आउटर देहली ओचन्दी, कुतुबगढ़ आदि में खारा पानी है। अतः वहां, नजफगढ़ हैदरपुर टैंक का पानी दिया जाता है, परन्तु टिकरी कलां-हिरकुदना में पानी की बहुत कमी है और भी कई गांवों में पीने के पानी की कमी है। दो साल पहले सब गाँवों में पीने का पानी मिलता था, परन्तु अब रोहणी-विकासपुरी-पश्चिम विहार प्रीतमपुरा की काफी आबादी बढ़ गई है। पानी की खपत इन्हीं में हो जाती है। हैदरपुर गांव की जमीन में प्लांट है, पर हैदरपुर गांव वालों को पानी नहीं मिलता। हर गाँव में पीने का पानी मिले, इसके लिये हैदरपुर में दूसरा प्लान्ट जल्दी से जल्दी लगाया जाये। जिससे सब गाँवों को पीने का पानी मिले। जहां पानी की कमी हो। वहां तब तक टैंकर द्वारा पानी भेजने का प्रबन्ध करने की कृपा करें।

11.35 म० पू०

नियम १९३ के अधीन चर्चाएं

केन्द्रीय सरकार के पदों पर/सेवाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व बढ़ाए जाने की दृष्टि से आदेशों को उदार बनाया जाना

(अनुवाद)

अध्यक्ष महोदय : सभा अब श्री ई. अय्यपू रेड्डी द्वारा 4 मई 1989 को उठाए गए मामले अर्थात केन्द्रीय सरकार के पदों/सेवाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदायों का प्रतिनिधित्व बढ़ाने की दृष्टि से आदेशों को उदार बनाने के संबंध में कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री द्वारा दिए गए वक्तव्य पर नियम 193 के अधीन आगे चर्चा जारी रखेगी। यह चर्चा 2 बजे तक चलेगी।

सभा 2 बजे नियम 193 के अधीन मद संख्या 7 पर भी चर्चा करेगी।

सभा अपराह्न 4 बजे नियम 193 के अंतर्गत मद संख्या 8 पर भी चर्चा करेगी।

श्री बालकवि बैरागी

श्री बालकवि बैरागी (मंदसौर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका अभारी हूँ कि आपने नियम 193के अंतर्गत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति पर जो चर्चा इस सदन में चल रही है उस पर बोलने का मुझे अवसर दिया। चूँकि आप स्वयं संस्कृत के ज्ञाता हैं, भारत के मूल ग्रंथ वेदों से आपका परिचय है मैं आपका ध्यान नये सिरे से आकर्षित करता हूँ। आपको, जानकारी है कि भारत के वैदिक काल तक, और वेद साहित्य लिखा गया तब तक दो शब्द वेदों में नहीं मिलते। वेद में एक हरिजन शब्द नहीं मिलता, और एक शूद्र शब्द नहीं मिलता। अस्पृश्य शब्द भी नहीं मिलता। ये शब्द भारतीय संस्कृति के अपरिचित शब्द हैं। मैं माननीय सदन का ध्यान आकर्षित करूंगा जो हरिजन और अस्पृश्य शब्द भारतीय संस्कृति में और शास्त्रों में नहीं मिलते हैं उनको बाद में जोड़ा गया है।

पाँच हजार साल की हमारी वैदिक परम्परा, हमारी साहित्यिक परम्परा है। आज आजादी के बाद, इस भारत की लोक सभा में हम इस पर बहस करें कि आरक्षण दिया जाए या न दिया

[श्री बालकवि बैरागी]

जाए यह एक गंभीर मसला है। मैं इस संदर्भ में सबसे पहले अपनी ओर से प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी का आभार मानता हूं कि लखनऊ रैली में उन्होंने इस बात की घोषणा की कि इस शताब्दी तक, सन् दो हजार तक इनके आरक्षण को जारी रखा जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप जैसे व्यक्तित्व की अध्यक्षता में इस सदन में यह कहने में मुझे संतोष है कि भारत के हिन्दी कोष को "हरिजन" शब्द महात्मा गांधी ने दिया और उन्होंने एक बात और कही जिसकी कि ओर मैं इस सदन के विद्वान सदस्यों का ध्यान दिलाना चाहूंगा कि ईश्वर ने यदि मुझे अगला जन्म दिया तो मैं एक हरिजन मां की कोख से पैदा होना चाहता हूं, मैं अगले जन्म में हरिजन बनना चाहता हूं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए ये शब्द कहे थे। आज इस देश में हरिजनों की, आदिवासियों की तरक्की के लिए हम कुछ करना चाहें या कहना चाहें तो यह हमारी जिम्मेदारी है और इस जिम्मेदारी को कांग्रेस ने शुरु से लिया है। कांग्रेस कोई नया काम नहीं कर रही है। कांग्रेस जब सत्ता से बाहर थी तो वैचारिक और जागृति के आधार पर इस कार्य को करती रही, जब वह सत्ता में आयी तो कार्यक्रम के आधार पर कर रही है।

एक बात गले से नहीं उतरती। कभी-कभी हमारे मित्र कहते हैं कि गरीबी के आधार पर रिजर्वेशन होना चाहिए। मैं नम्रतापूर्वक कहना चाहता हूं कि पांच हजार वर्ष से जिस समाज को जाति के आधार पर रौंदा गया हो उस समाज को 40-42 साल में इतना विकसित कैसे मान सकते हैं कि वह अपने पैरों पर खड़ा हो गया है। गरीबी को आधार बनाइये लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि जिनको जाति के आधार पर रौंदा गया है उनको जातियों के आधार पर जब तक ऊपर उठा न दिया जाए तब तक इस आरक्षण को कायम रखा जाए। हमारे पुरखाओं ने जो गलती की है, उसको हमें भुगतना चाहिए। इस संदर्भ में हमको अपना मन छोटा नहीं करना चाहिए। आज स्थिति यही है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत गंभीरता से कहना चाहता हूं कि हमने वह राज देखा है, शायद सदन के माननीय सदस्यों को इसकी जानकारी न हो। मेरे राज्य होल्कर में यह कानून था कि एक हरिजन मंदिर का निर्माण तो कर सकता था लेकिन उसमें मूर्ति नहीं बिठा सकता था। अगर कोई हरिजन अपना मन्दिर बना करके भगवान की मूर्ति बिठा देता था तो उस पर मुकद्दमा चलता था, उसको सजा होती थी। यह हमने अपनी आंखों से देखा हैं और इसके खिलाफ कांग्रेस के लोग जेल गये। यह क्या तमाशा है कि इस देश में एक हरिजन कुंआ तो खोद नहीं सकता था, कुंआ खोदने में उसका पसीना तो बह सकता था लेकिन जब उस कुएं से पीने का पानी निकल आता था तो वह उस पानी को पी नहीं सकता था। इस सीमा तक इस देश में छुआछूत थी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज इस सदन में आपकी अध्यक्षता में, इस सरकार के अंतर्गत और श्री राजीव गांधी के नेतृत्व में जब इस मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं और इस देश को इसकी गंभीरता से परिचित कर रहे हैं तो मैं सरकार से बहुत नम्रता के साथ निवेदन करना चाहूंगा कि आपने हरिजनों को 15 प्रतिशत और आदिवासियों को साढ़े सात प्रतिशत आरक्षण दिया है। उनका यह आरक्षण पहली, दूसरी और तीसरी क्लास के सिवाय चौथी क्लास में पूरा हो जाता है, डी क्लास में पूरा हो जाता है साढ़े बाईस प्रतिशत तक लेकिन इन तीन क्लासों में पूरा नहीं होता है। मैं श्री चिदम्बरम जी को और श्री राजीव गांधी जी को और उनकी सरकार

को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने यह घोषणा की है कि जब तक इन क्लासिज में इन जातियों के सम्पूर्ण लोग नहीं मिलेंगे तब तक इन आरक्षणों को खत्म नहीं करेंगे। जब तक नहीं मिलेंगे तब तक उन सीटों को खाली रखेंगे और भरने की व्यवस्था करेंगे। इस बात को आपको स्पष्ट कहना चाहिए, ताकि देश आश्वस्त हो सके। मुझे कल सुनकर आश्चर्य हुआ कि इस सदन में अपने आपको प्रगतिशील कहने वाले इस कोटि के लोग भी बैठे हुए हैं, एक मित्र ने कहा कि चुनाव की तैयारी है, चुनाव नहीं आता तो शायद यह काम नहीं होता। अध्यक्ष महोदय, अगर हम किसान की बात करें तो प्रतिपक्ष कहता है कि चुनाव के लिए कर रहे हैं, मजदूर की बात करें तो प्रतिपक्ष उसको चुनाव से जोड़ता है, महिलाओं की बात करें, हरिजनों की बात करें, आदिवासियों की बात करें तो प्रतिपक्ष उसको चुनाव से जोड़ता है।

श्री सैयद शाहबुद्दीन (किशनगंज) : इसलिए कि 4 वर्ष तक आप खामोश थे, पांचवें साल आपने बोलना शुरु किया है।

श्री बालकवि बैरागी : श्रीमान, जो पांचवें वर्ष बोलते हैं, उनको आप भी सब जानते हैं और हम भी पहचानते हैं। मैं अपने मित्र से कहना चाहता हूँ, किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, आप सब जानते हैं कि 103 साल से हम इस बात को बराबर बोल रहे हैं, इस बात के लिए लड़ रहे हैं। पांच साल के लिए आप पैदा हुए हैं, पोने पांच साल तक जिंदा रहते हैं, अंतिम तीन महीनों में आप चले जाते हैं, इस बात को आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। मित्र मेरे, मैं इस बहस को शुरू नहीं करना चाहता, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि हम तो न इसको चुनाव से जोड़ते हैं, न हरिजन से जोड़ते हैं, न अल्पसंख्यक से जोड़ते हैं, न मुस्लिम से जोड़ते हैं, हम किसी को चुनाव से नहीं जोड़ते, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कि इसी आरक्षण की नीति के अंतर्गत विपक्ष के लोग जीतकर कैसे आ गए। क्या विपक्ष में हरिजन या मुस्लिम नहीं हैं, आदिवासी नहीं हैं। इस आरक्षण की नीति के अंतर्गत ये भी जीतते रहे हैं, याद रखिए अगर चुनाव को नजर में रखकर हम पैंतरे-बाजी करते तो हम जानते हैं कि चुनाव का मतलब क्या होता है। अगर चुनाव हमारी नजर में होता तो यहां पर जो 2-3 नजर आ रहे हैं, ये भी नहीं पहुंच पाते, आपकी ये स्थितियां हो जातीं। इसलिए इसको कृपा कर के चुनाव से न जोड़ें। हम हर साल हर वक्त; हर मिनट इस पीड़ा को जीते हैं, इसके अंतर्गत चलते रहते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन आपसे करना चाहता हूँ, मैं अपना बहुत गंभीर अनुभव बतला रहा हूं, मैं अपने हरिजन-आदिवासी मित्रों से कहना चाहता हूं, मेरा अनुभव है इसलिए कह रहा हूँ कि जो लोग आरक्षण के अंतर्गत नौकरियों में आ गए, उन्होंने वहां बैठकर अपने समाज के लोगों के साथ कैसा व्यवहार किया, अगर इसकी समीक्षा करें तो निराशा होती है। मेरे यहां जितने भी हरिजन थानेदार आए, उन्होंने हरिजनों पर ही ज्यादा जुल्म किया और हमें बीच में पड़ना पड़ा, मुझे तकलीफ होती है। हरिजन के खिलाफ हरिजन गवाही देने के लिए जाता है, हमें बीच में पड़ना पड़ता है। मैं यह नहीं कहता कि अपराधों को न रोकें ज्यादतियों को रोकना चाहिए, लेकिन तरक्की पाने के बाद इन लोगों की भूमिका क्या है, इस पर इनको विचार करना चाहिए। जो लोग अपने पांव पर खड़े हो गये हैं, पांव पर खड़े होकर बाद वालों को भी अवसर दें ताकि काम आगे चलता रहे, यह बात आगे बढ़ती रहे।

एक निवेदन और करना चाहता हूँ, बड़ी नम्रता से मेरा निवेदन है, यह मेरा प्रस्ताव कालांतर में शायद आपके काम आए, आज तो आप इसको विनोद में ले लें तो मुझे कोई आपत्ति

[श्री बालकवि बैरागी]

नहीं है, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि मेरे कई सवर्ण मित्रों ने हरिजन-आदिवासी न होते हुए, गलत सार्टीफिकेट लेकर नौकरियां प्राप्त की हैं, उन्होंने गंदा काम किया, इसके लिए उनको सजा क्या तजवीज करें, क्या सजा हो सकती है। मेरा प्रस्ताव है, इसको आप मंजूर कर लीजिए, आपकी अध्यक्षता में यह हो जाए तो देश की तबियत खुश हो जाएगी। उन्होंने जितने साल उस सर्टिफिकेट का दुरुपयोग किया, नौकरी ली, उतने ही साल जिस जाति का बनकर उसने नौकरी ली है, उस जाति का काम भी वह करे। अगर उसने मेहतर बनकर नौकरी ली है तो उतने ही साल मेहतर का काम भी उससे करवाया जाए, तब जाकर उसको समझ में आएगा कि अपने आपको बदलकर नौकरी पाने का मतलब क्या होता है।

अध्यक्ष महोदय, हमारे यहां पर कभी जाति या वर्ण व्यवस्था नहीं थी, धंधे के आधार पर जातियां बनीं, उसको समाज ने सड़ाया, गलाया, गंदा किया और ऐसी व्यवस्था कर दी जिससे कुछ लोग पददलित हुए, उनको रौंदा गया, इस सब का हमको प्रायश्चित करना पड़ेगा। अगर प्रायश्चित करने के लिए उनको आगे बढ़ाते हैं, उनके लिए कुछ काम करते हैं तो इसमें कोई संकोच नहीं करना चाहिए, हमें अहसान की भाषा में भी यह काम नहीं करना चाहिए।

एक निवेदन और करना चाहता हूँ, मैं पूछना चाहता हूँ, कई लोग जनता रिजीम में इधर बैठे थे, बीच में एक सरकार आई थी, वह जिस तरह से आई थी, सब इस चीज को जानते हैं, हमारे दोस्तों की नजर में है, लेकिन ये लोग उस बात को आज भूलना चाहते हैं, चुनाव से जोड़ने का इलजाम लगाते हैं, हम क्यों इसको चुनाव से जोड़ेंगे, मैं पूछना चाहता हूँ कि जनता सरकार के वक्त जिस समय 1980 में कांग्रेस सरकार वापिस सत्ता में आई तो लोकसभा की बैठक में इंदिरा जी ने बिल लाकर दस साल के लिए इसको और आगे बढ़ाया, उस वक्त तो चुनाव हो चुका था। इन लोगों ने उस वक्त क्या किया था। चुनाव होने के बाद हमने इस कानून को बनाया। मैं पूछना चाहता हूँ कि हमारे सामने चुनाव कहां थे। हम लोग जीत कर आ गए और आने के बाद हमको महसूस हुआ कि जो पाप, जो गलती जनता शासन में हो गई इन लोक सभा के पवित्र सदन में बैठकर, उसका परिष्कार इन्होंने तो नहीं किया, लेकिन हमने किया। कर्म, सत्कर्म, कुकर्म जो भी विपक्ष करता है, उसकी सजा कांग्रेस को भुगतनी पड़ती है, कांग्रेस ही इस देश में एक जिम्मेदार पार्टी है। आप जानते हैं कि जवाबदार को ही हमेशा जवाब देना पड़ता है गैर-जवाबदार क्या जवाब देंगे। मैं लोगों की ओर अंगुली नहीं उठाता, मैं गैर-जवाबदार पार्टियों की ओर अंगुली उठाता हूं। प्रजातांत्रिक व्यवस्था को हम पार्टियों के माध्यम से चलाते हैं। जो लोग चुनाव के दो महीने पहले तक अपनी पार्टियां तय नहीं कर पाते और कभी इनसे पूछो कि तुम्हारा नेता कौन है तो बोलेंगे हम तय कर रहे हैं। कौन से सदन में कहां हो रहा है तो बोलेंगे आजकल कर्नाटक सदन में बैठक नहीं होती है, आजकल हरियाणा सदन में हो रही है। कभी आन्ध्र सदन में होती थी। चुनाव के छह महीने पहले जो नेता तय नहीं कर पाते, जिनकी पार्टी का कोई झंडा नहीं, उनसे आप क्या आशा रख सकते हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे प्रधान मंत्री और हमारे नेता कल भी राजीव गांधी थे, आज भी हैं और कल भी राजीव गांधी ही हमारे नेता रहने वाले हैं। हम इस चीज को डटकर कहते हैं। ये अपने नेता, अपनी पार्टी और अपने झंडे का नाम बता दें। इनके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है और उसको सारा देश भुगतता रहता है।..... (व्यवधान) जिनके पास कुछ करने को नहीं है, वे हर बात चुनाव से जोड़ेंगे। लेकिन कांग्रेस ने

चुनाव से नहीं जोड़ा है । जिन शब्दों ने वैदिक काल के बाद जन्म लिया है, जिस व्यवस्था ने वैदिक सभ्यता के बाद जन्म लिया है, उस सभ्यता से लड़ना हमारी जिम्मेदारी है और हम लोग गांधी, नेहरू और इंदिरा के वंशज हैं और इनसे जुड़े हुए लोग हैं । वैसे उत्तर तो चिदम्बरम जी देंगे, मैं तो उत्तर नहीं देना चाहता लेकिन ब्यान कर सकता हूँ । मुझे फक्र है कि मुझे वोट देने का अधिकार देने वाले, इस देश में संविधान पर दस्तख्त करने वाले बाबा साहेब अम्बेडकर थे और हम जानते हैं कि वे किस समाज से थे । 18 साल की उम्र के युवकों को वोट देने का अधिकार शंकरानन्द जी के दस्तखत से मिला है । हमने यह काम करके दिखाया है । यह काम किसी दूसरे व्यक्ति के माध्यम से नहीं किया । उस समाज के माध्यम से किया जिस समाज से रात-दिन हम लड़ते रहते हैं । मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि आप इस आरक्षण नीति को बराबर चलाइए और आपको दूसरे लोग मिल भी जाएं तो भी कृपा करके उन पदों को उसी समाज, उसी वर्ग से भरने की कोशिश कीजिए जिसके लिए आप प्रतिबद्ध हैं । अगर आप कमिटमेंट तोड़ देंगे तो संविधान की अवहेलना करेंगे । कमिटमेंट जिन्दगी से ज्यादा कीमती है । हम लोग कमिटेड हैं और कमिटेड लोगों की परीक्षा इतिहास में प्रायः होती रहती है । मैं सरकार से, सभी लोगों से 'राजनैतिक दलों से और सभी सदस्यों से कहना चाहता हूँ कि कृपा करके इसमें चुनाव और वोट नहीं ढूढ़ें, जो कुछ आत्मा से जुड़ा है उसको ढूढ़ें । मुझको प्रसन्नता है कि आपने मेरी बात गंभीरता और शालीनता से सुनी । इस चर्चा में मैं अपना सारा समर्थन, नैतिक समर्थन, राजनैतिक समर्थन, आचरणगत समर्थन और संस्कारगत समर्थन प्रस्तुत करते हुए आपका आशीर्वाद चाहता हूं ।

[अनुवाद]

श्री सैयद शाहबुद्दीन (किशनगंज) : सरकारी नौकरी में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण संविधान की देन है और इसे राष्ट्र की सर्वसम्मति भी प्राप्त है ।

[हिन्दी]

श्री बालकवि बैरागी : कांस्टीच्युशन जब बना था, तब चुनाव नहीं हुए थे, माफी चाहता हूँ ।

[अनुवाद]

श्री सैयद शाहबुद्दीन : चुनाव संविधान बनने के परिणामस्वरूप ही हुए ।

समाज के पिछड़े वर्गों के पक्ष में संरक्षणात्मक पक्षपात और सकारात्मक कार्यवाही के सिद्धांत का विशेष उद्देश्य है । इसका उद्देश्य है निश्चित समय में पिछड़े वर्गों को समाज के औसत स्तर के बराबर लाना । हम इस उद्देश्य में असफल रहे हैं । हमने सोचा था कि इसके लिए 10 वर्ष पर्याप्त होंगे किन्तु ऐसा नहीं था । अब हमें ऐसा लग रहा है कि इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए 40 वर्ष भी पर्याप्त नहीं । इसे दृष्टिगत रखते हुए मैं मन्त्री महोदय के इस वक्तव्य से सहमत नहीं हूँ कि अनुच्छेद 14 और 26 के सम्बन्ध में अधिदेश को पूरा किया गया है । अनुच्छेद 14 और 16 में समानता की बात कही गई है न कि असमानता की । सम्भवतः वह जिन उप-धाराओं का जिक्र करना चाहते हैं वह समानता लाने के लिए सकारात्मक कार्यवाही करने के संबंध में हैं । इसलिए मेरा सुझाव है कि हमें इस बारे में सोचना चाहिए कि हम इस राष्ट्रीय असफलता की स्थिति में कैसे सुधार कर सकते हैं । इस बीच, देश के सामने और कोई

[श्री सैयद शाहबुद्दीन]

विकल्प नहीं है सिवाय इसके कि आरक्षण को और दस वर्ष तक लागू रखा जाए। इसे भी राष्ट्रीय समर्थन प्राप्त हैं और इसीलिए मैं महसूस करता हूं कि इसे दलगत प्रश्न के रूप में नहीं रखा जाना चाहिए।

इतना कहना के बाद, मैं सरकार से यही निवेदन करूंगा कि पूरे देश में यह मांग की जा रही है अनुसूचित जातियो और अनुसूचित जनजातियों की सूचियों की पुनरीक्षा की जाए। विभिन्न राज्यों में एक ही जनजाति के लोगों को कहीं तो आरक्षण की सुविधा प्राप्त है और कहीं नहीं। ऐसा ही समान जाति वाले लोगो के साथ है। इस असंगति को दूर किया जाना चाहिए। इस विरोधाभास को समाप्त किया जाना चाहिए। अतः मेरा सुझाव है कि सरकार को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश की व्यापक पुनरीक्षा करनी चाहिए और इस सूची को अद्यतन बनाने का प्रयास करना चाहिए।

पूर्णतः वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, बकाया पड़ी रिक्तियों के प्रश्न के संबंध में इसके सिद्धांत का विरोध किए बिना, मुझे कुछ प्रश्न पूछने हैं। यदि पदों में बकाया को अनिश्चित काल तक इकट्ठा किया जाता है और हमारा अनुभव यह रहा है कि आरक्षण में निर्धारित रिक्तियों को प्रतिवर्ष भरा नहीं जाता, तो प्रश्न यह है कि हम ऐसा कब तक करते रहेंगे ? अन्ततः किसी वर्ष योग्य व्यक्ति कोई आसमान से तो नहीं टपक पड़ेंगे। आकड़ों में भी कुछ सच्चाई होती है। अतः जब हम पदों को अनिश्चितकाल के लिए रिक्त रखते हैं, विशेषरूप से सामान्य प्रशासन में नहीं अपितु तकनीकी पदों को रिक्त रखते हैं, तो मेरे विचार से इस बीच हमारी और अधिक अकुशलता सिद्ध होगी। उदाहरण के लिए यदि मेडीकल डाक्टरों के कुछ पदों को काफी समय तक रिक्त रखा जाता है, तो स्पष्टतः उससे लोगों के लिए बनाई गई चिकित्सा सेवा प्रणाली पर इन रिक्त पदों का असर पड़ेगा। हम जनता तक जो सेवायें पहुँचाना चाहते हैं, उस दौरान नहीं पहुँचा सकते। इसलिए पदों को अनिश्चित काल तक के लिए रिक्त रखने से कई समस्यायें उत्पन्न हो जाएंगी। मेरा अपना सुझाव यह है कि जहां तक तकनीकी पदों का संबंध है, बकाया रिक्तियों को भरने के लिये कम से कम वहां हमें दो-तीन वर्ष तक ही प्रतीक्षा करनी चाहिए। किन्तु तीन वर्षों के बाद जो भी समय निर्धारित किया गया हो, यह तीन वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए, आरक्षण का निर्धारित कोटा पूरा किया जाना चाहिए। चौथे वर्ष में पहले वर्ष में कीटे को साधारण श्रेणी में डाल देना चाहिए। कुछ इस प्रकार की व्यवस्था देनी चाहिए कि रिक्त स्थानों के स्तर या रिक्त स्थानों के अनुपात से सेवाओं में इस प्रकार की अकुशलता की स्थिति उत्पन्न न हो जिसका मैंने उल्लेख किया है..... (व्यवधान)

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : आप कह रहे हैं कि इन्हें साधारण कोटे में डाल देना चाहिए। क्या आप यह कह रहे हैं कि इनका आरक्षण समाप्त कर दिया जाए ?

श्री सैयद शाहबुद्दीन : तीन वर्ष के पश्चात।

श्री पी० चिदम्बरम : नहीं, हमने आरक्षण समाप्त करने पर प्रतिबन्ध लगाया हुआ है।

श्री सैयद शाहबुद्दीन : आपको इसका तर्काधार देना चाहिए। मैं यही कह रहा हूं। सिद्धान्त रूप में, मैं आपकी बात मानता हूं, तो भी यदि मैं आपको कोई कठिनाई बताता हूं तो आपको उसका तर्क संगत उत्तर देना चाहिए। यही बात तकनीकी पदों पर लागू होती है। हमारे यहां तकनीकी प्रशिक्षण के लिए कुछ सुविधाएं हैं। यदि यह मान लिया जाए कि उन्हें रिक्त रखा गया है, तो यह राष्ट्रीय लागत पर तैयार की गयी व्यवस्था का क्षमता से कम उपयोग होगा। हम इसे बिना इस्तेमाल या कम इस्तेमाल के क्यों रखें। क्षमता के कम उपयोग का अर्थ है राष्ट्रीय अपव्यय और इसलिये इस प्रश्न का तर्क संगत उत्तर होना चाहिए कि यदि हम उच्च लागत पर औद्योगिक या तकनीकी प्रशिक्षण या प्रौद्योगिकी सम्बन्धी प्रशिक्षण के लिए कुछ सुविधाएं जुटाते हैं और प्रत्येक स्थान की लागत इतनी बढ़ गई है कि हमें आरक्षण कोटा भरते समय यह बात ध्यान में रखनी होती है कि न्यूनतम योग्यता वाले व्यक्ति उपलब्ध हैं या नहीं। जहां तक पदोन्नति का सम्बन्ध है, मैं सरकारी सेवा में रहा हूं और में समझता हूं कि दो तरह से इसमें परेशानी उत्पन्न हुई है। इससे विभिन्न अफसरशाही प्रणालियों और संवर्गों में ईर्ष्या की भावना उत्पन्न होती है, जब आप यह पाते हैं कि आपके नीचे काम करने वाला व्यक्ति अचानक आपका बॉस बन बैठा है और इससे समाज में कुछ भेदभाव और तनाव उत्पन्न होता है। महोदय, दूसरे दृष्टिकोण से मेरा यह विचार है कि यह बात उचित नहीं है कि कोई व्यक्ति जिसे आरक्षण कोटे में मेडिकल कालेज में दाखिला मिलता है, उसे सरकारी नौकरी में भर्ती के लिए भी दूसरी बार आरक्षण सुविधा मिले। आखिर कार उसे मुख्य धारा में लाया गया है और उसे आगे बढ़ने के अवसर दिए गए हैं तो फिर उसे हर स्तर पर ही यह आशा नहीं करनी चाहिए कि उसे कोई आगे बढ़ायेगे। इसलिये, सिद्धान्त रूप से मैं यह बात सही नहीं समझता कि किसी व्यक्ति को उसके जीवनकाल में एक या दो बार से अधिक आरक्षण की सुविधा दी जाए। प्रत्येक स्तर पर उसे सहायता दी जाती है। क्यों ? एक बार जब उसे दूसरों के बराबर खड़ा कर दिया जाता है तो उसे अपने आप आगे बढ़ना चाहिए। हां, मुझे इसका जवाब मालूम है। इसका जवाब यह है कि हमारे पिछड़े मित्र, आरक्षण कोटा पाने वाले मित्र यह अनुभव करते हैं कि उनकी रिपोर्टिंग प्रणाली सही नहीं है। मंत्री महोदय को यह सुनिश्चित करना होगा कि वैज्ञानिक तरीका अपनाया जाए जो सभी संबद्ध लोगों के लिए यथा संभव वस्तुपरक हो। यह एक ऐसा मामला है जिस पर मन्त्री महोदय को विचार करना चाहिए।

महोदय, इसी प्रकार एक अन्य बात सामने आती है। मैंने देखा कि आरक्षण का लाभ थोड़े से परिवारों को ही पहुँचता है। उदाहरण के लिए यदि कोई हरिजन भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी बन जाता है तो उसके बेटे को आरक्षण का लाभ क्यों दिया जाए ? मुझे इसका कोई कारण नजर नहीं आता, यह न्यायोचित नहीं है, इसमें कोई समानता नहीं है, यह समाज के लिए अनुचित है, यह हरिजन समुदाय के अन्य सदस्यों के साथ भी अन्याय है। मैं चाहता हूं कि आरक्षण का लाभ समाज के अधिक से अधिक लोगों को मिले। अन्य परिवारों को भी इसका लाभ मिलना चाहिए। उसी समाज के अन्य निम्न तबकों को भी इसका लाभ मिलना चाहिए। मुझे इसमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन मुझे इस बात पर सख्त एतराज है कि आरक्षण का लाभ उसी एक परिवार तक सीमित रहे।

महोदय, मैं यह आग्रह भी करूंगा कि आरक्षण का लाभ समाज के सभी वर्गों को दिये जाने के प्रश्न पर विचार किया जाना चाहिए। प्रत्येक समुदाय में पिछड़े वर्ग हैं। पिछड़े हरिजन हैं, पिछड़े

[श्री सैयद शाहबुद्दीन]

मुसलमान हैं। प्रत्येक समुदाय में पिछड़े लोग हैं। हम आरक्षण की किसी ऐसी प्रणाली के बारे में क्यों नहीं सोच सकते जिसका आधार आर्थिक हो ताकि किसी भी समुदाय में आरक्षण का लाभ आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े लोगों को मिल सके ? इन्ही शब्दों के साथ मैं आमतौर पर सरकार के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। यह बहुत अच्छा प्रस्ताव है किन्तु, यह कुछ आधार भूत प्रश्नों को जन्म देता है और मैं चाहता हूं कि मन्त्री महोदय मेरे द्वारा उठाए गए प्रश्नों के बारे में विचार करें।

[हिन्दी]

श्री राम रतन राम (हाजीपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले चिदम्बरम साहब को धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने 19 अप्रैल को

[अनुवाद]

"केन्द्रीय सरकार के पदों और सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व सुधारने के उद्देश्य से आदेशों को उदार बनाने के संबंध में"

[हिन्दी]

पर अपना स्टेटमेंट दिया था और इसी सन्दर्भ में आज जो डिस्कशन यहां रखा गया है, उस सम्बन्ध में मैं आपसे अर्ज करना चाहूंगा कि हमारे बहुत से साथियों ने जो विरोधी पक्ष के हैं सैय्यद शाहबुद्दीन साहब ने ही कहा, उसको याद करते हुए कि शेड्यूल्ड कास्ट शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग जो सदियों से सवर्ण स्टिगमा से सफर करते आए हैं, समाज के द्वारा दबाए गए हैं, ऐसे लोगों को कांग्रेस ने कितना अधिक आगे बढावा सोश्यली, इकनौमिकली, एजूकेशनी और पॉलिटिकली दिया है।

12.00 **मध्याह्न**

उसी सन्दर्भ में कांग्रेस का जो कमिटमेंट था, कांग्रेस की सरकार बनने के बाद संविधान में भी इसकी व्यवस्था हुई और चालीस-ब्यालीस साल के भीतर जो भी हरिजनों के लिए क्रांतिकारी कार्य हो सकते थे उसका एक छोटा-सा अंश रिजर्वेशन इन सेंट्रल सर्विसेज भी है। यह स्टेट सर्विसेज में भी है। उसी सन्दर्भ में चिदम्बरम् साहब ने सरकार की ओर से जो स्टेटमेंट दिया है वह कुछ लिबलाइज करेंगे, धन्यवाद के पात्र हैं।

12.01 **म० प०**

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

लेकिन कहां तक, कितनी दूर तक वह लिबलाइज करेंगे इसको हम लोगों को जानने की आवश्यकता है। मैं अर्ज करना चाहूंगा कि इसी चन्द चालीस साल के बाद और उसके पहले जो हरिजनों की स्थिति थी समाज में, इस सरकार के बनने के बाद आज कहीं कोई नहीं पूछता कि कोई हरिजन रेल में जा रहा है तो वह उतर जाये, किसी होटल में खा रहा है तो चला जाये या किसी विद्यालय में पढ़ रहा है तो वहां से हटा दिया जाए। आज समाज में बहुत परिवर्तन कांग्रेस के शासन में हुआ है। इसकी वह धन्यवाद की पात्र है। जहां तक आरक्षण का सवाल है जिसके संबंध

में चर्चा चल रही है उस संबंध में मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा और चिदम्बरम् साहब के इस वक्तव्य का मैं स्वागत करता हूं और उनसे कहूंगा कि अभी वर्तमान में जो सेंट्रल सर्विसेज में अनुसूचित जाति के लिए 15 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति के लिये साढ़े सात प्रतिशत आरक्षण है उसको आगे और भी बढ़ाने की कोशिश करें। क्योंकि जनसंख्या के अधार पर जो आरक्षण हुआ, आप मेंसेज की रिपोर्ट देखेंगे तो मालूम पड़ेगा कि इनकी संख्या में भी वृद्धि हुई है। लेकिन इस बात को भी ध्यान में रखना होगा कि आरक्षण, जैसा अभी शाहबुद्दीन साहब कह रहे थे कि एक परिवार में एक व्यक्ति आरक्षण का हकदार है, प्रमोशन में भी नही होना चाहिए। मैं उनकी विचारधारा का तब स्वागत करूंगा जब समाज की मनोवृत्ति में परिवर्तन हो जायेगा। अगर मानसिक परिवर्तन नहीं होता है जब तक देश के लोग जो उच्च पदों पर आसीन हैं उनकी विचारधारा में, उनकी मनोवृति में यह परिवर्तन नहीं होता कि हम मानव मानव में किसी तरह का कोई भेद नहीं है तब तक इस विचारधारा को जो शाहबुद्दीन कहते हैं अगर उसे रखें तो वह प्रक्टिकल नहीं हो सकती है। क्योंकि रिजर्वेशन रहने के बाद भी जहां तक प्रमोशन का सवाल आता है नौकरियों में, सेंट्रल सर्विसेज के मुताबिक उनको सर्विस सेवा उपलब्ध करा दी जाती है, लेकिन प्रमोशन का सवाल आता है तो वहां हार्ड बनिंग होती है। जहां हमारे विरोधी भाइयों ने यह कहा, यह ठीक है। लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि यह होना चाहिए कि जो सोशली, पोलिटिकली और इकोनोमिकली दृष्टि से पिछड़े हुए हों वही क्राइटेरिया होना चाहिए। अनुसूचित जाति और जनजाति के सम्बन्ध में जो क्राइटेरिया रखा गया है वह सोशली और इकोनोमिकली के आधार पर ही रखा गया है। वह शायद इस बात को बोलना भूल गये। मैं कहना चाहूंगा सोशली और इकोनोमिकली बैकवर्ड नैस का प्रश्न है अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के लिए, क्या समाज में दूसरे लोग भी सोशली और इकोनोमिकली पिछड़े हुए हैं जिनके साथ आज भी समाज में भेद-भाव बरता जाता है, क्या उनको भी यही सुविधायें उपलब्ध हैं ? अस्पृश्यता कानून लागू हुआ, लेकिन गांवों में बहुत हद तक इस तरह की विचार धारा अभी भी विद्यमान है। इसमें जरूरी है कि इस मनोवृत्ति को दूर करने के लिए हम सारे देश में समान रूप से एक कानून बनाकर चलें। जिस तरह से सारे भारत के नागरिक एक हैं वैसे चलें, वह स्वागत के लायक बात होगी। मैं चिदम्बरम् साहब का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि अभी हाल ही में सेंट्रल पोस्ट आफ डिप्टी सेक्रेटरी का जो अपग्रेडेशन का सवाल आया इन दी रैंक आफ डायरेक्टर। उसमें आपने 15 लोगों का ही पैनल बनाया जो वहां तक डायरेक्टर बनेंगे, सोलहवां नहीं आ सका क्योंकि सोलहवां अनुसूचित जाति का है। इसलिए पैनल 15 तक ही बनाकर छोड़ दिया। इसे हम क्या कहेंगे। क्योंकि 15 तक अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग नहीं थे, सोलहवां अनुसूचित जाति का है इसलिए पैनल 15 तक बनायेंगे और 15 तक ही डायरेक्टर के पद पर जा सकेंगे, सोलहवां अनुसूचित जाति का होता है इसलिये नहीं होगा। इस मनोवृत्ति को भी दूर करना होगा। मैं चिदम्बरम् साहब को कहना चाहता हूं कि जो पैनल अभी बना है सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में उप सचिव के पद को अपग्रेड बनाने का, उसको 15 से आगे बढ़ाने की कोशिश करें। अभी तो पैनल बनाया है और पैनल बनाने में इस तरह की भावना आ जाये आपके अधिकारियों द्वारा तो यह आप हरिजनों और आदिवासियों के साथ न्याय नहीं कर सकते।

जहां तक प्रमोशन का सवाल है, प्रमोशन के प्रश्न पर आज कहीं भी उठाकर देख लें जो शाहबुद्दीन साहब ने कहा वह ठीक है, मैं उसका समर्थन करता हूँ कि हार्ड बनिंग होती है। यही

[श्री रामरतन राम]

कारण है कि अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को यह कहकर कि जो हमसे पीछे आया वह हमारा बॉस बनेगा तो आपने जो संविधान में व्यवस्था की है उसके प्रावधानों को समाप्त करें और उसके बाद मैरिट में आने दें। लेकिन समाप्त करने से समाज की जो वर्तमान स्थिति है जहां सोशली और इकोनोमिकली का सवाल हैं, क्या हम सबको समान रूप से अधिकार दे पायें हैं। अगर नहीं दे पाये हैं तो संविधान में यह व्यवस्था तब तक रहेगी जबतक असमानता रहेगी। जब तक देश में समानता नहीं लाते, तब तक रहेगी, उसे आप रोक नहीं सकते। समाज के अन्दर वह जागरूकता आये और समाज के लोगों में इस तरह के संघर्ष करने के लिए वे तैयार हो जाएं तो आप इसको बदल सकते है। आपने बैकवर्ड क्लासेज के बारे में कहा। उस पर मण्डल आयोग को रिकमडेशन की बात हुई, लेकिन वह खटाई में पड़ी हुई है। बैकवर्ड क्लासेज में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी दशा हरिजनों से भी बदतर है। ऐसे लोगों को कम से कम बैकवर्ड क्लासेज में पोलिटीकली रिजर्वेशन नहीं कर सकते हैं तो आप सर्विस में रिजर्वेशन कर सकते है उनके एडमिशन में रिजर्वेशन कर सकते हैं। यह उचित बात नहीं है कि एक बार कोई अनुसूचित जाति का लड़का एडमीशन में उसको आरक्षण मिला है तो सर्विस में नहीं मिले। जहां तक सर्विस में आरक्षण की बात है जब तक आप यह प्रिविलेज नहीं देंगे एक भी हरिजन का लड़का डक्टर या इन्जीनियर नहीं बनेगा, एक भी आदिवासी का लड़का आई. ए. एस. या आई. पी. एस. नहीं बनेगा। समाज की मौजूदा मनोवृत्ति को देखते हुए यदि आप यह करने की कोशिश करेंगे तब हम समझेंगे कि यह कहां तक उचित कह रहे हैं। क्योंकि समाज की कुछ दशा है और हरिजनों, आदिवासियों की कुछ दशा है। कुछ लोगों की मानसिक मनोवृत्ति अलग ही है। ऐसी परिस्थिति में आप समानता की बात करें, वह सही नहीं है। क्योंकि जब तक आप सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से उन्हें आगे नहीं बढ़ा सकते तब तक हम यह कहते रहेंगे। देश के लोग दावा करेंगे कि देश में असमानता है और उसको दूर करने के लिए कांग्रेस कटिबद्ध है। हमारे संसदियों ने यह ठीक कहा। विरोधी दलों के लोगों को तीन साल के लिये मौका मिला। लेकिन उन्होंने किसी जगह भी और किसी अवस्था में भी यह कोशिश नहीं कि क्या बैकवर्ड क्लासेज, अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग देश में है जिनके लिये हम कुछ कर सकें। जनता ने विश्वास तो दिया, लेकिन सत्ता में आने के बाद वे लोगों को भूल गये और केवल अपनी गद्दी के लिए लड़ने लगे और जनता का जो विश्वास लिया था, उसको खो बैठे। फिर यहां आकर उनकी बात करने की कोशिश करते हैं। दो तरफा बात नहीं चलेगी। जनता की बात करते हैं तो उनके हित की बात करो, अगर राजनीति और नीति की बात करो तो नीति की बात करो। अनीति की बात छोड़ दो तभी नीति चल सकती है। नीति और अनीति दोनों को आप एक साथ लेकर चलना चाहेंगे तो नहीं चलेगा। जहां तक रिजर्वेशन को आप लिबरलाइज कर रहे हैं, रिजर्वेशन को आगे बढ़ाने की बात है, आप धन्यवाद के पात्र हैं। आप जो डी-रिजर्वेशन की बात को समाप्त कर रहे हैं कि डी-रिजर्वेशन नहीं होगा जब तक कि हमारी सारी सीटें नहीं भरेंगी, यह भी आप करने जा रहे हैं, आप धन्यवाद के पात्र हैं। लेकिन साथ ही साथ जब तक आप एक सैंट्रल एक्ट नहीं बना देंगे जिसके माध्यम से अगर कहीं वायोलेशन होता है तो इस तरह से रूल वायोलेट करने वाले को जब यह डर हो जाएगा कि कानून भी हमारे सामने खड़ा है और अगर हम गलती करेंगे तो कानून के दायरे में आयेंगे तभी वह डर के मारे इस काम को नहीं करेगा।

जहां तक पदाधिकारियों के सी. आर. लिखने का सवाल है, जो स्वयं मंत्री लोग करते थे, आजकल शायद वह भूल बैठे हैं जिस दिन तक उनका सी. आर. लिखने का काम,(व्यवधान)

मैं आपसे यह कहना चाहूंगा कि जहां तक सी. आर. लिखने का सवाल है जब तक आप कड़ाई से उनके करैक्टर रोल में एन्ट्री नहीं करेंगे तब तक उनमें भय नहीं होगा। जब तक आप अदालत को दंडित करने का अधिकार नहीं देंगे तब तक उनको भय नहीं होगा। खाली रिलैक्सेशन देंगे तो उससे नहीं होगा। रिजर्वेशन तो है, लेकिन जो डर था वह दिल से नहीं निकला जो मनमानी करना चाहते हैं, इसलिए मैं यह कहूंगा कि जहां तक क्वालीफाइंग मार्क्स को एड-मिशन वगैरह में लिबरलाइज कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसी भी बातें हैं कि जो टैक्नीकल पोस्टें हैं, उनमें आपको बहुत कम लोग मिलते है, हम इस बात को मानते हैं, आप उसको डि-रिजर्व करने वाली बात खत्म कर रहे हैं, यह ठीक है लेकिन मैं आपका ध्यान और भी आकृष्ट करूंगा कि सिविल सर्विस में और जुडिशयरी में आपकी रिजर्वेशन नहीं है। जो न्याय का दर्जा है, जिसके द्वारा देश का न्याय करते हैं, उन न्याय करने वाली जगहों पर अगर आप इस गरीब तबके के लोगों को न्याय करने का अधिकार नहीं देंगे तो उन्हें न्याय प्राप्त नहीं होगा। जो अत्याचार और अन्याय करने वाले लोग हैं जिनकी मानसिक मनोवृत्ति में परिवर्तन नहीं हुआ है, उन्हीं के हाथों में तराजू दे रहे हैं कि तुम्हीं न्याय करो, अदालत में बरसों मामले पड़े रहते हैं इसलिए न्याय इनको नहीं मिल पाता है। इसलिये जरूरी है कि आप उसकी व्यवस्था करें।

साथ ही साथ मैं एक दो बातें और कहना चाहूंगा। रिवीजन आफ लिस्ट का यद्यपि इस डिस्कशन से सम्बन्ध नहीं है लेकिन चूंकि शिड्यूल्ड कास्ट्स के कल्याणकारी कार्यों से यह संबंधित है, तो ऐसे बहुत से देश में शिडयूल्ड कास्ट्स के लोग हैं जो सूची में दर्ज नहीं किये जा सके हैं, उनको भी दर्ज करें ।

छोटा नागपुर में जो कुर्मी आदिवासी हैं जो 1921 में शिड्यूल्ड ट्राइब्ज की लिस्ट में थे, उनको पुनः जगह देकर उनके अधिकार को रैस्टोर करें और उन्हें मौका दें ताकि वे भी आगे आ सकें।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूँ।

[अनुवाद]

श्री डी० बी० पाटिल (कोलाबा) : उपाध्यक्ष महोदय, यह एक अनोखा अवसर है जब विपक्ष सरकार द्वारा उठाये गये कदमों का स्वागत करने की स्थिति में है। मुझे खुशी है कि सरकार ने आरक्षण पर प्रतिबन्ध लगाने का निर्णय किया है। इन कदमों का स्वागत करते हुए मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि वह उन कारणों की जड़ में जाए जिनसे सरकार को उन कदमों को उठाने के लिये मजबूर होना पड़ा। यह आम अनुभव है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित-जनजातियों के लिये आरक्षित स्थान होने के बावजूद भी कुछ आरक्षित स्थान नियुक्त अधिकारियों और प्रशासनिक अधिकारियों के रवैये के कारण नहीं भरे जाते।

मैं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति आयुक्त की वर्ष 1986-87 की रिपोर्ट के पृष्ठ 39 पर की गई एक अत्यन्त महत्वपूर्ण टिप्पणी उद्धृत करता हूँ।

[श्री डी० बी० पाटिल]

"निश्चित भेद भाव की नीति के कार्यान्वयन का एक खेदजनक पहलू यह है कि इसमें छिपी भावना की परवाह किए बिना इसे साधारणतः औपचारिक रूप से स्वीकार किया जाता है परिणाम यह होता है कि मामूली-मामूली तकनीकी मुददों का इस्तेमाल अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को उनका हक न देने के लिए किया जाता है।"

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के लोगों को उनका सही हक नहीं दिया जाता ऐसा क्यों होता है ? ऐसा पिछले 40 वर्षों से नहीं बल्कि जबसे संविधान में आरक्षण किया गया है तब से हो रहा है। यह बैक-लाग केवल इसीलिए हुआ है कि शिक्षा के क्षेत्र में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को जो सुविधायें दी जानी चाहिए थीं, नहीं दी गयीं। वर्तमान स्थिति यह है, हांलाकि अनारक्षण पर प्रतिबन्ध लगाया जा रहा है। किन्तु यह प्रतिबन्ध कब तक रहेगा ? अनारक्षण से लोगों की भावनाओं पर बड़ा बुरा असर पड़ता है। अनारक्षण पर प्रतिबन्ध लगाने के स्थान पर मेरा सरकार से यह अनुरोध है, कि वह यह निश्चित करे कि सेवाओं में पिछला हो हीन। इसका अर्थ यह है कि सरकार को इस बात के लिए विशेष उपाय करने होंगे कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों को जो भी अवसर उपलब्ध कराए जाएं वह प्रारम्भिक भर्ती के स्तर पर ही कराएं जायें। यह स्थिति तभी प्राप्त की जा सकती है यदि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को सभी शैक्षणिक सुविधाएं दी जायें।

मैं फिर से, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग की रिपोर्ट का हवाला देता हूँ। पृष्ठ 483 पर लिखा है। 1-1-87 की सेवाओं में अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण की स्थिति इस प्रकार है।

श्रेणी I	2.5
श्रेणी II	1.92
श्रेणी III	4.23
श्रेणी IV	5.84

जहां तक अनुसूचित जातियों का संबंध है तृतीय श्रेणी कर्मचारियों का भी पूरा प्रतिनिधित्व नहीं है। श्रेणी क और ख और ग का प्रतिनिधित्व बहुत कम है।

मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जातियों के लिए किया गया आरक्षण कितने समय में पूरा किया जा सकेगा। इसके लिए कोई समय सीमा निर्धारित की जानी चाहिए। जब तक कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की जाती यह इसी प्रकार चलता रहेगा और लोगों में दुर्भावना रहेगी। लोग कहेंगे जिन लोगों के लिए कोई आरक्षण नहीं है आप उन्हें उनका हक देने से इन्कार क्यों कर रहे है ? किन्तु इस बात को ध्यान में रखते हुए कि आरक्षण जनता के विशेष वर्ग के लिए है जिन्होंने सैकड़ों वर्षों से ही नहीं बल्कि हजारों वर्षों से दुख झेले हैं, हमारा उनके प्रति कोई रोष नहीं है बल्कि इसके विपरीत हमें इसका स्वागत करना चाहिए।

यह बताया गया है कि सरकार ने काफी सीमा तक अनुच्छेद 17 के आदेशों का पालन किया है। मैंने सेवाओं में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व का जिक्र किया है। यह स्पष्ट रूप से इस बात का द्योतक है कि सरकार ने जो कुछ कहा है वह सही नहीं है।

मैं सरकार का ध्यान एक और बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। अनुच्छेद 16 में इस बात की व्यवस्था है कि शैक्षणिक और सामाजिक रूप से पिछड़े लोगों को विशेष संरक्षण दिया जाना चाहिए। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को संविधान के अन्तर्गत संरक्षण मिल रहा है। इस अनुच्छेद 16 के उप खण्ड (4) में पिछड़े लोगों को संरक्षण दिये जाने का प्रावधान है ? इस उद्देश्य के लिये काका कालेकर आयोग की नियुक्ति की गई थी। परन्तु उस आयोग की सिफारिशों को कार्यान्वित नहीं किया। इसके बाद मण्डल आयोग की नियुक्ति की गई। मण्डल आयोग ने यह कहा कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े अन्य समुदायों में जनसंख्या का 52 प्रतिशत भाग सम्मिलत है। मैं सरकार से यह अनुरोध भी करूंगा कि सरकार को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों को संरक्षण देना चाहिए जोकि हमारी जनसंख्या का 22½ प्रतिशत भाग हैं। मण्डल आयोग ने यह उल्लेख किया है कि हमारी जनसंख्या में पिछड़ी जातियों का प्रतिशत 52 प्रतिशत है। सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए लोगों के लिए संविधान में कुछ उपबन्धों की व्यवस्था की गई है और उन उपबन्धों को कार्यान्वित किया जाना चाहिए। उनके हितों की रक्षा की जानी चाहिए। इस सन्दर्भ में, मैं यह उल्लेख करना चाहूंगा कि यद्यपि संविधान के अन्तर्गत कुछ विशेष उपबन्धों की व्यवस्था की गई है परन्तु उन्हें कार्यान्वित नहीं किया जा रहा है। मैं सरकार का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि 52 प्रतिशत जनसंख्या को उनके उन अधिकारों से वंचित किया गया है जिनके वे हकदार है। वे सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए लोग हैं। मण्डल आयोग की रिपोर्ट वर्ष 1980 में प्रस्तुत की जा चुकी है। उस समय जब तत्कालीन प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी सत्ता में थीं तो उन सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए इस सदन में कभी-कभी इस विषय पर चर्चा की गई थी। मन्त्री और सचिव स्तर पर समितिया और उप-समितियां नियुक्त की गई थी। परन्तु ऐसा श्रीमती इन्दिरा गांधी के समय किया गया था। परन्तु अब श्री राजीव गांधी के प्रधान मन्त्री काल के दौरान मण्डल आयोग की रिपोर्ट और उसकी सिफारिशा के बारे में कोई चर्चा नहीं की गई है, इस बारे कुछ भी नहीं कहा गया है। उस रिपोर्ट पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया है। अतः मैं इस अवसर पर सरकार से यह आग्रह करूंगा कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष सुविधाओं की व्यवस्था करने के साथ-साथ सरकार को यह भी ध्यान देना चाहिए कि उन उपबन्धों को उचित ढंग से कार्यान्वित किया जाये। मैं आगे यह अनुरोध भी करूंगा कि मण्डल आयोग की रिपोर्ट पर विचार किया जाना चाहिए, उसकी सिफारिशों को स्वीकार किया जाना चाहिए और उन्हें कार्यान्वित किया जाना चाहिए।

श्री पी० के० थुंगन (अरुणाचल पश्चिम) : महोदय, केन्द्रीय सरकार के पदों/सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व में सुधार करने के लिए आदेश जारी करने के बारे में 19 अप्रैल 1989 को वक्तव्य जारी करने के लिए मैं माननीय मन्त्री को बधाई देता हूँ।

[श्री पी०के० थुंगन]

महोदय, अपने भाषण के आरम्भ में ही, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह अनुरोध करूंगा कि वह ऐसे वर्गों और ऐसी शक्तियों के कारण अपने कार्य में बाधा न डाले जोकि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से संबंधित दलित लोगों के लिए आरक्षण और सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े लोगों के उत्थान के विरुद्ध हैं। इस माननीय सदन को यह जानकारी है कि हमारे देश में कुछ ताकतें इस देश की एकता और अखण्डता में अस्थिरता पैदा करना चाहती हैं। ऐसी शक्तियां न केवल सरकार अपितु सम्पूर्ण देश को अस्थिर बनाने के लिए समाज में सभी प्रकार के झगड़ों और मतभेदों का फायदा उठाती हैं और इस प्रकार वे शक्तियां जान-बूझकर अथवा अनजाने में ऐसी कार्यवाहियों में सम्मिलित हो जाती हैं और वे उन लोगों के हाथों में खिलौना बन जाती हैं जो भारत को एक संगठित मजबूत और प्रगतिशील राष्ट्र के रूप में नहीं देखना चाहते हैं। अतः मैं सरकार से यह आग्रह करता हूं कि वह ऐसी शक्तियों से हार न मानें जोकि इस देश के हितों के विरुद्ध हैं। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप जानते हैं कि गुजरात में आरक्षण के विरुद्ध जलूस निकाले गये थे और नारे बाजी की गई थी। यह संविधान के उपबन्धों के विरुद्ध है। यह एक राष्ट्र विरोधी, संविधान विरोधी कार्यवाही है। कुछ ऐसे पूर्वाभास और संकेत हमें मिल रहे हैं जहां लोग अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों के हितों की रक्षा के लिए बनाये गये संवैधानिक उपबन्धों का विरोध करने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ आदिवासी क्षेत्रों जैसे झारखन्ड और अन्य स्थानों में विद्रोह और अस्थिरता उत्पन्न होने के ये कारण हैं। अतः श्री शाहबुद्दीन के इस प्रश्न के बारे में कि अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के किसी व्यक्ति को जीवन में बार-बार सुविधायें क्यों मिलनी चाहिए उन्हें सचेत करना चाहूंगा। वैदिक काल से लेकर हजारों वर्षों तक देश में कुछ समुदायें द्वारा ऐसी सुविधाओं का उपयोग किया गया था। हजारों वर्षों की तुलना में 40 वर्ष का समय कुछ भी नहीं है। अतः मैं अपने विद्वान मित्र श्री शाहबुद्दीन से यह आग्रह करूंगा कि वे ऐसे भड़काने वाले मुद्दों को ऐसे समाज में सामने न लायें जिसमें पहले ही पर्याप्त समस्यायें हैं।

भारत एक ऐसा देश है जिसमें बहुत से समुदाय, बहुत सी भाषायें और बहुत सी परम्परायें हैं। कुछ परम्परायें समय के साथ-साथ लोगों द्वारा निर्धारित की जाती हैं। परन्तु कुछ परम्परायें सरकार की कतिपय कार्यवाही द्वारा निर्धारित की जाती हैं। सरकार का स्वरूप लोकतान्त्रिक राजतन्त्रिक अथवा कोई अन्य भी हो सकता है। समाज में कुछ परम्परायें सरकार की कार्यवाही के द्वारा स्थापित की जाती हैं। इसलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने भी इस समस्या के बारे में विचार किया और इस आरक्षण की व्यवस्था की।

अगले 10 वर्षों के लिए संवैधानिक उपबन्धों के समय को बढ़ाने के लिये माननीय प्रधान मन्त्री द्वारा दिये गये वक्तव्य का मैं स्वागत करता हूँ। मैं समझता हूँ कि हमारे प्रधान मन्त्री महोदय ने अपने इस वक्तव्य द्वारा इस देश के उन दलित लोगों में आशा जाग्रत की है जो ऐसा सोच रहे थे कि निकट भविष्य में ही वे इस प्रकार की सुविधाओं से वंचित हो जायेंगे। इस संवैधानिक उपबन्ध के नवीकरण के दस वर्ष इस वर्ष के अन्त तक समाप्त हो जायेंगे। मैं समझता हूं कि विरोधी पक्ष में कुछ ऐसे सावन के अन्धे लोग हैं जिन्हें हर चीज हरी दिखाई देती है। प्रधान मन्त्री के इस वक्तव्य के बारे में भी उन्होंने यह कहा है कि यह एक राजनैतिक घोषणा है।

और पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने की प्रधान मन्त्री की घोषणा को भी वे राजनीति से प्रेरित कहते हैं। मैं यह कहना चाहूंगा कि केवल विरोध करने के कारण ही विरोध करते हैं। इस देश के लोग मूर्ख नहीं हैं। उन्हें इससे कोई लाभ नहीं होगा। अतः मैं उनसे यह अनुरोध करूंगा कि वे कम से कम उन अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के वास्तविक हितों का समर्थन करें जो हजारों वर्षों से कष्ट उठा रहे हैं।

मुझे कुछ सुझाव देने हैं। आरक्षण के बारे में मैं एक समयबद्ध कार्यक्रम का सुझाव देना चाहूंगा। एक समयबद्ध कार्यक्रम के अन्तर्गत ही उन आरक्षित पदों को भरा जाना चाहिए जिन्हें अभी तक नहीं भरा गया है।

बहुत से मामलों में चयन के समय अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों के लिए प्रतिशतता में पांच प्रतिशत छूट देने की व्यवस्था है। कई बार उदाहरणतया आई. आई. टी. अथवा मेडिकल कालेजों में प्रवेश के समय इसकी व्याख्या पांच अंकों की छूट देकर की जाती है। इसे 5 प्रतिशत छूट होना चाहिए। इस प्रकार हमें अधिक संख्या में अनुसूचित जातियों अथवा अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थी मिलेंगे।

क्योंकि मेरे पास समय नहीं है इसलिए मैं अपना अन्तिम मुद्दा प्रस्तुत करूंगा क्योंकि अत्यन्त महत्वपूर्ण है। हम अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सूचि में संशोधन की चर्चा करते रहे हैं। मेरे मित्र इस बारे में पहले ही अपनी बात कह चुके हैं और मैं केवल यह मुद्दा जोड़ना चाहता हूं कि पिछले सात वर्षों से हम लद्दाख के लोगों को आदिवासी दर्जा देने के बारे में चर्चा करते रहे हैं परन्तु अभी तक इस मुद्दे को कार्यान्वित नहीं किया गया है।

मुझे यह बताया गया है कि इस बारे में एक सर्वेक्षण किया गया था और वैधानिक आवश्यकताओं को पूरा कर लिया गया है। इसके बाद भी सरकार ने इस मामले को मन्त्रणा के लिए पुनः जम्मू और कश्मीर सरकार को भेज दिया है। एक बार वैधानिक व्यवस्थाओं को पूरा करने के बाद मन्त्रणा के बारे में उनके उत्तर की प्रतीक्षा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सरकार को लद्दाखी लोगों को सीधे ही अनुसूचित जनजाति के लोग घोषित कर देना चाहिए। मुझे यह बताया गया है कि वर्ष 1983 में वर्तमान मुख्य मन्त्री डा० फारुख अब्दुल्ला जोकि उस समय भी मुख्य मन्त्री थे, ने स्वयं यह लिखा है कि लद्दाख में रहने वाले सभी समुदायों को उस क्षेत्र की दूरी और लद्दाख की समस्याओं के कारण अनुसूचित जनजातियों के समुदाय घोषित कर देना चाहिए। मैं अनुरोध करता हूं कि इस बारे में सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह (जहानाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण, उनकी सेवाओं, पदोन्नति सम्बन्धी जिन विषयों पर यहां चर्चा हो रही है इसका मैं हार्दिक समर्थन करता हूं। इसलिये कि मेरी पार्टी दलित वर्गों और कमजोर वर्गों को उठाने की सबसे पहले बात करती आ रही है।

हमको चर्चा में बहुत-सी बातें सुनने को मिलीं। यहां तक कि पुरजोर शब्दों में धन्यवाद भी दिया गया। मैं कुछ प्रश्न करना चाहता हूं। वह प्रश्न है कि 42 वर्ष के बाद भी आप अभी तक

[श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह]

आरक्षण के सम्बन्ध में सफाई देते हैं कि उनके जो स्थान खाली हैं उनके लिये योग्य व्यक्ति नहीं मिलते। लेकिन चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी मिल सकते हैं। आपने जितने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी बहाल किये हैं उनमें इन अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों का प्रतिशत कितना है ? जो तृतीय श्रेणी वर्ग के बहुत से पढे-लिखे लड़के हैं जो कि कर्मचारी और क्लर्क हो सकते हैं वे अभी मिट्टी ढोते हैं, कूड़ा उठाते हैं, नाली साफ करते हैं। इस पर भी आप यह सफाई देते हैं कि दलितों और हरिजनों के उत्थान के लिये सब कुछ कर रहे हैं। आपको कौन रोकता है कि आप इनको क्लर्क के पद पर न रखें। आपको कोई नहीं रोकता है लेकिन आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं।

आपने 1971 में भी गुमराह किया था कि गरीबी मिटायेंगे। घर घर में यह नारा फैलाया था लेकिन गरीबी नहीं हटी। आप याद कीजिये। यह 1971 नहीं है, यह 1989 है। 18 वर्ष बीत गये और उस साल पैदा हुआ बच्चा अब 18 साल का नौजवान हो गया है। वह इस बात को समझ गया है कि आप क्या करिश्मा करते हैं। जब चुनाव आता है तो आप इस तरह की बातें करते हैं। आप लोग सब इस बात को कह रहे हैं। यह चुनावी प्रचार है कि आप हरिजनों के लिये कुछ काम कर रहे हैं। आप यह बतलाइये जब रक्षक भक्षक हो जाएगा तो इंसान कैसे मिलेगा, कैसे उसके साथ इंसाफ होगा। आपने बहुत से कानून पास किये, भूमि हदबन्दी का कानून बनाया और गरीबों और दलितों को जमीनें देने की बात कही। क्या आपने इसको ईमानदारी के साथ लागू किया ? क्या यह धोखा नहीं है कि कल-परसों जो बड़े-बड़े भूस्वामी हैं आप उन पर उँगली नहीं उठा सकते हैं ? क्योंकि इस सदन के सदस्य हैं। हम पूछते हैं कि भागलपुर में 6 तारीख को 200 हरिजनों के मकान नष्ट कर दिये, वे किसने किये, हरिजन-आदिवासियों के मकान ट्रेक्टरों से किसने जुतवा दिये, सुनवरसा अंचल में गृहमन्त्री महोदय इन्क्वारी कराएँ, सुमकुलहा गांव में सब लोग चिल्ला रहे हैं, लेकिन वहां पर गिरफ्तार किया जा रहा है कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों को, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी ने इसका विरोध किया, इसलिये उनकी गिरफ्तारियां हो रही हैं। आज वे लोग कहां हैं जो हरिजन-आदिवासियों के लिये इतनी बातें कह रहे हैं, वे सब कहां चले गये हैं। हक मांगने से नहीं मिलता, लड़कर लिया जाता है, इसलिए दलित नौजवानों ने हक लेने के लिये गांव-गांव में लड़ाई का बिगुल फूंक दिया है, अब आपको परेशानी हो रही है। आपने आदिवासियों के लिये क्या किया है, उनकी सारी जमीनें किनके हाथ में हैं, ईमानदारी से बताइए, जवाब दीजिए, शुरू से अंग्रेजों के समय से उनके पास जो जमीनें थीं, आज किसके हाथ में हैं, कौन भू-स्वामी बना हुआ है, आपके ही लोग बने हुए हैं, आप उन पर उँगली नहीं उठा सकते, आप सिर्फ धोखा दे सकते हैं, लेकिन यह धोखा ज्यादा दिन चलने वाला नहीं। आज अगर आदिवासी नौजवान कुछ कर रहा है तो आप कहते हैं कि राष्ट्रीय मुख्य धारा से हट रहा है, कब तक जानवर बनकर वह इस मुख्यधारा में रहे, मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या हम लोग इन्सान नहीं हैं, क्या गरीब आदमी इन्सान नहीं है, इतने वर्षों से हुकूमत ने उनके लिए क्या किया। अगर आदिवासी लोग धर्म परिवर्तन न करते तो सरकारी दफ्तरों में भी न होते। धर्म परिवर्तन करके, क्रिश्चयन बनकर उनकी महिलाएं और पुरुष बहुत अच्छी जगहों पर चले गए हैं, आपने उनके लिये क्या किया। मैं यही कहूँगा कि यह सब चकमा आप मत दें, अगर इनके लिए कुछ करना ही है तो तृतीय दर्जे में बाकी सब को रोककर हरिजन-आदिवासियों से उन जगहों को भरें, जिससे कम से कम इनका हक इनको मिल सके। यही कह कर मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।

[अनुवाद]

*श्री हरिहर सोरन (क्योंझर) : मैं कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री श्री चिदम्बरम द्वारा इस सदन में 19 अप्रैल 1989 को केन्द्रीय सरकार के पदों/सेवाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति के समुदाय के प्रतिनिधित्व को सुधारने की दृष्टि से आदेशों को उदार बनाने के बारे दिए गए वक्तव्य का समर्थन करता हूँ। मन्त्री महोदय द्वारा दिये गये वक्तव्य पर हम दो दिन से चर्चा कर रहे हैं। अनेक माननीय सदस्यों ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों को आरक्षण सुविधाएं देकर उनके हितों की रक्षा करने हेतु सरकार द्वारा उठाये गये कदमों पर अपने विचार व्यक्त किये हैं; मैं भी इस विषय पर अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूं। सर्वप्रथम मैं श्री चिदम्बरम को सदन में वक्तव्य देने के लिए धन्यवाद देता हूँ। महोदय, सारे सदन को इस बात की जानकारी है कि अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जन-जातियां अन्य समुदाओं से बहुत पीछे हैं। अनुसूचित जनजातियां तो अनुसूचित जातियों से भी ज्यादा पिछड़ी हुई हैं। उनके पिछड़ेपन के कारणों की हरेक को जानकारी है। मेरे से पहले बोलने वाले सदस्य अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के पिछड़ेपन के कारणों की ओर ध्यान दिला चुके हैं। मैं उन बातों को दोहरा कर सदन का अधिक समय नहीं लेना चाहता। क्योंकि मेरे को दिया गया समय बहुत कम है इसलिये मैं अपने भाषण को मन्त्री महोदय द्वारा दिये गए वक्तव्य तक ही सीमित रखना चाहूंगा। तथापि, मैं रोजगार के सम्बन्ध में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को अनुभव होने वाली कठनाइयों की ओर विशेष रूप से ध्यान दिलाना चाहूँगा। इस सम्बन्ध में मैं सरकार को कुछ सुझाव भी देना चाहूंगा और उन्हें लागू होते भी देखना चाहूंगा जिससे कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को उचित संरक्षण मिल सके।

महोदय, भारतीय संविधान ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को कुछ अधिकार और विशेषाधिकार भी दिये हैं। कुछ श्रेणियों की सेवाओं में कुछ प्रतिशत पद अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षित किये जाते हैं। पहले अपनायी गयी प्रक्रिया के अनुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के लिये निर्दिष्ट पदों को इन जातियों से उपयुक्त उम्मीदवार न मिलने पर अनआरिक्षत कर दिया जाता था। जैसा कि आप जानते हैं अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां पिछड़ी हुई हैं। इन समुदायों में योग्य उम्मीदवार हमेशा नहीं मिल पाते हैं। इसके कारण अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवार साक्षातकार के लिये नहीं आ पाते हैं। उन स्थितियों में नियोजक कुछ समय के लिए पदों को खाली पड़ा रहने देते हैं और उसके बाद सामान्य उम्मीदवारों से भर लेते हैं। लेकिन हम कई मामलों में बिल्कुल ही भिन्न स्थिति पाते हैं। नियोजक तो पदों को पहले ही साक्षातकार में सामान्य उम्मीदवारों से भर लेते है जब वे यह पाते हैं कि अनुसूचित जातियो और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवार साक्षातकार के लिये नहीं आये हैं। कुछ मामलों में कुछ नियोजक अनुसूचित जातियों और अनुसचित जनजातियों के उम्मीदवारों को अयोग्य करार देकर सरकार को सूचना देते हैं कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षित पदों को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के समुदायों से योग्य उम्मीदवार न मिल पाने के कारण सामान्य उम्मीदवारों से भरा जा रहा है। तथापि, माननीय मन्त्री महोदय की इस

*मूलतः इण्डिया में दिये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

[श्री हरिहर सोरन]

घोषणा के बाद स्थिति ऐसी नहीं रहेगी । आरक्षण पर रोक लगाई जा रही है । अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के लिये आरक्षित पदों को आरक्षित ही रखा जायेगा । इस तरह अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को न्याय मिल सकेगा । मैं मन्त्री महोदय को इस सम्बन्ध में वक्तव्य देने के लिये धन्यवाद देना चाहता हूँ । अब अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अधिक से अधिक उम्मीदवारों को रोजगार मिल सकेगा लेकिन मात्र आरक्षण कर देने से समस्या का समाधान नहीं हो सकता है । हमें उन्हें रोजगार पाने के लिए अर्ह और योग्य बनाने की तरफ ज्यादा ध्यान देना होगा । इसके लिये मैं चाहता हूं कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों के लिये शिक्षा की सुविधायें उपलब्ध कराने पर जोर दिया जाए । उन्हें प्राथमिक विद्यालय से उच्चत्तर संस्थानों तक आवश्यक सहायता मिलनी चाहिए जिससे वह अपनी शिक्षा पूरी कर सकें । आपको मालूम ही है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के छात्रों को किस वातावरण में शिक्षा मिलती है । उनके लिये उस वातावरण में शिक्षा जारी रखना सम्भव नहीं है । इसलिये स्कूलों, कालेजों और विश्वविद्यालयों में उन्हें होस्टल की पर्याप्त सुविधा दिये जाने की आवश्यकता है । महोदय, अपने भाषण में मन्त्री महोदय ने केन्द्रीय सरकार के पदो/सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के समुदायों के प्रतिनिधित्व में सुधार करने के बारे में कहा है । लेकिन मैं मन्त्री महोदय से निजी क्षेत्र में भी अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के आरक्षण की सुविधा देने के लिए निवेदन करना चाहूंगा । यदि हम इन समुदायों की आरोपक स्थिति में सुधार नहीं लायेंगे तो वे अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दे पायेंगे ? और बिना उचित शिक्षा के वह उनके लिये आरक्षित पद कैसे ले पायेंगे ? इसलिए मैं अनुसूचित जातियों की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए कुछ सुझाव देना चाहूँगा ।

महोदय, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के समुदाय अधिकतर गांवों में रहते हैं । कृषि और लघु उद्योग उनके मुख्य धन्धे हैं । इनमें से कुछ छोटे और सीमान्त किसान हैं । बाकी खेतों में काम करते हैं । उन्हें बड़े जमीदारों द्वारा खेतिहर मजदूर के रूप में रखा जाता है । सरकार ने भूमि सुधार उपाय अपनायें हैं । लेकिन खेतिहर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के श्रमिकों को पर्याप्त भूमि नहीं मिल पाती है । इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को ज्यादा से ज्यादा कृषि योग्य भूमि उपलब्ध कराये जिससे कि अपनी रोजी रोटी कृषि से कमा सकें ।

महोदय, यह बहुत दुर्भाग्य की बात है कि सरकार द्वारा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उत्थान के लिए उठाए गये कदमों को विपक्ष द्वारा राजनैतिक रंग दिया जा रहा है । उन्हें चुनावों के साथ जोड़ दिया गया है जिसके कारण अनुसचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के वास्तविक विकास के कार्य पर सरकार अधिकारी ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं । इसलिए सदन के प्रत्येक वर्ग से मैं अपील करना चाहूँगा कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजाति की समस्याओं को राजनीति से दूर रखा जाना चाहिए । महोदय, हमारी सरकार ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की वास्तविक समस्याओं को पहचाना है । मैं सरकार का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इन पददलित समुदायों के समाजिक एवं आर्थिक विकास

के लिये ईमानदारी से प्रयास किये हैं। मैं मन्त्री महोदय से इस दिशा में किये गये प्रयासों को जारी रखने का निवेदन करूंगा।

अन्त में, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया और अपना भाषण समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री बापूलाल मालवीय (शाजापुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एस. सी. एस. टी. के रिजर्वेशन और प्रमोशन में रिजर्वेशन के सम्बन्ध में 193 के अन्तर्गत चर्चा हो रही है। मैं यह कहना चाहता हूँ कि यह अवश्य देना चाहिए। चाणक्य ने दो नीति बनाई थी। एक चाणक्य नीति और दूसरा चाणक्य सूत्र। सूत्र यानी शासकीय मशीनरी। जब शासकीय मशीनरी अच्छी होगी तो शासन भी अच्छा चलेगा। हम यह देखते हैं कि शासकीय मशीनरी में कुछ लोग ठीक नहीं हैं और कुछ बहुत अच्छे हैं। कुछ लोग ब्यूरोक्रेट्स में ऐसे हैं जो शासन को कमजोर करते हैं। मेरा यह सुझाव है कि यह देखना चाहिए कि कौन से विभाग में रिजर्वेशन की पूर्ति नहीं हुई है और उसमें प्रमोशन में रिजर्वेशन हुआ या नहीं। यह सब कुछ शासन को देखना है। इससे एस. सी. एस. टी. के उम्मीदवारों को काफी लाभ मिल सकेगा। सरकार का एक एस. सी. एस. टी. कमिश्नर है और कमीशन भी है। वे केवल रिपोर्ट तैयार करते हैं। रिजर्वेशन की पूर्ति के लिए कम से कम कमिश्नर के यहां या कमीशन में एक सैल होना चाहिए जो यह देखे कि हर विभाग में एस. सी. एस. टी. के लोगों की रिजर्वेशन की पूर्ति हुई या नहीं। अगर पूर्ति नहीं होती है तो उनको जिम्मेदार ठहराना चाहिए और एक्शन लेना चाहिए। जिस परपज के लिए बनाया गया है, वह परपज पूरा हो, यह जिम्मेदारी पूरी होनी चाहिए। यदि ऐसा होगा तो मैं समझता हूँ कि हमें इस मामले में काफी सफलता मिल सकती है। मैंने देखा है कि आई. ए. एस., आई. पी. एस., या यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के विभिन्न पदों के लिए अनुसूचित जातियों और जन जातियों के पूर्व-प्रशिक्षण के लिए सरकार की ओर से जो सैन्टर्स खोले जाते हैं, उनमें आपने एक बन्धन भी लगा दिया है कि जिन बच्चों के माता-पिता की आय एक हजार रुपये मासिक से कम होगी, वे बच्चे ही उन सैन्टर्स में पूर्व-प्रशिक्षण का लाभ उठा सकते हैं। एक हजार रुपये से ज्यादा आमदनी वालों के बच्चों को उन पूर्व-प्रशिक्षण केन्द्रों में दाखिला नहीं मिल सकता। आज स्थिति है कि केन्द्रीय सरकार का एक छोटा सा चपरासी भी डेढ़ हजार रुपये तनख्वाह लेता है, एक क्लर्क को दो हजार से ढाई हजार रुपये मासिक तनख्वाह मिलती है, उनके बच्चे कैसे इन प्रशिक्षण सैन्टरों में भर्ती हो सकते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि सरकार इस इन्कम सीमा को बिल्कुल हटा दे और सभी अनुसूचित जातियों और जन जातियों के बच्चों को इन पूर्व प्रशिक्षण केन्द्रों में प्रवेश देने की व्यवस्था करे, तभी हमें सरकारी नौकरियों में हरिजन आदिवासियों के लोग पर्याप्त और वांछित संख्या में मिल सकेंगे। आज स्थिति यह है कि एक हजार रुपये की आय सीमा लगी होने से उन केन्द्रों पर जगह खाली पड़ी रहती है, बच्चे पर्याप्त संख्या में मिलते नहीं, जब कि सरकार इन केन्द्रों पर 3.5 करोड़ रुपया खर्च करती है और दूसरी तरफ 2.66 करोड़ व्यय करती है लेकिन वह खर्चा एक तरह से बेकार जाता है। इसलिए मेरा सुझाव है कि आप एक हजार रुपये मासिक की आय-सीमा को तुरन्त हटाये जाने की व्यवस्था कीजिए।

[श्री बापूलाल मालवीय]

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने देखा है कि स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया में आरक्षित पदों का काफी समय से बैकलॉग चला आ रहा है, उसकी पूर्ति की दिशा में विशेष प्रयास नहीं किए जा रहे हैं। हर कैटेगरी में बैकलॉग है। हरिजन आदिवासियों से जो पोस्टें भरी जानी चाहिए, वे भरी नहीं जातीं। मुझे खुशी है कि गृह मन्त्री जी ने हमारी बात पर ध्यान देकर बैकलॉग को पूरा किए जाने के आदेश दिए, लेकिन हम देख रहे हैं कि उनकी स्पष्ट अवहेलना की जा रही है। वैसी ही स्थिति जूट कारपोरेशन ऑफ इन्डिया में भी है, वहां, तो 1973-74 से कोई पोस्ट अनुसूचित जाति/जनजाति के लोगों से नहीं भरी गयी है। मेरा सुझाव है कि शासन इस स्थिति को गम्भीरता से देखे कि जूट कारपोरेशन में कुल कर्मचारियों/अधिकारियों का नम्बर क्या है, अनुसूचित जाति/जनजाति के कर्मचारियों /अधिकारियों का क्या परसेंटेज है। यदि आप कार्पोरेशन से सभी ऑफिसर्स ग्रेड-वाइस विद नेम ऑफ पोस्टस, कैटेगरी-वाइज विद नेम ऑफ पोस्टस (उदाहरण के लिए मार्केटिंग डिवीजन की स्थिति, विद नेम ऑफ पोस्टस, फाइनैंस डिवीजन की स्थिति विद नेम ऑफ पोस्टस, परसोनैल एण्ड एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन की स्थिति विद नेम ऑफ पोस्टस) तथा 1973-74 से उनकी ईयर-वाइज ब्रेक-अप मंगवायें तो सरकार को पता चलेगा कि वहां कब से बैकलॉग है, और हरिजन-आदिवासियों के लोगों के लिए आरक्षित पद खाली पड़े हैं। हमारे मन्त्री जी ने यद्यपि स्पष्ट आदेश दिए परन्तु उसका कोई प्रभाव नहीं हुआ, उनके आदेशों की स्पष्ट अवहेलना की जा रही है। मैं चाहता हूं कि जो व्यक्ति इसके लिए जिम्मेदार है, जांच के उपरान्त, उसके विरुद्ध जिम्मेदारी ठहराते हुए कार्यवाही होनी चाहिए। हम देखते हैं कि आजादी मिलने के बाद इस देश में कांग्रेस ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो हरिजन-आदिवासियों के उत्थान में लगी है। हमारे प्रधानमन्त्री की भावनाएं बहुत अच्छी हैं, मंत्रियों की भावनाएं बहुत अच्छी हैं, कांग्रेस लीडर्स और दूसरे पदाधिकारियों की विचारधारा इन लोगों के प्रति ठीक है लेकिन हम देखते हैं कि वह भावना हमारे ब्यूरोक्रेट्स में नहीं है। इसलिए मेरा सुझाव है कि सरकार सख्ती से अपनी नीति का कार्यान्वयन कराए और ऐसी व्यवस्था करे ताकि सभी जगह इन लोगों के लिए आरक्षित पदों का बैकलॉग पूरा किया जा सके। आज उनमें असंतोष है क्योंकि कहीं आरक्षित पदों के भरने पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है।

श्री वी. तुलसीराम (नगरकुरनूल) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि आज सदन में जितने महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की जा रही है, इतना महत्वपूर्ण डिस्कशन हो रहा है, परन्तु चर्चा में भी शैडयूल्ड कास्टस की तरह वर्ताव किया जा रहा है, आपके आदेश हैं कि दो या तीन मिनट में अपनी बात कह दो और बरखास्त करो। उसके बाद आपकी घंटी बजनी शुरू हो जाती है। हम लोगों के साथ यहां भी वैसा ही बर्ताव होगा जो दूसरी जगह होता है। यहां भी लगता है कि शैडयूल्ड कास्टस वाली बात आ गयी है।... (**व्यवधान**) आपने बीच में बात करना क्यों शुरु कर दिया, आप क्या करते हैं, उपाध्यक्ष जी, मैं कहना चाहता हूं कि डिस्कशन में तो हम लोगों को खुलकर बातें करने का मौका मिलना चाहिये। अब देखिए न, उपाध्यक्ष महोदय, आपसे उन्होंने मेरे बोलते समय बीच में ही बात करना शुरू कर दिया है। यह इतना महत्वपूर्ण विषय है। यहां भी शैड्यूल्ड कास्ट्स की भावना बरती जा रही है। दो मिनट में आपकी बैल बज जाती है। आप बैल बजाना शुरू कर देते हैं, तो इतने समय में मैम्बर इतने महत्वपूर्ण विषय पर क्या बोलेगा। इसलिए कोई बोल ही नहीं पाता है।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : 544 सदस्य है। यदि हर कोई बोलना चाहेगा तो आप कैसे समाप्त कर पायेंगे ?

[हिन्दी]

श्री वी० तुलसीराम : आप टाइम बढ़ाइये।

[अनुवाद]

श्री प्रताप भानु शर्मा (विदिशा) : यह एक महत्वपूर्ण विषय है। समय बढ़ाया जा सकता है जिससे इस विषय पर हर कोई बोल सके।

उपाध्यक्ष महोदय : कब तक ? यदि आप चाहते हैं तो हम 6 बजे के बाद बैठकर इसपर चर्चा कर सकते हैं। अध्यक्ष महोदय पहले ही घोषणा कर चुके हैं कि नियम 193 के अन्तर्गत दूसरी दोनों चर्चायें 2 बजे और 4 बजे होंगी। हम 6 बजे के बाद बैठ सकते हैं परन्तु उस स्थिति में आप सबको यहां उपस्थित होना पड़ेगा।

श्री वी. तुलसीराम : महोदय, जैसी आपकी इच्छा।

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पी० नामग्याल) : यदि हम भोजनावकाश में बैठ सकते हैं और उत्तर 2 बजे तक समाप्त हो सकता है तो ठीक है।

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : मैं निवेदन करता हूं कि भोजनावकाश न किया जाये और यथासंभव अधिक से अधिक सदस्यों को बुला सकते हैं और मुझे 2 बजे से पहले 15 मिनट बोलने का समय दिया जाये।

श्री पी० नामग्यमाल : मेरा निवेदन है कि सदस्य संक्षेप में बोलें जिससे हम ज्यादा से ज्यादा सदस्यों को बोलने का अवसर दे सकें। उत्तर 1.45 बजे दिया जा सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है। हम भोजनावकाश न करते हैं।

[हिन्दी]

श्री रामप्यारे सुमन (अकबरपुर) : इस पर उपाध्यक्ष महोदय, कल आधे घंटे चर्चा हुई है और एक दिन और आधे घंटे चर्चा हुई, कुल कितनी बहस हुई है, जब कि ये इतना महत्वपूर्ण विषय है। इसलिये मेरा भी अनुरोध है कि यदि समय बढ़ाने की आवश्यकता हो, तो समय बढ़ाया जाए।

श्री वी० तुलसीराम : उपाध्यक्ष महोदय, मैं उम्मीद करता हूं कि चिदम्बरम साहब नौजवान मन्त्री हैं, इसलिये वे उत्साह से काम करते हैं। इसमें भी वे बड़ी दिलचस्पी लेंगे और इसमें वे अपनी कला दिखायेंगे, ऐसा मैं मानता हूं। उनके दल के कुछ लोग ऐसा कहते हैं, हालांकि मुझे ऐसी उम्मीद नहीं है कि ये और वे दोनों मन्त्री महोदय शेड्यूल्ड कास्ट्स के विरोधी हैं। ऐसा उनकी पार्टी के लोग कहते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता हूँ।

श्री पी० नामग्याल : कौन लोग कहते हैं, बताइए। हमारी पार्टी का कोई मैम्बर ऐसी बात नहीं कहता है।

श्री वी० तुलसीराम : मैं उम्मीद करूंगा इसमें चिदम्बरम साहब दिलचस्पी लेंगे और अपनी कला दिखायेंगे तथा कुछ काम करेंगे। इसमें जहां तक रिजर्वेशन करने वाली बात है, जो रिजर्वेशन कहीं भी नोटिफाई करते हैं कि ये-ये पोस्टें और हैं और उसके बाद वे कैंडीडेट को बुलाते हैं, कभी नहीं भी बुलाते हैं। बुलाकर कभी कह देते हैं कि यह सूटेबल नहीं है, कभी कह देते हैं कि नॉट अवेलेबल'। फाइल पर दो चार लफ्ज लिख देते हैं। रिजर्व पोस्टों को जनरल पोस्टों में चेंज करने के लिये वे लोग ऐसा करते हैं। दो-चार बार इस तरह से फाइल पर लिख देते हैं फाइल पर लिखने वाले और नो करने वाले भी वही अफसर होते हैं, वही फाइल पर यस करने वाले अफसर होते हैं। इस प्रकार से ये लोग फाइलों पर दो-चार बार इस प्रकार से लिख-लिखकर उस पोस्ट को जनरल कैटेगरी में ले आते हैं और शे० कास्ट और शे० ट्राइब को वह पोस्ट नहीं मिल पाती है। जो अच्छी पोस्टें होती हैं, वे शे० का० और शे० ट्राइब के लोगों को इसलिए नहीं मिल पाती हैं क्योंकि इनकी पहले से ही एक ऐसी रिंग बनी होती है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि जो मैंने अभी कहा है, वह बिल्कुल सही बात है। आप इस पर ध्यान दीजिये। इसको इसलिए मत छोड़िए कि ये तो अपोजीशन वाला मैम्बर कह रहा है। मैं अपोजीशन का जरूर हूं कि लेकिन बात बिलकुल सही कह रहा हूँ। यही बात आपकी पार्टी के लोग भी कहते हैं। इसलिए इस बात पर ध्यान देने की जरूरत है। आपको कम से कम जो फैक्ट्स हैं, उनकी तरफ तो देखना ही चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, शे० का० और शे० ट्राइब का सर्टिफिकेट जो लोग लेते हैं और दूसरी जाति वाला काम करते हैं, उनसे भंगी का काम कराना चाहिए। इसी प्रकार की बात आज सुबह बालकवि बैरागी जी ने भी कही है। तब तक वह शिड्यूल्ड कास्ट के नाम से ही रहता है लेकिन जब व्यस्क का सर्टिफिकेट लेता है तो वह चेंज हो जाता है, वह अपनी क्लास में आ जाता है, यह कैसे चेंज हो जाता है और कौन इसे करता है, यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। जो शिड्यूल्ड कास्ट के नाम से नीचे की क्लास से पढ़ता है, पढ़ते-पढ़ते ऊपर की क्लास में आ जाता है, जब डिग्री ले लेता है तो बड़ी क्लास की जाति के आदमी का वही ओरिजनल रंग से अपना सर्टिफिकेट लेता है तो यह कैसे होता है ? यह घपला कहां होता है, इसको आपको देखना चाहिए।

शिड्यूल्ड कास्ट्स की आर्थिक स्थिति बढ़ाने की बात है, यह ठीक है आर्थिक स्थिति बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी यह दूसरी बात है लेकिन जो समानता लोगों के मन में पैदा होती है जो उनके दिलों में बात है, कितने भी बुद्धिमान से बुद्धिमान आदमी होंगे सारी जातियां में ऐसा भी नहीं है। ब्राह्मण और रेड्डी में गरीब से गरीब नहीं हैं, ऐसा मैं नहीं मानता हूँ, उनमें भी गरीब लोग हैं, उनको भी सहूलियत नहीं मिल पाती लेकिन उनकी संख्या कम है तो दूसरे लोग ले जाते हैं।

शिड्यूल्ड कास्ट का अगर कहीं कोई 10 आदमियों के बीच में भी बैठा है, अगर वहां किसी ने कह दिया कि मैं शिड्यूल्ड कास्ट का हूं, वह शिड्यूल्ड कास्ट का है, तो ऐसा हाल हो जाता है जैसे किसी गाड़ी के ट्यूब से जब हवा निकल जाती है तो कैसे उसका टायर-ट्यूब बैठ जाता है। वह इस ढंग से हो जाता है।

मैं आपको यह भी बताऊं कि उत्तर प्रदेश में कहीं पर एक मूर्ति का इन-औगुरेशन बाबू जगजीवन राम जी ने किया था, बाद में वहां पर ब्राह्मणों ने उसे दूध से धुलवाया था। इस ढंग से दोनों के बीच में ऐसा है, कम से कम यह नहीं होना चाहिए। कोई कितना भी बुद्धिमान होगा, पढ़ा लिखा होगा, पैसे वाला भी होगा लेकिन शिड्यूल्ड कास्ट का कहने से मामला खत्म हो जाता है। यह चीज नहीं रहनी चाहिए। इसे बदलना चाहिए। समाज से उस चीज को दूर करना चाहिए।

ऐसी कई चीजें हैं। बड़ी पोस्टों पर शिड्यूल्ड कास्ट्स को चांस मिलता ही नहीं है वहां तक उसे आने ही नहीं देते हैं। मैंने पिछली बार भी कहा था कि सारे हिन्दुस्तान का रेशियो देखिए शिड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्ज का उसके हिसाब से कुछ कीजिए। अब किसी का बच्चा कहीं कोई गड़बड़ करता है तो उसके मां-बाप से जाकर शिकायत करते हैं लेकिन अगर मां-बाप ही गलती करेंगे तो किस को शिकायत करेंगे ? मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपकी कैबिनेट में कितने मंत्री हैं, आप उसी का सारा हिसाब निकालिए। मैं ऐसा कहता हूं कि मेरी स्पीच के बाद एक को गवर्नर बनाया और एक को मन्त्री बनाया। अगर यहीं पर गलती होगी तो हम किस के पास जाकर अपनी बात रखेंगे ? इस बात को गम्भीरता से सोचना चाहिए। हमारे मन्त्री श्री चिदम्बरम जी बहुत ही नौजवान हैं, अच्छे विचार रखने वाले हैं, वह इस बात को गम्भीरता से सोचें और इनक्वायरी कराएं। इसके साथ ही उपाध्यक्ष महोदय, आपने थोड़ा सा कंसीडर किया इसके लिए आपको भी धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्री तरुण कांति घोष (बारसाट) : उपाध्यक्ष महोदय, चूंकि यह महत्वपूर्ण मामला है इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप सदस्यों को अपने विचार व्यक्त करने के लिए कुछ समय दें। दरअसल अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की स्थिति में सुधार लाना महात्मा गांधी के जीवन का एक ध्येय रहा है। जैसाकि संविधान में कल्पना की गई है हमें पददलितों को ऊपर उठाना है। यदि आप गांवों में जायें तो आप पायेंगे कि सबसे गरीब और सबसे पददलित लोग अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग ही हैं।

1.00 म० प०

उनकी स्थिति में सुधार के लिए की गई किसी भी कार्यवाई का, जाति, धर्म, रंग अथवा किसी भी अन्य बात को ध्यान में ना रखते हुए, सम्पूर्ण राष्ट्र को समर्थन करना चाहिए। महोदय, मैं आपसे इस बात पर ध्यान देने का आग्रह करूंगा की आप यह सुनिश्चित करें कि आरक्षण के अतिरिक्त वे इस योग्य हों कि वे प्रत्येक व्यक्ति के साथ सामान स्तर पर प्रतिस्पर्द्धा भी कर सकें। विशेषरूप से मैं श्री चिदम्बरम से एक बात कहना चाहूंगा। यह कहना काफी नहीं है कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों के उम्मीदवार प्रतियोगिता में सफल नहीं हो सके अतः उन्हें आरक्षित पदों पर भर्ती

[श्री तरुण कांति घोष]

नहीं किया जा सका। यह औचित्य 1948 या 1950 में तो सच हो सकता था। पर 1990 में कदापि नहीं। स्वतन्त्रता के 40 वर्ष बाद, उनकी स्थिति में सुधार करना हमारा मुख्य कर्तव्य होना चाहिए था और अब तक हमें उन्हें आवश्यक शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान कर देना चाहिए था जिससे कि वे अन्य व्यक्तियों के साथ समान स्तर पर प्रतिस्पर्द्धा कर सकते। केवल पदों का आरक्षण ही नहीं बल्कि आपको यह भी ध्यान रखना चाहिए कि उन्हें शिक्षा, प्रशिक्षण और अन्य बातों के लिए भी अवसर प्रदान किए जाएं जिससे वे हमारी आशाओं के अनुरूप बन सकें।

मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लोगों को राजनीति के मोहरों के रूप में प्रयोग किया गया है। अनेक लोग इनके लिए घड़ियाली आंसू बहाते हैं। लेकिन अगर हम वास्तव में उनकी प्रवृति जानने का प्रयास करें तो हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि वे अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लोगों के कल्याण के लिये वास्तव में चिंतित नहीं रहते। हम यह भी पाते हैं कि उनके उत्थान के लिए सरकार के नीतिगत उपायों को भी निचले स्तर तक अमल में नहीं लाया जाता है। इसलिए, इस पहलू पर तुरन्त ही उचित ध्यान देना चाहिए। वास्तव में, एक स्वतन्त्र और प्रजातांत्रिक देश में प्रत्येक व्यक्ति को काम का अधिकार प्रदान किया जाना चाहिए। लेकिन ऐसा कदम उठाने तक आरक्षण को जारी रखा जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त इन उम्मीदवारों के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए जिससे वे जीवन में आगे बढ़ सकें। अगर आप पिछले दस सालों पर गौर करें तो आप पायेंगे की अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षित पदों पर अनेक उम्मीदवारों का चयन इस आधार पर नहीं किया गया कि इन समुदायों में पर्याप्त शिक्षित उम्मीदवार उपलब्ध नहीं हों यह बहाना उचित नहीं है। यदि इन पदों पर उनकी भर्ती नहीं की जाती तो आपको इस बात की जाँच करनी चाहिए कि इन पदों पर उनकी भर्ती क्यों नहीं की गई और इन समुदायों से योग्य उम्मीदवार उपलब्ध क्यों नहीं हैं। अत्यधिक बेरोजगारी और अत्यधिक गरीबी को भारत जैसे स्वतंत्र और प्रजातांत्रिक देश में बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए।

आपके द्वारा माननीय मन्त्री महोदय से मेरा आग्रह है कि उन्हें आरक्षण को तब तक जारी रखने का हर सम्भव प्रयास करना चाहिए जब तक अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोग भारत के सभी नागरिकों के स्तर तक नहीं आ जाते।

[हिन्दी]

चौधरी सुन्दर सिंह (फिल्लौर) : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के मुतालिक मसला चल रहा है उसके सम्बन्ध में मैं अपने कुछ विचार प्रकट करना चाहूंगा। शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के ऊपर अत्याचार काफी समय पहले से होते आ रहे हैं। बाबू जगजीवन राम जी ने इस वर्ग को ऊपर उठाने के लिए काफी प्रयास भी किये थे। डाक्टर अम्बेडकर जी ने कहा था कि

[अनुवाद]

"मैं हिन्दू पैदा हुआ था। लेकिन इसमें मेरा दोष नहीं था।"

[हिन्दी]

आज शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को सरकार द्वारा काफी रियायतें मिलती हैं। हमारे जो माननीय सदस्य यह कहते हैं कि इन जातियों के लोगों को ऊपर उठाने के लिये यह होना चाहिये, वह होना चाहिये, उनको मैं कहना चाहूंगा कि यह लड़ाई तो आपको खुद ही लड़नी है।

[अनुवाद]

किसी व्यक्ति को मांगने से ही अधिकार नहीं मिल जाते।

[हिन्दी]

अगर कोई सदन का मैम्बर बन जाता है तो उसके बाद वह इन वर्गों के लोगों को ऊपर उठाने के लिए कुछ नहीं करता है। हमें इसके लिए बड़े जोरों से लड़ाई करनी चाहिए। आप पंजाब में जाकर देख सकते हैं। जितने अफसर मैंने बनाये हैं और किसी ने नहीं बनाये हैं। मगर गवर्नर राज इतना निकम्मा राज है कि मैं क्या बताऊं, उसने ऐसा किया है कि वहां जितने भी अफसर हैं, वह उन महकमों में लगा रखे हैं, जो बड़े-बड़े अफसर मैंने लगाये थे, जहां उनका कोई महत्व ही नहीं है, बहुत बुरी जगह लगाये हुए हैं। जो बनाये हैं, उनको भी हटाया है। ये कहते हैं ये करेंगे, ये क्या करेंगे, जहां इन का जोर होगा वहां हमें दवायेंगे। अब हमारा कसूर है, जब हमें सब कुछ दे दिया, हमें मैम्बर बना दिया एम० पी० बना दिया, मिनिस्टर बना दिया, इनको क्या पता लगता है कि वहां लड़ाई हो रही है और मेरे भाइयों, यह मैं आपको बताता हूं कि इनको कहना चाहिए कि यह लड़ाई हरिजन क्यों नहीं करते हैं, यह मिनिस्टर क्यों नहीं करते हैं, इनको करना चाहिए। यह हमारा कसूर है, हम कहते हैं हमें दे दो, हमें दे दो तो मुझे बड़ा गुस्सा आता है, कौन दे देंगे, ये आप ही भूखे हैं, आपको क्या दे देंगे, नहीं देंगे। मैं बताता हूं कि आपको लेना होगा और जब तक ऐसा नहीं होगा, मैंने देखा है और मैं भी हैरान होता हूं कि कई जो मिनिस्टर बने हुए हैं, गवर्नमैंट में आ गये हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूँ, वह एण्टी हरिजन हैं, एण्टी कांग्रेस हैं। मैंने एक दफा प्राइम मिनिस्टर को कहा था कि महाराज जी सोच समझकर टिकट देना नहीं तो मुझे बड़ी मुश्किल से उनको हराना पड़ता है, मैंने दो आदमियों को हराया था जो एण्टी हरिजन और एण्टी कांग्रेस थे। मैंने कहा, इनको वोट नहीं डालना है, यह निकम्मे हैं, कांग्रेस में आ गये हैं। विपक्ष वालों का क्या कसूर है, जिन्होंने अच्छा बोला है कि इतनी तकलीफें हो रही हैं तो इसमें क्या हर्ज है। मैं ऐसा समझता हूँ कि जो गरीब आदमी है, हरिजन है, इनको अपने आप लड़ना चाहिए, जिनके मैम्बर बन गये, गवर्नमैंट ने सब कुछ दे दिया, अब रिजर्वेशन उन्होंने बढ़ा दी है, अब कहते हैं कि यह पोलिटिकल है, यह ठीक है कि यह रिजर्वेशन बढ़ाना पोलिटिकल है यह इसलिए बढ़ाया है कि हरिजन भाग न जायें। यह कोई बात है ? यह ठीक बात है, यह पोलिटिकल है। महात्मा गांधी ने कहा था कि इनको अगर हम अलहदा रखेंगे तो यह गर जायेंगे इसलिए उन्होंने यह व्यवस्था रखी, और बहुत अच्छा हुआ। उनके कहने के बाद पूना पैक्ट हुआ और सब रियायतें मिल गई इसलिए मैं समझता हूँ कि जहां तक विपक्ष के दो तीन आदमी बोले हैं, अच्छा बोले हैं उनके बाद हमें बोलने की जरूरत नहीं है लेकिन ऐसा ही होता है। मैं अपने मैम्बरों को कहूंगा कि जितनी रियायतें हैं, यह हमको लेनी हैं, ऐसा नहीं हो सकता कि ये दे देंगे, ये दे देंगे, यह कोई नहीं देंगे, यह हमें लेनी हैं।

[चौधरी सुन्दर सिंह]

पंजाब में जो आफिसर लगे हैं उनके साथ बेइन्साफी हो रही है, उनको ऐसी जगह लगा रखा है जहां उनकी नहीं चलती है, सारी वहां बर्बादी हो रही है इसलिए मैं होम मिनिस्टर को कहूंगा कि पंजाब की तरफ जरा ध्यान रखें, वहां हरिजनों के साथ जो बेइन्साफी हो रही है।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे समय दिया।

श्री राम प्यारे सुमन (अकबरपुर) : माननीय उपाध्यक्ष जी, कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री द्वारा 19 अप्रैल, 1989 को जो केन्द्रीय सरकार के पदों पर/सेवाओं में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के समुदायों का प्रतिनिधित्व बढ़ाने की दृष्टि से आदेशों को उदार बनाने के लिए जो वक्तव्य दिया गया है, मैं उसका हार्दिक स्वागत करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

इस सर्वोच्च सदन द्वारा मैं माननीय प्रधान मंत्री जी को भी हार्दिक बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने देश के करोड़ों दलितों, प्रबुद्ध वर्ग की भावनाओं को देखते हुए अभी हाल ही में कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं उन्होंने की हैं, जैसे आरक्षण को 10 वर्ष बढ़ाने के लिए और कानून राज्य मंत्री ने पदों को अनारक्षित करने के बारे में घोषणा की है। इसके अलावा प्रधान मंत्री जी ने जो लखनऊ की ऐतिहासिक रैली में बाबा साहब डा० भीम राव अम्बेडकर के नाम पर यूनीवर्सिटी की स्थापना का निर्णय लिया है, उन्होंने आधारशिला रखी है, इस सब के लिए सरकार और माननीय प्रधान मंत्री जी हार्दिक बधाई के पात्र हैं। हर बार 10 वर्ष के लिए आरक्षण बढ़ाया जा रहा है लेकिन आज जब हम समीक्षा करने के लिए बैठते हैं तो बड़ा कष्ट होता है कि इतने दिन हो गये हैं, 41-42 साल आजादी को हो गये हैं लेकिन आज तक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के आरक्षण का प्रतिशत इतना नीचा क्यों है। क्यों हम अ और ब में आधे तक नहीं पहुँच पाये हैं ? केवल "क" और "ख" में हम आगे बढ़ पाए हैं। कल्याण मंत्रालय द्वारा जो आंकड़े हमको उपलब्ध कराए गए हैं, यदि आप उनको देखेंगे तो सेवाओं में इनका प्रतिशत बहुत ही नाकाफी है और हमें शीघ्र ही पूरा करने की दिशा में ठोस कदम उठाने पड़ेंगे। माननीय राज्य मंत्री महोदय का ध्यान कार्मिक मंत्रालय द्वारा पेश की गई रिपोर्ट की ओर आकर्षित करना चाहूँगा, उस रिपोर्ट के आधार पर बीस वर्षों में एक जनवरी, 1968 से लेकर 1988 तक सेवाओं में क,ख,ग, और घ में अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों का प्रतिशत कुछ बढ़ा जरूर है, लेकिन नाकाफी है। अभी हम क्लास-ए में 8.67 प्रतिशत, बी में 11.10 प्रतिशत, सी में 14 प्रतिशत और डी में 19 प्रतिशत अनुसूचित जातियों में आगे बढ़े हैं। यह संख्या जो बताई गई है, उसके आधार पर स्थिति में सुधार कुछ जरूर है, लकिन बहुत ही असंतोषजनक है। हम देखते हैं कि आरक्षण एक तरफ बढ़ाया जा रहा है और दूसरी तरफ कुछ ऐसी शक्तियां हैं, जिनको हम क्या नाम दें, जो देश के अन्दर यह मांग कर रही हैं कि आरक्षण क्यों बढ़ाया जा रहा है। आरक्षण की सुविधा पाने के जो हकदार लोग हैं, उनको वे सुविधाएं नहीं मिल पा रही है। चालीस वर्ष बीतने के बाद अगर "ए" और "बी" में आधे तक बढ़े हैं, तो कितने बरस और लगेंगे इस आरक्षण को पूरा करने में ? इसलिए मैं सरकार से आग्रह करना चाहता हूँ कि आप ऐसी व्यवस्था करें, ऐसा कोई बिल बनायें, ऐसा कोई कानून बनायें और उसके द्वारा यह निश्चित किया जाना चाहिए कि आरक्षण को पूरा न करने वाले जो अधिकारी हैं, उन अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाए।

अभी कुछ दिनों पहले सिविल राइट प्रोटैक्शन एक्ट बना था। उसमें यह प्रावधान था, उसमें यह व्यवस्था थी कि जो अधिकारी अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों की इस भावना से ग्रस्त होकर, छुआछूत और ऊंच-नीच की भावना से ग्रस्त होकर उनके साथ कोई अन्याय करता है, चाहे रिजर्वेशन में, चाहे प्रोमोशन में, चाहे कन्फर्मेशन में और चाहे ट्रांसफर में, तो ऐसे अधिकारियों के खिलाफ दंड की कार्यवाही की जाएगी, उनको दंडित किया जायेगा, लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जब मैंने पिछले वर्ष इस मामले को उठाया, और मैंने मांग की कि प्रदेशवार पूरे देश में फीगर बतायें कि कितने लोगों को सिविल राइट प्रोटैक्शन एक्ट के अंतर्गत दंडित किया गया है, तो जवाब मिला कि अभी कोई भी दंडित नहीं किया गया है। मैं माननीय मंत्रीजी से जानना चाहता हूं आखिर कौन सी वजह है जब आपने नियम बना रखे हैं, कानून बना रखे हैं, तो क्यों नहीं आप दंडित करते हैं ? आप ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं करते हैं, अगर ऐसी व्यवस्था नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से फिर आपको 2000 सन् के बाद दस साल के लिए आरक्षण बढ़ाना पड़ेगा। फिर भी रिजर्वेशन पूरा होने वाला नहीं है। आज देश के करोड़ों लोगों में, दलितों में बेचैनी है और जो असंतोष है, वह असंतोष आगे बढ़ता जा रहा है। इसलिए मैं इस बात को कह रहा हूं कि समय की मांग है कि हम उस बेचैनी को दूर करें और संविधान के निर्माताओं द्वारा जो आरक्षण की व्यवस्था की गई है,उसको पूरा करें। सरकार बराबर हमारे इस कार्य में प्रयत्नशील है। प्रधान मंत्री जी के कुशल नेतृत्व में हमें आज यह मौका मिला है, इस मौके पर आरक्षण को पूरा करने के लिए हमें तेजी के साथ आगे आना पड़ेगा।

मैं आंकड़ों में नहीं जाना चाहता हूँ, क्योंकि आंकड़ों में जाने से काफी वक्त इसमें चला जायेगा, लेकिन मैं यह जरूर कहना चाहता हूँ कि कुछ ऐसी चीजें हैं, जिनकी वजह से ये परेशानियां पैदा हो रही हैं। माननीय मंत्री महोदय यहाँ पर बैठे हुए हैं, मैं उल्लेख करना चाहता हूं, माननीय प्रधान मंत्री जी ने पिछली बार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों की बैठक एनैक्सी में बुलाई थी, तो उन्होंने कई महत्वपूर्ण घोषणायें की थीं। हम उनके आभारी हैं। उन्होंने इन वर्गों के बीस-बीस सांसदों की तीन समितियां गठित की थीं। एक समिति का काम था कि वह रिजर्वेशन के बारे में देखें कि रिजर्वेशन कैसे पूरा किया जाए, दूसरी समिति का काम था कि जो अत्याचारी घटनायें इन वीकर सैक्सन के लोगों पर होती हैं, उनकी रोकथाम के बारे में सुझाव दें और तीसरी समिति बनाई गई थी कि हमारी जो सोशियो इकोनोमिक प्राबलम्स हैं, उनके बारे में बहस करके सुझाव दें। जब कल्याण मंत्रालय की रिपोर्ट को हमने पढ़ा, तो हमने देखा कि इसमें उल्लेख किया गया है कि इन तीनों समितियों ने अपनी रिपोर्ट सरकार को पेश कर दी है। मैं इस सदन को बताना चाहता हूं कि आज तक उन समितियों की बैठक ही नहीं हुई है और रिपोर्ट पेश कर दी गई है। अगर ऐसे काम चलता रहेगा तो काम चलने वाला नहीं है। कैसे आरक्षण पूरा होगा, कैसे उनकी बेचैनी दूर होगी और कैसे हम उनके असंतोष को समाप्त कर पायेंगे।

[1.14 म०प०]

[श्री एन० वेंकट रत्नम पीठासीन हुए]

आप ऐसी कानूनी व्यवस्था करें, जो विभागाध्यक्ष अपने विभाग में एक निश्चित अवधि के अन्दर रिजर्वेशन पूरा नहीं करते हैं, शैड्यूल्ड कास्ट और शैड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को, तो उनके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। यदि यह व्यवस्था आप नहीं करेंगे तो रिजर्वेशन पूरा होने वाला नहीं है

[श्री रामप्यारे सुमन]

अब मैं दो-तीन मुद्दों की ओर जो पिछली पार्लियामेंट में उठे, उनकी ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। परिवहन विभाग में ट्रेंड कंडक्टर की भर्ती के संबंध में और आपसे यह कहा गया कि आप शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के कोटे को पूरा कीजिए तो आपकी तरफ से कहा गया कि उनके ट्रेंड कंडक्टर नहीं उपलब्ध हैं। इसीलिए आप उनका कोटा पूरा नहीं कर पा रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि 500 शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के ट्रेंड के लोग बैठे हुए हैं आप उनको सेवा में नहीं रख रहे हैं। मान्यवर, एक तरफ आप यह कह रहे हैं कि ट्रेंड लोग नहीं मिल रहे और दूसरी तरफ इतने ट्रेंड लोग बैठे हुए हैं। मान्यवर यह कितनी खेद की बात है, कितनी दुःख की बात है।

हम दिल्ली में बैठ कर यह देख रहे हैं कि शेड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्स के लोगों का कोटा पूरा नहीं किया जाता है। आपके दिल्ली विकास प्राधिकरण में 500 स्टेनोग्राफर हैं। उनमें केवल 34 स्टेनोग्राफर शेड्युल्ड कास्ट्स और ट्राइब्स के हैं वहां 150 एक्जीक्युटिव इंजीनियर हैं उनमें केवल 4 इन जातियों के हैं। यह कितनी ज्यादती की बात है। मान्यवर दिल्ली में बैठ कर लोग इस प्रकार की ज्यादतियां कर रहे हैं।

मान्यवर सर्वोच्च न्यायालय ने शेड्युल्ड कास्ट्स और शेड्युल्ड ट्राइब्स के कर्मचारियों की रिट पर निर्णय दिया कि जितने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कर्मचारी हैं उनका 12-13 साल में टाईप वाइज प्रमोशन किया जाए और इस निर्णय को चार महीने के अन्दर इम्पलीमेंट कर दिया जाए। यह पी०एण्ड०टी० के कर्मचारियों का मामला था और इसको कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री ने ओ. के. कर दिया लेकिन यह फाईल कार्मिक मंत्रालय के पास पड़ी है। अगर मंत्रालय में आपके यह हो तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इससे कितना असंतोष और बेचैनी उन लोगों में होगी। इस सब असंतोष और बेचैनी की बातें हमारे माननीय प्रधान मंत्री जी को और हमारी सरकार को सुननी पड़ती हैं।

इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपको ऐसी व्यवस्था करनी पड़ेगी जो ऐसे लोग हैं जो कि ज्यादती कर रहे हैं, उनके खिलाफ आपको चार्ज लगाना पड़ेगा, तभी वे लोग इस काम को पूरा करने में तत्परता दिखायेंगे। ऐसे कानून आपको बनाने पड़ेंगे। ऐसी धाराएं संविधान में दी गयी हैं लेकिन उन धाराओं के तहत आपको ऐसे लोगों को दंडित करना पड़ेगा।

आप बैंकों में देखिये। बैंक आफ बड़ौदा में 17 अधिकारियों का ट्रांसफर किया गया और पांच सौ मील की दूरी पर किया गया। वे 17 के 17 अधिकारी शेड्युल्ड कास्ट्स और शेड्युल्ड ट्राइब्स के हैं। यह कैसा उनके साथ अन्याय हो रहा है। अगर मेनेजमेंट उनके साथ इस प्रकार की ज्यादती करेगा और उनका दिल्ली से बाहर इतनी दूर ट्रांसफर करेगा तो कैसे उनके साथ न्याय हो पाएगा। आप इस पर गंभीरता से विचार कर के सख्ती के साथ कदम उठाएं और यह देखें कि इस वर्ग के लोगों के ट्रांसफर इस प्रकार से दिल्ली से बाहर न हों।

कहा जाता है कि इन लोगों को यह सुविधाएं दी जा रही हैं, यह कंसेशन दिया जा रहा है। यह ठीक नहीं है। ये वे लोग हैं जिनको हजारों सालों तक कुचला गया है, रौंदा गया है। यह उनके साथ कोई रियायत नहीं है। यह तो समाज को उनको देनी पड़ेगी। जब तक इस देश में

जाति और धर्म के आधार पर हरिजनों और आदिवासियों का शोषण होता रहेगा तब तक आपको यह करना पड़ेगा।

मैं अधिक न कहते हुए माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि कृपया इस संबंध में ऐसे कानून लाएं जिससे कि हरिजन और आदिवासियों पर अत्याचार न हों, उनका नौकरियों में रिजर्वेशन का कोटा पूरा हो, उनकी कन्फर्मेशन और ट्रांसफर के मामले में उनके साथ ज्यादती न की जाए। आपने उनकी अपोइंटमेंट के मामले में जो घोषणा की है उसके लिए हम आपके आभारी हैं। लेकिन यह आपने नियुक्तियों के मामले में कहा है लेकिन 90-95 प्रतिशत ऐसे केसिज होते हैं कि उनकी प्रमोशन नहीं होती है। आपने जो यह घोषणा की है वह अच्छी है लेकिन इसका पालन पदोन्नति के मामले में भी पूरी तरह से हो। यह व्यवस्था भी आप करें। केवल नियुक्तियों से काम चलने वाला नहीं है। नियुक्तियों पर तो आपने पहले ही बैन लगा रखा है, नयी नियुक्तियां नहीं की जा रही हैं। इसलिए आप इसको पदोन्नतियों पर भी लागू कीजिए, उनके बारे में भी कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। पहले जिस प्रकार से इस मामले में जांच होती थी और फिर पोस्टों को डीरिजर्व किया जाता था, उसी प्रकार की जांच अब भी जानी चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं प्रधान मंत्री जी को और माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ।

श्री अरविंद नेताम (कांकेर) : सभापति महोदय, माननीय चिदम्बरम जी ने 19 अप्रैल को जो स्टेटमेंट दिया, उसका मैं स्वागत करता हूं। रिजरवेशन पालिसी के बारे में मंत्री जी ने घोषणा की है, वह बहुत अच्छा कदम है।

मंत्रालय की जो स्टेटिस्टिक्स है, जो अभी सुमन जी ने बताई, 40 साल बाद भी हम सभी केटेगरीज में, केवल शेड्यूल कास्ट के मामले में फोर्थ क्लास का कोटा ही पूरा कर पाए हैं, बाकी सभी मामलों में हम कोटा पूरा नहीं कर सके हैं ए, बी, सी, केटेगरीज में शेड्यूल कास्ट और ए से लेकर डी केटेगरीज में ट्राइब्स का कोटा पूरा नहीं कर पाए हैं। यही वजह है कि माननीय प्रधान मंत्री जी ने इस बात को बहुत गंभीरता से लिया है और डी रिजरवेशन खत्म करने की घोषणा की है। मैं समझता हूँ कि आज 40 साल के अंतराल के बाद भी इसका नतीजा अच्छा होगा। इसी तरह से सुमन जी ने जो सुझाव दिया है कि प्रमोशंस के सिलसिले में भी यही पालिसी अपनाई जानी चाहिए, यह बिल्कुल उचित है। इससे मैं समझता हूं कि इंप्रूमेंट होगा, परसेंटेज में भी और लक्ष्य प्राप्त करने में भी सफलता मिलेगी।

सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय को कुछ सुझाव देना चाहता हूँ। सबसे पहली बात मैं यह कहना चाहता हूं कि आज शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के कर्मचारियों के साथ अन्याय बहुत हो रहा है, कोर्ट में मामले बढ़ रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि इन मामलों को और शिकायतों को सुनने के लिए एक अलग से ट्रिब्यूनल बनाना चाहिए, ताकि उनको जल्दी न्याय मिल सके और उनको प्रमोशन के चांसेस मिल सकें।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूँ कि रोजगार प्राप्त करने के लिए रिक्रूटमेंट सेंटर बढ़ाए जाने चाहिए। आज स्थिति यह है कि पब्लिक अंडर टेकिंग्स या केन्द्र सरकार के संस्थानों या बैंकों के रिक्रूटमेंट सेंटर राज्यों की राजधानियों में या बड़े शहरों, दिल्ली, बंबई, कलकत्ता, मद्रास में

[श्री अरविंद नेताम]

हैं। खासकर ट्राइब कैंडीडेट के बारे में मैं बताना चाहता हूं कि किसी भी स्टेट को आप ले लीजिए, महाराष्ट्र में चंदरपुर का लड़का बंबई नहीं जा सकता, चाईबासा का लड़का पटना नहीं जा सकता, बस्तर का लड़का भोपाल नहीं जा सकता, कोल्हापुर का लड़का भुवनेश्वर नहीं जा सकता, श्रीकाकुलम का लड़का हैदराबाद नहीं जा सकता, जितने भी ट्राइब एरियाज हैं, उनसे हम उम्मीद करें कि बहुत दूर जाकर वे इंटरव्यू दें तो यह बहुत मुश्किल है। इसलिए मैं चाहूंगा कि रिक्रूटमेंट सेंटरों की संख्या बढ़ाई जाए और खासकर ट्राइबल एरियाज में अलग से रिक्रूटमेंट सेंटर्स खोलने चाहिए, इससे आप टारगेट एचीव कर पायेंगे, अन्यथा नहीं कर पायेंगे।

एक बात हम और देखते हैं कि रोजगार कार्यालयों में बेरोजगारों की लंबी लाईन लगी है, दूसरी तरफ क्लास फोर के एंप्लायज भी नहीं भरे जा रहे। बैंक वालों से भी कहते हैं तो वे कहते हैं कि कैंडीडेट्स नहीं मिलते। तो कहीं न कहीं बीच में मिसिंग लिंक है, इसके लिए मैं सुझाव देना चाहता हूं कि अलग से सेंट्रल गवर्नमेंट का एक आर्गनाइजेशन हर स्टेट में बनाइए जो केवल शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स की लिस्ट तैयार करें और सरकारी कार्यालयों को फीड करें। सज्जों के रोजगार दफ्तरों के भरोसे रहने से काम नहीं चलेगा।

फाल्स सार्टिफिकेट्स के बारे में भी सुझाव है कि एक जांच एजेंसी अलग से बनाई जाए ताकि इनको रोका जा सके। इस बारे में मैं मंत्री महोदय को कहना चाहता हूं कि जिस तरह से बर्थ सार्टिफिकेट के लिए मैट्रिक के प्रमाणपत्र को अथेंटिक माना जाता है, उसी तरह से उसमें एक कास्ट का कालम भी बढ़ा दिया जाए जिससे उसके शेड्यूल कास्ट या ट्राइब होने का पता लग सके और यह गोरखधंधा बंद हो सके। क्योंकि गलत सर्टिफिकेट बी ए, एम ए करने के बाद नौकरी ढूंढने के वक्त लोग प्राप्त करते हैं। मैं चाहूंगा कि मैट्रिक के सर्टिफिकेट में ही ऐसा कालम हो जिसमें कास्ट के बारे में लिखा रहे कि वह एस०सी०एस०टी के हैं। फ्यूचर में चैक करने के लिए यह बहुत अच्छा तरीका हो सकता है। एजुकेशन के स्टैन्डर्ड में भी रिलैक्स करना होगा, खासकर जो रिमोट एरियाज में हैं। ट्रेनिंग के जो लॉयजन आफिसर्स आपने लगाए हैं, उनको और ट्रेनिंग देने की जरूरत है। केवल खानापूर्ति की गई है। बहुत से आफिसर्स के बारे में सरकार को भी जानकारी नहीं है। भर्ती के लिए प्रि-रिक्रूमेंट ट्रेनिंग की भी संख्या बढ़ाइए और थोड़ा सघन कीजिए। बैंक्स, अंडरटेकिंग्स, ह्यूमन रिसोर्स डवलपमेंट और पालिसी मेकिंग डिपार्टमेंट में ज्यादा से ज्यादा एस०सी० एस०टी० लोगों को लगाइए। अंडरटेकिंग्स, में डायरेक्टर की पोस्ट पर भी किसी न किसी एस.सी. एस.टी. को लगाना चाहिए। इस मामले में सरकार की ओर से अभी तक पहल नहीं हुई है।

एस.सी.एस.टी. के रिटायर्ड लोग भी मिलने लगे हैं, उनको भी लगाया जा सकता है। इससे काफी फायदा होगा। मेरे सुझावों को गंभीरता से लेंगे तो एस.सी.एस.टी के लोगों को नौकरी देने में अवश्य ही वृद्धि होगी। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया।

श्री प्रताप भानु शर्मा (विदिशा) : माननीय सभापति जी, आज सदन में जिस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा चल रही है, उसके पक्ष में मैं भी अपने विचार सदन में रखना चाहूंगा। आपके माध्यम से अपने नौजवान प्रधान मन्त्री आदरणीय राजीव जी को बधाई देना चाहूँगा। उन्होंने इस कार्य की समीक्षा की और एस.सी.एस.टी. कमीश्नर ने जो रिपोर्ट दी उसके माध्यम से उन्होंने इस

बात की गंभीरता को समझा कि संविधान की धारा-16 (4) और 335 में कमजोर वर्ग और आदिवासी-हरिजनों को सरकारी नौकरियों में देने का प्राविधान है, उसका पालन नहीं हो रहा है, उस कमी को देखकर उसकी पूर्ति की दिशा में ठोस निर्णय लिया है। इसके लिए वे बधाई के पात्र हैं। श्री चिदम्बरम जी भी बधाई के पात्र हैं क्योंकि उन्होंने अपने मंत्रालय के माध्यम से इस दिशा में सदन में बयान देकर पहले की है। पन्द्रह प्रतिशत आरक्षण अनुसूचित जाति और साढ़े सात प्रतिशत अनुसूचित जनजाति के लिए संविधान की उक्त धाराओं में है। नवम्बर-88 में जो रिपोर्ट एस.सी.एस.टी. कमीश्नर ने राष्ट्रपति जी को दी है, उस रिपोर्ट का गहन अध्ययन किया जाना चाहिए और आरक्षण की पूर्ति की दिशा में सरकार काम नहीं कर पाई है तो उसकी अनुशंसा को लागू करने का पूरा-पूरा प्रयास करना चाहिए। नया बीस सूत्री कार्यक्रम को जो सन 86 में बना था उसमें प्रधानमन्त्री जी ने हरिजन-आदिवासियों को सामाजिक न्याय दिलाने हेतु प्रावधान रखा था और आज हमारे विरोध पक्ष के लोग कहते हैं कि चुनाव की वजह से ऐसा किया गया है। मैं उनका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि हमारे नेता राजीव जी ने अगस्त-86 में जो नया बीस सूत्री कार्यक्रम देश की जनता के सामने रखा था उसके बाद अब पहला मौका आया है जबकि एस. सी.एस.टी. कमीश्नर की नियुक्ति भी दो-तीन साल पहले कर दी गई थी और जो रिपोर्ट सदन में प्रस्तुत की गई है उसमें विभिन्न ज्वलंत मुद्दों की ओर देश की जनता का ध्यान आकर्षित किया गया है।

मैं आदरणीय सभापति जी, उसमें उल्लेखित मुख्य बातों की ओर माननीय गृह मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। उसके चैप्टर 8 में जो 482 पेज से शुरू होता है उसमें भारत सरकार का ध्यान खास तौर पर जो भारत सरकार की प्रमुख सेवायें हैं उनकी ओर आकर्षित किया गया है। उसमें 14 सेवाओं की ओर जिसमें रक्षा मन्त्रालय भी है, ऊर्जा मन्त्रालय भी है और इन्जीनियरिंग और टेक्नोलॉजी की सेवाएं भी हैं उनकी ओर ध्यान आकर्षित किया है। सरकार का ध्यान इस ओर दिलाया है कि इसमें जो निर्धारित प्रतिशत था अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों का, उसके मुकाबले बहुत नगण्य प्रतिशत यहां आए हैं। उनको प्रशिक्षण दिलाने के लिए जो सैंटर निश्चित किये गये वह पर्याप्त नहीं थे। जितने पदों के लिए विज्ञप्तियां आईं, प्रशिक्षण की सूचनायें जारी की गईं उनकी जानकारी उनको नहीं दे पाये। जिसकी वजह से वह उस तादाद में उस परीक्षा में और प्रशिक्षण केन्द्रों में सम्मिलित नहीं हो सके और सेवाओं में उनकी भर्ती का प्रतिशत एक से भी कम रहा। कहीं-कहीं तो 0.2 प्रतिशत तक सेवाओं में उनकी भर्ती हो पाई है। जो हमारे तकनीकी विभाग हैं, ऊर्जा विभाग है, वाटर रिसोर्सिज विभाग हैं और सरफेस ट्रांसपोर्ट विभाग हैं वहां पर बहुत कम संख्या में अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को सेवा करने का मौका मिला है। इसलिए आज सबसे अधिक ध्यान इस ओर देने की आवश्यकता है। अन्य पदों पर जैसे क्लर्कों आदि पर तो सरकारी सेवाओं में उनको नौकरी दे देते हैं, लेकिन जो तकनीकी क्षेत्र हैं, बड़े पद हैं उनमें उनको आने का मौका क्यों नहीं मिल पाता है, वह इसलिये नहीं मिलता है क्योंकि उनकी शिक्षा के साथ-साथ तकनीकी प्रशिक्षण उनको नहीं मिल पाया। चाहे आप उद्योग की बात करें, पब्लिक सेक्टर में देख लें उनमें रिक्त स्थानों को आप देख लें। आज अफसरशाही यह जवाब दे देती है कि पर्याप्त संख्या में तकनीकी लोग नहीं मिलते हैं जिससे उनके लिए आरक्षित स्थानों की पूर्ति नहीं हो पाती। इसलिए हमें ऐसी योजना इन अनुशंसाओं के आधार पर बनानी चाहिये जिससे हम साइन्स और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को आगे बढ़ाने के लिए समुचित शिक्षा और प्रशिक्षण पहले से देना शुरू कर दें। इससे

[श्री प्रताप भानु शर्मा]

हमारा टेलेंट तैयार होगा और उनको ऐसे क्षेत्रों में काम करने का पर्याप्त रूप से मौका मिल सकेगा। जो आय की सीमा एक हजार रुपये से कम आय वालों को इन प्रशिक्षण केन्द्रों में आने की अनुमति देने की बात है और एक हजार से ऊपर वालों को नहीं आने देने की बात है जिसका इसमें उल्लेख किया गया है, यह भी तर्क संगत नहीं है । क्योंकि एक हजार रुपये की आमदनी भारत सरकार के छोटे से छोटे पद पर भी जो होगा उसको होती है। इसलिये आपको ऐसी स्लैप्स निश्चित करनी चाहिए कि न्यूनतम एक हजार रुपये हो और उसके बाद 1500 हो फिर और आगे ही जिससे हरिजन-आदिवासी लोगों को प्रशिक्षण के साथ कम्पटीशन में आने का मौका उपलब्ध हो सके। मैं अन्त में प्रधानमन्त्री जी को बधाई दूंगा उन्होंने भारत सरकार में रिक्त पदों के लिए जो कि आदिवासी लोगों के आरक्षित है उनके लिये पहल की है और उनको यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि भारत सरकार की सेवा के अलावा राज्य सरकार की सेवा में भी ऐसे पद जो खाली पड़े हुए हैं उन पर भर्ती के लिए राज्य सरकारों को निर्देश देना चाहिये। लेकिन जो उनको निर्देश दिये गये हैं सरकार द्वारा उन निर्देशों का पालन नहीं होता है, पब्लिक सेक्टर और उद्योगों में भी उनके निर्देशों का पालन नहीं होता है। भारत सरकार के अन्तर्गत कमिश्नर फार एस. सी. और एस. टी. ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है उसका गहराई से अध्ययन होना चाहिए उसमें विभिन्न समस्याओं की ओर ध्यान आकर्षित किया गया है। मैं चाहूंगा हमारे गृह मन्त्रालय और कल्याण मन्त्रालय मुख्य मन्त्रियों को निर्देश दें कि उनकी जो अनुशंसा हैं उन पर समुचित कार्यवाही करके हमारे संविधान की उन धाराओं का पालन करें। जिस कार्य के लिये हमारे राष्ट्र-निर्माता, महात्मा गांधी, पण्डित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आजाद, इन्दिरा गांधी जी और आज देश के नौजवान प्रधानमन्त्री राजीव गांधीजी संकल्पित हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आज सदन में जो चर्चा हो रही है, उसके माध्यम से एक मैसेज सभी सम्बन्धित विभागों, सभी सम्बन्धित उद्योगों और सभी राज्य सरकारों को जायेगा ताकि वे अपने यहां बैकलांग की पूर्ति कर सकें, हरिजनों और आदिवासियों के लिए आरक्षित पदों पर भर्ती कर सकें, और यह कार्य 1989-90 वर्ष में ही पूरा हो जाना चाहिये। इसमें किसी तरह की अड़चन नहीं आनी चाहिये।

आखीर में, एक ज्वलंत मुद्दे की तरफ मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आज हम जगह-जगह यह कमी या बैकलॉग क्यों देखते हैं। हमारे पास टेलेंट है। गांव का आदमी शहर में पढ़कर फिर गांव चला जाता है। ज्यादातर हरिजन और आदिवासी कृषि पर आधारित हैं, उनकी आर्थिक व्यवस्था गांव से शुरू होती है, गांव से जुड़ी है, इसलिये भी वे शहरों में पढ़कर लिखकर वापस गांव चले जाते हैं। जब भी सरकारी नौकरियों में नये पद सृजित होते हैं, पद भरने की आवश्यकता होती है तो उसकी सूचना ग्रामीण अंचलों में उन लोगों तक पहुँच नहीं पाती। मैं चाहता हूं कि सरकार रेडियो, टेलीवीजन और दूसरे सरकारी प्रचार माध्यमों में ऐसी व्यवस्था करें कि इस कम्यूनिकेशन गैप की पूर्ति हो सके। इस कम्यूनिकेशन गैप के अभाव में हमारे यहां अनेकों पोस्ट खाली पड़ी रहती हैं और हमें हरिजन आदिवासी लोग मिल नहीं पाते। ग्रामीण अंचल के लोगों को पूरी जानकारी मिले, इसकी आप व्यवस्था अवश्य कीजिये। इन शब्दों के साथ मैं माननीय गृह राज्यमन्त्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने माननीय प्रधान मन्त्री जी की भावना के अनुसार, सदन में वक्तव्य देकर ऐसी चर्चा मे भाग लेने का हमें अवसर दिया जिसका व्यापक प्रभाव देश के कोने-कोने तक होगा और खास तौर से महात्मा गांधी जी की जो मंशा थी, उनकी नीतियों को लागू करने में आपने ठोस पहल की है, इसके लिए भी मैं बधाई देना चाहता हूं।

श्री बनवारी लाल बेरवा (टोंक) : सभापति जी, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण चर्चा में भाग लेने का मौका दिया। आज हम जिस व्यवस्था में जी रहें हैं। वह चतुर्वर्णीय व्यवस्था है। जिस समय हमारे देश में चतुर्वर्णीय व्यवस्था स्थापित की गयी थी तो शायद उस समय वेदों के रचयिता ऋषियों और मुनियों ने भी यह कल्पना नहीं की होगी कि हम समाज को ऐसी व्यवस्था दे रहे हैं, जिनके परिणाम आगे चलकर, कालांतर में, इतने बुरे मिलेंगे। जिस समय यह व्यवस्था यहां आरम्भ की गयी थी, उस समय ऐसी किसी ने कल्पना नहीं की थी कि शरीर के छूने मात्र से लोग अपने आप को अपवित्र मानने लगेंगे। उस चतुवर्णीय व्यवस्था से ही जातीय व्यवस्था को हमारे यहां बढ़ावा मिला। इसके जो कुपरिणाम या दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं, वे बड़े असंतोषप्रद हैं। हमने देखा है कि समाज को पिछले वक्तों में भी इस व्यवस्था के परिणाम भुगतान पड़े हैं क्योंकि इस देश में जो 25 प्रतिशत तबका था, उसके जिम्मे कोई काम नहीं सौंपा गया, उसकी आजीविका चलाने के लिये कोई व्यवस्था नहीं की गयी, कोई साधन उसके पास नहीं थे। उनके जिम्मे सिर्फ अपमान सौंपा गया पीड़ा सौंपी गयी, समाज का जो गिरे से गिरा काम हो सकता था, वह उनके जिम्मे सौंपा गया। जब समाज ने ही उनके जिम्मे ऐसे काम लगा दिये थे तो उसके लिये उन्हें जिम्मेदार कैसे ठहराया जा सकता है। यही कारण है कि आज हमारा समाज कुरुप सा लगने लगा है और सारे देश को उसके परिणाम भुगतने पड़ रहे हैं।

पिछले दिनों हमारे देश ने एक नई करवट बदली, नव-जागरण हुआ और हमारे नौजवान नेता ने इस बात को समझा, परखा कि जातीयता के आधार पर देश में जिस तरह से भेदभाव होता है, वह ठीक नहीं है, उसका परिणाम हमें ही नहीं, सारे देश को भोगना पड़ रहा है और इस भेद को मिटाने के लिये अनेक क्रान्तिकारी कदम उठाये। इससे देश में एक नया दौर आया। हमारे नेताओं ने महसूस किया कि जो तबका सदियों से दबा रहा, सताया जाता रहा, उसे आगे लाना चाहिए, ऊपर उठाया जाना चाहिए। उनके उत्थान के लिए अनेकों कायदे-कानून बने और हमारी कांग्रेस सरकार ने उन्हें आगे लाने के लिये अनेकों कदम उठाये। मैं यहां समय के अभाव में ज्यादा न कहकर, एक-दो उदाहरण देना चाहता हूँ। जिस वर्ग को बहुत गया-बीता समझा जाता था, किसी काम का नहीं समझा जाता था, उसी वर्ग में बाबा साहेब डा० अम्बेडकर जैसे महान विचारक पैदा हुए, बाबू जगजीवन राम जैसे महान नेता पैदा हुए और दोनों के जिम्मे जो काम सौंपा गया, उन्होंने उस काम को बखूबी उचित तरीके से अन्जाम दिया। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि संविधान में आरक्षण की जो व्यवस्था की गयी थी, विधान में जिसे रखा गया था, उसे आगे भी जारी रखने की जरूरत है, तभी इस देश का नक्शा बदल पायेगा, इस देश का विकास हो पायेगा, हमारे देश में समृद्धि आ पायेगी और यह वर्ग उसमें पूरा योगदान देगा।

माननीय सभापति जी, मैं माननीय चिदम्बरम जी को इसके लिये धन्यवाद देता हूँ। इन्होंने बहुत अच्छी और बढ़िया बात रिजर्वेशन के बारे में कही है। मुझे ऐसा लगता है कि इसके पीछे हमारे प्रधान मन्त्री जी की मंशा ही आपने सदन में रखी है और उनका दिल और दिमाग इस बारे में बिल्कुल साफ है। जो शे० का० और शे० ट्राइब्स के लोग हैं वे नेशन के असैट्स हैं और उनको इस तरीके से प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। उससे सोसायटी के अन्दर पूरी जागृति आनी चाहिए।

[श्री बनवारी लाल बेरवा]

महोदय, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि आरक्षण के विरुद्ध एक मानस बना हुआ है पढ़े-लिखे लोगों का। अभी आपने सदन में भी देखा। हमारे एक माननीय सदस्य यह कह रहे थे कि एक परिवार में एक आदमी को आरक्षण की सुविधा दे दी जाए, तो उसके बाद दूसरे आदमी को कंसीडर नहीं किया जाए। यह एक मानसिक रुग्णता है। इसको समाप्त किया जाना चाहिए क्योंकि एक आदमी को एक परिवार में यदि आरक्षण की सुविधा दे दी, तो उससे न तो पावर्टी कम होती है, न पिछड़ापन खत्म होता है न दुर्बलता खत्म होती है। इसलिए मेरा निवेदन है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरा तो यह भी कहना है कि यदि संभव हो सके, तो इसको और बढ़ाना चाहिए जिससे ज्यादा सुविधा की बात होगी, तो कम से कम एक पूरे परिवार को आगे बढ़ने का तो मौका मिलेगा।

महोदय, आरक्षण के सम्बन्ध में मुझे दो बातें कहनी हैं। आरक्षण के लिए जब-जब आप प्रावधान करते हैं, तो ट्रेड यूनियनें बीच में आ जाती हैं और कुछ और लोग आ जाते हैं और वे अदालतों में भी चले जाते हैं। जब अदालत के अन्दर कोई चला जाता है, तो एडमिनिस्ट्रेशन के सामने बड़ी दिक्कत आती है कि इस काम को किस तरीके से वह आगे बढ़ाये। इसलिए इसके ऊपर विचार किया जाये, इसके ऊपर सोचा जाए, हर जगह पर, हर कदम पर, हर पब्लिक अंडरअटेकिंग के अन्दर जब-जब भी इस तरीके की बात होती है, आप आरक्षण देना चाहते हैं, तो लोग आ कर खड़े हो जाते हैं। उससे हमारा आरक्षण का वह भाग पूरा नहीं होता है। उसके लिए आप एक कानून बनाईये और कानून ऐसा बनाईये जिससे यह बात तय हो जाए कि इस आरक्षण के विरुद्ध अदालत में न जाया जाये। वरना गरीब, हरिजन के लिए यह बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि वह अदालत में लड़ाई करे उनके लिए यह बहुत मुश्किल हो जाएगा और इस प्रकार से वह अपने अधिकार को कभी भी नहीं ले पायेंगे। इसी प्रकार से जो आपने आरक्षण तय किया है, इसके बारे में आपको देखना चाहिए कि यह पूरा होता है या नहीं। दूसरी बात यह है कि यह आरक्षण तो आपने तय किया है, जिसको वे मानते है। ऐसा सिस्टम बना हुआ है विभागों में, पब्लिक अंडरटेकिंग में, बैंकों में जो वहां के लोगों की मांग है, उनकी डिमांड जो हैं, उनको मान्यता दी जाए, उनको मंजूर कर लिया जाए। इसके लिए आप चाहे ट्रेड यूनियन के तहत संशोधन ले आएं, लेकिन उनको आपको मानना चाहिए ताकि आपको पता चल सके कि उनको आरक्षण मिला है या नहीं क्योंकि वे तो वहीं पर आ कर कहेंगे कि उनको आरक्षण मिला है या नही। इसी प्रकार से मेरा निवेदन यह है कि आप आरक्षित पद सृजित करते हैं, उनके लिये इन्टरव्यू करते हैं, लेकिन बाद में कह देते हैं कि अमुक योग्य उम्मीदवार नहीं मिलता है, उसके लिए डिपार्टमेंट के प्रमुख को दोषी ठहराना चाहिए। यदि आरक्षित पद के अगेन्स्ट सामान्य जाति के व्यक्ति से पद भर लिया जाये तो ऐसी स्थिति में जो अधिकारी हैं, उनकी तनख्वाहें नहीं मिलें, कुछ इस प्रकार की जिम्मेदारी आप उनके ऊपर डालिए, तब जाकर आपकी यह आरक्षण की व्यवस्था पूरी होगी। इसके लिए आपको टाइम बाउण्ड प्रोग्राम बनाना चाहिए।

माननीय चिदम्बरम साहब को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। इन्होंने जो डी-रिजर्वेशन के खिलाफ कहा है यह बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ-साथ मैं चाहता हूं कि इनके प्रमोशन के लिए आप और आरक्षण को बढ़ाएं। अन्त में मैं पुनः माननीय मन्त्री महोदय ने जो बात यहां कही है, उसका समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम) : सभापति महोदय, मैं उन माननीय सदस्यों का आभारी हूं जो इस चर्चा में सम्मिलित हुए और उन्होंने सरकार द्वारा अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण के मामले के बारे में लिये गये दो महत्वपूर्ण निर्णयों के सम्बन्ध में मेरे कथन का मोटे तौर पर स्वागत किया है। मुझे दुःख है कि हमारे सदस्यों को ज्यादा वक्त नहीं दिया जा सका, अधिक सदस्यों को इस चर्चा में सम्मिलित होने के लिये आमन्त्रित नहीं किया जा सका क्योंकि हमारे पास समय का अभाव है। दो बजे हमें एक अन्य महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करनी है।

महोदय, मुझे माननीय सदस्यों के साथ कुछ आंकड़ों का आदान-प्रदान करने दें। मेरे विचार से इस समस्या के सन्दर्भ को समझने के लिये यह महत्वपूर्ण है। सरकार संविधान के उपबन्धों के प्रति वचनबद्ध है और हमारे संविधान निर्माताओं ने जो की इस देश के जीवन और इतिहास से भलिभांति परिचित थे, संविधान में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की थी। प्रथम संसद के गठित होने के तुरंत बाद, संविधान को स्वीकारने के एक महीने के भीतर ही संविधान में प्रथम संशोधन विधेयक लाने में वे जरा भी नहीं हिचकिचाए जिसके अन्तर्गत अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लोगों को शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश दिलाने के लिये आरक्षण का प्रावधान किया गया। मैं पं० जवाहर लाल नेहरू के भाषण को पढ़ रहा हूं जहां उन्होंने कहा है कि :

> "हम इसके लिए तकनीकी अथवा सांविधिक अधिकार का ही दावा नहीं करते अपितु नैतिक रूप से भी हम ऐसा करना चाहते हैं। हमने अपने संविधान का निर्माण किया और जब यह देखा कि इसके निर्वाचन में कुछ कठिनाईयां हैं तो हमें संविधान में संशोधन करने में कोई हिचकिचा-हट नहीं हुई है।"

अगर संविधान में संशोधन के लिए ऐसा कहा जा सकता है तो सरकार की नीतियों को बनाने और क्रियान्वित करने के लिये और भी दृढ़तापूर्वक यह कहा जा सकता है। मैं नहीं सोचता कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों के उत्थान के लिए इस देश में कांग्रेस दल से ज्यादा नैतिक मूल्यों वाला और कोई दल हो सकता है। चालीस सालों से हमने आरक्षण नीति को लागू करने के लिए भरपूर प्रयास किया है। महोदय, इसके मिले-जुले परिणाम हुए हैं। मैं 1.1.1968 और 1.1.1988 के अनुसार आंकड़े प्रस्तुत करने की अनुमति चाहता हूं। 1.1.1968 को सम्पूर्ण भारतवर्ष के 'क' समूह में अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या केवल 459 थी। आज इनकी संख्या 4,886 है, जो सन्तोषजनक नहीं है क्योंकि यह ग्रुप-'क' अधिकारियों का 8.67 प्रतिशत ही है जबकि इसे 15 प्रतिशत होना चाहिए था। दिनांक 1.1.1968 को ग्रुप-'ख' में अनुसूचित जातियों के 1,083 कर्मचारी थे; आज यह संख्या बढ़कर 8,864 हो गयी है जो संख्यात्मक दृष्टि से 7,781 ज्यादा है। फिर भी यह कम है क्योंकि यह मात्र 11.18 प्रतिशत है। ग्रुप-'ग' में 1.1.1968 को 1,13,374 कर्मचारी अनुसूचित जातियों के थे, और 1.1.1988 को यह संख्या 3,09,041 थी जो संख्यात्मक दृष्टि से, दो लाख ज्यादा है, और इसका प्रतिशत धीरे-धीरे 15 प्रतिशत तक पहुँच रहा है। अभी यह केवल 14.8 प्रतिशत है। ग्रुप-'घ' में, जिसकी स्थिति को मैंने कभी भी अच्छा नहीं समझा, 1.1.68 को 2,11,115 कर्मचारी थे, आज इसमें 10,000 की और वृद्धि हो गयी है, और इसका प्रतिशत 19.88 है।

महोदय, हम आगे बढ़ रहे हैं, वास्तव में हम प्रगति कर रहे हैं।

एक माननीय सदस्य : आपने अनुसूचित जनजातियों के सम्बन्ध में आंकड़े नहीं प्रस्तुत किये हैं।

श्री पी० चिदम्बरम : मैं इस बारे में भी चर्चा करूंगा। हम आगे बढ़ रहे हैं। हम प्रगति कर रहे हैं, लेकिन हमारी गति धीमी है, यह गति अत्यधिक धीमी है।

माननीय सदस्य अनुसूचित जनजातियों के बारे में आंकड़े चाहते थे। मैं जल्दी से इन आंकड़ों को पढ़ूगा। मैं दो आंकड़े प्रस्तुत करूंगा--पहले आंकड़े 1.1.1968 के हैं। और दूसरे आंकड़े 1.1.1988 के हैं। इसके अनुसार,—

ग्रुप 'क'	—	128 और 1,295
ग्रुप 'ख'	—	144 और 1,668
ग्रुप 'ग'	—	15,665 और 93,627
ग्रुप 'घ'	—	41,558 और 67,869

श्री तम्पन थामस (मवेलिकरा) : श्री चिदम्बरम, क्या आप प्रतिशतता के आधार पर 1968 और 1988 के आंकड़े प्रस्तुत करेंगे।

श्री पी० चिदम्बरम : मैं इसे प्रस्तुत कर रहा हूं। आप धीरज रखें। जब तक मैं इसका उत्तर समाप्त नहीं करता, मैं आपको उत्तर कैसे दे सकता हूँ ? मैंने इसको नोट कर लिया है। मुझे इसे समाप्त करने दें।

श्री तम्पन थामस : तब सच्चाई सामने आयेगी।

श्री पी० चिदम्बरम : महोदय, ऐसा कुछ नहीं होगा; वास्तव में आप गलत साबित होंगे। आपने जो आक्षेप लगाया है कि यह एक चुनावी हथकंडा है, मेरे विचार से यह आरोप अनुचित है। यह आक्षेप महज इसलिए लगाया गया है क्योंकि आप विपक्षी दल में बैठे हैं।

महोदय, यद्यपि संख्यात्मक वृद्धि तो पर्याप्त है पर जैसाकि मैंने कहा है, अभी लक्ष्य पर नहीं पहुँचा गया है। प्रतिशतता वृद्धि उल्लेखनीय है। ग्रुप 'क' में अनुसूचित जाति की 1968 और 1988 के बीच प्रतिशतता वृद्धि 964.5 है, ग्रुप 'ख' में यह 718.5 प्रतिशत है, और ग्रुप 'ग' में यह 172.6 प्रतिशत है। श्री तम्पन थामस प्रतिशतता के आधार पर 1968 और 1988 के आंकड़े चाहते थे।

मैं अनुसूचित जातियों के आंकड़े प्रस्तुत करूंगा।

श्री तम्पन थामस : मैं आपको अपनी बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप 1968 यथा-अनुपात के आधार पर, अर्थात, 1968 में रोजगार के अवसरों और उसकी प्रतिशतता तथा 1988 के अवसरों और उसकी प्रतिशतता के आंकड़े दें। तभी यह तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है कि उनमें कितना सुधार हुआ है।

श्री पी० चिदम्बरम : महोदय, वह इसे पूर्वाग्रह के दृष्टिकोण से नहीं समझ सकते हैं। उन्होंने अपना भाषण देने से पहले आंकड़ों को समझने का कतई प्रयास नहीं किया है। अपने भाषण के बाद उन्हें कम से कम इन्तजार तो करना चाहिए और आंकड़ों को सुनना चाहिए। ये सभी आंकड़े उपलब्ध हैं और उन्हें प्रकाशित किया गया है। यदि उन्होंने अपने भाषण से पहले इन आंकड़ों को समझने का कष्ट किया होता तो मुझे बड़ा लाभ होता।

महोदय, 1-1-1968 की स्थिति के अनुसार समूह 'क' में 2.11 प्रतिशत कर्मचारी थे जो आज 8.67 प्रतिशत हैं, समूह 'ख' में 3.11 प्रतिशत कर्मचारी थे जो आज 11.18 प्रतिशत हैं; समूह 'ग' 9.22 प्रतिशत कर्मचारी थे, जो आज 14.80 प्रतिशत हैं तथा समूह 'घ' में सफाई वालों को छोड़कर 18.32 प्रतिशत कर्मचारी थे जो आज 19.88 प्रतिशत हैं। सभी समूहों में 13.37 कर्मचारी थे जो आज 16.30 प्रतिशत हैं। लेकिन मैं फिर भी सबसे पहले मानता हूं कि हम अपने उद्देश्य के प्रति इस धीमी उन्नति से खुश नहीं हैं। अब हम इस मामले की जांच कर रहे हैं कि यह उन्नति धीमी क्यों हो रही है ? मुझे विश्वास था कि अपने उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर पाने में से एक कारण अनारक्षण है।

महोदय, यह टिप्पणी की गई थी कि यह केवल कागजी कार्यवाही है। मैं समझता हूँ कि यह टिप्पणी श्री अय्यपू रेड्डी ने की थी। ऐसा नहीं है। 1-1-1987 की स्थिति के अनुसार 1986 में समूह 'क' में 752 रिक्त स्थान थे, उनमें से केवल 461 स्थान भरे गये और अनारक्षण के तीन वर्ष बाद 10 पद खत्म हो गये समूह 'ख' में 842 रिक्त स्थान थे जिनमें से केवल 751 भरे गये और 25 समाप्त हो गये। समूह 'ग' में 22,409 रिक्त स्थान थे, हमने वे भर दिये हैं परन्तु विगत वर्ष के 898 रिक्त पद समाप्त कर दिये गये। समूह 'घ' में 7,881 रिक्त स्थान थे उन्हें भर दिया गया है परन्तु विगत वर्ष के 307 रिक्त स्थान समाप्त कर दिये। अनारक्षण का समर्थन वे लोग करते हैं जो अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को आरक्षण नीति से होने वाले लाभ से वंचित रखना चाहते हैं।

1.54 म०प०

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

श्री ई० अय्यपू रेड्डी (कुरनूल) : क्या मैं जान सकता हूं कि आप किस आधार पर इन तथ्यों और आंकड़ों को बता रहे हैं ? क्योंकि मैंने संघ लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट से उद्धृत किया था। मैं केवल इसी से उद्धृत कर सकता था।

श्री पी० चिदम्बरम : आप संघ लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट से केवल प्रशासनिक सेवाओं की परीक्षा के बारे में उद्धृत कर रहे थे। दुर्भाग्यवश आप केवल प्रशासनिक सेवा परीक्षा के आंकड़ों को उद्धृत कर रहे थे। सम्भवतः प्रशासनिक सेवा परीक्षा ही एक ऐसी परीक्षा है जिसके द्वारा प्रतिवर्ष अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों की भर्ती होती है। इसका कारण यह है कि समूह 'क' सेवाओं में हम करीब 800-900 उम्मीदवारों का चयन करते हैं। हम प्रशासनिक सेवा परीक्षा के बारे में ही बात नहीं कर रहे हैं। भारतीय प्रशासनिक सेवा के लिये 20 लड़कों या लड़कियों का तथा भारतीय पुलिस सेवा के लिये 15 लड़कों या लड़कियों का चयन बड़ी आसानी से किया जा सकता है। परन्तु यह समस्या का समाधान नहीं है। हम भारत

[श्री पी० चिदम्बरम]

सरकार के समूह 'क' से लेकर समूह 'घ' तक की भर्ती प्रक्रिया की बात कर रहे हैं। दुर्भाग्य की बात है कि आपका ध्यान एक ऐसे पृष्ठ पर गया है जो सिर्फ प्रशासनिक सेवा परीक्षा के बारे में है।

मेरे पास इस सरकार के तीन वर्षों के आंकड़े हैं। मुझे विश्वास है कि पहले स्थिति इससे खराब थी। मैं आपको 1985,1986 और 1987 के दौरान समाप्त किये गये आरक्षणों की कुल संख्या तथा कुल आंकड़े बता रहा हूं जिसका मतलब है कि अनारक्षण बहुत पहले शुरू हो गया था। समूह 'क' में अनुसूचित जातियों के 30 तथा अनुसूचित जनजातियों के 46 पद समाप्त कर दिये गये। समूह 'ख' में अनुसूचित जातियों के 50 और अनुसूचित जनजातियों के 39 पद समाप्त कर दिये गये। मैं इसे समझ सकता हूं। समूह 'ग' में अनुसूचित जाति के 1817 तथा अनुसूचित जनजातियों के 573 रिक्त स्थान समाप्त कर दिये गये जहां तक समूह 'ग' का संबंध है, मैं इसे समझने में असमर्थ हूँ। समूह 'घ' में अनुसूचित जातियों के 446 तथा अनुसूचित जनजातियों के 315 रिक्त स्थान समाप्त कर दिये गये। मुझे बताइये कि इस देश में यह कहने का क्या औचित्य है कि समूह 'ग' के पदों को भरने के लिये आपको कोई उपयुक्त उम्मीदवार नहीं मिला। मैं समझता हूं कि समूह 'क' में किसी ऐसे पद के बारे में हूं जिसके लिये विशेष अर्हताओं की आवश्यकता होती है। आप संभवतः यह तर्क दे सकते हैं कि मुझे अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का कोई उपयुक्त उम्मीदवार नहीं मिला। यद्यपि मैं इस तर्क को नहीं मानता, परन्तु फिर भी इसे समझ सकता हूं। परन्तु समूह 'ग' और 'घ' के बारे में मैं ऐसा नहीं समझता हूँ और न ऐसा मानता हूँ।

श्री ई० अय्यपू रेड्डी : इसका आशय यह है कि आप अपने उन अधिकारियों को इसके लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं जो इन उम्मीदवारों की भर्ती करते हैं।

श्री पी० चिदम्बरम : मैं किसी निहितार्थ से नहीं कह रहा हूँ मैं उस व्यवस्था के बारे में बता रहा हूं जिसके श्री ई० अय्यपू रेड्डी सदस्य हैं तथा मैं भी उसी का सदस्य हूं परन्तु आप मुझसे अधिक पुराने सदस्य हैं। इस प्रणाली में अनुसूचित जातियों तथा अनु. जनजातियों के लोगों की भर्ती के विरुद्ध एक अन्तर्निहित पूर्वाग्रह है। परन्तु यह दृष्टिगोचर नहीं है। ऐसा केवल केन्द्रीय सरकार की सेवाओं में ही नहीं है। ऐसा सरकारी क्षेत्र के उद्यमों, बैंकों तथा राज्य सरकारों में और भी अधिक है। अनुसूचित जातियों और जनजातियों को किसी न किसी बहाने से वंचित रखने वाली इस व्यवस्था के विरुद्ध विद्रोह करने का समय आ गया है। मैं आपके प्रश्न का जवाब दे रहा हूं। आपने कहा कि यह अप्रासंगिक प्रयास है। मैं इसका प्रतिवाद करता हूं। यह अप्रासंगिक प्रयास नहीं है। यह किताबी कार्यवाही नहीं है। यह ज्वलंत समस्या है। यह गम्भीर समस्या है, यह ऐसी समस्या है, जिसके लिए हमें शर्म आनी चाहिए। हमें इससे दिखावटी परिवर्तनों, अनुनय तथा अपील से नहीं निपटना चाहिए— मैं मानता हूँ कि ये सब भी आवश्यक हैं, परन्तु हमें प्रशासनिक सेवाओं में भर्ती के लिये समूची प्रक्रिया में परिवर्तन करना चाहिए। यही कारण है कि हमने अनारक्षण पर तुरन्त रोक लगा दी है। हमारे विचार से समूह 'क' में स्थिति गम्भीर है। हमने इस अधिकार को अपने पास रखा है। उसे अब कार्मिक मन्त्रालय में केन्द्रित कर दिया गया है तथा प्रधान मन्त्री उसके प्रभारी मन्त्री हैं और जब तक हम पूरी तरह संतुष्ट नहीं हो जायेंगे कि उस पद के लिए अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का कोई भी उपयुक्त उम्मीदवार नहीं मिला है तब तक हम समूह 'क' में भी अनारक्षण की अनुमति नहीं देंगे।

समूह 'घ' 'ग' और 'ख' के बारे में मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि हम इस तर्क को नहीं मानते। हम इस तर्क को अस्वीकार करते हैं कि आपको समूह 'ख' 'ग' और 'घ' के रिक्त स्थानों को भरने के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उपयुक्त व्यक्ति नहीं मिले हैं। इसलिए इन रिक्त स्थानों को भर्ती नियमों के अनुरूप भरने के लिए हमें सरकार के ऐसे प्रत्येक विभाग, प्रत्येक मन्त्रालय, प्रत्येक सचिव और प्रत्येक अधिकारी द्वारा जिन्हें भर्ती के लिए उत्तरदायी ठहराया गया है, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारी का हर संभव रूप से पता लगाने की आवश्यकता होगी।

इस संबंध में मैं एक महत्वपूर्ण घोषणा करना चाहता हूँ। सरकार ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए नियत रिक्त स्थानों की बकाया संख्या को पूरा करने के लिए विशेष भर्ती अभियान चलाने का फैसला किया है।

2.00 म० प०

> 'प्रधान मन्त्री ने निर्देश दिया है कि सरकार के कार्यक्षेत्र में ऐसे जितने रिक्त स्थान हैं, उनके लिए संबंधित मन्त्रालय और विभाग 1 जून, 1989 को विशेष भर्ती शुरू करें और यह प्रक्रिया तीन महीनों अर्थात् 31 अगस्त 1989 तक पूरी कर दें। जो रिक्त स्थान संघ लोक सेवा आयोग द्वारा भरे जायेंगे, उसके लिए मैंने कल प्रधानमन्त्री के निर्देश के सन्दर्भ में लिखा है कि रिक्त स्थानों की बकाया संख्या को इन्हीं तीन महीनों की अवधि अर्थात 1 जून, 1989 से 31 अगस्त, 1989 तक पूरा कर दें।"

मैंने संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष से विचार विमर्श किया तो वह भी भर्ती प्रक्रिया को तेज करने के लिए सहमत हो गए ताकि इसके संबंध में सरकार की नीति क्रियान्वित की जा सके और 31 अगस्त, 1989 से पहले इस कार्य को पूरा किया जा सके।

> "रिक्त स्थानों की इस बकाया संख्या के पूरा होने से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के समुदायों की काफी हद तक आकांक्षायें पूरी हो सकेंगी।"

श्री शाहबुद्दीन और डा० राजहंस ने पूछा था कि इस नीति को कब तक जारी रखा जायेगा। हमारा जवाब बहुत स्पष्ट है कि जब तक अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के प्रति भेदभाव समाप्त नहीं होगा और उनका पिछड़ापन दूर नहीं हो जायेगा, तब तक इसे जारी रखा जायेगा। हमें इस निर्णय को लेने में कोई परेशानी नहीं है। किसी राष्ट्र के लिये 40 वर्ष कोई लम्बा समय नहीं होता। स्वतन्त्रता के 200 वर्षों बाद भी अमेरिका से अश्वेतों के लिये सकारात्मक कार्यक्रम शुरू करने पड़े हैं। हम अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को रोजगार में विशेष आरक्षण देने वाले इन उपायों को तब तक लागू करेंगे जब तक सरकार और संसद यह अनुभव करेगी कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के प्रति भेदभाव किया जा रहा है और पिछड़ेपन के कारण वे तरक्की नहीं कर पा रहे हैं।

श्री तरुण कांति घोष और अन्य सदस्यों ने प्रशिक्षण के बारे में पूछा है। हमने समीक्षा-पूर्व 96 प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किये गये हैं। मैंने माननीय सदस्यों की यह टिप्पणी नोट कर ली है कि इन प्रशिक्षण केन्द्रों में प्रवेश के लिए आयु सीमा बढ़ाई जानी चाहिए। मैं यह कल्याण मन्त्री को बता दूंगा और देखूंगा कि क्या किया जा सकता है।

[श्री पी० चिदम्बरम]

जहां तक ऐसे उम्मीदवारों के प्रशिक्षण का संबंध है, मेरे पास कल्याण मन्त्रालय का वह पत्र है जिसमें बताया गया है कि वर्ष 1986 और 1987 के दौरान विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के क्रमशः 5,525 और 7,398 उम्मीदवारों को प्रशिक्षण दिया गया। यह पर्याप्त नहीं है। मैंने मानव संसाधन विकास मन्त्री को लिखा है और यह सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहा हूँ कि ऐसे प्रशिक्षण केन्द्र और अधिक संख्या में स्थापित किये जायें तथा अनुसुचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के और अधिक उम्मीदवारों को इन प्रशिक्षण केन्द्रों में प्रवेश दिया जाए।

एक प्रश्न पूछा गया कि पदोन्नति में अनारक्षण क्यों नहीं किया जाता है। हमने इसकी जांच की है। पदोन्नति में अनारक्षण की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि पदोन्नति मूल संवर्ग से होती है। पदोन्नति के विचारार्थ तथा व्यक्तियों को रोजगार के अधिक अवसर प्रादन करने के बारे में हमने सख्त नियम बनाये हैं। हम जानते हैं कि इस आरक्षण के क्षेत्र के अन्तर्गत कौन आता है और आरक्षण के क्षेत्र के साथ वास्तव में बहुत कम तब्दीली या हेराफेरी कर सकते हैं। जब तक हम जानते हैं कि आरक्षण के क्षेत्र के अन्तर्गत अनुसूचित जाति/जनजाति के उम्मीदवार हैं, कोई यह नहीं कह सकता कि उन पदों के लिए प्रशिक्षित उम्मीदवार नहीं हैं इसलिए उनका आरक्षण समाप्त कर दिया जाए। आज, पदोन्नति की रिक्तियों में आरक्षण समाप्त करने की शक्ति मन्त्रालयों और विभागों को दी गई हैं। लेकिन हम स्थिति पर निगरानी रख रहे हैं। यदि हमें लगा कि इस शक्ति का दुरुपयोग हो रहा है और यदि तीन महीने के अवधि में बकाया रिक्तियों को भरा नहीं जाता है तो हम इस शक्ति को एक मन्त्रालय में केन्द्रित करने पर विचार कर सकते हैं। लेकिन मैं नहीं समझता कि ऐसी स्थति उत्पन्न होगी। प्रधान मन्त्री ने अत्यन्त स्पष्ट निर्देश दिया है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि तीन महीने के अन्दर डी पी सी की बैठक बुलाई जाएगी और 31 अगस्त, 1989 से पहले ही पदोन्नति के कोटे में अनुसूचित जाति/जनजाति की बकाया पड़ी रिक्तियां भर दी जायेगी।

किसी सदस्य ने कहा था कि हमने अभी तक अनुसूचित जाति/जनजाति से सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में निदेशक नियुक्त नहीं किए हैं। मुझे सभा को यह सूचित करते हुए अत्यन्त खुशी है कि हमने यह प्रक्रिया अभी शुरू की है और अनुसूचित जाति/जनजाति से सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के बोर्ड में सरकारी तथा गैर-सरकारी निदेशक नियुक्त करने के लिये कुछ नामों के अनुमोदन का कार्य अन्तिम चरणों में है।

अन्त में, मैं यह कहना चाहूंगा कि इस बारे में यह कहा गया था कि यह एक चुनावी पैंतरेबाजी है। मैं समझता हूं कि यह बात श्री तम्पन थामस ने ही कही थी। यह मुद्दा किसी अन्य सदस्य ने नहीं उठाया, इसलिए मैं समझता हूँ कि श्री तम्पन थामस की इस बात को रद्द करने में हर व्यक्ति मेरे साथ है। लेकिन मैं श्री तम्पन थामस को यह बताना चाहता हूँ कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षण का मुद्दा 7 अक्टूबर 1985 को कार्मिक मन्त्रालय में मेरे आने से ही दिमाग में है। जहां तक आरक्षण समाप्त करने पर रोक लगाने का सम्बन्ध है, स्वयं मेरे मन्त्रालय में मैंने आंकड़ों का अध्ययन करने के बाद 10 जून 1988 को यह निर्णय लिया कि हमें आरक्षण समाप्त करने पर रोक का प्रस्ताव करना चाहिए जो किसी के भी चुनावों के बारे में सोचने से बहुत पहले था। 22 अगस्त, 1988 को प्रधान मन्त्री को एक

मन्त्रिमण्डलीय पत्र दिया गया। प्रधान मन्त्री ने 29 सितम्बर, 1988 को अनुमोदन कर दिया। इस मामले पर विचार करने के लिए हमने संसद के सदस्यों की एक समिति गठित की थी। दिसम्बर 1988 में उनकी रिपोर्ट आई। एक जनवरी 1989 को हमने अपने विचारों को अन्तिम रूप दिया। जनवरी, 1989 के अन्त में संसोधित मन्त्रिमण्डलीय पत्र प्रधान मन्त्री को भेजा गया और प्रधानमन्त्री ने फरवरी 1989 में इसे अनुमोदित कर दिया। इस प्रकार इसे चुनावी पैंतरेबाजी नहीं कहा जा सकता। हमने मामले पर गम्भीरता पूर्वक विचार किया है और ध्यानपूर्वक विचार करने तथा माननीय सदस्यों के विचारों को ध्यान में रखते हुए हमने आरक्षण समाप्त करने पर रोक लगाने का यह साहसिक कदम उठाया है। यह पिछली सरकार के सम्मुख था लेकिन इस पिछली सरकार ने कार्यवाही नहीं की।

अन्त में, मैं एक अत्यन्त महत्वपूर्ण घोषणा करना चाहूंगा।

श्री तम्पन थामस : महोदय, मैंने दूसरा मुद्दा उठाया है जो कि धर्म परिवर्तन करने वाले लोगों और उनकी दशा के बारे में है। मैं माननीय मन्त्री से यह जानना चाहता हूँ कि इस मामले में उनकी नीति क्या है।

श्री पी० चिदम्बरम : महोदय, श्री थामस, एक वकील होते हुए उत्तर जानते हैं लेकिन फिर भी वह मुझसे यह उत्तर जानना चाहते हैं। मुझे उन्हें बताने में कोई आपत्ति नहीं है। यह इस वाद-विवाद के क्षेत्र के अन्तर्गत नहीं है। इस पर संवैधानिक रोक है। संविधान केवल हिन्दुओं और सिखों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को मान्यता देता है। यह संवैधानिक व्यवस्था है। इस मुद्दे का उत्तर मेरे पास उपलब्ध थोड़े से समय में नहीं दिया जा सकता। यह एक व्यापक प्रश्न है। धर्म परिवर्तन करने वाले लोगों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को मान्यता देने के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। श्री थामस इससे अच्छी तरह अवगत हैं। उन्हें यह मुद्दा उपयुक्त समय पर उठाना चाहिए मुझे विश्वास है कि सरकार इसका उपयुक्त उत्तर देगी।

महोदय, अन्त में मैं एक एक अन्य महत्वपूर्ण घोषणा करना चाहूंगा। यह एक मुख्य निर्णय है जो हमने प्रधान मन्त्री की अनुमति से लिया है। इस मामले पर भी मुझे काफी चिन्ता थी और इस पर मैंने अपनी पहली टिप्पणी 14 अक्टूबर 1986 को दर्ज की थी, तब मैंने देखा कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों का अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कोटे के अन्तर्गत एक विशिष्ट तरीके से, समावेश किया जा रहा था और मुझे लगा कि यह गलत है मैं कुछ राज्यों द्वारा अपनाई जा रही प्रथा को जानता हूँ। मुझे लगा कि केन्द्र सरकार में अपनाई जा रही प्रथा मेरे विचार के मुताबिक उचित नहीं थी। निःसन्देह हमारे तर्क की सत्यता को जानने के लिये हरेक को बाध्य करने में काफी समय लगा है। मुझे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आयुक्त के 25 वें प्रतिवेदन की सिफारिश संख्या 64 तथा 26 वें प्रतिवेदन की सिफारिश संख्या 78 का समर्थन प्राप्त है। मुझे प्रधान मन्त्री को धन्यवाद देना चाहिए। यह बात उनके ध्यान में लाई गई और इस विसंगति के बारे में बताया गया। उन्होंने संहर्ष इस मुद्दे पर गौर किया और कहा : "हां, आगे कार्यवाही कीजिए। ऐसा प्रतीत होता है कि विसंगति है।" इस विषय से निपट रहे पहले के सभी मन्त्री यही समझते थे कि यह प्रथा सही थी। लेकिन मेरा मत इससे

[श्री पी० चिदम्बरम]

भिन्न था। इसे इस स्थिति तक आने में काफी समय लगा है। लेकिन मुझे खुशी है कि मैं आज इस निर्णय की घोषणा करने में समर्थ हो सका हूँ। अभी तक सीधी भर्ती के अन्तर्गत, एक अनुसूचित जाति/जनजाति का उम्मीदवार अपनी स्वयं की योग्यता के आधार पर चुने जाने पर किसी कम मानक के बगैर ही अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति जो भी वह हो, आरक्षित रिक्त स्थान पर नियुक्त स्थान पर नियुक्त दिखाया जाता था। शेष रिक्त आरक्षित स्थानों को आरक्षण की योजना के मुताबिक बाकायदा चयन किये अनुसूचित जाति/जनजाति के उम्मीदवारों से भरा जाता था। यह प्रश्न उठाया गया कि क्या सामान्य उम्मीदवारों के साथ प्रतियोगिता में अपनी योग्यता के आधार पर चुने गये अनुसूचित जाति/जनजाति के उम्मीदवार को आरक्षित रिक्त स्थान पर समायोजित किया जा सकता है कुछ राज्यों में, ऐसे उम्मीदवारों को आरक्षित रिक्त स्थानों पर समायोजित नहीं किया जाता है लेकिन उन्हें सामान्य उम्मीदवारों के साथ योग्यता के आधार पर रखा जाता है।

मुझे सभा को यह सूचित करते हुए खुशी है कि प्रधानमन्त्री ने इस सम्बन्ध में नीति में परिवर्तन करने का फैसला किया है। अब के बाद, अनुसूचित जाति/जनजाति के जो उम्मीदवार योग्यता के आधार पर बिना किसी रियायत के प्रतियोगिता में सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के साथ चुने जाते हैं, उन्हें आरक्षित रिक्त स्थानों पर समायोजित नहीं किया जाएगा। योग्यता सूची में उनका स्थान सामान्य उम्मीदवारों के साथ ही होगा। अनुसूचित जाति/जन जाति के लिये आरक्षित रिक्त स्थानों को आरक्षण की योजना के अनुसार अलग से अनुसूचित जाति/जनजाति समुदायों में से उपयुक्त उम्मीदवार चुनकर भरा जाएगा। यह नीति इस बात को मान्यता देने के उद्देश्य से लाई गई है कि अनुसूचित जाति/जनजाति के उम्मीदवारों में ऐसे उम्मीदवार भी होते हैं जो अपनी योग्यता के आधार पर चुने जाते हैं, इसलिए उन्हें अनुसूचित जाति/जनजाति समुदायों के लिये आरक्षित किसी भी रिक्त स्थान को भरा हुआ नहीं दिखाया जा सकता। इस उपाय से यह अपेक्षा की जाती है कि अन्ततः चुने गये ऐसे उम्मीदवारों की संख्या आरक्षण के प्रतिशत से अधिक होगी। मुझे विश्वास है कि सभा इस निर्णय का स्वागत करेगी।

अन्त में, मैं यह कह कर अपना भाषण समाप्त कर रहा हूं कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रति भेद भाव की इस बुराई के साथ हम हजारों वर्षों तक रहे हैं। आज भी लोगों में इन वर्गों के विरुद्ध सामाजिक भेद भाव जारी है। हमारी यह उम्मीद है कि एक दिन अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सभी लोग शिक्षा, अवसर तथा उन्नति के मामले में समानता का लाभ उठायेंगे ताकि हम निश्चित रूप से सैकड़ों वर्षों के भेद भाव की दुखद तथा दिल दहलाने वाली बातें भुला सकें। उस दिन के आने तक सरकार में हम अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में सुरक्षात्मक अन्तर रखने तथा सकारात्मक कदम उठाने के प्रति वचनबद्ध है। (व्यवधान)।

श्री जी० बी० पाटिल : मण्डल आयोग के बारे में क्या कहना है ?

श्री पी० चिदम्बरम : आज का यह विषय नहीं है।

2.12 म० प०

(दो) महिलाओं पर अत्याचार

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा महिलाओं पर अत्यचार के सम्बन्ध में चर्चा करेगी।

[हिन्दी]

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया (संगरूर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं महिलाओं पर अत्याचारों के विषय पर इस का ध्यान खींचना चाहता हूं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय, मैं देख रहा हूं कि समाज कल्याण मन्त्री यहां उपस्थित नहीं हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : गृह मन्त्री ध्यान में रखेंगे और शीला जी भी यहां हैं।

(व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला दीक्षित) : मैं तो उनमें से एक हूँ जिन पर अत्याचार होते हैं।

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : वह महिलाओं का प्रतिनिधित्व करती हैं और मैं अत्याचारों का।

[हिन्दी]

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया : शीला बहन इतनी मेहरबान हैं कि अट्ठासिटीज की बात देखना तो क्या उनके बारे में हम सुन भी नहीं सकते।

उपाध्यक्ष महोदय, इस गम्भीर विषय को सदन के सामने उठाने का मुझे मौका मिला है, मैं अपने आपको खुशकिस्मत समझता हूँ। महिलाओं के खिलाफ जो अत्याचार होते हैं, बहुत अफसोस की बात है कि जिस भारत वर्ष में सीता माता की पूजा होती हो, महाभारत में उच्चतम इखलाक दिखाने के लिये जिस माता की बात की गई हो, जहां बड़ी बड़ी योद्धा बहनें पैदा हुई हों, जहां स्वतन्त्रता संग्राम में झांसी की रानी लक्ष्मी बाई पैदा हुई हो, भारत वर्ष का कायाकल्प करने वाली बड़ी-बड़ी महिलाओं का जहां जिक्र हो, वहां पर यह बहुत अफसोस की बात है। जिस भारत वर्ष में गुरुग्रंथ साब में गुरूनानक देव जी ने यह कहा है—

इस क्यों मन्दा आखिए, जिस जमे राजान।

वह मां जिसने राजाओं को जन्म दिया हो, भक्तों को जन्म दिया हो, उसको मन्दा क्यों कहा जाए, बहुत अफसोस की बात है कि इस देश में महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं।

मैं यहां जिक्र करना चाहता हूं :

[अनुवाद]

श्री एच. बी. पाटिल के एक प्रश्न के लिखित उत्तर में श्री पी. चिदम्बरम ने कहा था कि, 1986 में बलात्कारों के मामलों की संख्या 7308 थी जो 1988 में बढ़कर 12036 हो गई है।

[श्री बलवन्तसिंह रामवालिया]

[हिन्दी]

चिदम्बरम साहब का यह स्टेटमेंट है कि वह ज्यादा हुए हैं। मैं समझता हूं औरतों पर जो जुल्म होते हैं, वे दिल दहला देने वाले हैं। बिहार में जहानाबाद का जिक्र है :

[अनुवाद]

हमलावरों ने बन्दूक की नोंक पर महिलाओं के साथ अनेक बार बलात्कार किया। प्रतिरोध करने का प्रयास करने वालों को पीटा गया। इस भयानक अपराध के बाद बदमाशों ने गरीब मजदूरों का नकदी तथा समान लूट लिया। वे हवा में गोली चलाते हुए तिताई बीघा गांव की तरफ चले गए। बदमाशों को रोकने का प्रयास करने वाले भट्टे के चौकीदार मुस्तीचक के हरदेव यादव को मार डाला गया।

[हिन्दी]

यह पोजीशन है कि डी. आई. जी. और पुलिस वालों ने कोई मदद नहीं की। सरकार के पास कानून है और लोगों की दी हुई ताकत, बहुत बड़ी शक्ति सरकार के पास है। सरकार में महिला मन्त्री हैं, आफिअर्स भी बहनें हैं, लेजिस्लेचर में भी बहनें हैं और हम सारी दुनियां में महिलाओं की हिफाजत के लिए जाने जाते हैं। हमारी मान्यता है कि हम महिलाओं की हिफाजत करते हैं। इसके बावजूद इतना जुल्म इस देश में महिलाओं और बहनों पर हो तो इससे ज्यादा बदकिस्मत और शर्म की बात और कोई नहीं हो सकती। भारत में हम स्त्री जाति के लिए अपना सिर इज्जत से झुकाते हैं। महिलाओं का रोल क्या है। जब छोटी बच्ची होती है तो भाई के लिए आशीर्वाद मांगती है, जब युवा होती है तो पति के लिए आशीर्वाद मांगती और जब मां बनती है तो इन्सानियत को जिन्दा रखने के लिए अपने शरीर की कुर्बानी देती है। इसके बावजूद डाउरी की वजह से, बहनों की कमजोरी और गरीबी का नाजायज फायदा उठाकर जिस जुल्म के वातावरण से हम गुजर रहे हैं, उस संबंध में कुछ जिक्र करना चाहता हूं :

[अनुवाद]

महिलाओं के विरुद्ध होने वाले 75% अपराध पुलिस तथा समाज विरोधी तत्वों द्वारा किये जाते हैं। राजनैतिक शक्तियां भी इनका बचाव करती हैं।

[हिन्दी]

इन बातों को मन्त्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूँ। राजनीतिक लोग उन लोगों की रक्षा करते हैं जो उन पर जुल्म करते हैं। यह चीज हमारी देश की परम्पराओं, हमारे देश के गौरव और प्रसिद्धी के खिलाफ हैं। महिलाओं पर अत्याचार होते हैं, मर्डर होते हैं, इलीगल डिटेंशन होते है, रेप होते है, सेक्सुअल मिसयूज होता है, फिजिकल हैरासमैंट होता है, यही नहीं प्रेगनेंट मदर्स और नर्सिंग मदर्स के खिलाफ भी जुल्म की बातें देश में चल रही हैं। मैं सदन को बताना चाहता हूँ कि विज्ञापनों के जरिये महिलाओं के चित्रों का प्रयोग किया जाता है वह भी स्त्री जाति की मान्यताओं और उसका रिसपेक्ट के खिलाफ जुल्म है। क्या साबुन की फरोख्त के लिए, तेल की फरोख्त के लिए दुकानदारी चलाने के लिए, क्या मुनाफा कमाने के लिये हम इस देश की पवित्र

इज्जत और इन्सानियत का गौरव महिलाओं और बहिनों के चित्रों को नुमाइश होने देंगे। इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। जुल्म कहां पर नहीं है। छोटे-छोटे काम धंधों में लगी महिलाओं का शोषण होता है और उनके स्वाभिमान का शोषण होने की भी दास्तानें हैं। सती प्रथा को मैं बार्बरिक मर्डर्स आफ वूमिन्स मानता हूँ। इस महान देश को परम्पराओं में सती जैसी गुनाहगार चीज कभी नहीं होनी चाहिए। कुछ लुटेरा लोगों ने जो समाज के मालिक थे, उन्होंने यह प्रथा चलाई। जब पति की मृत्यु होगी तो युवा महिला को गहने पहनाकर, सुहाग बिन्दी लगाकर आग में छलांग लगानी होगी। उनका ख्याल रहा होगा कि सड़ जल जायेगी तो वह उसकी राख से सोने के गहने बाहर निकाल लेंगे। यह भी लूट का तरीका है। सरकार इस पर ध्यान दे।

[अनुवाद]

पुलिस को सूचित की गई दहेज के कारण मौतें 1985 में 999 से बढ़कर 1987 में 1787 हो गईं।

[हिन्दी]

गुजरात में दहेज के कारण मृत्यु हो रही हैं। मैं सदन के द्वारा देश को बताना चाहता हूं कि दहेज प्रथा के कारण गरीब लोगों की महिलायें ही नहीं मरी हैं, बल्कि अमीरों ने भी ऐसी जलालत की है।

श्री वीर सेन (खुर्जा) : अमीर ही मारते हैं, गरीब नहीं मारता है।

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया : ठीक बात है।

[अनुवाद]

गोरखपुर विश्वविद्यालय के श्री डी. पी. सक्सेना ने कहा कि भारत में दहेज प्रथा प्राचीन प्रथा नहीं है। लेकिन दहेज के झगड़ों की घटनायें और फिर इनसे होने वाली घरेलू हिंसा और महिलाओं की मृत्यु अपेक्षाकृत शहरी मध्यम तथा निम्न मध्यम श्रेणी में बढ़ी हैं। एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि दहेज की शिकार आमतौर पर परम्परावादी उच्च जाति के परिवारों में हैं, जो जाति के अन्दर ही विवाह करने की प्रथा का पालन करते हैं तथा दहेज के कारण हुई मृत्यु में अधिकांश अर्थात 60% ब्राह्मणों में, 20% वैष्णव समुदाय में, 20% क्षत्रियों में तथा अनुसूचित जातियों में 0% थी।

[हिन्दी]

इसलिए सर पोजीशन यह है। यहां मैं एक बात और कहना चाहता हूं। केरल यूनिवर्सिटी के मिस्टर जे. वर्गीस ने एक स्टडी की है, जिसके आधार पर उनका कहना है कि :

[अनुवाद]

भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी, केन्द्रीय सेवाओं के अधिकारी, चिकित्सक तथा चार्टर्ड एकाउंटेंटों के विवाह का बाजार में सबसे अधिक मूल्य है।

[हिन्दी]

श्रीमती विभा घोष गोस्वामी (नवद्वीप) : सिर्फ गवर्नमेंट एम्पलायमेंट में ही ऐसी स्थिति है, दूसरी जगह नहीं ।

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया : मैं यही बताना चाहता हूं कि ये लोग सरकारी पोजीशन पर रहते हुए तो हाइयैस्ट सैलरी लेते ही हैं, शादी के समय भी इनकी कीमत हाइयैस्ट होती है, समाज में भी ये लोग डंडे के जोर से इज्जत हाइयैस्ट प्राप्त कर लेते हैं । यह पोजीशन है । हमारे यहां एक बहुत मशहूर गायिका है नरिन्दर बीबी, उनकी लड़की को भी उनके दामाद ने जलाकर मार दिया । दामाद भी एम. बी. बी. एस. था और लड़की भी एम.बी.बी.एस. थी, इसके बावजूद जला दिया । जब हमारे समाज की पोजीशन ऐसी है तो यह देखने की बात है कि यहां हम जिन अधिकारों की बात करते हैं, उन अधिकारों को कैसे दिलायें ।

[अनुवाद]

केन्द्रीय गृह मन्त्रालय के विरुद्ध अपराधों में वृद्धि के संबंध में अनेक परिपत्र जारी किए हैं, दुर्भाग्य से केवल कानून तथा परिपत्र समस्या का समाधान नहीं कर सकते ।

[हिन्दी]

इसलिए कानून अब भी बहुत से बने हुए हैं, यहां से आर्डर भी समय-समय पर जाते रहते हैं फिर भी इस समस्या का समाधान क्यों नही हो पाता, यह विचार करने का प्रश्न है । आज महिलाओं की स्थिति हमारे समाज में क्या है । महिलाओं पर अत्याचार इसलिए होते हैं, जो बुनियादी कारण मेरे दिमाग में आया है, मैं उसे सदन के सामने रखना चाहता हूँ, कि जुल्म करने वालों को किसी का भय नहीं रह गया है । होली फैस्टिवल पर 1988 में लगभग 200 गुण्डों ने दिल्ली के सेंट स्टीफन कालेज और हिन्दू कालेज की सैकड़ों लड़कियों को मोलैस्ट किया, लेकिन आज तक किसी को सजा नहीं मिली । वैसे ही दिल्ली के राइटस में भी हुआ । यदि किसी को सजा हुई हो तो आप बताइये । जब भी देश में कहां राइटस होते हैं तो उसका सबसे ज्यादा शिकार औरतें ही होती हैं । दिल्ली में नवम्बर, 1984 में जो राइटस हुए थे, उसकी वजह से 2200 के लगभग सिक्ख विडोज हुई लेकिन आज तक 200 के अतिरिक्त किसी का कुछ नहीं मिला, किसी ने उनके लिए पहल नहीं की । पंजाब पुलिस की कहानी रोज अखबारों में आती है, बटाला की स्टोरीज आती है कि पंजाब पुलिस महिलाओं पर अत्याचार कर रही है, उन पर यह आरोप लगाया जाता है कि वे टैररिस्टस को पनाह देती हैं । क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि यदि दस टैररिस्टस ए. के. 47 राइफल लेकर रात को खेतों में सोई महिलाओं से आकर कहें कि हमारे लिए खाना बनाओ तो गोली के सामने क्या वे खाना बनाने से इन्कार कर देंगी । इसलिए आप हर चीज को ध्यान में रखते हुए रैशनल बनिये । अत्याचार के मामले में आज 18 से 25 वर्ष तक की महिलाओं की स्थिति सबसे ज्यादा नाजुक है, उन पर बहुत अत्याचार होते हैं, लगभग 80 परसेंट डौरी डैथ्स 18 से 25 वर्ष तक की आयु की महिलाओं की होती है, शेष 20 परसेंट में 35 साल तक की आयु की महिलायें आती हैं । मेरे सामने एक बहुत ही अच्छी चीज आयी है कि इन्टर-कास्ट मैरेजेज में डोरी डैथ्स बिलकुल नहीं होती । मैं समझता हूं कि हमें इन्टर-कास्ट मैरेजेज को बढ़ावा देना चाहिए ताकि इस समस्या का अन्त हो सके । एक बात और कहना चाहता

हूँ कि कुछ अंग्रेजी पढ़ी-लिखी महिलायें, अंग्रेजी बोलने वाली बहनों या कुछ बड़े ओहदों पर तैनात बहनों की सुरक्षा करने का केवल दायित्व सोपायटी का नहीं है। इस सोसायटी का फर्ज उन अनपढ़ गांवों में रहने वाली गरीब और शहरों में रहने वाली गरीब बहिनों की सोसायटी में हुकूमत की सुरक्षा करना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और बहुत बड़ा फर्ज है।

सर, मैं कहना चाहता हूँ कि हम आखिर करें क्या। मैं 5-6 सुझाव देना चाहता हूं। मेरा पहला सुझाव यह है कि डाबरी डैथ और एट्रोसिटीज ऑन विमून और बहनों के खिलाफ अत्याचार किसी किस्म का हो, उसके लिए पहले इन्डीपेंडेंट अथॉरिटी होनी चाहिए, जो उसके मुकदमे की पैरवी करे, इन्क्वायरी करे, गिरफ्तारी करे। पुलिस प्रॉसीक्यूशन अथॉरिटी इन्डीपेंडेंट हो जिसको अख्तियाराज हों और साथ ही समरी ट्रायल स्पेशल कोर्ट्स में हों। चाहे वे रेप के केस हैं, मोलेस्टेशन के केस हैं, डाबरी डेथ के केस हैं। नम्बर दो-बहुत से लोग और शादी करने के लिए पहली पत्नी को जलील करने के लिए, धर्म बदल लेते हैं, मुसलमान बन जाते हैं। बहुत से केस ऐसे हैं जिनमें धर्म बदलने के काम सिर्फ इसलिए हुये हैं कि उनको दूसरी शादी करनी है।

[अनुवाद]

मुस्लिम निजी कानून के अन्तर्गत दूसरा विवाह अपराध नहीं माना जाता है लेकिन धर्म बदलकर किए गए विवाह को तब तक न्यायालय में वैध नहीं ठहराया जाए जब तक कि पति ने अपनी पहली पत्नी को तलाक न दे दिया हो। दिल्ली की जामा मस्जिद के शाही इमाम जैसे महत्वपूर्ण व्यक्ति ने कहा है कि वह ऐसे हिन्दू को इस्लाम में परिवर्तित नहीं करेंगे जिसका मुस्लिम बनने का उद्देश्य दूसरा विवाह करना है।

[हिन्दी]

इसमें भी आपको बहुत से केस मिलेंगे और ये केस पढ़े-लिखे लोगों में ज्यादा हो रहे हैं। दूसरी शादी करने के लिए इजी जो रास्ता निकाला गया है वह धर्म बदलना निकाला गया है।

तीसरा सुझाव सर, मैं यह देता हूं कि जो विकटिम है, जिस पर जुल्म हुआ है और जिसने जुल्म किया है, एट्रोसिटीज की है, उसके खिलाफ (ए) सरकार डेमेज का मुकदमा करे, 5 लाख 10 लाख तक, जितना हो सकता है विक्टिम की मदद के लिये (बी) भारी जुर्माना। पंजाब हाईकोर्ट के एक चीफ जस्टिस ने गाइड लाइनें दी है लोअर कोर्ट को, उसको गौर से देखा जाए; भारी जुर्माना इन एडीशन टू सजा, जो सजा देनी है, उस सजा के अलावा भारी जुर्माना किया जाए और उस भारी जुर्माने की ज्यादातर रकम विक्टिम को चली जाए।

चौथा सुझाव, मैं पूछता हूं कि आज तक कोई एक आफीसर का नाम बताया जाए, सरकार बताए, जिस आफीसर को इसलिए अवार्ड दिया हो कि उसने अपने जिले में डाउरी डैथ, एट्रोसिटीज ऑन विमेन, इसके बारे में बहुत अच्छा काम किया हो और उस काम से उस जिले के, इलाके के, तहसील के, सबडिवीजन के लोगों की बहुत इज्जत बढ़ी और ठोस उदाहरण हो जिसमें जुल्म के पंजे से छुड़ाया हो, आज तक एक भी ऐसा अवार्ड नहीं दिया गया है। बल्कि इसके विपरीत जिन आफीसरों ने कुछ ऐसे कदम उठाये हैं, जुल्म को रोकने के, उनको समय पूरा होने से पहले तब्दील कर दिया गया। इसलिए मेरी राय यह है कि एक ऐसा तरीका अख्तियार किया जाए जिसके अन्तर्गत हम ऐसे आफीसरों को शाबाशी दें, बहादुरी का इनाम दें, उनको प्रोत्साहन दें, जो लोग ऐसा काम करें।

[श्री बलवन्तसिंह रामूवालिया]

डाउरी डैथ के बारे में, मान लीजिए लड़की की शादी हो गई है और ससुराल वाले डाउरी मांग रहे हैं, तो वह लड़की एक चिट्ठी भी लिख दें तो उसका रिकार्ड शुरू हो जाना चाहिए। पुलिस आफीसर थाने का जिम्मेदार हो कि पहली चिट्ठी आने के बाद उसको रिकार्ड करे। पहली दफे दहेज मांगते हैं, दूसरी दफे कुछ और तीसरी दफे मौत पर पहुंचते हैं। इससिए डाउरी डैथ्स के लिए पुलिस स्टेशन वालों को पहली शिकायत, दूसरी शिकायत, तीसरी शिकायत को फाइल बनाकर रखना चाहिए ताकि विटनैस के तौर पर वह पेश हो सके। फैमिली के मैम्बरों को टैरिस्ट्स एक्टिविटीज में जितने भी 18 बरस के ऊपर के मैम्बर हैं जो अपनी बहू को डाटर-इन-ला को मार देते हैं, उनको हार्बरिंग दी क्रिमिनल्स मान लिया जाए। मदर-इन-ला डाटर-इन ला मारती है तो उसके लिये फैमिली मैम्बर को 2, 2 और 3, 3 बरस टैरिस्टस एक्ट में कैद किया जाये इसके बगैर यह नहीं रुकेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

कुमारी ममता बनर्जी (जादवपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री रामूवालिया को बधाई देना चाहती हूं जिन्होंने इस महान सदन में यह चर्चा उठायी है।

हमें भारतीय महिलाओं पर गर्व है जिन्होंने इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है अगर आप प्राचीन भारतीय इतिहास को पढ़ें तो आप पाएंगे कि भारतीय महिलाओं जैसे सीता, सावित्री, दयमन्ती खाना लीलावती, सती अरुन्धती तथा अन्य महिलाओं ने अमिट छाप छोड़ी है। अगर, आप मध्य-कालीन इतिहास को देखें तो जहां आरा बेगम, रोशन आरा बेगम, नूरजहां बेगम और अन्य प्रसिद्ध महिलाओं ने महान भूमिका निभायी हैं, हमारे वर्तमान इतिहास में अगर आप देखें तो कमला नेहरू, बसन्ती देवी, मातांग्नी हाजरा और इन्दिरा गांधी ने महान भूमिका निभायी है। हमें स्वर्गीय प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी पर बहुत गर्व है, जिन्होंने देश के लिये अपने जीवन का बलिदान कर दिया।

महोदय, भारत में पिछड़े नागरिकों में सबसे बड़ा वर्ग महिलाओं का है। यह सच है कि महिलाओं पर दिन प्रतिदिन अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। कभी दहेज के कारण, कभी मारपीट के कारण, कभी बलात्कार के कारण और कभी अन्य प्रकार से उन पर अत्याचार होते हैं। हमारे प्रधान मन्त्री, श्री राजीव गांधी, महिलाओं को ऊपर उठाने का भरसक प्रयास कर रहे हैं। वह महिलाओं के अधिकारों के बारे में गम्भीरता से सोचते हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि अगर महिलायें पीछे रह जाती हैं तो 21वीं सदी की ओर अग्रसर हमारे कदमों को धक्का लगेगा।

आज हम वास्तविकता में क्या देखते हैं, यह सच है कि राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय महिलाओं का जीवन सुरक्षित नहीं है। मैं जानती हूं क्योंकि राजनीतिक क्षेत्र में मेरा अपना यही अनुभव रहा है। जो महिलाएं प्रशासनिक क्षेत्र में हैं उनका जीवन भी सुरक्षित नहीं है। मैं निम्न मध्यवर्ग और अनपढ़ लोगों पर आरोप नहीं लगा रही हूं लेकिन तथ्य यह है कि महिलाओं पर अत्याचार सम्पन्न और पढ़े लिखे लोगों, प्रशासन और उच्च अधिकारियों द्वारा किए जाते हैं। इस लिए, मैं उन लोगों की घोर भर्त्सना करती हूं जो महिलाओं का शोषण करते हैं। इसे तुरन्त समाप्त किया जाना चाहिए।

क्योंकि समय सीमित है, इसलिए जिन मुद्दों पर श्री रामूवालिया पहले ही चर्चा कर चुके हैं मैं उन पर विस्तार में चर्चा नहीं करना चाहती।

मन्त्री महोदया, श्रीमती मारग्रेट अल्वा, जानती हैं कि इस सदन में पिछले सत्र में भी हमने किसी मुख्य मन्त्री के आवास पर उनकी पौत्र वधू, सुप्रिया की हत्या का मामला उठाया था। मैं इसलिए यह बता रही हूँ क्योंकि ऐसी बातें जिम्मेदार लोगों के यहां भी हुई हैं। सत्तापक्ष या विपक्ष का सवाल नहीं है। महोदय, मैं उचित कारण के लिए लड़ रही हूं। डा० फूलरेणू गुहा एक वरिष्ठ सांसद हैं। वह भूतपूर्व केन्द्रीय मन्त्री भी हैं। उनकी एक गम्भीर दुर्घटना हो गयी थी और जब वह हस्पताल गईं तो उन्हें अन्दर जाने की अनुमति नहीं दी गई। अगर यह अत्याचार नहीं है तो यह अन्याय है जो अत्याचार जैसा ही है।

सुश्री जयललिता के बारे में भी आप जानते हैं। उन्हें विधान सभा में कैसे अपमानित किया गया और उन पर हमला किया गया। आप उन परिस्थितियों को जानते हैं। जिनमें तमिलनाडु विधान सभा में विपक्ष के नेता का त्यागपत्र गैरकानूनी व अनधिकृत ढंग से पुलिस द्वारा तमिलनाडु के मुख्य मन्त्री के निर्देश पर जब्त किया गया था। उसके बाद पुलिस ने इस बात से इन्कार किया और पुलिस आयुक्त ने कहा कि यह जीरोक्स प्रतिलिपि थी और उन्हें मूल कापी नहीं मिली थी। महोदय, मेरे पास यह दस्तावेज है और मैं इसे अपने भाषण के बाद सभापटल पर रख सकती हूं। यह वास्तविक दस्तावेज है। यह पुलिस महाजन से प्राप्त दस्तावेज है। पुलिस ने लिखा है "नीले रंग का पैड जो सीलबन्द लिफाफे में था और जिसे अध्यक्ष को सम्बोधित किया गया था" मिला है जब इसे खोला गया तो इसमें 15.3.89 का सुश्री जयललिता, विधायक द्वारा लिखा गया पत्र था। यह वही पत्र है और अगर आप चाहते हैं तो मैं इसे सभा-पटल पर रख सकती हूं। मैं चुनौती दे सकती हूं कि अगर मेरी शिकायत उचित नहीं है तो कोई भी मेरे विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव ला सकता है। मैं मन्त्री जी से उक्त पुलिस आयुक्त को निलम्बित करने का अनुरोध करती हूँ। मैं जानना चाहती हूँ कि उस पुलिस आयुक्त ने इस तरह क्यों बताया था? यह दस्तावेज मैंने पुलिस फाइल से प्राप्त किया था। जब मैंने इसे वहां से प्राप्त किया है। तो वह कैसे कह सकते हैं कि उन्हें केवल जीरोक्स कापी ही प्राप्त हुई है? अतः मेरा अनुरोध है कि आपको उसे निलम्बित करना चाहिए। मैं तो यह कहूंगी कि पुलिस का इन अत्यचारों में हाथ है।

महोदय, मेरे पास एक समाचार पत्र है। यह हिन्दुस्तान टाइम्स या नेशनल हेराल्ड या टाइम्स ऑफ इण्डिया या स्टेटसमेन नहीं परन्तु इण्डियन एक्सप्रेस है। उन्होंने जयललिता के फोटो प्रकाशित किए हैं। उसे विधान सभा में कैसे अपमानित किया गया। मैं इस मुद्दे को किसी राजनीतिक कारण से नहीं उठा रही हूं। मैं इसे इसलिए उठा रही हूँ क्योंकि आप जानते हैं कि साड़ी औरत का गहना है। हमारी बंगला में कहते हैं "शाड़ी नारी का आभूषण है" अर्थात् साड़ी औरत का गहना है। लेकिन पी० डब्ल्यु० डी० मन्त्री ने कैसे (व्यवधान) उसने उसकी साड़ी कथित रूप से कैसे फाड़ी (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया, शान्त रहिए, शान्त रहिये।

एक माननीय सदस्य : महोदय क्या यह इस मुद्दे को उठाने का मंच है?

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया शान्त रहिये, शान्त रहिए। अपना स्थान ग्रहण कीजिये।

कुमारी ममता बनर्जी : महोदय, वह एक कलाकार है लेकिन वह एक लोक प्रतिनिधि भी है और कोई भी मन्त्री उसे उस तरह अपमानित नहीं कर सकता। प्रत्येक महिला का इस देश में आत्मसम्मान है। मन्त्री एक जिम्मेदार व्यक्ति होता है और वह किसी नारी की साड़ी नहीं फाड़ सकता। पी डब्ल्यु डी मन्त्री ने उसकी पिटाई की यह दलगत मामला नहीं है। मैं मानती हूँ कि मुख्य मन्त्री इससे कभी सहमत नहीं थे लेकिन उन्होंने इस बारे में कोई कार्रवाई नहीं की है। वह एक राजनीतिज्ञ है और यदि उनका जीवन सुरक्षित नहीं है और अगर उन्हें विधानसभा में बैठने की अनुमति भी नहीं दी गई है तो अन्य महिलाओं की क्या स्थिति होगी ? अगर अखिल भारतीय अन्ना द्रमुक की नेता जो एक नारी है, को सभा में जाने की अनुमति नही है तो अन्य महिलाओं की सुरक्षा का प्रश्न ही कहाँ उठता है। हमने सदन में कई बार महिलाओं पर होने वाले अत्याचार पर चर्चा की है।

इसलिए मैं मन्त्री जी से अनुरोध करूंगी, जो स्वयं एक महिला हैं, कि अखिल भारतीय अन्ना द्रमुक की नेता पर हुए इस हमले के बारे में जांच करे। आपको उचित कार्रवाई करनी चाहिए ताकि न केवल जयललिता बल्कि श्रीमती गोस्वामी, श्रीमती गुहा और अन्य महिलाओं को सुरक्षा प्रदान की सके। इसलिए मैं मन्त्री जी से अनुरोध करती हूँ कि इस देश की सभी महिलाओं के जीवन और सम्मान की रक्षा की जानी चाहिए।

दूसरे, मैं एक और महत्वपूर्ण मुद्दा उठाना चाहती हूं। हमने दहेज निषेध अधिनियम में 1984 में संशोधन किया था और 1986 में इसे और भी कठोर बनाया गया था। भारतीय दण्ड संहिता, दण्ड प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम में भी संशोधन किया गया था जिससे न केवल दहेज से होने वाली मौतों से निपटा जाये बल्कि महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों से भी निपटा जाये। यह सच है कि इस महान सदन ने कई कानून बनाए हैं लेकिन उन कानूनों का उचित क्रियान्वयन नहीं किया गया है। तथ्य यह है कि महिलाओं पर ज्यादातर अत्याचार उच्च वर्ग के परिवारों, न्यायधीशों के परिवारों, राजनीतिज्ञों के परिवारों और ऐसे ही परिवारों में किये जाते हैं। उनके प्रभाव के कारण लोगों को न्याय नहीं मिलता। इसलिए मैं कहूँगी "पैसे के बल पर कानून, न्याय और बेरिस्टरों को अपने हक में किया जा सकता है" इसीलिए, ये बातें हो रही हैं।

एक स्वीडिश महिला कलकत्ता आई थी। बी एस एफ के दो जवानों द्वारा उसके साथ बलात्कार किया गया। बिहार के गांव में पुलिस वालों ने स्त्रियों के साथ सामूहिक बलात्कार किया। मैं नहीं जानती ऐसी बातें क्यों हो रही हैं ? असम में भी बोडो आन्दोलन शुरू हो गया है। आप जानते हैं कि पुलिस महिलाओं को किस तरह यातनाएं दे रही है। यहाँ तक कि महिलाओं का जीवन सुरक्षित नहीं है। अतः यह स्थिति है। मैं मन्त्री जी से अनुरोध करती हूं कि देश में महिलाओं को उचित न्याय दिया जाये। जहाँ कहीं उचित न्याय नहीं दिया जाता; सरकार को आगे आना चाहिए और देखना चाहिए कि उन्हें उचित न्याय मिले।

अब मैं एक विशेष मामले का हवाला देना चाहती हूँ। एक महिला जिसका नाम श्रीमती सोमा चटर्जी था, की शादी 5.12.88 को हुई थी। उसके विवाह के चार महीनों बाद, मुझे उसके पिता से एक पत्र मिला कि उसकी हत्या हो गई है। उसका विवाह इलाहाबाद में हुआ था। पुलिस कहती है कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के अनुसार, उसने आत्महत्या की है। लेकिन जब उसके

पिता ने जोर डाला कि यह आत्महत्या का मामला नहीं है, बल्कि हत्या का मामला है तब दूसरी बार पोस्टमार्टम किया गया तब यह स्पष्ट हुआ कि वह हत्या का मामला है। अब क्या हुआ ? यह पता चला कि उसके पति ने उसकी हत्या की है। उसका नाम श्री राम चटर्जी है। चार दिनों बाद, उसके मामा की पहुँच के कारण जो शायद एक जज थे उसकी जमानत हो गई। अतः जो मैं कहना चाहती हूँ कि इस युवा महिला के विवाह के चार महीनों बाद उसकी हत्या की गई थी वह केवल 20 वर्ष की थी। जो बात मैं आपके ध्यान में लाना चाहती हूँ वह यह है कि अगर किसी अपराधी का रिश्तेदार जज हो या पुलिस में हो या सरकार उस मामले में शामिल हो तो उस व्यक्ति को उचित न्याय नहीं मिलेगा।

मैं मन्त्री जी से एक मंच बनाने का अनुरोध करूंगी जहाँ भारत सरकार सीधे ही मामले की जांच कर सके या भारत सरकार ऐसे लोगों के विरुद्ध कार्रवाई कर सकती हो। दहेज निषेध अधिनियम इस बात का उल्लेख है कि अगर किसी महिला की विवाह के सात वर्षों में हत्या की जाती है तो सरकार उसके ससुराल वालों को सजा दे सकती है।

यह कानून तो है, लेकिन इस कानून को ठीक प्रकार से क्रियान्वित नही किया जाता है।

मैंने राजस्थान के कांग्रेसी विधायक का यह मामला गत वर्ष भी उठाया था। एक कांग्रेसी विधायक ने अपनी चार बेटियों को मार डाला था। शिशु हत्या के कारण इस व्यक्ति को पार्टी से निकाल दिया जाना चाहिए। मेरा अभिप्राय कांग्रेस या कम्युनिस्ट पार्टी से नहीं है बल्कि यह एक चिन्ता का विषय है। महोदय, आप रिपोर्ट देख सकते हैं। विधायक होने के नाते, उन्हें एक जिम्मेदार व्यक्ति होना चाहिए। आप रिपोर्ट देखिये। इसकी पुष्टि होती है, "राजस्थान के विधायक के परिवार द्वारा शिशु हत्या"। यह क्या है ? **(व्यवधान)** आप हँसते क्यों हैं ? यह एक गम्भीर मामला है।

एक माननीय सदस्य : यह एक गम्भीर मामला है।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में युवा कार्य और खेल तथा महिला और बाल विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट अल्वा) : यह मामला लड़कियों की हत्या से सम्बन्धित है, इसलिए ये हँस रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया : उपाध्यक्ष महोदय, ममता जी बोल रही हैं, यदि कोई भी हँसेगा तो यह भी एट्रोसीटिज है।...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

कुमारी ममता बनर्जी : यदि यहां उनका दृष्टिकोण ऐसा ही है तो हम विपक्ष से क्या आशा कर सकते हैं ? यदि इस सम्मानीय सभा में उनका ऐसा व्यवहार है तो मैं नहीं जानती कि वे बाहर क्या करेंगे। **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री सैयद मसूदल हुसैन (मुर्शिदाबाद) : मैं उनके संटीमेंट्स से सहमत हूँ। लेकिन तमिलनाडु एसेम्बली में जो हुआ है, उस पर पार्लियामेंट में चर्चा होने का कोई स्कोप नहीं है।...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : व्यवस्था बनाए रखिये।

श्री पी० कुलनदईवेलू (गोबिचेट्टिपालयम) : महिलाओं के लिए तो विधानसभा भी सुरक्षित नहीं है। **(व्यवधान)**

कुमारी ममता बनर्जी : महिलाएं विपक्षी सदस्यों के कारण सुरक्षित नहीं हैं। **(व्यवधान)**

महोदय, आप राजस्थान के विधायक का मामला देखिए। कृपया हस्तक्षेप न करें। यह आपसे सम्बन्धित बात नहीं है। **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : ममता जी, आप अध्यक्षपीठ को सम्बोधित कीजिए।

कुमारी ममता बनर्जी : उनके पास कोई विशिष्ट मामला नहीं है। परन्तु मेरे पास एक बहुत विशिष्ट मामला है। मैं विशिष्ट दस्तावेज पेश कर रही हूँ। यदि आप तैयार हैं तो देख सकते हैं, पुलिस ने इसकी पुष्टि की है कि राजस्थान के विधायक के परिवार ने शिशु हत्याएं कीं। चूंकि पुलिस इसकी पुष्टि कर चुकी है, इसलिए इस पर कार्यवाही की जानी चाहिए।

मेरी पार्टी सदैव अल्पसंख्यकों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करती है। हमें उस विधायक के विरुद्ध उपयुक्त कार्यवाही करनी चाहिए। मैं अनुरोध करती हूँ कि इस सदस्य को पार्टी से निकाल देना चाहिए। ऐसा व्यक्ति कांग्रेस (आई) का सदस्य नहीं होना चाहिए।

मैं कुछ और नहीं कहना चाहती। मैं कुछ विशिष्ट सुझाव देना चाहती हूँ।

मैं श्री खिलानन्द झा के बारे में कहना चाहती हूं। वह बिहार में कार्यरत थे। उन्होंने एक हरिजन लड़की से विवाह कर लिया। सरकार कहती है कि यदि ऊंची जाति का कोई व्यक्ति किसी निम्न जाति की लड़की से विवाह करता है तो उसे कुछ लाभ दिया जाएगा। इस पर उसने उस लड़की से विवाह कर लिया। इसमें क्या हर्ज है? हम इस कदम का स्वागत करते हैं। परन्तु इस हरिजन लड़की से विवाह करने के बाद उसे नौकरी से निकाल दिया गया। यह बहुत बुरी बात है। मैं अनुरोध करती हूं कि उसे तत्काल नौकरी पर लिया जाना चाहिए।

मैं आपसे यह भी अनुरोध करती हूँ कि आप यह सुनिश्चित करें कि हमारे देश में कानून सही तरह से लागू हो। दूसरे, प्रचार माध्यमों से इसका समुचित प्रचार किया जाना चाहिए। टी० वी० और रेडियो लोकप्रिय माध्यम हैं, इसलिए प्रचार के लिये इनका इस्तेमाल किया जाना चाहिये। प्रेस भी इस दिशा में सही कार्य कर रही है। परन्तु इन प्रचार साधनों को मजबूत करने के लिए लगातार प्रयास किए जाने चाहिए।

तीसरे, महिलाओं में जागरूकता उत्पन्न करने के लिये हमें महिलाओं से निरक्षरता को दूर करना होगा।

मेरा सुझाव है कि महिलाओं की शिकायतों को दूर करने के लिए प्रत्येक जिले में एक महिला पुलिस अधिकारी नियुक्त की जानी चाहिए।

हमारी सरकार अनेक समितियां बना रही हैं; जैसे अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी संसदीय समिति तथा अन्य समितियां। मैं आपसे अनुरोध करती हूं कि महिलाओं की शिकायतों को दूर करने और उनको संरक्षण प्रदान करने के लिए एक संसदीय समिति गठित की जानी चाहिए। महिलाएं भी अल्पसंख्यक हैं। कुछ लोग महिलाओं को कमजोर वर्ग समझते हैं जबकि हम कमजोर नहीं हैं। हम पुरुषों से कोई अनावश्यक लाभ भी नहीं चाहतीं। कभी-कभी लोग कहते हैं कि महिला वर्ग असहाय एवं अपेक्षित वर्ग है। परन्तु मुझे महिला होने पर गर्व है। हम पुरुषों से कोई सहायता नहीं चाहतीं। परन्तु हम चाहती हैं कि हमें पुरुषों के साथ कन्धे से कन्धा मिलाकर काम करने के समान अवसर प्राप्त हों। मैं पुरुष और महिला में कोई अन्तर नहीं समझती। हम समान हैं। हमें समान अधिकार और समान अवसर मिलने चाहिए। हम खेत में इकट्ठे काम करना चाहते हैं। परन्तु इस देश में पुरुष और महिला में कोई भेद नहीं होना चाहिये। यदि यह भेद बना रहा तो हमारा देश प्रगति नहीं करेगा। हम 21वीं सदी में प्रवेश कर रहे हैं। परन्तु यदि हमारा दृष्टिकोण नहीं बदलता है तो यह देश जिन्दा नहीं रहेगा। मेरा यह भी विश्वास है कि कुछ महिलाएं भी इसके लिये जिम्मेदार हैं। मैं सभी महिलाओं के लिए नहीं कह रही, परन्तु कुछ महिलाएं इसके लिये जिम्मेदार हैं।। अतः मेरा विश्वास है कि इन समस्याओं के समाधान हेतु महिलाओं को आगे आना होगा; उन्हें इन समस्याओं के समाधान हेतु निचले स्तर से निर्णय किए जाने वाले स्तर तक होने वाली कार्यवाही में भाग लेना होगा।

श्रीमती विभा घोष गोस्वामी (नवद्वीप) : महोदय, सर्वप्रथम मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि आप घन्टी न बजाएं क्योंकि मैं अपना भाषण यथासम्भव संक्षिप्त ही रखूंगी और अधिक समय नहीं लूंगी।

मुझे खुशी है कि यह मुद्दा संसद में उठाया गया है क्योंकि हमें महिलाओं से सम्बन्धित मुद्दों पर चर्चा करने का अवसर कभी-कभी मिलता है। परन्तु केवल चर्चा करना पर्याप्त नहीं है। इससे अधिक महत्वपूर्ण है उस दिशा में कार्य करना और कानूनों को लागू करना और इस सभा में इस विषय में सर्वसम्मति पैदा करना। इसलिए, ऐसा लगता है कि सरकार लम्बे वादे तो कर लेती है उन्हें निचले स्तर पर वास्तव में लागू नहीं कर पाती। वास्तव में, विद्यमान कानूनों का लागू न किया जाना, चाहे वे कितने भी अपर्याप्त हैं, इस सरकार की राजनैतिक इच्छा की कमी का परिचायक हैं।

दिल्ली का उदाहरण लीजिए। यह भारत की राजधानी और सत्तारूढ़ पार्टी का गढ़ है। हमारे प्रधानमन्त्री भी यहीं निवास करते हैं। दिल्ली में ही महिलाओं से छेड़छाड़ और दहेज के लिए होने वाली हत्याओं की संख्या सबसे अधिक क्यों है? यहां की जनसंख्या कम है। परन्तु 1986 में, सरकारी आंकड़ों के अनुसार, दहेज के कारण 64 मौतें हुईं; 1987 में 79 और 1988 में 84 मौतें हुईं। अन्य राज्यों की तुलना में इसकी जनसंख्या कम होने के बावजूद, यहां महिलाओं के अपहरण, बलात्कार, छेड़छाड़ के मामले बहुत अधिक हुए। इसका क्या कारण है कि कनॉट प्लेस में रात के 8 बजे के बाद कोई महिला नजर नहीं आती? बहुत ही कम महिलाएं रात के समय

[श्रीमती विभा घोष गोस्वामी]

अकेले बस में चढ़ने या रात का सिनेमा देखने का साहस करती हैं। यदि सरकार राजधानी में भी महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने में असफल रही है तो हम सत्तारूढ़ पक्ष द्वारा महिलाओं के उत्थान के बारे में कही गई इन बातों और इनके इस कथन को गम्भीरता से कैसे ले सकते हैं कि वे 21वीं सदी में प्रवेश करते समय महिलाओं को पीछे न रहने देंगे और हम महिलाओं के लिए राष्ट्रीय संदर्शी योजना को, जो दिखने में बड़ी महत्वपूर्ण लगती है, परन्तु जिसकी वास्तविकता अन्यथा है, किस प्रकार गम्भीरता से ले सकते हैं ?

कोई भी यह पूछ सकता है कि यह चर्चा कितनी नेकनीयती से की गई है और यह किस सीमा तक चुनावी वर्ष का प्रचार है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार भी, महिलाओं पर हुए अपराध के मामलों में, परिवार में और उसके बाहर, तेजी से वृद्धि हुई है। इनमें दहेज के लिए की गई हत्याओं, जैसा कि मैंने कहा विधवाओं को जलाने, बलात्कार, पत्नी को पीटने, भ्रूण हत्या और शिशु हत्या, कौमार्य परीक्षण, देवदासी प्रथा, वेश्यावृत्ति, परित्याग आदि के मामले शामिल हैं।

मेरे पास आंकड़े उपलब्ध हैं। मैं दिनांक 3-4-1989 के अतारांकित प्रश्न सं० 4434 का हवाला दे रही हूं।

3.00 म० प०

मैं आंकड़ों के ब्यौरे में नहीं जाना चाहती। मैं उन्हें सही मान कर चलती हूं अन्यथा इसमें और समय लगेगा। यदि हम विभिन्न राज्यों में महिलाओं पर हुए विभिन्न अत्याचारों के आंकड़ों पर नजर डालें तो हमें ज्ञात होगा कि देश के पांच राज्यों में अत्याचार के ऐसे मामले सबसे अधिक हैं, सभी में कुछ बातें एक समान हैं। मैं अन्य राज्यों को इससे बचा नहीं रही हूँ क्योंकि यह दुःखद स्थिति देश के सभी राज्यों में है। ये पांच राज्य हैं : उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, और महाराष्ट्र।

क्या यह संयोग ही है कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयुक्त द्वारा जारी किए गए आंकड़ों में भी अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों पर अत्याचार के मामलों के सम्बन्ध में इन्हीं राज्यों के नाम सबसे ऊपर हैं? इन्हीं पांच राज्यों में पूरे देश के कुल 85-90 प्रतिशत मामले ऐसे हुए हैं। क्या यह भी संयोग की बात है कि महाराष्ट्र के अलावा, हिन्दी भाषा उत्तरी क्षेत्र में स्थित अन्य चार राज्य सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से भी सबसे अधिक पिछड़े हुए हैं? क्या ये ऐसे राज्य नहीं हैं जिनमें महिलाएं सबसे कम साक्षर हैं, शिशुओं की मृत्यु-दर सबसे अधिक है और लड़कियों की बचपन में हत्या के मामले इतने अधिक हैं कि किसी भी पुरुष की गर्दन शर्म से झुक जाएगी? यह संयोग नहीं है। यह मात्र एक संयोग ही नहीं है कि इन्हीं राज्यों की सरकारों का भूमि सुधार के क्षेत्र में कार्य-निष्पादन सबसे खराब रहा है। हम अब भी सुनते हैं कि वहां ऐसे भू-स्वामी हैं जिनके पास अबैध ढंग से हजारों एकड़ भूमि है और निःसंदेह प्राधिकारियों को इन बातों की जानकारी है परन्तु कोई भी उन पर हाथ डालने का साहस नहीं करता। हम सुनते हैं कि उनके पास काश्तकारों और कृषि मजदूरों को डराने के लिये और उनकी कानूनी अधिकारों की मांग को दबाने के लिये अपनी सेनाएं हैं। इन राज्यों से सामूहिक हत्याओं और सामूहिक बलात्कार की खबरें प्रायः आती रहती हैं। देवराला में क्या हुआ? एक विधवा को

जलाया गया और बिहार के परेरिया में हुआ सामूहिक बलात्कार 16वीं सदी की अर्ध-सामन्ती संस्कृति की घटना प्रतीत होती है। सत्तारूढ़ दल और उसकी सरकार ने इन कुरीतियों को दूर करने के लिए बहुत ही कम कार्य किया है क्योंकि वे ऐसे अपराधों में लिप्त व्यक्तियों पर ही आश्रित हैं। क्या यह संयोग है कि इन सभी पांचों राज्यों और दिल्ली में कांग्रेस-आई का ही शासन है ? क्या मैं पूछ सकती हूं कि इन राज्यों के मुख्य मन्त्रियों या संसद सदस्यों ने ऐसी घटनाओं को रोकने के लिये क्या किया है ? परेरिया के बलात्कारी अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किए गए? त्रिपुरा में वामपंथी मोर्चे की सरकार हटने के बाद ही सेना द्वारा उजन मैदान तथा अन्य स्थानों पर जनजातीय महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार क्यों हुआ ? अधिकांश मामलों में अपराधी जमींदारों के व्यक्ति या कानून और व्यवस्था बनाए रखने वाले लोग—पुलिस और सेना— ही क्यों है ? जैसाकि मैंने एक अन्य अवसर पर कहा था, कानून के रक्षकों द्वारा बलात्कार पथभ्रष्ट होने का मामला नहीं है बल्कि यह एक वर्ग विशेष का अथवा राजनैतिक बदले का साधन बन गया है क्योंकि सरकार की अभियुक्तों को सजा देने की राजनैतिक मंशा नहीं है। यदि सरकार अपने ही व्यक्तियों को काबू में रखने में असफल है तो इसकी क्या गारन्टी है कि पुलिस कर्मचारी ऐसे अत्याचारों पर आवश्यक नजर रखेंगे ?

मॉडल टाउन, पुलिस लाइन्स निवासी मोहन लाल सहायक उप-निरीक्षक के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई जिसने अपनी पत्नी गीतांजली को इतना पीटा कि उसके दोनों हाथों की हड्डी टूट गई ? किंग्जे कैम्प थाने ने उसकी शिकायत दर्ज करने से मना कर दिया और जनवादी महिला समिति द्वारा महिला प्रदर्शन किए जाने के बाद ही कुछ कार्यवाही की गई। परन्तु कार्यवाही एक दिखावा थी या वास्तविक, यह अभी देखना है।

अब मैं राजस्थान के विधायक के मामले पर आती हूँ जिसका उल्लेख कुमारी ममता बनर्जी कर चुकी हैं। उन्होंने भी समाचार पत्र में छपी खबर का ही हवाला दिया है। इसमें कहा गया है।

> "स्वयं विधायक पर अपनी नवजात दो पुत्रियों की हत्या का आरोप है। इनमें से एक पुत्री का जन्म 1986 के विधान सभा चुनाव में उनकी विजय के पश्चात हुआ था।"

उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ? उसे जेल में डालकर उस पर हत्या का मुकदमा क्यों नहीं चलाया गया। खबरों के अनुसार मुख्य मन्त्री उसकी शुरू से ही सहायता कर रहे हैं।

आपकी अनुमति से, अब मैं भारत सरकार के एक वरिष्ठ मन्त्री की टिप्पणियों का हवाला देती हूँ जिससे इस सरकार की विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह लगता है। मैं श्री बसंत साठे की बात कर रही हूँ। हम इस व्यक्ति से हर प्रकार के वक्तव्य सुनने के आदी हैं। परन्तु यह वक्तव्य सभी सीमाएं पार कर गया है। समाचार में कहा गया है, मैं दिनांक 21-2-1989 के स्टेट्समैन से उद्धृत करती हूं :

> "उन्होंने नागपुर में आश्चर्यचकित श्रोताओं को बताया कि लिंग निर्धारण परीक्षण में कोई बुराई नहीं है। उन्होंने इसकी तुलना गर्भपात से की जिसे अब कानूनी मान्यता दी जा चुकी है तथा जिसे किसी हद तक सामाजिक स्वीकृति भी मिल चुकी है। केन्द्रीय ऊर्जा मंत्री ने आगे कहा कि लिंग निर्धारण परीक्षण यह पता लगाने के लिए किया जाता है कि क्या

[श्रीमती विभा घोष गोंस्वामी]

> भ्रूण अवांछित लड़की का है। अतः अवांछित बच्चे का गर्भपात करा दिया जाता है ..... श्री साठे ने आगे तर्क दिया कि यदि पुरुषों की संख्या महिलाओं से अधिक हो जाती है तो 'महिलाओं के लिये मांग बढ़ेगी और उन्हें पाने के लिए दहेज की पेशकश की जाएगी।' दूसरे शब्दों में व्यवस्थित तरीके से की गई भ्रूण हत्या से पुरुष-स्त्री का वर्तमान अनुपात बदलेगा और दुल्हन का मूल्य बढ़ेगा।"

अब यदि यही तर्क है तो क्यों न आधी महिलाओं की हत्या करके बाकी आधी की देश में मांग और बढ़ा ली जाए ?

मैं प्रधानमन्त्री से अनुरोध करती हूँ कि वे स्पष्ट करें कि क्या सरकार का वास्तव में यही इरादा है अथवा नहीं ? यदि नहीं तो श्री साठे को मन्त्रालय एवं संसद से त्यागपत्र दे देना चाहिए। सत्तारूढ़ दल तथा केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारें देश में महिलाओं पर बढ़ते अत्याचार के लिए जिम्मेदार है। महिलायें पददलितों पर किए जा रहे अत्याचारों का हिस्सा बन चुकी हैं।

सत्तारूढ़ दल एवं उनकी सरकार भूमि सुधार निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, विशेषकर महिलाओं के लिए शिक्षा को लागू करने में विफल रही है। उन्होंने काम के अधिकार को मूल अधिकार के रूप में संविधान में शामिल करने से इन्कार कर दिया है, परिणाम स्वरूप महिलाओं को जो कि उनका दर्जा बढ़ाने में महत्वपूर्ण कारक हैं, आर्थिक स्वतन्त्रता प्रदान करने से इन्कार किया गया है। उनकी आर्थिक नीतियों के कारण हजारों महिलायें बेरोजगार होकर शोषण सहने के लिए मजबूर और निःसहाय हैं। रूढ़िवादियों साम्प्रदायिक शक्तियों, पुनर्जागरणवादी तथा सुधार विरोधी सभी प्रकार की ताकतों से समझौते की उनकी नीति धर्म के नाम पर महिलाओं के प्रति किए जाने वाले अत्याचारों में तीव्र वृद्धि के लिए जिम्मेदार हैं।

वे जमीदारों और उनके व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही नहीं कर सकते क्योंकि वे उनके वोट बैंक है और वे अर्ध-सामंतवादी मूल्यों एवं संस्कृति के लिए जिम्मेदार हैं जो कि महिलाओं को समान अधिकार नहीं देते और उन्हें बोझ तथा अपनी कामुकता शांत करने की वस्तु समझते हैं।

उनके प्रचार माध्यम महिलाओं की कैसी छवि दिखा रहे हैं ? मेरे कहने का सार यह है कि महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों से लड़ने के लिए महिलाओं को कांग्रेस आई० की नीतियों एवं सरकार से लड़ना पड़ेगा। महिलाओं का दर्जा इस सरकार के द्वारा बहाल किया अथवा बढ़ाया नहीं जा सकता। यह केवल उनकी सत्ता के विरुद्ध लड़ने, उन्हें सत्ताच्युत करके किया जा सकता है और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए, हमारी आशा हमारे देश की महिलाओं सहित लोकतांत्रिक ताकतों के अभूतपूर्व जागरण में ही है।

(व्यवधान)

श्रीमती मारग्रेट आल्वा : महोदय, यदि माननीय सदस्या ने यह पाया हो कि बंगाल में महिलाओं पर कभी कोई अत्याचार नही हुए तो मैं आंकड़े दे सकती हूँ। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया शांत रहिए। सदन का समय नष्ट न करें। हमारे पास मुश्किल से एक घन्टे का समय है।

श्री बृज मोहन महन्ती (पुरी) : महोदय, सबसे पहले, मैंने यह पाया कि महिलाओं का उत्थान न केवल महिलाओ के लिए अपितु सारे देश के लिए महत्व रखता है। मुझे यह कहते हुए दुख हो रहा है कि इस आंदोलन में राजनीतिक दखल मांगना आ गई है जो महिला आन्दोलन की सफलता के लिए हानिकारक है।

13 मार्च 1989 को इस प्रश्न के उत्तर में कि क्या महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों, में वृद्धि हुई है, मन्त्री जी ने उत्तर दिया 'जी हां'' मन्त्री जी ने बताया कि दहेज हत्या, बलात्कार के मामलों महिल ओं/लड़कियों से छेड़छाड़, लड़कियों/महिलाओं के अपहरण और नाबालिग लड़कियों के अपहरण के मामलों में वृद्धि हुई है। आगे मन्त्री महोदय ने बताया कि जनसंख्या में वृद्धि, सामाजिक-आर्थिक स्थितियों में तीव्र परिवर्तन इस वृद्धि के मुख्य कारण हैं। जनसंख्या में वृद्धि का का अर्थ है महिलाओं की संख्या में वृद्धि। इससे महिलाओं पर ही बुरा प्रभाव क्यों पड़ता है? और ऐसा क्यों होता है कि सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों में तीव्र परिवर्तन महिलाओं पर बुरा प्रभाव डालता है? मेरा कहना है कि इस पर गहराई से विचार किया जाए कि बुरा प्रभाव क्यों पड़ता है।

मैं पश्चिम बंगाल के बारे में एक बात कहना चाहता हूं क्योंकि सी. पी. एम. से मेरे मित्र ने कहा है कि यदि कांग्रेस सरकार सत्ताच्युत हो जाती है तो देश में महिलाओं संबंधी कोई समस्या नहीं रहेगी '' (व्यवधान) मैं नहीं जानता कि उनके दल के नेतृत्व ने उनके माध्यम से ऐसी बातें क्यों रखी हैं। वह अच्छी तथा अविवाद्य सदस्या हैं।

महोदय, पश्चिम बंगाल में महिला शिकायत निवारण सेल, साउथ 24 परगना वर्ष 1987 में स्थापित किया गया था। यह सेल मुख्यतः साउथ 24 परगना जिले में महिलाओं के प्रति अपराधों की सुनवाई करता है। इसमें पिछले तीन वर्षों में 185 बलात्कार के मामले दर्ज किए गए है। यदि एक जिले में पिछले तीन वर्षों में बलात्कार के 185 मामले हुए हैं तो बाकी जिलों का क्या हाल होगा। केवल 20 प्रतिशत मामले ही पुलिस को सूचित किए जाते हैं, शेष नहीं। यह स्थिति है। हम इस पृष्ठभूमि में समस्या की विकटता का अनुमान लगा सकते हैं।....(व्यवधान)

अब मैं सदन को एक बलात्कार के मामले के बारे में बताता हूं। न्यायमूर्ति कृष्ण अय्यर ने टिप्पणी की है कि ऊपर से लेकर नीचे तक न्यायाधीश, महिलाओं के मामलों में सहानुभूतिपूर्ण रवैया नहीं अपनाते। मैं सदन के समक्ष सुमन रानी का मामला अर्थात बलात्कार का मामला रख रहा हूं। उच्च न्यायालय ने 10 वर्ष की सजा दी किन्तु उच्चतम न्यायालय ने उसके पूर्व इतिहास के कारण उसे घटाकर 5 वर्ष कर दिया। जहां तक बलात्कार से पीड़ित महिला के पूर्व इतिहास का सम्बन्ध है, यह इस मामले में कोई अर्थ नहीं रखता। महत्वपूर्ण बात यह है कि उसकी मर्जी के बिना उससे बलात्कार किया गया। क्या मन्त्री महोदय कानून की पुनः जांच करेंगे ताकि न्यायिक फैसला मुजरिम के हक में न हो।

अब मैं इसके अन्तर्राष्ट्रीय पहलू पर आता हूं। मलेशियाई संसद में बलात्कार के विरुद्ध बड़े बड़े कानून के बारे में बहस हुई। किन्तु दुर्भाग्य से संसद सदस्यों ने बड़े हल्के ढंग से बात चीत की। उन्होंने कहा यदि महिलाएं शालीन पहनावा पहने तो बलात्कार का कोई मामला नहीं होगा। शरीर उघाड़ने वाली पोशाकें तथा सैक्सी तरीकें से चलना, आमन्त्रित करता है।

[श्री ब्रजमोहन महन्ती]

यह दुर्भाग्यपूर्ण है। अखिल महिला कार्यवाही समिति की अध्यक्ष, श्रीमती इरिना फर्नांडीज ने कहा कि उन्हें उनके रवैये से वितृष्णा हुई। इससे पुरुष प्रधानता प्रकट होती है। मैं यह नहीं कहता कि जीने का ढंग यही है। हो सकता है महिलाओं का पहनावा शालीन न हो। किन्तु पुरुषों के बारे में आप क्या कहते हैं। किसी ने कहा कि विधवाएं स्वेच्छा से सती हो सकती है। किन्तु पुरुष क्या करें ? यदि पत्नी की मृत्यु हो जाती है तो क्या पति को सती हो जाना चाहिए।

यह समस्या का बड़ा दुरूह पहलू है। सोवियत संघ में हाल ही में किए गए एक विश्लेषण से पता चला कि 100 विवादों में से 56 मामले में तलाक हो जाता है। इसी वजह से बाल अपराध बढ़ रहे हैं। वह अब विवादों और वंशावली की महिमा मंडित करने के बारे में सोच रहे हैं क्योंकि समस्या का यही समाधान होगा। हंगरी में, "बैस्ट श्रेस्ट ऑफ बुडापेस्ट" नाम से एक प्रतियोगिता चल रही है। यह विशेषकर एक साम्यवादी देश में संस्कृति का ह्रास है। हाल ही में पाकिस्तान में पेशावर में ईद की नमाज में इस बात पर अफसोस जाहिर किया कि एक महिला इस्लामी राज्य की प्रधान है। इसलिए, यह समस्या विश्वभर में है। हाल ही में एक महिला हैरिस बारबरा एंगलिकन चर्च की बिशप चुनी गई और सम्पूर्ण ईसाई जगत में इसका भारी विरोध हुआ। इस प्रकार से इस समस्या का अन्तर्राष्ट्रीय पहलू है और हमें इसका विरोध करना है। हमें देश भर में महिला जागरूकता तैयार करनी होगी ताकि हम इसका मुकाबला कर सकें। यह कोई पार्टी कार्यक्रम नहीं है, यह एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है और सभी दलों को इसमें भाग लेना चाहिए और मुझे विश्वास है कि भारतीयों के रूप में हम इसके प्रति समर्पित है।

जहां तक बेरोजगारी के आंकड़ों का संबंध है महिलाओं की संख्या अधिक है। जहां तक मजदूरी में भेदभाव का सम्बन्ध है यहां भी महिलाएं ही पीड़ित हैं। विरासत कानून, विशेषकर हिन्दुओं के मामले में, संशोधित करने का प्रस्ताव है। यही स्थिति विवाह कानून की है। इसलिए हमें यह देखना होगा कि महिलाओं को पुरुषों के समकक्ष लाया जा सके। जब तक हम ऐसा नहीं करते हम परिणाम प्राप्त नहीं कर सकते।

मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि प्रधान मन्त्री इस बात में व्यक्तिगत रुचि ले रहे हैं कि महिलाओं को पुरुषों के समकक्ष लाया जाए और वह इसके लिए भरसक प्रयत्न कर रहे हैं किन्तु अन्ततः महिलाओं को ही अपने दिलों के लिए लड़ना होगा। इसलिए वह एकजुट होकर लड़ें। हमने संविधान में भी संशोधन किया है। मौलिक अधिकारों के अध्याय में हमने कहा है कि हम कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जो महिलाओं की गरिमा और मर्यादा के लिए अपमानजनक हो। उसके लिए हमने संविधान में संशोधन किया है। किन्तु इसके साथ साथ महिलाओं में भी जागरूकता होनी चाहिए ताकि वह अपने हितों के लिए एक जुट होकर लड़ सकें। सरकार को उनकी आर्थिक स्वतन्त्रता, उनका सामाजिक दर्जा सुधारने तथा उन्हें राजनैतिक प्रतिनिधित्व देने के लिए पर्याप्त कदम उठाने चाहिए। तभी हम कुछ कदम आगे बढ़ सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

*श्री के० रामचन्द्र रेड्डी (हिन्दुपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया को बधाई देता हूँ कि उन्होंने महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों का मामला सभा में

*मूलतः तेलगू में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

चर्चा के लिए उठाया। बहुत समय पूर्व मनु ने कहा था 'स्त्री को स्वतन्त्रता नहीं दी जानी चाहिए' किन्तु यह अतीत की बात है। यह कथन आधुनिक समाज के अनुरूप नहीं है। अब यह बात पुरानी हो चुकी है और अब इस तर्क को स्वीकार नहीं किया जाता। अब महिलाएं हर क्षेत्र में पुरुषों से समानता कर रही हैं। इनमें से अधिकतर महिलाओं ने आज उच्च शिक्षा प्राप्त की है। महिलाएं भी विभिन्न क्षेत्रों में पुरुषों के समान पदों पर कार्य कर रही है। विधान सभाओं तथा अन्य प्रशासनिक कार्यालयों में, हर क्षेत्र में महिलाएं कार्य कर रही है तथा अपनी योग्यता सिद्ध कर रही हैं। किन्तु महोदय, दुर्भाग्य से पुरुषों की भांति महिलाओं की उन्नति केवल कुछ विशेष सुविधा प्राप्त वर्ग तक ही सीमित है। आज भी बहुत अधिक महिलाएं पिछड़ी हुई है। पिछड़े वर्ग की महिलाओं पर आज भी अत्याचार हो रहे हैं। यह बड़े दुर्भाग्य की बात है हर रोज महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं। प्रतिदिन हमें दहेज के कारण हुई मृत्यु के समाचार सुनने को मिलते हैं। इन अत्याचारों के कारण सभ्य समाज का सिर शर्म से झुक जाता है यहां तक कि उस जमाने में भी दहेज के कारण महिलाओं को नहीं मारा जाता था जब यह कहा जाता था कि महिलाओं को स्वतन्त्रता नहीं मिलनी चाहिए। महोदय, इस देश का अतीत गौरवपूर्ण रहा है। इस पवित्र भूमि पर सभ्यता अपने चरम विकास पर थीं। आरम्भ से ही बहुत समय पहले से ही इस पृथ्वी पर हमारा देश सभ्य राष्ट्रों में सबसे अग्रणी रहा है। आज हमें अपने अतीत पर गर्व है और हम यह दावा करते हैं कि हमारा समाज अत्याधिक उन्नत समाज है। हमें अपनी उपलब्धियों पर गर्व हैं। किन्तु हमारी प्रगति के साथ साथ दहेज के कारण होने वाली मौतों की संख्या में भीं निरन्तर वृद्धि हो रही है। कुछ समय पूर्व हमारे देश पर इंदिरा गांधी जी शासन कर रही है। अब उस गद्दी पर उनका बेटा बिराजमान है। उनके सत्ता में आने से पूर्व से ही दहेज के कारण होने वाली मौतों की संख्या बढ़ रही है। हम एक सभ्य समाज होने का दावा तो करते हैं किन्तु क्या हमारा आचरण इतना गरिमामय है कि हम अपने दावे को न्यायोचित ठहरा सके ! अथवा क्या हम अपने दावे के एकदम प्रतिकुल नृशंस व्यवहार कर रहे हैं ? इन अत्याचारों के लिए सरकार किस हद तक जिम्मेदार है ? सरकार उन अत्याचारों पर नियन्त्रण करने में कैसे असफल रही है। अपने अन्तर्मन में झांके तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि प्रशासनिक तंत्र की असफलता ही महिलाओं पर अत्याचार बढ़ने का मुख्य कारण है। उनकी प्रकृति महिलाओं को नीचा देखने की है। वे महिलाओं के साथ वैसा व्यवहार नहीं करते जैसा किया जाना चाहिए।

महोदय, दहेज के कारण होने वाली मौतों का एक कारण महिलाओं का आर्थिक रूप से निर्भर होना भी है। महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वतन्त्र नहीं हैं। महिलाओं को अपने माता-पिता की सम्पति से उत्तराधिकार में सम्पत्ति दिए जाने से वंचित रखा जाता है। यदि किसी पिता के 3 पुत्र हैं तो उसकी सम्पत्ति को चार भागों में बांटा जाएगा। प्रत्येक को सम्पति का ये अंश मिलेगा। अपने 1/4 अंश में से यदि पिता चाहे तो कुछ अंश अपनी पुत्रियों को देता है। अतः यह स्पष्ट है कि किस तरह महिलाओं के सम्पति के अधिकार से वंचित रखा जाता है। सम्पत्ति में उसका हक न होने के कारण ही महिलायें आर्थिक रूप से दूसरों पर निर्भर रहती है। चूंकि आर्थिक रूप से वे स्वतन्त्र नहीं हैं, इसलिए वे कमजोर रहती हैं, तथा उन पर ज्यादा से ज्यादा अत्याचार होते हैं। कम से कम अब तो, जबकि हम अपने उन्नत होने दावा कर रहे हैं और 21 वीं शताब्दी में पहुँचने ही वाले है, हमें महिलओं को सम्पत्ति में उनका अधिकार दिलाने का प्रयत्न करना चाहिए। यदि ऐसा किया जाता है, तो महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों में स्वतः कमी आ जाएगी। अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह एक विधान पारित करके सम्पत्ति में पुरुषों और

[श्री के० रामचन्द्र रेड्डी]

महिलाओं को बराबर का हक सुनिश्चित करने के लिये उपाय करें। मुझे यह कहते हुए गर्व महसूस हो रहा है कि आंध्र प्रदेश सरकार 4 वर्ष पूर्व ही एक विधेयक पारित करके महिलाओं को यह अधिकार पहले से ही दिला चुकी है। बहुत आनाकानी के बाद उस विधेयक पर राष्ट्रपति ने हाल ही में सहमति दी है। आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा उठाया गया यह कदम समूचे देश के लिये आदर्श माना जाना चाहिए और केन्द्र में सत्तारूढ़ व्यक्तियों को आंध्र प्रदेश सरकार के उदाहरण स्वरूप महिलाओं को सम्पत्ति में समान अधिकार दिलाना चाहिए।

यद्यपि महिलाओं को स्वतन्त्रता नहीं दी गई थी, अतीत में बहुत सम्मानित माना जाता था। भारतीय और ग्रीक दोनों महाकाव्यों से उस जमाने में महिलाओं की प्रतिष्ठा का पता चलता है। अपने महाकाव्य 'ओडिसी' में होमर ने कहा है "स्त्री की सुन्दरता के कारण ही कई युद्ध हुए हैं।" इससे पता चलता है कि उन दिनों महिलाओं के प्रति उनमें कितनी श्रद्धा थी। महाभारत में, 18 अक्षौहिणी सैनिकों को युद्ध करना पड़ा। इसका कारण था एक महिला का अपमान। रावण और उसकी राक्षस जाति को सीता के साथ दुर्व्यवहार करने का दंड भोगना पड़ा था। ऐसे कई उद्धरण दिए जा सकते है। इन असंख्य उदाहरणों से पता चलता है कि अतीत के उन अच्छे दिनों में महिला को कितना उच्च स्थान प्राप्त था। उन दिनों भी महिलाओं को इतना सम्मान प्राप्त था जबकि हमारा समाज आज की भांति उन्नत नहीं था। भगवान कृष्ण नरकासुर की हत्या नहीं कर पाये थे। उसकी पत्नी सत्यभामा, जो रणभूमि में उसके साथ गई थी, ने नरकासुर की हत्या करके कृष्ण को बचाया था। श्री कृष्ण ने उसके रणकौशल की प्रशंसा की थी। इससे यह स्पष्ट है कि कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जो नारी की क्षमता से बाहर हो। मुझे आश्चर्य है कि स्त्री की वह गौरवपूर्ण स्थिति आज कहां समाप्त हो गयी है? एक तरफ तो हम यह देखते हैं कि स्त्री हर तरफ का कार्य कर रही है चाहे वह पद टंकक का हो या प्रशासक का अथवा एक योग्य वक्ता का, दूसरी तरफ हम देखते हैं कि महिलाओं को हर तरह से प्रवाहित किया जाता है बहुत समय पूर्व हमारे देश में सती प्रथा का चलन था, इस प्रथा को पुनः बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा है। यह आश्चर्य की बात है कि कांग्रेस शासित राज्य राजस्थान में सती प्रथा को बहुत प्रोत्साहन दिया जा रहा है। वहां पर सती के लिए बहुत प्रचार किया जा रहा है। सती एक बुरी प्रथा है और सभी लोगों द्वारा इसकी निन्दा की जानी चाहिए। यह हमारे जैसे सभ्य समाज के लिए एक धब्बा है। इससे भी बढ़कर, केन्द्रीय सरकार एक मूक दर्शक बनी रही है। वास्तव में यह एक निश्चित मत लेने की स्थिति में नहीं है। कारण यह है कि राजस्थान के कांग्रेस (ई०) का शासन है। यदि वहां पर एन० टी० आर० की सरकार अथवा ज्योतिबसु की सरकार होती तो उसे तत्काल बर्खास्त कर दिया गया होता। इस तरह के दोहरे मानदण्ड से केवल अत्याचारों की घटनाओं को ही बढ़ावा मिलेगा। जहां कहीं भी और जब कभी भी सती की घटना होती है। वहां पर सम्बन्धित लोगों और राज्यों को कठोर दण्ड दिया जाना चाहिए। यदि यह घटना कांग्रेस (ई०) शासित राज्यों में होती है। यदि केन्द्र वहां पर कोई कार्यवाही नहीं करता, तो केन्द्रीय सरकार की इस कार्यवाही की निन्दा की जानी चाहिए। इस संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा दिखाई गई असमर्थता को देखकर मुझे शर्म महसूस हुई है। केवल इतना कह देना ही पर्याप्त नहीं है कि महिलाओं पर अत्याचार किए जा रहे हैं। यह देखने के लिए हमें दृढ़संकल्प होकर कार्य करना चाहिए कि ये अत्याचार खत्म हो जाए। ये अत्याचार राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे कांग्रेस शासित राज्यों में अधिक हो

रहे हैं। इस बुरी प्रथा पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए पहले से कई विधान बने हुए हैं। फिर भी उन्हें अक्षरण कार्यान्वियत नहीं किया जा रहा है। कार्यान्वियन में असफल रहने के लिए कौन जिम्मेदार है ? ये अत्याचार विपक्ष शासित राज्यों की तुलना में कांग्रेस शासित राज्यों में अधिक है। कांग्रेस पार्टी यह दावा करती है कि यह देश को 21 वीं शताब्दी में ले जा रही है। इसके बिलकुल विपरीत हम देखते हैं उनके अपने राज्यों में असभ्य प्रथायें अपनाई जा रही है। यह कहने का कोई फायदा नहीं है कि हम 21 वीं शताब्दी में प्रवेश कर रहे हैं जबकि सती जैसी बुरी प्रथायें अभी भी जारी हैं। उन्हें ये घडियाली आंसू बहाने बन्द कर देने चाहिए। यदि सरकार वास्तव में महिलाओं के उत्थान में रुचि रखती है तो महिलाओं को पुरुषों के बराबर सम्पत्ति में अधिकार देना होगा। केवल तभी महिला और पुरुष के बीच असन्तुलन को पूरा किया जा सकता है। जब महिलायें आर्थिक दृष्टि से स्वतन्त्र हो जाएगी तो स्वाभाविक है कि उन पर होने वाले अत्याचार भी समाप्त हो जायेंगे और देश 21 वीं शताब्दी में आगे प्रवेश कर सकता है।

एक बार फिर मैं श्री रामूवालिया का इस सभा में यह चर्चा शुरू करने के लिए, धन्यवाद करता हूं और उन्हें मुबारकवाद देता हूं।

आपने जो मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया उसका धन्यबाद करते हुए मैं अपने भाषण को समाप्त करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : अब डा० राजहंस बोल सकते हैं। लेकिन इससे पहले कि वह बोले, मैं यह बताना चाहता हूं कि हमने यह चर्चा 2.00 म. प. की बजाए लगभग 2.15 म. प. पर शुरू की है। इसलिए इसको देखते हुए हम इस पर वाद-विवाद 4.15 म. प' तक जारी रखेंगे। उसके बाद हम 4.15 म.प. पर पेयजल समस्या पर शुरू चर्चा करेंगे। महोदया, 3.00 म. प. पर हस्तक्षेप करेंगी।

श्रीमती मारग्रेट आल्वा : मुझे केवल 15 मिनट की आवश्यकता है।

उपाध्यक्ष महोदय : तो आप 3:45 म. प. पर शुरू करे क्योंकि उनके बाद एक सदस्य रह जायेंगे।

श्री विजय कुमार यादव (नालन्दा) : हमारे बारे में क्या कहना है ?

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपको बुलाउंगा। यह केवल हस्तक्षेप है। हम उसके बाद इसे जारी रखेंगे हम इसे दोबारा सोमवार को शुरू करेंगे।

अब डा० राजहंस बोल सकते हैं।

[हिन्दी]

डा० गौरी शंकर राजहंस (झंझारपुर) : डिप्टी स्पीकर महोदय, औरतों पर अत्याचार यह मामला कितना गम्भीर है और हमने इसे कितनी गम्भीरता से लिया है यह इस सदन की उपस्थिति से पता चल जाता है।

यह सचमुच बड़े दुख की बात है कि हर साल इस सदन में हमें एट्रोसिटीज ऑन वूमैन पर चर्चा करनी पड़ती है। हम चर्चा करके यहां से चले जाते हैं और निश्चिंत हो जाते हैं और समझ

[डा० गौरी शंकर राजहंस]

लेते हैं कि आज के बाद औरतों पर और महिलाओं पर कोई अत्याचार नहीं होगा। मेरे विपक्ष के दोस्तों को बहुत बुरा लगा जब हमारे एक साथी ने जयललिता के प्रकरण का यहां जिक्र किया। मैं पूछना चाहता हूं कि जयललिता के मामले में चर्चा इस सदन में क्यों नहीं हो सकती। क्या उनके साथ अन्याय नहीं हुआ ? केवल यह कह देने से कि वह एक एक्ट्रेस है उसकी बेइज्जती की जा सकती है और उसके कपड़े फाड़ दिये जा सकते हैं।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ रथ (आस्का) : तमिलनाडू का भूतपूर्व मुख्य मन्त्री भी एक अभिनेता था और आन्ध्र प्रदेश का मुख्य मन्त्री भी अभिनेता है (व्यवधान)

[हिन्दी]

डा० गौरी शंकर राजहंस : मेरे कहने का अर्थ है कि जयललिता के मामले में जो कुछ तमिलनाडू में हुआ वह सारे देश के लिये दुख की बात है और तमिलनाडू की सरकारी पार्टी के लिये यह अत्यन्त खराब बात है। जैसा कि हमारे दोस्त ने बताया कि यह कोई और अखबार नहीं है बल्कि इण्डियन एक्सप्रेस है जिसका हवाला वह दिन-रात देते हैं, उसमें जयललिता को फटे हुए कपड़ों में दिखाया गया है। सदन के अन्दर उसके साथ जो कुछ हुआ उससे सारा देश परिचित है। उसने अपनी पार्टी के लिये, अपने घर के लिये और लोगों को समझाने-बुझाने के लिये एक पुर्जे में लिया था कि मैं इस्तीफा करना चाहती हूं लेकिन उसने उसको सील कर दिया और उसे अपने फैमिली फ्रैंड* को दे दिया और कहा कि इसे अपने पास रख लो। डी. एम. के. के इंटैलिजैंस आफिसर को कहीं से पता लग गया और उसने * को अरैस्ट कर लिया। अरैस्ट करने के बाद उसे घर जाकर मारा-पीटा और कहा कि दिखाओ वह चिट्ठी कहां है। वह चिट्ठी लेकर उसे असिस्टैंट पुलिस कमिशनर को दिया और असिस्टैंट पुलिस कमिशनर ने उस चिट्ठी को पुलिस कमिशनर को दिया।

पुलिस कमिश्नर ने होम सैक्रेटरी को दिया, होम सैक्रेटरी ने चीफ मिनिस्टर को दिया, चीफ मिनिस्टर ने कहा जयललिता ने रिजाइन कर दिया, यह खेद की बात है। मैं वीक मैगनीज से कोट कर रहा हूं, यह कोई सरकारी मैगनीज नहीं है, मद्रास से निकलने वाली बहुत ही रैस्पैक्टेड मैगनीज है है। इसमें कहा गया है :

[अनुवाद]

"राज्य आसूचना में उपलब्ध स्रोतों के अनुसार, जैसे ही यह पत्र लिखा था, सहायक आयुक्त ने उसे दुरई के आयुक्त को भेज दिया था जिन्होंने उसे आगे गृह सचिव आर० नागारथन को 10.30 रात्रि को ही भेज दिया था। त्याग पत्र तथा पार्टी के लोगों के लिए चार पृष्ठ की अपील की प्रतियां सभी समाचार पत्रों के कार्यालयों में पहुंच गई थी। ऐसा कहा गया है कि सादे कपड़ों में पुलिस के लोग ही उन्हें समाचार पत्रों के लिये ले गये थे।"

* कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

इससे बढ़कर खेद की क्या बात हो सकती है। हमारी सिम्पैथी जयललिता जी से इसलिए है कि वह हमारी कलीग थीं; राज्य सभा में, हम सैण्ट्रल हॉल में बैठते थे, बातें करते थे और किसी को क्या हक है कि एक एक्स एम० पी० हो या एम० एल० ए० हो तो उसे इस तरह से बेइज्जत करे। जब जयललिता के कैलीबर की लेडी को इस देश में बेइज्जत किया जा सकता है, उसे बोलने नहीं दिया जा सकता है, उसे रिजाइन करने के लिये मजबूर किया जा सकता है तो दूसरों की इज्जत कहां पर है। आज भी वह अपने घर से नहीं निकल पा रही है, उसे वरचुअली पहटा गया, एक पी. डब्ल्यू. डी. मिनिस्टर ने उसके कपड़े फाड़ दिये, ऐसा इस देश में पहले कभी हुआ है और हम यह कहकर संतोष कर लेते हैं कि वह तो एक्ट्रैस थी। जरा लोग सोचकर देखें कि उनके घर की महिलाओं के साथ ऐसा हो तो उनको कैसा लगेगा.....

श्री सैयद मसूदल हुसैन (मुर्शिदाबाद) : पापरी पोश के बारे में भी कहिए।

डा० गौरी शंकर राजहंस : आप पापरी पोश के बारे में कहते हैं, आपकी पार्टी ने भी किया है। जयललिता के साथ जो बात हुई है उसको आप जस्टिफाइड कैसे कर सकते हैं। वह बहुत ही दुख की बात है। केवल इसलिए कि वह कांग्रेस के साथ आ गई है और दोनों ए. आई. डी. एम. के. गुटों को मिलाकर एक कर लिया है और इससे करूणानिधि की गद्दी हिल रही है तो उसे आप मारेंगे, पीटेंगे, बेइज्जत करेंगे और उसको जस्टिफाई करेंगे कि हां, जो कुछ हुआ है, ठीक हुआ है। यह बहुत ही खेद की और दुख की बात है। मैं तो मांग करता हूँ कि तमिलनाडु, गवर्नमैन्ट को डिसमिस किया जाय। मैं सरकार से मांग करता हूँ कि इसमें सी. बी. आइ. इन्क्वायरी कराई जाय और तमिलनाडु : गवर्नमैन्ट को डिसमिस किया जाय और पब्लिकली माफी मांगें क्योंकि यह घटना तमिलनाडु की असेम्बली में हुई है क्योंकि आज जो तमिलनाडु की असेम्बली में हुआ है, कल वह देश की किसी असेम्बली में दोहराया जायेगा और कल को इस सदन में दोहराया जायेगा, इसको आप कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं, कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं, यह बात बहुत ही गम्भीर है। जयललिता के प्रकरण की सी. बी. आई. से पूरी जांच होनी चाहिए।

जब एट्रासिटीज ऑन वीमेन की बात आती है तो हमारा ध्यान पूरी तरह से सुप्रिया कांड पर चला जाता है। सुप्रिया काण्ड का क्या हुआ, एक चीफ मिनिस्टर की ग्राण्ट डॉटर इन लॉ को दिन दहाड़े गोली मार दी गई और कुछ नहीं हुआ। वह चीफ मिनिस्टर मोरेलिटी की बात करते हैं, इससे बढ़कर और क्या दुख की बात हो सकती है और हम चुपचाप अत्याचारों की बात कर रहे हैं। उस चीफ मिनिस्टर को अरैस्ट किया जाना चाहिए था और जो लोग प्रोटैक्शन देते हैं उनको अरैस्ट किया जाना चाहिये था, सी. बी. आई. की इन्क्वायरी होनी चाहिये थी लेकिन सारा मामला ठप्प पड़ा हुआ है। मैं कहूँगा कि यहां पर हम कितना भी औरतों पर अत्याचारों की बात करें, हमारे यहां डिस्कशन के साथ ही बात समाप्त हो जाती है, इसके बाद आगे बात नहीं बढ़ पाती है। रोज अखबारों में हम देखते हैं कि लड़कियों को जलाया जाता है, बहुओं को बेरहमी से जलाया जाता है, देखकर हम चुप हो जाते हैं, आंख मूद लेते हैं और सोचते हैं कि चलो हमारे साथ तो ऐसा नहीं हुआ। वह किसी के साथ हो सकता है, आपने सुना होगा, बहुत ही अच्छा नारा उन्होंने दिया था जिन्होंने सुप्रिया केस में एक धरना दिया था, उन्होंने कहा "दान दो, दहेज दो और बहु को मार दो" ऐसे भी बहुओं को जलाया जाता है, उन बेचारी लड़कियों को जलाया जाता है....

श्री सैयद मसूदल हुसैन : इसमें पापिया पोश को बताओ।

डा० गौरी शंकर राजहंस : आपके बारे में ही बात करते हैं, आपको क्यों तकलीफ होती है।

श्री सैयद मसूदल हुसैन : बिहार में पापिया पोश के बारे में बोलो।

डा० गौरी शंकर राजहंस : उसी के बारे में कहता हूं, उनको सजा भी दे दी गई, जो उसके लिये रैस्पौंसिबल थे। **(व्यवधान)** आप भी समझते हैं और हम भी समझते हैं ····**(व्यवधान)** ··आपकी चीफ मिनिस्टर की फैमिली के अन्दर हुआ है और चीफ मिनिस्टर के लड़के यहां, उसको जस्टिफाई क्यों करते ··**(व्यवधान)** मैं आपको बोलने नहीं दूंगा जब आपका नम्बर आयेगा। आप मुझे बोलने दीजिए। **(व्यवधान)**

श्री शमिन्दर सिंह (फरीदकोट) : बिहार के चीफ मिनिस्टर का भी डिसमिसल मांग लो। ···**(व्यवधान)**···

डा० गौरी शंकर राजहंस : मेरी टर्न है, मुझे बोलने दीजिए, जब आपकी टर्न आये तो आप बोलियेगा। ···**(व्यवधान)**

मैं दो-तीन बातें कहना चाहता हूँ। यह बात किसी भी परिवार में हो सकती है। इसको पूरी तरह गम्भीरता से लेना चाहिए। मैं तो यह कहूँगा कि जिस-जिस परिवार में औरत यानि लड़की जलाई जाती है, वहां पर जो कल्प्रिट है, उसकी फोटो टेलीविजन पर दिखायें जैसे आप टैरेरिस्टों की फोटो दिखाते हैं। आजकल दूरदर्शन का मीडिया बहुत ही स्ट्रांग है, आप अखबार में फोटो छापते ही हैं और जैसे खोए हुए लोगों की फोटो दिखाते हैं, उसी प्रकार इन क्रिमिनिल्स की फोटो भी टेलीविजन पर दिखायें, जिससे उनके सगे-सम्बन्धी, दोस्त जान सकें कि इन लोगों ने क्या काम किये हैं और उनकी सोशियल बॉयकॉट हो सके।

मैं एक बात कह कर अपनी बात समाप्त करूँगा, क्योंकि मन्त्री महोदया को जबाब देना है। जो लोग वैस्ट में गए हैं, अमरीका, इंगलैंड, कनाडा तथा यूरोप के देशों में, वहां उन्होंने देखा होगा, कम से कम मैंने तो देखा है कि औरतों की कितनी इज्जत होती है। उसका कारण यह है कि शुरू से परिवार में यह ट्रेनिंग दी जाती है कि औरत का स्थान मर्दों से ऊँचा है। वहां पर कोई भी औरत कितनी ही आमदनी उसकी हो, गरीब से गरीब हो, यदि वह बस में सफर करेगी तो अमीर से अमीर आदमी जो बस में बैठा हुआ है, वह उठ कर उसको स्थान देगा। क्यू में भी मर्द और औरत को सबसे पहले स्थान देगा। बर्फ के दिनों, ठण्डे के दिनों में, अक्सर मर्द और औरत ओवर-कोट पहनते हैं, यदि किसी के यहाँ कोई लेडी जाएगी, तो उस घर का जो मुखिया है, उस लेडी के ओवर-कोट को उठाकर वह रखेगा। चाहे वह कितना भी अमीर क्यों न हो। इसलिए सवाल मानसिकता का है। यदि हम वैस्ट से कुछ नहीं सीख सकते तो कम से कम औरत की इज्जत करना तो सीख सकते हैं। एक ट्रेनिंग बचपन से दी जा सकती है। मैं इस बारे में कहूँगा कि राजीव जी ने बहुत अच्छा काम किया है कि पंचायती राज में 30 परसंट रिजर्वेशन दिया है। आप इतना कीजिए कि ज्यादा से ज्यादा पैसा आप लड़कियों की एजूकेशन पर खर्च कीजिए, ताकि लड़कियां खड़ी होकर कह सकें कि बत्तमिजी बर्दाश्त नहीं करेंगे। जब बेइकोनोमिकली

इंडिपेंडेंट हो जायेंगी, तो सारी समस्या अपने आप समाप्त हो जायेगी। उनको आप किसी तरह से इकोनोमिकली इंडिपेंडेंट बनाइए और इकोनोमिकली इंडिपेंडेंट बनाने के लिये आप उन्हें एजूकेशन दीजिए। मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि यह सवाल किसी एक पार्टी का नहीं है, किसी एक समाज का नहीं है, किसी एक गांव का नहीं है, बल्कि पूरे राष्ट्र का है। अभी मेरे बगल में दिल्ली में एक लड़की के साथ अत्याचार हुआ है। लड़की के घर वाले उस हालत में नहीं थे कि दे डाउरी देते, तो उसके हजबैंड ने, उसके जेठ ने, उसके श्वसुर ने, सब उसको पीटते थे, लेकिन कहीं उसको न्याय नहीं मिला। उस लड़की के फादर को लेकर मैं पुलिस कमिश्नर के पास गया और पुलिस कमिश्नर ने तुरन्त एक्शन लिया और मामला रास्ते पर आ गया। लेकिन मैं कितने लोगों को ले जाकर मैं पुलिस कमिश्नर के यहां न्याय दिलाऊंगा या आप कितने लोगों को लेजर पुलिस कमिश्नर के यहां न्याय दिलायेंगे। आवश्यकता है मानसिकता बदलने की। हम सब अपने अपने तरीके से मानसिकता बदलें। कहने के लिये हम बड़े बड़े भाषण देते हैं और लोग कह देते हैं कि जहां औरतों की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं। एक आदमी ने कहा यह केवल कहने के लिए है, उसी तरह से है जैसे कि हर बेईमानी करने वाला आदमी कहता है —"सत्मेव जयते", सत्य की विजय होती है। इसी तरह से अगर भाषण करने के लिए कहें तो इसका कोई अर्थ नहीं है। जब तक हम अपने जीवन में इस बात को नहीं उतारेंगे कि हमें समाज को बदलना है तब तक यह नहीं होगा। हमें इस बात की प्रतिज्ञा लेनी होगी। जब तक हम यह नहीं करेंगे तब तक औरतों पर अत्याचार नहीं रुकेगा।

[अनुवाद]

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में युवा कार्य और खेल तथा महिला और बाल विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट आल्वा) : उपाध्यक्ष महोदय, गृह मंत्री इस वाद-विवाद के अन्त में इसका उत्तर देंगे। मैं केवल हस्तक्षेप कर रही हूं।

आप जानते हैं कि कार्यान्वयन तंत्र महिला और बाल विकास विभाग के पास नहीं है। ये गृह मंत्रालय और राज्य तंत्र ही है जिन्हें वास्तव में इस विधान को कार्यान्वित करने के लिए तेज करना होगा जिस पर हम संसद के माध्यम से निगरानी रखते हैं।

इस चर्चा में उठाए गए बहुत से मुद्दों को मैंने नोट किया है। इस शुरू के स्तर पर मैं उनमें से कुछ मुद्दों का उत्तर देना चाहती हूं।

एक मुद्दा यह है कि हमारे पास विधान मौजूद हैं। उसमें खामियों में संशोधन करने के लिए हमें समय समय पर अपना समर्थन मिलता रहा है।

अक्सर महिलाओं के दलों द्वारा तथा इस क्षेत्र में विभिन्न विशेषज्ञों द्वारा सुझाव दिये जाते हैं।

महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों के आकड़े एकत्र करने के लिए समय समय पर प्रयास किये गए हैं और गृह मंत्रालय द्वारा इस सभा को वे आकड़े दिये गए हैं। महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों के मामले पुलिस स्टेशनों पर दर्ज किये जाते हैं। किंतु जैसे ठीक ही कहा गया है कि बहुत से मामले दर्ज ही नहीं होते हैं क्योंकि महिलाओं में सामान्यतः पुलिस स्टेशनों पर जाने तथा

[श्रीमती मारग्रेट आल्वा]

निम्न स्तर पर पुलिस मशीनरी के संपर्क में आने से वे विभिन्न कारणों से घबराती हैं जो मैं स्पष्ट करूंगा। किंतु मैं कहना चाहता हूं कि पिछले एक दशक में, विशेषकर राष्ट्र संघ दशक के पश्चात महिलाओं में चेतना बढ़ गई है; और भारतीय महिलाओं में जो समान्य चेतना बढ़ गई है, उस से महिलाओं के आन्दोलन को वास्तव में शक्ति प्राप्त हुई है। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया शान्त रहिए। हम एक गम्भीर विषय पर चर्चा कर रहे हैं। आप अकस्मात् क्यों हँस रहे हैं ?

श्रीमती मारग्रेट आल्वा : पुलिस केन्द्रों में महिलाओं द्वारा किए गए तथा उनके खिलाफ किए गए अपराध रजिस्टर कराने की स्थिति में सुधार करने का दूसरा कारण यह है कि हमें संशोधनों द्वारा कानून की त्रुटियों को समाप्त करना है जिनके कारण अब अधिक से अधिक अपराध रजिस्टर होते हैं, जो पहले रजिस्टर नहीं होते थे। जो महिलाएं पहले कुछ ऐसे विषयों के संबंध में कहने से डरती थीं अब इन विषयों के संबंध में बोलती हैं; और वे इस प्रकार की रजिस्ट्रेशन उनके साथ न्याय करने के लिये कराती है। उदाहरण के तौर पर बलात्कार का ही प्रश्न लीजिए। कुछ वर्ष पूर्व, कोई माता-पिता या परिवार बलात्कार की शिकार किसी लड़की को इस के संबंध में कहने अथवा पुलिस स्टेशन जाने की अनुमति नहीं देते। यद्यपि वह इसका शिकार क्यों न हुई हो क्योंकि समाज सदन उसका तिरस्कार करता था क्योंकि वह ऐसे अपराध की शिकार हुई है। किंतु आज परिस्थितियां बदल गई हैं, और यह एक अच्छा संकेत है कि ऐसे अधिक से अधिक मामले प्रकाश में आ रहे हैं और इन की बात दर्ज की जा रही है और इस से निपटने के लिए मशीनरी को तेज किया जा रहा है। किंतु मैं मानती हूं और इस बात से सहमत हूं कि कार्यान्वयन मशीनरी को तेज कर दिया जाना चाहिए और उसे देश में महिलाओं की बदलती हुई आवश्यकताओं के प्रति उत्तराधिकारी होना चाहिए। अधिक से अधिक महिलाएं काम करने के लिए आ रही है और सार्वजनिक परिवहन में अकेले यात्रा करती हैं और उन्हें विभिन्न चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। आश्चर्य की बात हैं कि समाज सदा ही महिलाएं से अनुसूचित लाभ उठाना चाहता है। चाहे कॉलेज जाने वाली लड़की हो अथवा डी०टी०सी० बसों में यात्रा करने वाली या काम करने वाली महिला हो। हमारे पास सरकारी कार्यालयों अथवा गैर-सरकारी कार्यालयों में महिलाओं को परेशान करने वाले अधिक मामले आते हैं। महिलाओं से विभिन्न प्रकार की मांग की जाती है और यदि वे नहीं मानती हैं तो या तो उनका रिकार्ड खराब किया जाता है या अपने घरों से बहुत दूर उनका तबादला कर दिया जाता है; या काम में अन्य प्रकार की परेशानी होती है। संभवतः कुछ अन्य प्रकार की अलिखित नृशंसताएं भी हैं जिन का सामना महिलाओं को अपने परिवारों में ही करना पड़ता है। यहां मैं यह पूछना चाहती हूं कि हम में से ऐसे कितने लोग हैं जो अपने परिवारों में सम्पत्ति के संबंध में और शिक्षा के संबंध में अपने बेटों और बेटियों में भेद-भाव नहीं करते। जब शिक्षा की बात होती है, तो हम समझते हैं कि लड़का यदि तीसरी श्रेणी में भी पास होगा तो भी उसको सर्वोत्तम शिक्षा मिलनी चाहिए चाहे उसको कर्नाटक में किसी 'डोनेशन कॉलिज' में दान देकर दाखला मिले। किंतु लड़की यदि प्रथम श्रेणी में भी उत्तीर्ण होती है तो किसी विशेष समय के पश्चात् हम सोचते हैं

[हिन्दी]

शादी करनी है, क्या बात है, घर में बैठने दो।"

[अनुवाद]

सदा इस प्रकार का सामाजिक भेद-भाव बना रहता है जो माता-पिता स्वयं आरम्भ करते हैं, विशेषकर माताएं अपने परिवारों में करती हैं और स्वभावतः विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार से यह प्रतिबिम्बत होता है।

महोदय, सदस्यों की सामान्य प्रथा यह है कि वे आरोप लगाते हैं और सदन से उठकर चले जाते हैं और उत्तर नहीं सुनते हैं। मुझे खेद है कि मेरी सहयोगी तथा मित्र श्रीमती गोस्वमी उत्तर सुनने के लिए नहीं रुकीं। वह यह सुझाव देना चाहती हैं कि सरकार बदलने से महिलाओं के प्रति समाज का व्यवहार भी बदल जाएगा। मुझे खेद है कि मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। न ही मैंने आंकड़ो के अनुभव से देखा है कि शिक्षा के विकास से यह बदल जाता है। प्रत्येक वक्ता यह मानता है कि शिक्षा के बावजूद, तथाकथित विकास प्रक्रिया में नगरी प्रभाव के बावजूद, नगरों में भी बालिकाओं तथा महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों में वृद्धि हो रही है। हम दहेज की बात करते हैं। हमारा इस संबंध में कानून भी है: सरकारी कर्मचारियों के लिए हमारे पास नियम हैं। हमारे पास यह सारा कुछ है। यह सारा कुछ किया गया है।

लेकिन फिर भी, यह उल्लेख किया गया है कि सबसे अधिक दहेज भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के लिए दिया जाता है। माननीय गृह मन्त्री यहां उपस्थित हैं। मैं नहीं जानती कि जहां तक उनके मन्त्रालय का प्रश्न है उन्हें इसके बारे में क्या कहना है। परन्तु यहां मैं भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी, भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों आदि के लिए दहेज के बारे में कह रही हूं। हमारे यहां ज्यादा शिक्षित लोग और ऊंची कीमत मांगते हैं जैसे कि वे बिकाऊ दुल्हे हों और जब वे हरा कार्ड और विदेशी डिग्री लेकर वापस आते हैं तो कीमत और भी बढ़ जाती है। यह बहुत शर्मनाक बात है कि अपनी डिग्रियों, पी-एच० डी० के साथ वे जब स्वदेश वापस आते हैं—तो वे अपने ही घर पर अपनी लड़कियों के लिए बिकाऊ दुल्हे बन जाते हैं।

[हिन्दी]

श्री विजय कुमार यादव : उनकी डिग्रियां छीन लेनी चाहिए।

[अनुवाद]

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया : मैं पहले ही जिक्र कर चुका हूं कि वे विवाह संबंधी बाजार में सबसे अधिक कीमत पर बिकते हैं।

श्रीमती मारग्रेट आल्वा : यह सच है, किसी व्यक्ति ने कहा था कि इसके लिए मातायें जिम्मेदार हैं। हां, सामें जिम्मेदार हैं। लेकिन शिक्षित लड़के इन मांगों में अपनी माताओं का साथ क्यों देते है जब वे अपनी डिग्रियां लेकर वापस आते हैं? कुल मिलाकर मैं तो कहूंगी कि ये अपराध केवल एक वर्ग विशेष एक विशेष सामाजिक स्तर या अशिक्षित वर्ग या आर्थिक समूह, विशेष तक सीमित नहीं हैं। ये तो कुछ ऐसा लगता है जिसे हम स्वीकार करते हैं।

[हिन्दी]

श्री शमिन्दर सिंह : उनके लिए चिदम्बरम साहब 50 परसेंट टैक्स लगा दीजिए, इससे इसमें कुछ कमी आयेगी।

श्री उत्तम राठौड़ (हिंगोली) : मैम्बर आफ पार्लियामेंट के बारे में क्या है।

श्रीमती ग्रारग्रेट आल्वा : यह भी मैं बोलना चाहती हूँ।

[अनुवाद]

यदि यह सवाल और जबाब का सत्र है तो मैं अपना भाषण छोड़ देती हूँ। मैं उस मुद्दे पर आ रही हूँ जिसके बारे में किसी व्यक्ति ने सवाल उठाया है। आम तौर पर यह कहा जाता है कि राजनीतिज्ञों को सबसे कम दहेज मिलता है—क्योंकि उनका भविष्य सबसे अधिक अनिश्चित रहता है।

[हिन्दी]

पांच साल के बाद पता नहीं कहां रहेंगे, क्या हो जाएगा। (**व्यवधान**)

[अनुवाद]

इसलिए, उनकी ज्यादा मांग नहीं रहती है। मैं तो कहूँगी कि हमारे माननीय उपाध्यक्ष महोदय का विवाह पिछले साल हुआ है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप मुझे इसमें क्यों शामिल कर रही हैं ?

(**व्यवधान**)

श्री पी० कुलनदईवेलू (गोबिचेट्टिपालयम) : उस समय उनकी काफी मांग थी। (**व्यवधान**)

श्रीमती मारग्रेट आल्वा : मैं यह इसलिए कह रही हूँ कि यह राजनैतिक मुद्दा नहीं है। सदस्य चाहे इस तरफ बैठें हों या उस तरफ बैठे हो। आप एक ऐसे राज्य में भी हो सकते हैं जहां कोई भी सरकार यह व्यवस्था चला रही हो। मैं नहीं समझती कि इससे आंकड़ों या स्थिति में बहुत परिवर्तन आयेगा। मैं तो कहना चाहूँगी कि सदस्य कार्यान्वयन पद्धति को अधिक प्रभावी बनाने के बारे में बोले हैं। हमने 1984 में एक कानून पारित किया था। मैंने बार-बार इस सभा में और मुख्य मन्त्रियों को लिखे अपने पत्रों में परिवार न्यायालय के बारे में जिक्र किया है। यह आशा थी कि परिवार न्यायालय परिवार में महिलाओं द्वारा सामना किये जा रहे कई कानूनी और अन्य समस्याओं को निपटायेंगे। और जिनका माहौल अन्य न्यायालयों से भिन्न होगा। मुझे यह कहते हुए खेद है कि पश्चिम बंगाल जिसके बारे में सदस्य इतना अधिक बोले हैं, ने अभी तक एक परिवार न्यायालय कलकत्ता में भी स्थापित नहीं किया है। वे कहते हैं कि पश्चिम बंगाल में कोई समस्यायें नहीं है, शायद बंगाल में प्रत्येक व्यक्ति साधू है। परन्तु, मैं नहीं जानती हूं। उनका अनुभव ऐसा हो सकता है। परन्तु, यहां मैं कहना चाहूँगी कि 1984 से जयपुर, कानपुर, लखनऊ, मद्रास और बंगलौर में केवल पांच परिवार न्यायालय ही स्थापित किये गये हैं। अन्य किसी ने एक भी परिवार न्यायालय स्थापित नहीं किया है। अतः कानूनों का प्रवर्तन सामान्य प्रक्रिया से चल रहा है जिसमें मामलों की सुनवाई या निपटान में कई वर्ष लग जाते हैं। मैं उन सभी सदस्यों से अपील करूंगी जो यह समझते हैं कि प्रत्येक चीज के लिए केन्द्र सरकार की जिम्मेदारी है, और यह कि वह अपनी राज्य सरकारों पर पर्याप्त दबाव डालें तथा यह सुनिश्चित करें कि परिवार न्यायालय यथा शीघ्र स्थापित किये जायें।

किसी व्यक्ति ने सती के प्रश्न के बारे में कहा है। यह सच है कि ऐसी एक घटना हुई थी और सरकार ने इस पर तुरन्त प्रतिक्रिया की थी। मैं तो कहूंगी कि राजस्थान और यहां दोनों जगह सरकारों ने तत्काल यह सुनिश्चित करने के लिये कार्यवाही की थी कि यह दुबारा कभी घटित नहीं हो। खैर, आप कह सकते हैं कि यह क्यों हुआ ? जी हां, यह नही होना चाहिए। लेकिन मुद्दा यह है कि हमने इस क्षेत्र में औरतों को यह बताने के लिए अभियानों सहित तुरन्त कार्यवाही की कि उन्हें मरने की आवश्यकता नहीं हैं। हम उनकी देखभाल करने के लिए तैयार है। मुझे प्रसन्नता है कि राजस्थान में सती प्रवण क्षेत्र सीकर में विधवाओं के लिए पहला गृह पिछले महीने ही एक संयुक्त परियोजना के रूप में खोला गया था और उद्घाटन समारोह में 15000 महिलायें आयीं और पूरा सीकर नगर इन नारों से गूंज उठा था, "हम मरने के लिए नहीं हैं, हम जीवित रहेंगी और लड़ेंगी।" इस जिले में एक बदला हुआ माहौल है। स्कूलों और कालेजों में अवकाश घोषित किया गया था और लड़कियों बच्चों तथा प्रत्येक व्यक्ति ने इस बड़े कार्यक्रम में भाग लिया था। हमने गलियों में पदयात्रा करते हुए अपील की थी, यदि आप अपनी विधवाओं की देखभाल नहीं कर सकती हैं तो उन्हें हमारे गृहों में भेजिए उनकी हम देखभाल करेंगे।" हमारे यहां उनमें से 33 अपने बच्चों सहित पहले ही इस गृह में है। तथा मुझे झुंझनू और अन्य जिलों में, जहां ये समस्यायें हैं ऐसे और गृह खोलने के अनुरोध मिल रहे हैं। अतः, सामाजिक जागरुकता और इस प्रकार के अभियान से परिणाम निकलेंगे क्योंकि इंदिरा जी बार बार कहा करती थी, "ये महिलाओं की समस्यायें नहीं हैं। ये सामाजिक समस्यायें हैं और पूरे समाज को मिलकर इनसे निपटना होगा।" इसलिए, मैं सभी वर्गों से, विशेश तौर पर अपने विपक्षी मित्रों से, निवेदन करती हूँ कि यह चर्चा बहुत अच्छे ढंग से शुरू हुई है। परन्तु फिर भी हम कहने लगते हैं; "यदि सी० पी० एम० की सरकार होगी तो आपके ऊपर अत्याचार नहीं होंगे और यदि कांग्रेस की सरकार होगी तो आपके ऊपर अत्याचार होंगे।" फिर यह बात एक इस स्तर तक नीचे आ जाती है जहां इस पूर वास्तविक चर्चा और इस समस्या का समाधान सम्भव नहीं होता है। इसलिए, मैं अनुरोध करती हूँ कि हमें समस्या को यथावत लेना चाहिए क्योंकि हम सभी को एक राष्ट्र के रूप में, एक समुदाय के रूप में इसका समाधान करना है।

जांच के सम्बन्ध में प्रश्न उठाया गया है। मैं यहां यह कहना चाहती हूँ कि चाहे यह सुप्रिया का मामला हो या कोई अन्य मामला, राज्य सरकार की अनुमति के बिना हम सीधे जांच में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। गृह मन्त्रालय ने समय समय पर निदेश जारी किये हैं, विशेषतौर पर दो डाक्टरों द्वारा शव परीक्षण की आवश्यकता के सम्बन्ध में यदि ऐसा शादी से सात वर्ष के अन्दर होता है। इसके अतिरिक्त विभिन्न दूसरे उपाय हैं, यानि लड़की का दाह संस्कार उस समय तक नहीं किया जा सकता जबतक कि लड़की के परिवार का कोई सदस्य इस बात से सन्तुष्ट नहीं हो जाये कि ऊन्होंने पूरी जांच कर ली है और दाह संस्कार या दफनाने से पूर्व शव को देख लिया है इत्यादि, इत्यादि। परन्तु जैसाकि मैंने कहा, जब तक इसे हर स्तर पर लागू करने की प्रतिज्ञा नहीं की जाती और यदि वरिष्ठ और अति महत्वपूर्ण लोग यह महसूस नहीं करते कि वे कानून से परे हैं, चाहे किसी अस्पताल में शव परीक्षण हो अथवा दूसरे नियमों का पालन किया जा रहा हो, तब तक मेरे लिए यहां खड़े रहना और यह कहना कि सभी ठीक है बहुत कठिन है। मैं नही सोचती कि कोई कानून से भी ऊपर हो सकता है। दहेज सम्बन्धी कानून सभी पर लागू होने चाहिए--राजनैतिक और गैर-राजनैतिक लोगों, अधिकारियों तथा सभी लोगों पर समान रूप से लागू होने चाहियें। जहां तक सती का सम्बन्ध है, आप शायद....(व्यवधान)

श्री वीर सेन (खुर्जा) : यह एक मुख्य मन्त्री पर कैसे लागू हो सकता है ?

श्रीमती मारग्रेट आल्वा : मैं भी यही बात कह रही हूं कि जनता में जागरुकता पैदा करना बहुत आवश्यक हो जाता है। मैं विस्तार में नहीं जाना चाहती क्योंकि समय कम है। सुप्रिया वाली इस घटना के बाद मैं हरियाणा में गई थी। मैंने महिलाओं की एक जन सभा में भाग लिया था। उन्होंने मुझे आमन्त्रित किया था। उन्होंने कहा; "हम सच जानना चाहते हैं। यह हरियाणा की बेटी का सवाल है और हमें सच जानने का अधिकार है -" मैं इस मामले में जांच में सहायता देने के लिए सहमत हो गई थी। मैं अधिक विस्तार में नहीं जाना चाहती क्योंकि अब यह मामला न्यायालय में है।

दूसरी बात निर्णय लेने की प्रक्रिया के बारे में है। यह ठीक ही कहा गया है कि महिलाओं को निर्णय लेने की प्रक्रिया में लाना होगा। उनके बनाये गये कार्य कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने में उन्हें अधिकार अवश्य होना चाहिए और मुझे खुशी है कि पंचायतों में, जो अब प्रधान मन्त्री ने घोषणा की है, हमें आशा है और दल के मंच पर तथा अन्यथा वायदा करने के कारण—ग्राम पंचायतों में, खण्ड स्तर पर पंचायत समितियों में और जिला स्तर पर, जिला परिषदों में 30 प्रतिशत स्थान महिलाओं के लिये आरक्षित होंगे।

एक माननीय सदस्य : इसका कोई समर्थन नहीं करता।

श्रीमती मारग्रेट आल्वा : आप चाहे समर्थन न करें; परन्तु भारत की महिलाएं इसे विपक्ष या सरकारी मुद्दे की दृष्टि से नहीं देखती हैं; वे इसे एक ऐसे मुद्दे की दृष्टि से देख रही हैं जो महिलाओं को निचले स्तर पर निर्णय लेने की प्रक्रिया तक लाएगा। हमें काफी समय तक इस प्रक्रिया से बाहर रखा गया है। मेरे विचार में अब समय आ गया है जब निचले स्तर पर हमारी आवाज अवश्य सुनी जानी चाहिए। अब तक पुरुष प्रधान तन्त्र ने यह निर्णय किया है कि हमारे लिए क्या अच्छा है, उन्होंने यह तय किया है कि हमें कितना पैसा मिलना चाहिए, उन्होंने यह तय किया है कि इसका उपयोग कैसे किया जाना चाहिए और उन्होंने यह भी तय किया है कि महिलाओं को इसी से खुश रहना चाहिए, इसलिए, महिलाओं की वही स्थिति है जो पहले थी।

मेरे विचार में परिवर्तन आ रहा है और मुझे पूरा भरोसा है कि इस परिवर्तन से आप अधिकाधिक महिलाओं का आगे आते हुए देखेंगे जो हमारी विधान सभाओं में तथा संसद में आने वाले चुनावों में बहुत से स्थान प्राप्त करेंगी।

श्री बाई० एस० महाजन (जलगांव) : क्या नौकरी-पेशा महिलाओं पर भी यह लागू होता है ?

श्रीमती मारग्रेट आल्वा : मैं इस विषय पर भी आऊंगी। इस कक्ष में महिलाओं के आने के बारे में एक पहलू और भी है। इस मुद्दे को फिर उठाया गया था। प्रश्न सरकार या विपक्ष का नहीं है। परन्तु महिलाओं के लिये विधान सभाओं और निर्वाचित निकायों में भी सुरक्षा की जरूरत है। आज कोई भी हो सकता है, मैं भी यहां हो सकती हूं। प्रश्न यह है कि यदि हम विधानसभा में पुरुषों के बराबर खड़ी नहीं हो सकतीं अथवा चूंकि हम महिलायें हैं इसलिए हम पर हमला किया जा रहा है और जनता के सामने हमें अपमानित किया जा रहा है तब कोई भी महिला इस तरह चुनाव नहीं लड़ सकती। मेरे विचार से सभी वर्गों को इसकी निन्दा करनी

चाहिए। चाहे वह कोई महिला हो या पुरुष वह सभा की सदस्य बन सकती है और सभा में सब को अधिकार है कि उसके साथ समान नागरिक की तरह व्यवहार किया जाए। हमने देखा हैं कि हाल ही में जो कुछ हुआ, वह बहुत निराशा जनक है। मैं यह कहना चाहती हूँ कि महिलाओं को मात्र डरा-धमका कर बाहर नहीं निकाला जा सकता। जितना हमें धमकाया जायेगा उतना ही हम साहस बटोर कर लड़ेंगी।

हमने अधिक महिला पुलिस अधिकारी नियुक्त किए जाने की आवश्यकता के बारे में कहा है। मैं इस बात से सहमत हूँ कि हर पुलिस स्टेशन पर हमें उनकी जरूरत है और मुझे आशा है कि गृह मन्त्री जी मेरे इस निवेदन से सहमत होंगे। हम निरन्तर यह अनुरोध करते रहे हैं कि हमें अधिक महिला पुलिस अधिकारी भर्ती करनी चाहिए विशेषकर उन स्थानों पर जहां जनता को विशेषकर महिलाओं को पुलिस स्टेशनों पर जहां पर कानून लागू करने के कार्यतन्त्र से सम्पर्क करने की आवश्यकता हो।

श्री के० पी० सिंह देव (ढेंकानाल) : सशस्त्र बलों में महिलाओं की भर्ती के बारे में आपका क्या विचार है ? जब विधेयक पुरःस्थापित किया गया था तब आप ही की सरकार ने इसका विरोध किया था।

श्रीमती मारग्रेट आल्वा : जी हां, मैंने सोचा था कि सशस्त्र बल में वह कई अन्य बातों से भयभीत हो जायेंगी।

श्री के० पी० सिंह देव : कनाडा, संयुक्त राज्य अमरीका, डेनमार्क, स्वीडन, नार्वे, इंगलैंड आदि में सशस्त्र बलों में महिलाएं कार्यरत हैं।

श्रीमती मारग्रेट आल्वा : कम से कम उनकी पुलिस में भर्ती से इसकी शुरूआत तो की जाए। यहां दो स्तर हैं। एक पुलिस और दूसरा निम्न न्यायपालिका। मेरे विचार से हमें अधिक महिला मजिस्ट्रेट, जजों आदि की जरूरत है जो निम्न न्यायालयों में आने वाली महिलाओं की आवश्यकताओं को समझ सकती हैं।

श्री के० रामचन्द्र रेड्डी (हिन्दूपुर) : आप उन सेवाओं में भी महिलाओं के लिए 30% सीटें आरक्षित क्यों नहीं करते ?

श्रीमती मारग्रेट आल्वा : मैं उस बारे में भी कहूंगी। मैं तो कहूंगी कि मैंने हाल ही में ऐसा देखा है मैं नहीं जानती कि गृह मन्त्री इस पर क्या प्रतिक्रिया व्यक्त करेंगे। जिस तरह से हमारी महिला पुलिस अधिकारियों के साथ जांच आयोग और अन्य के समक्ष जिस तरह का व्यवहार किया जाता है मेरे विचार से उसके बाद कोई महिला पुलिस में आना नहीं चाहती। मेरे विचार से आज-कल स्वयं महिला पुलिस को संरक्षण की आवश्यकता है।

मुझे कहना चाहिए कि प्रशासन को सुग्राही बनाने की बहुत आवश्यकता है। हमने अपने विभाग से क्रियान्वयन तन्त्र, संचार माध्यम, पुलिस कानून लागू करने वाली एजेन्सियों को सुग्राही बनाने के लिए कई कार्यक्रम शुरू किये हैं और महिलाओं के मामले में प्रत्येक ग्रुप को सुग्राही बनाने की आवश्यकता है। मुझे प्रसन्नता है कि कार्मिक विभाग ने स्वीकृति दे दी है और अब हम सभी आई ए एस और आई पी एस अधिकारियों की सेवा के प्रारम्भ में महिलाओं के विकास के मामलों

[श्रीमती मारग्रेट आल्वा]

पर विशेष प्रशिक्षण दे रहे हैं जिससे कि शुरू से ही वे उनकी समस्याओं को जान सकें और समझ सकें कि बदलती स्थिति में उनसे कैसे निपटा जाए।

जैसा कि मैंने कहा है सामाजिक कल्याण संगठन और महिलाओं के ग्रुप इस सब के बारे में भली प्रकार अवगत हैं। अब हमने इन मान्यता प्राप्त निकायों से पुलिस स्टेशनों को महिलाओं की सूची दी है जो पुलिस की सहायता के लिये कानून लागू करने की प्रक्रियाओं में सहायता करेंगी और आवश्यक हुआ तो अपराध दर्ज कराने में सहायता करने और अन्य कामों आदि में महिलाओं की सहायता करने का काम करेंगी।

हमने 'विपत्ति में महिलाओं के लिए घर' का एक कार्यक्रम भी शुरू किया है हमने कार्यरत महिला होस्टलों में विधवाओं के लिए 10 प्रतिशत आवास के आरक्षण का विशेष प्रावधान किया है। हमने नियमों में परिवर्तन किया है तथा इन घरों में उन महिलाओं को बच्चों के साथ आने की अनुमति दी गई है, जिससे कि किसी भी विधवा या महिला को वर्किंग वुमेन होस्टलों से इस कारण बाहर न रखा जाये क्योंकि उनके छोटे बच्चे होते हैं। हमने महिलाओं के लिए दिन के समय बच्चों को रखने के लिए केन्द्र और ऐसे अन्य सहायता पहुँचाने वाले संगठन उपलब्ध कराये हैं जिनकी उन्हें आवश्यकता थी। निःसन्देह उन्हें रोजगार के लिये प्रशिक्षण और रोजगार की आवश्यकता है और हम बहुत सी योजनाएं शुरू करने जा रहे हैं जो नई शिक्षा नीति और गैर-औपचारिक क्षेत्र के माध्यम से उनकी सहायता करेंगे विशेषतया उन महिलाओं के लिए जिन्हें अपने पैरों पर खड़े होने की आवश्यकता है। प्रधानमन्त्री जी ने सदन में घोषणा की थी कि शीघ्र ही हम महिलाओं के अधिकारों के लिए एक राष्ट्रीय आयुक्त नियुक्त करेंगे। मेरे विचार से प्रत्येक व्यक्ति इसी की मांग कर रहा था कि एक स्वतन्त्र कार्यतन्त्र स्थापित किया जाए जो यह देखे कि राज्य और अन्य ऐजेन्सियां जांच प्रक्रियाओं का ठीक तरह से अनुसरण कर रही हैं और इन अपराधों की अवश्य ही जानकारी दी जाए तथा इनके लिए दंड भी अवश्य दिया जाए। इससे उन महिलाओं को बड़ी सहायता मिलेगी जो अनेक प्रकार के अपराधों का शिकार होती हैं। हम इसे गठित करने की प्रक्रिया में है और मैं आस्वस्त हूं कि अगले सत्र से पूर्व हम महिला अधिकारों सम्बन्धी आयोग के बारे में अधिकारिक घोषणा कर सकेंगे।

महोदय, मैंने विभिन्न मुद्दे एक साथ रखे हैं और इनके बारे में बताया है। नवजात कन्याओं की हत्या के प्रश्न पर बोला जा चुका है। हमने इसकी भर्त्सना की है। और मैंने राजस्थान के मुख्य मन्त्री को लिखा है। उस समय आवश्यक कानूनी कार्यवाही भी शुरू कर दी गई थी।

जब नारी के विरुद्ध अत्याचार का मामला होता है तो आप मुझसे सहमत होंगे कि अपराध और न्याय के बीच में किसी प्रकार की राजनैतिक तथा व्यक्तिगत हैसियत को नहीं होना चाहिए। यदि हम इस ओर समर्पित हों तो मैं नहीं समझती कि ज्यादा समस्याएं रह पायेंगी।

महोदय, मैं उन मुद्दों का उत्तर दे रही हूं, जो आज उठाये गये हैं लेकिन मैं यह कहना चाहूंगी कि जहां तक कानून लागू करने का सवाल है, इसका उत्तरदायित्व गृह मन्त्रालय का है और मैं सभी की ओर से गृह मन्त्रालय से निवेदन करूंगी कि इस बात को सुनिश्चत करें कि संसद द्वारा पारित कानूनों को ज्यादा जोर-शोर से लागू किए जायें और पुलिस महिलाओं के रक्षक, न कि शोषक के रूप में अपने उत्तरदायित्वों के प्रति ज्यादा जागरूक रहें।

श्री उत्तम राठौड : मैं सिर्फ एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। कानून विभिन्न चरित्रों की महिलाओं में भेद भाव करता है उदाहरणर्थ अच्छे चरित्र वाली महिला और बुरे चरित्र वाली महिला।

उपाध्यक्ष महोदय : मन्त्री महोदया बोल चुकी है। अभी वाद-विवाद समाप्त नहीं हुआ है।

श्री पी० चिदम्बरम : चर्चा अभी समाप्त नहीं हुई है।

श्री पी० कुलदईवेलू (गोबिचेट्टिपालयम) : महोदय, इस चर्चा के लिए मैं पीठासीन अधिकारी को धन्यवाद करता हूं क्योंकि इस समय ऐसी चर्चा बहुत ही आवश्यक है।

महोदय, महिलाओं के प्रति सामाजिक भेद भाव अभी भी जारी है और सरकार ने इसे दूर करने के लिए अनेक कदम उठायें है। महिला के लिए समानता तथा समान अधिकार का इस राष्ट्र में होना आवश्यक है। सरकार ने दहेज प्रतिबेध अधिनियम, अनैतिक व्यापार अध्र निवारक अधिनियम, भारतीय साक्ष्य अधिनियम और अनेकों अधिनियमों में संशोधन किए हैं। इनको प्रभावी बनाने के लिए प्रशासन तेज होना आवश्यक है। नीतिगत घोषणाओं और उनके लागू करने में एक बड़ा अन्तराल है जो अभी भी जारी है। यह अन्तराल अब काफी बड़ा हो गया है। इसको कम करने के लिए एक निगरानी एजेंसी का होना आवश्यक है। इसलिए सरकार को कानूनों को शब्दशः लागू करने की ओर कदम उठाना चाहिए।

महोदय, भारतीय दण्ड संहिता में एक नया प्रावधान जोड़ा गया है। स्वयं को बेकसूर सिद्ध करने का दायित्व अब अपराधी पर है। सधारणतः आपराधिक मामलों में अपराध सिद्ध करने का दायित्व अभियोजन पक्ष पर होता है। अब सरकार ने सिद्ध करने का दायित्व अभियुक्त पर डाल दिया है। इस तरह विवाहित महिलाओं पर अत्याचार के मामले में दहेज प्रतिबोध अधिनियम में निर्दोष सिद्ध करने की जिम्मेदारी अभियुक्त पर डाल दी गई है। स्त्री अशिष्ट रूपण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1986 तथा सती (निवारण) अधिनियम, 1987 नामक दो नए कानून हाल ही में संविधि पुस्तक में शामिल किए गए हैं। स्त्री अशिष्ट रूपण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1986 का उद्देश्य महिलाओं को पुस्तकों इश्तहारों और विज्ञापनों के माध्यम से अश्लील, अपमानजनक तथा मलिन रूप में दिखाने पर रोक लगाना है। सती (निवारण) अधिनियम का उद्देश्य सती होने को रोकना तथा इसके महिमा मन्डन को रोकना है।

कानून और व्यवस्था का मुद्दा वास्तव में राज्य सरकारों का है। जब तक इन अधिनियमों को लागू करने के लिए राज्य सरकारें प्रभावी कदम नहीं उठाती तब तक महिलाओं की सुरक्षा की कोई सम्भावना नहीं है। मैं इस अवसर पर यह कहना चाहता हूँ कि इस देश में अनेक राज्य सरकारें हैं लेकिन यहाँ तमिलनाडु की राज्य सरकार है जिसके अन्तर्गत वास्तव में महिलाओं की कोई सुरक्षा नहीं है। मैं सभा को यह बताना चाहता हूँ कि 1975 में जब यही डी० एम० के० सरकार सत्ता में थी तब कोयम्बटूर में एक जिला सम्मेलन हुआ था जिसमें एक सदस्य, जो अब मंत्री हैं, ने श्रीमती इन्दिरा गांधी के बारे में कहा था। यही मुख्य मन्त्री भी वहां उपस्थित थे। उन्होंने स्टेज पर से कहा कि वह श्रीमती इन्दिरा गांधी की सहायता के लिए एक विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लाना चाहते हैं। आप इस पर विचार करके देखिए। वही डी० एम० के० सरकार अब सत्ता में है। वही डी०एम०के० के मुख्य मन्त्री,** जिन्होंने श्रीमती इन्दिरा गांधी के मदुरै तथा

**कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री पी० कुलदईवेलू]

मद्रास आने पर उन पर वार करने का प्रयास किया था अब भी वहीं हैं। उस समय श्रीमती इंदिरा गांधी की साड़ी पर खून का एक धब्बा पड़ा था। डी.एम.के. मन्त्रियों तथा मुख्य मन्त्री** ने भी श्रीमती गांधी की साड़ी पर पड़े खून के धब्बे के बारे में कहा था। उन पर पत्थरों से हमला करके जब उन पर खून के धब्बे पड़े तो उनकी आलोचना की गई और वे इस पर मजाक करना चाहते थे। महोदय, क्या यह सही है ? यही मन्त्रिमण्डल अब सत्ता में है। इसी कारण मैं यह बात इस सभा के सम्मुख कह रहा हूं और मैं तमिलनाडु की महिलाओं के लिए सुरक्षा की मांग भी कर रहा हूँ।

25 मार्च, 1989 को तमिलनाडु विधानसभा के अन्दर एक हिंसात्मक घटना घटी। ऐसी घटना सारे देश में कहीं नहीं हुई है। तमिलनाडु में विपक्ष की नेता ए.आई.ए.डी.एम.के. की नेता कुमारी जयललिता हैं। उन्हें विपक्ष के नेता पद से हटाने के उद्देश्य से वास्तव में डी. एम. के. मन्त्रिमण्डल द्वारा उनकी शालीनता को बट्टा लगाने का प्रयास किया गया। मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या ऐसा होना उचित है और वह भी तब जबकि हम महिलाओं को इतना अधिक आदर देते हैं। इस देश का नाम भी भारत माता रखा गया है। हम नदियों के नाम भी महिलाओं के नामों के मुताबिक अर्थात, यमुना, गंगा, कावेरी इत्यादि पुकारते हैं। हम तो महिलाओं को अत्यधिक सम्मान दे रहे हैं लेकिन एक सरकार ऐसी है जो महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने की बजाय उनका हर तरह से अपमान कर रही है। इस लिये हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि 25 मार्च 1989 को हुए विशेषाधिकार के उल्लंघन के लिए इस सरकार के विरुद्ध तत्काल कार्यवाही की जाए। वहां विपक्षी नेता की शालीनता को बट्टा लगाने में सम्मिलित मन्त्रियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाए। महोदय, हमने अभी तक प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति तथा गृह मन्त्री को अनेक ज्ञापन दिये हैं लेकिन उनका कोई फायदा नहीं हुआ। 25 मार्च 1989 को घटी घटना न सिर्फ तमिलनाडु बल्कि भारत के इतिहास में एक काला धब्बा है। मुख्य मन्त्री के सामने ऐसी घटना हुई और अभी तक मुख्यमंत्री ने क्या कार्यवाही की है ? इस मामले से सम्बन्धित मन्त्रियों अथवा अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ? उन्होंने अभी तक उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की है। ऐसी स्थिति में मुख्य मन्त्री तथा तमिलनाडु की सरकार के विरुद्ध तुरन्त कार्यवाही करने तथा विपक्षी नेता की रक्षा के लिए और इस तरह तमिलनाडु की महिलाओं की रक्षा के लिए केन्द्र सरकार बचाव के लिए क्यों नहीं आई ? वास्तव में विपक्ष के सदस्यों पर बर्बरता पूर्वक निर्दयता से हमला किया गया और गालियां दी गई। कुमारी जयललिता के साथ तो ऐसा दुर्व्यवहार हुआ जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। तमिलनाडु सरकार के हाथों कोई भी महिला सुरक्षित नहीं है। मैं समझता हूं कि न सिर्फ तमिलनाडु बल्कि सारे भारत की महिलाएं पापियों अर्थात मुख्य मन्त्री तथा अन्य मन्त्रियों को कभी भी माफ नहीं करेंगी। महिलाएं सत्ताधारी डी. एम. के. की सरकार में पापियों को माफ नहीं करेंगी। महोदय, मुख्यमन्त्री तथा अन्य मन्त्रियों के सक्रिय सहयोग के साथ उन्हें विपक्ष के नेता पद से हटाने तता लोकतन्त्र की आवाज समाप्त करने और विपक्ष को बदनाम करने के लिए यह एक पुर्व-नियोजित हमला था। मैं 25 मार्च, 1989 को घटी घटना के बारे में बता रहा हूं। उस दिन कांग्रेस (आई) नेता, **उपनेता** और अन्य कांग्रेस सदस्यों पर भी हमला किया गया। वास्तव में, विधान सभा के अन्दर चप्पलों, चेयर बेट और माइको का मिसाइलों की

**कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

तरह प्रयोग किया गया। ऐसी घटना 25 मार्च, 1989 को घटी थी। 25 तारीख को स्वर्गीय डा० एम० जी० आर० की पत्नी श्रीमती जानकी श्रीमती जयललिता को, जिनका इलाज हो रहा था, देखने अस्पताल गयीं। उन्हें देखने के बाद श्रीमती जानकी घर वापस आयी। तुरन्त ही स्वर्गीय श्री एम० जी० आर० के घर पुलिस कर्मचारी भेजा गया और उस दिन घर पर छापा डाला गया। केवल इतना ही नहीं हुआ** के भाई की दुकान की तलाशी हुई, हजारों रुपये ले गये और सम्पत्ति छीन ले गये। तमिलनाडु में कतई लोकतंत्र नहीं है। यहां तक कि हमारे दल के हजारों लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है लेकिन फिर भी आन्दोलन चल रहा है। 25 मार्च, 1989 की घटना की निन्दा करने के लिये प्रतिदिन जन सभायें हो रही हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : आप सोमवार को अपना भाषण जारी रख सकते हैं अब हम अगले विषय पर विचार विमर्श करेंगे।

[हिन्दी]

श्री राम भात पासवान : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्वाइन्ट आफ आर्डर है, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं। डीमैंन एट्रोसिटीज पर मैं बोलना चाहता था, मेरा नाम सबसे उपर था, लेकिन मुझे समय नहीं दिया गया, मैं बोलने से रह गया हूं। मुझे इस पर बोलने के लिए समय दिया जाए।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आगे जब हम इस विषय पर चर्चा करेंगे, तो मैं आपको बुलाऊंगा। यदि आप चाहते हैं, तो आप पेय जल की समस्या के बारे में बोल सकते हैं :

4.20 म० प०

(तीन) देश के विभिन्न भागों में पेयजल की भारी कमी

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा के विभिन्न भागों में पेयजल की भारी कमी से उत्पन्न स्थिति और इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा उठाये गये कदमों के बारे में चर्चा करेगी।

श्री हरीश रावत बोलेंगे।

[हिन्दी]

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : उपाध्यक्ष जी, इस समय देश के अधिकांश भागों में पेयजल का गम्भीर संकट या तो व्याप्त हो चुका है, या व्याप्त होने की स्थिति में है। 1980 में इस बात की घोषणा की गई थी कि 1990 तक देश के सभी पांच लाख सात हजार गांवों को पीने का पानी उपलब्ध करवा दिया जायेगा। लेकिन दुख का विषय है कि जितना पैसा इसमें खर्च हुआ हैं जितनी ताकत इसमें लगी है उसके अनुरूप नतीजे नहीं निकल पाये। इन्टरनेशनल ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई एन्ड सैनिटेशन डिकेट के अन्दर कहा था कि 1990 तक वाटर सप्लाई की स्थिति में हम करीब 90

*कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री हरीश रावत]

परसेंट गांवों को मीठा पीने का पानी उपलब्ध करवा देंगे और 50 परसेंट ग्रामीण आबादी और लगभग शत-प्रतिशत शहरी आबादी ऐसी होगी जिनको स्वच्छता का लाभ मिलने लग जायेगा। मैं नहीं कहता कि केन्द्र सरकार ने पैसा नहीं दिया। जहां तक पैसे की स्थिति है पैसा इसमें काफी खर्च किया गया और काफी पैसा दिया भी गया। जो आंकड़े उपलब्ध हैं उनके अनुसार केन्द्र सरकार ने छठी पंचवर्षीय योजना में एक विशाल धनराशि 2700 करोड़ रुपये की इसके लिए निर्धारित की और सातवीं पंचवर्षीय योजना में 3535 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए और मैं

4.22 म० प०

(श्री शरद दिघे पीठासीन हुए)

समझता हूं कि इस समय तक जो व्यय किया जा सका है यदि उस सब का अनुमान लगाया जाए तो मालूम होगा कि 1990 तक चार हजार करोड़ रुपए से भी ज्यादा व्यय किया जाएगा। लेकिन इस विशाल धनराशि के उपयोग की बजाय आप किसी भी राज्य को देख लें—चाहे उत्तर प्रदेश को देख लीजिए, राजस्थान को देख लीजिए, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और बिहार लगभग सारे के सारे प्रदेश विशेष तौर पर ग्रामीण अन्चल पेय जल संकट से ग्रसित हैं। इस वर्ष यदि तत्काल बारिश नहीं हुई और अच्छी बारिश नहीं हुई तो मैं समझता हूं कि पेयजल के संदर्भ में गांवों के लिए यह सबसे कठिन वर्ष होगा।

अभी हम महिलाओं पर अत्याचार की घटनाओं पर बहस कर रहे थे। यह भी महिलाओं के ऊपर ही भार है। आज मेरे अपने इलाके के अन्दर स्थिति इतनी विषम है कि लोगों को पीने का पानी लाने के लिए 5-5, 6-6, किलो मीटर दूर तक जाना पड़ रहा है। ऊपर चढ़ाई के गांव हैं, वहां से 6 किलोमीटर नीचे उतर कर महिलायें आती हैं और पानी लेकर जाती हैं। एक पूरा का पूरा घर गर्मियों भर पानी ढोने का काम करता है और कोई दूसरा काम नहीं कर पाता। राज्य सरकार क्रेश प्रोग्राम के नाम से पेयजल की कमी को दूर करने के नाम से कुछ पैसा भी देती है मगर उस पैसे का किस तरह से उपयोग होता है, यह तो भगवान जाने। उत्तर प्रदेश के अन्दर जहां-जहां जल निगम के द्वारा पेयजल योजनायें बनी हैं, अधिकांश योजनायें इतनी खराब बनी हैं, अधिष्ठता महोदय, मुझे पिछले दिनों कुछ ब्लाकों की मीटिंग में जाने का मौका मिला, ब्लाकों की मीटिंगों में अधिकारी भी रहते हैं, यदि वहां 6 घण्टे बहस ब्लाक में चली है तो 6 घण्टे में से 4 घण्टे बहस इस बारे में चली है कि या तो गांव में पीने का पानी उपलब्ध नहीं हो पाया है, यदि स्कीम बन भी गई है तो वहां का प्रधान ज्यादा दुखी रहता है, वहां के व्यक्ति ज्यादा दुखी हैं क्योंकि स्कीम बनने के बाद जो परम्परागत स्त्रोत थे, जो नाले, धीरे और कुयें थे उनकी तरफ लोग ध्यान नहीं देते, एकआध साल पानी आता रहता है लेकिन एक साल के बाद पेयजल योजना डिफैक्ट हो जाती है क्योंकि जो नल गाड़े जाते हैं, वह जमीन की सतह पर ही छोड़ दिये जाते हैं, उनका भगवान मालिक रहता है, जो तीन फीट नीचे गाड़ने की व्यदस्था होनी चाहिए, वह नहीं की जाती, जो इन्टैक बनाये जाते हैं, वह डिफैक्टिव बनाये जाते है, जो डिस्ट्रीब्यूशन टैंक बनाये जाते हैं वह भी डिफैक्टिव बनाये जाते हैं। सीमैंट सब इधर-उधर चला जाता है और नाममात्र की मशीनरी से, मठ मोटर से बाहर से लेप करके सीमेंट रख दिया जाता है। बमुश्किल एक साल योजना चल पाती है, एक साल के बाद गांव के लोग केवल टैक्स भरने का काम करते हैं, उनसे

टैक्स की वसूली होती है, बाकी पेयजल योजना कतई काम नहीं करती। नल सूखे पड़े रहते हैं और यदि हल्ला गुल्ला मचा दिया, किसी को कोई संसद सदस्य मिल गया या एम. एल. ए. मिल गया और उसने ध्यान दे दिया तो थोड़ा सा पैसा खर्च करके फिर से पानी देने की व्यवस्था कर दी जाती है मगर कोई स्थाई हल निकालने की व्यवस्था नहीं हो पाती है। मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार क्योंकि यह हमारा राष्ट्रीय गौरव का भी प्रश्न है। और वैंकूवर में जो सम्मेलन हुआ उसमें हम पार्टी हैं और हमने कहा है कि इण्टरनेशनल वाटर डिकेड के अन्दर हम अपने देश के अन्दर सारे गांवों में मीठा पानी, पीने का पानी उपलब्ध करवा देंगे। यदि हम उपलब्ध नहीं करवा पाते हैं और 1992 और 1993 के बाद यह पता चलता है कि भारत के 1/3 गांवों में या आधे गांवों में आज भी पीने के पानी की समस्या बनी हुई है तो यह हमारे लिए राष्ट्रीय चुनौती है। मिनियम नीड प्रोग्राम के अन्दर हमने इसको टॉप प्रायोरिटी दे रखी है। बीस सूत्री कार्यक्रम में इसको प्रायोरिटी है और इसके बावजूद यदि स्थिति इस तरह से भयावह बनी रही तो निश्चत तौर से केन्द्र सरकार को राज्य सरकारों को मदद देने के लिए आगे नहीं आना पड़ेगा बल्कि अंकुश भी रखना पड़ेगा, कोई न कोई ऐसी व्यवस्था आपको करनी पड़ेगी कि पैसा देने के बाद उसकी प्रोपर मोनेटरिंग हो सके, उसकी देख-रेख हो सके। यदि देख-रेख नहीं होती है, प्रोपर मोनेटरिंग नहीं होती है, पैसा वैस्ट चला जाता है तो कल आप पार्लियामैंण्ट को क्या उत्तर देंगे और देश को क्या उत्तर देंगे और सरकार के बारे में, देश हमारे विषय में क्या अनुमान लगायेगा। स्थिति केवल इस बात की नहीं है कि स्त्रोत सूख गए हैं या नलों में पानी नहीं आ रहा है, डिफैक्टिव पानी हैं बल्कि जहां पानी उपलब्ध भी है उस पानी को ठीक से ट्रीट नहीं किया जाता है, उस पानी की कोई सफाई करने का, उसमें दवाई इत्यादि मिलाने की कोई व्यवस्था नहीं की जाती है क्योंकि देख-रेख करने की स्थाई मशीनरी है ही नहीं। यदि है तो वह नाम मात्र की मशीनरी है। आज पंचायतों को अधिकार देने की बात आ रही है, मैं निवेदन करना चाहूंगा ग्रामीण विकास राज्य मन्त्री जी से और अर्बन डवलपमैंट मिनिस्टर साहब से कि पंचायतों को ही पेयजल योजनाओं के रख-रखाव का काम भी सौंप देना चाहिए। उनको अधिकार दे देना चाहिए कि वेटैक्स लगा सकें। टैक्स लगाने के बाद उस टैक्स के पैसे से उसकी देखरेख का काम करें और हर गांव की प्रतिवर्ष निश्चित धनराशि मिले अपनी पेयजल की योजनाओं की देखरेख के लिए। सब जगह सरकार नहीं पहुँच सकती है। हर जगह सरकारी मशीनरी की स्थापना नहीं करेंगे तो मुझे इस बात का भय है कि समस्या कभी सुलझ नहीं पाएगी। मैं निवेदन कर रहा था कि पानी भी अच्छा नहीं मिल पाता है, गन्दा रहता है। हमारे देश के अन्दर यदि प्रतिवर्ष जितने बच्चे पैदा होते है, उनमें से प्रतिहजार में 127 बच्चे केवल गन्दा पानी पीने के कारण मर जाते हैं। 122 लाख व्यक्ति ऐसे हैं, जिनको गले की बीमारी हो जाती है। इस बीमारी को शायदा भोंगा कहते हैं, अंग्रेजी में तो मुझे मालूल नहीं है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि हम उनको अच्छा पीने का पानी भी उपलब्ध नहीं करवा पा रहे हैं। ट्रीटेड वाटर उपलब्ध नहीं करवा पा रहे है। मैं आग्रह करूंगा कि राज्य सरकारों से बातचीत करके इस बात की व्यवस्था की जानी चाहिए कि पानी ऐसा मिले जो कम से कम पीने लायक तो हो और अच्छा हो।

शहरों क्षेत्रों में भी स्थिति विषम है। संगठित पेयजल योजना जब पहले शहरी क्षेत्रों के लिए प्रारम्भ की तो उसके बाद से लेकर अब तक बहुत सारी बड़ी-बड़ी योजनायें बनाई गई, लेकिन अधिकांश योजनाओं की हालत यह है कि शहरों में आबादी बढ़ गई है। मैं कहना चाहता

[श्री हरीश रावत]

हूँ कि पहले जिस अनुमान से योजना बनाई गई, उससे दुगुनी-तिगुनी आबादी बढ़ चुकी है, दिल्ली की आबादी हमारे देखते-देखते, बीस वर्षों से मैं दिल्ली आ रहा हूं, बीस बरस पहले जिस रूप में हमने दिल्ली को देखा था, आज उस रूप से दिल्ली कई गुना आगे बढ़ चुकी है। निश्चित रूप से उस समय जो कल्पना की गई होगी, उस कल्पना के अनुसार बनाई हुई पेयजल योजना आज आपकी आपूर्ती करने में सक्षम नहीं है। उसमें जोड़ तोड़ करने या पैबन्द लगाने से काम नहीं चलेगा। पिछले दिनों अखबारों में निकला था कि दिल्ली इस शताब्दी के अन्त तक पेयजल के गम्भीर संकट से ग्रस्त हो जाएगी। दिल्ली के लोगों को इस समय जितना पानी मिल रहा है, उसका चौथाई भी हम देने की स्थिति में नहीं रहेंगे। मद्रास में जितना गम्भीर संकट है, मद्रास से भी कई गुना संकट दिल्ली में हो सकता है। यहां पर अर्बन डवेलपमेंट मिनिस्टर महोदय मौजूद हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि दिल्ली की पेयजल की समस्या के विषय में कोई दीर्घकालीन योजना बनाई जानी चाहिए। ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि दिल्ली जो हमारी राजधानी है, वहां पर पेयजल का गम्भीर संकट व्याप्त न हो तो उस समय आपको फिर हैंडपम्प लगाने पड़ेंगे, जिस तरह के हैंडपम्प जमुना पार के क्षेत्र में लगाने पड़े और वहां आन्त्रशोथ की भयंकर बीमारी वहां फैली और कई बच्चे असमय कालकलवित हुए। इस वजह से हम सब का माथा शर्म से झुका। दिल्ली के अन्दर बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। दिल्ली में कई कालोनीज की हालत बहुत ही बदत्तर है। दिल्ली की एमसीडी की मीटिंग में रोज इस बात पर हल्ला हो रहा है कि पीने का पानी आज इस कालोनी को नहीं मिला और कल दूसरी कालोनी को नहीं। पानी जितना मिलना चाहिए, उतना तो मिलने का सवाल पैदा नहीं होता। जहां हम लोग संसद रहते हैं, वहां भी पानी का प्रश्न बहुत ही कम है, हम लोगों को भी निश्चित मात्रा में पानी नहीं मिल रहा है। जब हम लोगों के यहां यह हालत है, तो दूसरे इलाकों की तो कल्पना की जा सकती है। इसी प्रकार आउटर दिल्ली के इलाकों में भी स्थिति भयावह है। बहुत से लोग जो यहां काम करते हैं, मुझे से कह रहे थे कि पीने के पानी के विषय में चर्चा होने जा रही है मेहरबानी करके आप इस बिन्दू को भी उठाइए कि हमारे मौहल्ले में पानी नहीं मिल रहा है। अगर मैं उन मौहल्लों के नाम लिखाने लग जाऊं तो मन्त्री महोदय आपकी लिस्ट इतनी लम्बी हो जाएगी कि आप थक जायेंगे लिखते-लिखते। इसलिये मैं आप से निवेदन करना चाहता हूं कि एक जनरल रिव्यू उस समय जो स्थिति हो, उसका होना चाहिए और उसके अलावा इस बात का भी रिव्यूह होना चाहिए कि पानी की समस्या के हल के लिये एक दीर्घकालीन योजना की व्यवस्था की जा सकती है। यमुना से दिल्ली के लिये उतना पानी नहीं निकाल सकते हैं, आपको कहीं-न-कहीं दूर तो जाना पड़ेगा। इसलिये मैं आप से निवेदन करूंगा कि आप दिल्ली प्रशासन से कहिए कि उत्तर प्रदेश सरकार टिहरी डैम बनाने जा रही है, टिहरी डैम के लिए दिल्ली की सरकार अपनी तरफ से कन्ट्रीब्यूट करे, उसको कुछ पैसा दे, ताकि टिहरी डैम से कुछ क्यूसैक पानी दिल्ली के लिये लिया जा सके। आप अभी तो कंट्रीब्यूट करेंगे नहीं। जिस समय संकट पैदा हो जाएगा उस समय सब राज्य सरकारों से कहेंगे कि कुछ पानी रिलीज करिये। उस समय राज्य सरकारों पर दबाव होता है। कुछ पानी देंगी, कुछ दे नहीं पाएंगी और इससे दिल्ली के लोगों को तकलीफ का सामना करना पड़ेगा। मैं आग्रह करना चाहता हूं कि अभी से व्यवस्था करने के लिये उत्तर प्रदेश, पंजाब और हिमाचल प्रदेश की सरकारों से बात चीत कीजिए। उनसे बात चीत करके इसके लिए पैसा उपलब्ध करवाने के विषय में भी बात होनी चाहिए।

इसके अलावा हमारे देश के अन्दर जो सतही पानी है, उस सतही पानी का करीब 70 प्रतिशत पानी प्रदूषित हो गया है। अगर पूर्णतः नहीं तो अंशतः प्रदूषित हो गया है। मैं समझता, गंगा और यमुना की बात छोड़ भी दें, तो छोटी-छोटी जो नदियां हैं उनका पानी भी बहुत दूषित हो चुका है। ग्राम वाटर का किस प्रकार से हम उपयोग कर सके, उसको पीने से पहले किस प्रकार से सेट करने की व्यवस्था कर सकें, इसके विषय में भी कोई दीर्घकालीन योजना बनायी जानी चाहिए। कोई न कोई ऐसा दृष्टिकोण बनाया जाना चाहिए कि राज्य सरकारों से बात चीत करके, डिस्ट्रिक्ट स्तर की प्लेनिंग बोडी से बात चीत करके जिला स्तर पर योजना बनायी जानी चाहिए ताकि हम उसका जिला स्तर पर निरूपण कर सकें और जिला स्तर पर ही पैसा देकर के हम उसको एक्जीक्यूट करा सकें।

मैं ग्रामीण राज्य मन्त्री जी और अरबन डवलपमेंट मिनिस्टर साहब से यह भी आग्रह करना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश में सब से ज्याद गांव इस समय ऐसे हैं जो समस्याग्रस्त हैं। उनमें भी पेयजल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र में बहुत ही भयावह संकट व्याप्त है। क्योंकि वहां पर ग्राम वाटर निकाल करके उसका उपयोग करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मैदानी क्षेत्र में यदि कुआं सूख जायेगा तो हम ट्यूबवैल गाड़ सकते हैं, हैंडपम्प लगा सकते हैं। उनसे पानी निकाल सकते हैं। लेकिन पर्वतीय क्षेत्रों में जो हमारे स्रोत उपलब्ध हैं, हमें उन्हीं स्रोतों का उपयोग करना है। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि उत्तर प्रदेश सरकार को विशेष आर्थिक सहायता इस विषय में दी जानी चाहिए। राज्य सरकार ने एक सूची बना कर दी है। पिछले वर्ष सूखा कार्यक्रम के अन्तर्गत भी कुछ पैसा मांगा था। आपके मन्त्रालय द्वारा उत्तर प्रदेश को पैसा देने के मामले में बहुत संकोच बरता गया। जितना पैसा मांगा गया था, उसका पचासवां भाग भी नहीं दिया। मरम्मत के लिये जितना पैसा मांगा था उसका सौवां अंश भी उपलब्ध नहीं कराया गया। मैं कृषि मन्त्रालय से आग्रह करूंगा कि उत्तर प्रदेश की रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसको पैसा दिया जाए ताकि जो वहां 'पेयजल का आसन्न संकट व्याप्त हो रहा है उसका निराकरण करने में वहां की राज्य सरकार सक्षम हो सके।

अरबन डवलपमेंट मिनिस्ट्री के पास में वर्ल्ड बैंक की सहायता के लिए कुछ योजनाएं राज्यों से आयी हैं मैं समझता हूँ कि और राज्यों से भी आयी होंगी। उत्तर प्रदेश से बहुत सारी योजनाएं आयी हैं। लेकिन उनमें कछुआ चाल से काम हो रहा है। इनमें सीवर लाईन की और पेयजल की भी दोनों योजनाएं हैं। इतनी धीमी गति से उन्हें प्रोसेस किया जा रहा है कि सभी राज्य सरकार के स्तर पर बैठक होती है, कभी दिल्ली के स्तर पर बैठक होती है। बैठक ही बैठकों में काम चल रहा है। इन पांच सालों के अन्दर मैं 6-7 बार विभिन्न प्रकार से प्रश्नों के रूप में उठा चुका हूँ लेकिन हर बार कह दिया जाता है कि ऐसी स्टेज पर है। वह ऐसी स्टेज कब आयेगी, कब पैसा मिल पाएगा, कब एस्जीक्युशन स्टेज पर मामला आएगा, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता।

वर्ल्ड बैंक ने जो पैसा दिया था, उससे जो योजनाएं क्रियान्वित की थीं, उनमें भी कुछ योजनाएं आधी अधूरी रह गयी हैं। उनको पूरा करने के लिये भी पैसे की आवश्यकता है। मैं अरबन डवलपमेंट मिनिस्टर साहब से निवेदन करना चाहता हूँ कि वर्ल्ड बैंक की सहायता के लिये जिन योजनाओं के प्रस्ताव आये हैं उनको कृपा करके, कोशिश करके वर्ल्ड बैंक के अधिकारियों के पास भेजें और उन योजनाओं को स्वीकृत कराएं, उनके लिये धन उपलब्ध करवाएं।

[श्री हरीश रावत]

छोटे और मझौले शहरों के लिये जो पैसा उपलब्ध कराने की बात है जो राशि आप सहायता और ऋण के रूप में देते हैं, उत्तर प्रदेश के शहरों को वह आपने बहुत कम राशि दी है। पिछले दस सालों से मैं केवल एक शहर पिथौड़गढ़ को लेने का निवेदन कर रहा हूँ मुझे तकलीफ इस बात की है कि मैं दस साल से निवेदन करते हुए थक गया हूं हो सकता है कि इन दस सालों के अन्दर दस मिनिस्टर भी बदल गये हों। मैं शहरी विकास के मन्त्रालय को करीब दो सौ पत्र लिख चुका हूँ। लेकिन उसका कोई असर नहीं पड़ा है, अभी तक उस शहर को नहीं लिया जा सका। उत्तर प्रदेश के अन्दर इस वक्त मंझले और छोटे शहरों की बाढ़ जैसी आ गई है। उनकी बीभत्स पोजीशन हो गई है। नेशनल हाई वे 24 से निकलेंगे तो देखेंगे कि बहुत से छोटे छोटे कस्बे बन गए हैं, उनमें सेनीटेशन की कोई व्यवस्था नहीं है। शहर का सारा कचरा नेशनल हाई वे में आ जाता है और उसको डेमेज करता है, आने-जाने वाले वाहनों को नुक्सान होता है। फैक्ट्रीज से कचरा तालाब के रूप में सड़क के किनारे इकट्ठा हो जाता है, जिससे निकलने वालों को मुश्किल होती है। आस-पास के गांवों में भी काफी दिक्कत है। इस विषय में केन्द्र सरकार को राज्य सरकारों से बात चीत करके कोई योजना बनानी चाहिए, जिससे छोटे और मझले शहरों का विकास हो जाये। इसके लिये धनराशि भी अधिक दी जानी चाहिये जिससे शहरों का ज्यादा से ज्यादा विकास हो सके।

अन्त में मैं फिर आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से, कृषि मन्त्री से, शहरी विकास मन्त्री से निवेदन करना चाहूँगा कि यह समस्या मानवीय समस्या है, राष्ट्रीय प्रतिष्ठा का प्रश्न है, इसको हमको उसी रूप में लेना है। यह केन्द्र-राज्य का या एक राज्य से दूसरे राज्य का मामला नहीं है, सारे हिन्दुस्तान की समस्या है, सारे ग्रामीण अंचल की समस्या है, बहनों की समस्या है। जिन बहनों को अधिकतम समय पानी लाने में गवाना पड़ता है, घड़ों से उठा-उठाकर पानी लाना पड़ता है, उनके सिरे के बाल तक समाप्त हो जाते हैं। मैं आग्रह करना चाहता हूं कि इस समस्या के समाधान के लिए एक दीर्घकालीन योजना बनानी चाहिए। जिन अभावग्रस्त गांवों की सूची आपके पास दर्ज है, उनके लिए तत्काल पैसा उपलब्ध कराया जाए। जहां पर पेयजल योजनायें खराब पड़ी हैं, उनको ठीक करने के लिए राज्य सरकारों को पैसा दिया जाये, जहां पर सक्षम तरीके से नहीं काम कर रही हैं, वहां पर भी धन उपलब्ध कराकर उनको सक्षम बनाया जाये। साफ और स्वच्छ पानी उपलब्ध कराने के लिये एक राष्ट्रव्यापी दीर्घकालीन योजना बनाकर राज्य सरकारों के सहयोग से उनका कार्यान्वयन किया जाना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव को सदन के विचारार्थ प्रस्तुत करता हूं।

श्री रामसिंह यादव (अलवर) : सभापति महोदय, पेयजल आपूर्ति की समस्या राष्ट्रीय समस्या है। इसका समाधान केवल राज्य स्तर पर नहीं बल्कि राष्ट्रस्तर पर अपेक्षित है। मानवीय आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए, मानव के अस्तित्व के लिये, मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये पेयजल सबसे प्रथम आवश्यकता है। इस आवश्यकता के लिये मानव सतत प्रयत्नशील है। इस सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहूँगा कि हमारी भारत सरकार ने और राज्य सरकारों ने इसके बारे में विशेष रूप से प्रयास किये हैं। राष्ट्रीय स्तर पर पेयजल समस्याओं का निदान करने के लिये नेशनल टेक्नालाजी मिशन आन ड्रिंकिंग वाटर, एक्सलरेटेड रूरल वाटर सप्लाई प्रोग्राम,

मिनिमम नीड प्रोग्राम, शहरों के लिये दूसरे देशों के सहयोग से स्कीम्स आदि लेकर पीने के पानी की समस्या का निदान किया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद अभी बहुत धनराशि लगाने की आवश्यकता है, बहुत बड़े पूंजीनिवेश के बाद भी जिस परिणाम की, जिस आपूर्ति की अपेक्षा थी वह नहीं हो पाई है। मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि सर्वप्रथम इस बात को देखने की आवश्यकता है। इतना अधिक पैसा बजट में दिया गया, राज्य सरकारों को भी दिया गया, लेकिन फिर भी इसका परिणाम 75-80 फीसदी से अधिक किसी भी राज्य में नहीं आ सका है। इसका क्या कारण है, क्या कभी इसकी मानेटरिंग की गई, कभी इस बात को देखा गया।

मान्यवर, टेक्नालाजी मिशन के लिए 7000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है, जैसा कि एनुअल रिपोर्ट में है 130 इस प्रकार के डीसेलीनेशन सेंटर्स आईडिएंटीफाई किए गए हैं। जो राजस्थान, तमिलनाडु, गुजरात, वैस्ट बंगाल और दूसरे राज्यों में है। जहां तक उनकी प्रगति का सवाल है, उसका विवरण आपके वार्षिक प्रतिवेदन में या और किसी दूसरी जगह पर देखने को नहीं मिलता है। इतना अधिक कार्य करने और इतनी अधिक पूंजी लगाने के बाद और ऐसे लोग जो इस कार्य में एक्सपर्ट हैं, उन सबकी सेवाओं को लेने के पश्चात भी डी-सेलिनियेशन के जो सेंटर हैं, उनमें जो प्लांट्स हैं, उसमें अभी तक कामयाबी हासिल नहीं हो पायी है। इसका क्या कारण है। इसको देखने का कष्ट करें। आपने नेशनल टैक्नोलोजी मिशन ओन ड्रिंकिंग वाटर के अन्तर्गत 55 सब-मिशन आइडेंटीफाइ किए हैं। जहां तक मेरा ख्याल है तीन राजस्थान में भी हैं, वे हैं बाड़मेर, नागौर और चुरू। इन मिशन का काम बहुत ही प्रशंसनीय है। कहां पानी मिल सकता है और किस प्रकार की व्यवस्था हो सकती है, यह सब इनका काम है। लेकिन इसको अधिक गति देने और अधिक प्रसार करने की आवश्यकता है। अभी तक कुछ राज्यों को ही इसका फायदा मिल सका है। क्या आप इसको अधिक बढ़ाने का कष्ट करेंगे। टैक्नोलोजी मिशन के जो एक्सपर्ट हैं विशेष रूप से सैम पित्रोदा, उनको धन्यवाद देता हूं क्योंकि उन्होंने इस टैक्नोलोजी मिशन में सबसे पहले वरीयता की दृष्टि से ड्रिंकिंग वाटर को लिया है। इसमें चार क्षेत्र हैं, वे हैं टेलीकम्युनिकेशन, इम्युनाइजेशन और लिट्रेसी प्रोग्राम तथा चौथा प्रोग्राम भी आवश्यकता की दृष्टि से बहुत आवश्यक है। पीने के पानी के संबंध में जो अपेक्षा राष्ट्र को थी, उसके मुताबिक अभी तक परिणाम नहीं आ सके हैं। मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि आपने जितना भी पैसा इस वर्ष इस में रखा है आपकी एनुअल रिपोर्ट के मुताबिक और जो रिलीज किया है, उसका क्या कारण है कि वास्तव में उस पैसे का इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। क्या इस बात पर गौर करेंगे। राजस्थान में 85-86 में 11 करोड़ रुपये का प्रावधान एम.एन.पी. में किया है, इसमें केवल 9.51 का एक्चुअल एक्सपेंडीचर हुआ। इसी तरह 86-87 में 16 करोड़ का प्रावधान किया जबकि केवल 14.48 का खर्चा इसमें दर्शाया है। इसके साथ ही 87-88 में 23.80 करोड़ का प्रावधान किया जबकि एक्चुअल एक्सपेंडीचर 21.03 करोड़ का ही हुआ है। इसी प्रकार से 88-89 में भी 27.03 करोड़ का प्रावधान किया जिसमें 24.36 करोड़ अभी तक खर्च हुआ है। इतना रुपया देने के बाद भी नहीं हो पाया इसका क्या कारण है। क्या आपके पास ड्रिलिंग रिग्स की और एक्सपर्ट्स की कमी है या राज्य सरकार खर्च नहीं करना चाहती है। क्या कारण है कि राजस्थान जैसे राज्य में भी रुपये का इस्तेमाल नहीं हुआ है। राजस्थान के अन्दर 35 हजार गांव हैं उसमें से 34 हजार 400 गांवों को अभी तक पीने का पानी दे सके हैं। चार हजार पांच सौ गांव ऐसे हैं जिनके लिए पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है। दो किलोमीटर की परिधी में पीने का पानी नहीं मिलता है। 1990

[श्री रामसिंह यादव]

तक आपका लक्ष्य प्रत्येक गांव को पीने का पानी देने का है। इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए आप कौन से ठोस कदम उठाने जा रहे हैं। राजस्थान सरकार लगातार ड्रिलिंग रिग्स और पैसे की मांग कर रही है। कंटीन्जेंसी प्लान भी पीने के पानी के लिए भेजा है। 201 कस्बे और 35 हजार गांव हैं जिनके लिए कंटीन्जेंसी प्लान भेजा है आपने अभी तक वहां पैसा नहीं भेजा है। राजस्थान में स्टडी टीम गई थी। उसके मुताबिक कहीं-कहीं पर वाटर लेबल पचास-साठ फीट नीचे चला गया है। जब ग्राउण्डवाटर की वह स्थिति है, आपकी जो योजनायें पीने के पानी के लिए काम कर रही थीं, उन्होंने पानी देना बन्द कर दिया है तो क्यों नहीं आप उन जगहो को गहरा करने की व्यवस्था करते। कौन-सा ऐसा व्यवधान है जिससे आप राजस्थान सरकार को मांग की पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं। क्या यह सही है कि यू. एस एस. आर. ने भी कुछ दिन पहले कहा कि हम पीने के पानी की समस्या को हल करने के लिए भारत सरकार का सहयोग करना चाहते हैं। पहले भी रूस की तरफ से 6 ड्रिलिंग रिग्स आई हुई हैं जिनमें से कुछ गुजरात में हैं और कुछ राजस्थान में पहुँची हुई हैं। जब रूस मदद करना चाहता है एक्सपर्टीज की दृष्टि से और वित्तीय दृष्टि से तो क्या आपने इस सम्बन्ध में कोई प्लान या प्रोजेक्ट बनाया है जिससे उनके यहां से विशेष उपकरण या तकनीकी सहायता प्राप्त की जा सके। इसकी सूचना आप सदन को अपने जवाब में दें। राजस्थान में कई ऐसे गांव हैं जहां पानी बिलकुल ब्रैकिस है। इसकी डी-सैलीनेशन करना बहुत जरूरी है। इसकी डी-सैलीनेशन करने के लिए कौन-सा ऐसा प्लांट है, क्या आपने राजस्थान के उन जगहों को शिनाख्त कर ली है जहां आप खारे पानी को मीठा करने जा रहे हैं।

आम तौर से हिन्दूस्तान में प्रत्येक राज्य में भू-जल का स्तर है वह पचास फीट नीचे चला गया है। हर राज्य की यह सूचना है, हाइड्रोलिजिस्ट्स की राय है। इस समस्या से जूझने के लिए और इसका निदान करने के लिये आप कौन-से उपाय कर रहे हैं। खास तौर से राजस्थान और गुजरात में, तमिलनाडु और वैस्ट बंगाल में। इसके साथ और जो दूसरे राज्य हैं जो इस तरह से प्रभावित है इन राज्यों में भी इसके समाधान के लिये आपने कौन-सी विशेष योजना बनाई है। हिन्दुस्तान में एक लाख पचास हजार गांव ऐसे हैं जहां 1.6 किलोमीटर की परिधि में पीने का पानी नहीं मिल पा रहा हैं। इसके लिये आप उन गांवो को विशेष प्राथमिकता देकर उनके लिए विशेष परियोजनाओं द्वारा और राज्य सरकारों के माध्यम से उनकी समस्या हल करें। जिससे इस मानवीय समस्या का निदान किया जा सके। अभी यू. एन. ओ. ने 1 अप्रैल, 1981 से 31 मार्च 1990 तक दशक को अन्तर्राष्ट्रीय वाटर सप्लाई प्रोग्राम के अन्तर्गत लिया है और उसके तहत यू. एन. ओ. भी कुछ न कुछ वित्तीय सहायता या तकनीकी सहायता मिल सकती है, क्या वह भारतवर्ष को मिलेगी। इस सम्बन्ध में आपने कौन-से प्रोग्राम बनाये हैं और इसके अन्तर्गत हमने इस क्षेत्र में और विशेष रूप से क्या कार्यवाही की है, राज्य सरकारों को क्या इस तरह की मदद की है इसके बारे में आप विस्तृत सूचना सदन को देने की कृपा करें। जैसा कि हम पढ़ते हैं आज पीने के पानी की समस्या का हल करने के लिए हमारे राजस्थान के अन्दर राजस्थान सरकार ने अब चालीस साल के अन्दर 621 करोड़ रुपये इसके ऊपर लगा दिये हैं और उन्होंने दो योजनायें ऐसी ली हैं, एक बीसलपुर योजना जो हमारे ब्यावर, अजमेर और किशनगढ़ के लिए है और दूसरी इन्दिरा गांधी नहर योजना जो ड्रिंकिंग वाटर कैनाल प्रोजेक्ट जोधपुर शहर के लिए है। पहली

योजना 64.37 करोड़ रुपये की है और दूसरी पर हमारा औसत अनुमान है वह करीब 42 करोड़ रुपये की है। इन दोनों योजनाओं के लिए आप कितना रुपया देंगे और इन पर रुपया नहीं मिलने की वजह से यह योजनायें धीमी गति से चल रही हैं। क्या आप इनमें गति लायेंगे और इस साल आप इन दोनों योजनाओं पर कितना पैसा दे सकेंगे ? एक अध्ययन दल जो भेजा गया है और मेरे क्षेत्र अलवर में भी उसके सदस्य गये हैं पीने के पानी की समस्या को देखने के लिए। उस दल ने जाकर देखा है कि वास्तव में ऐसे गांव हैं, खास तौर से अलवर के दक्षिण और पश्चिमी हिस्सों में और अलवर शहर में भी इसकी समस्या बनी हुई है अलवर शहर की समस्या और उसके ग्रामीण क्षेत्रों की समस्या को हल करने के लिये स्टडी टीम ने आपको जो रिपोर्ट पेश की है, उसके मुताबिक क्या आप राजस्थान को अधिक से अधिक रिग मशीनें और वित्तीय सहायता उपलब्ध करायेंगे जिससे पीने के पानी की समस्या का हल निकाला जा सके। माननीय मन्त्री जी, मैं जानता हूँ कि आप इस क्षेत्र में काफी रुचि रखते हैं, आपने अच्छा काम किया है, आपके महकमे का कार्य भी प्रशंसनीय है लेकिन आने वाले जो दो-ढाई महीने हैं, मई, जून और 15 जुलाई तक, मानसून के आने तक, यह समस्या राजस्थान, गुजरात और देश के दूसरे प्रान्तों में गम्भीर हो जाती है, उसे देखते हुए, आप व्यय में किसी तरह का संकोच न करें, राज्य सरकारों को अधिक वित्तीय सहायता उपलब्ध कराइये ताकि वे अपने यहां इस समस्या का समाधान कर सकें। अभी कुछ दिन पूर्व हम राजस्थान के सांसद माननीय प्रधान मंत्री जी से मिले थे। मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूं कि जब 1986 में प्रधान मंत्री जी हमारे राजस्थान के दौरे पर गये थे तो उन्होंने उस समय टैक्नोलौजी मिशन राजस्थान को देने की बात कही थी और आज ड्रिंकिंग वाटर के संबंध में जितने टैक्नोलौजी मिशन हमारे देश में हैं। उनमें से तीन मिनि मिशन राजस्थान में काम कर रहे है। तीनों मिशनों का काम बहुत अच्छा है। मैं प्रधान मन्त्री जी को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने पीने के पानी की समस्या हल करने के लिये सबसे पहले टैक्नोलौजी मिशन का सहारा लिया और जोर दिया खासकर राजस्थान प्रान्त को उन्होंने इस मामले में जो मदद की, न केवल अकाल के समय में बल्कि पेयजल की समस्या को हल करने में भी, वह अद्वितीय है। जब हम सांसद उनसे रविवार को मिले थे तो हमने उनसे निवेदन किया था कि राजस्थान के शहरी क्षेत्रों के लिये 45 करोड़ रुपये तथा ग्रामीण क्षेत्रों के लिये 75 करोड़ रुपये वर्ष 1989-90 में राजस्थान को दिये जाने आवश्यक है। हमने उन्हें एक मैमोरैण्डम भी पेश किया था। मैं यहां माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि उस मैमोरैण्डम के अनुसार आप राजस्थान सरकार को शहरी क्षेत्रों के लिये 45 करोड़ रुपया तथा ग्रामीण क्षेत्रों के लिये 75 करोड़ रुपया मिलाकर 120 करोड़ रुपया शीघ्र उपलब्ध कराने। आप हम सांसदों की मांग को गम्भीरता से लें और एकदम यहां से मंजूरी राजस्थान सरकार को भेजें जिससे वह पीने के पानी की समस्या हल करने में समर्थ हो सके।

सभापति जी, पीने के पानी की समस्या पूरे राष्ट्र में गम्भीर है, प्रत्येक प्रान्त में यह समस्या आपको मिलेगी, मैं चाहता हूं कि सरकार इसे गम्भीरता से ले और राज्य सरकारों के सहयोग से परियोजनायें बना कर प्रत्येक नगर और प्रत्येक गांव में इसके समाधान की दिशा में कार्यवाही करे, कोशिश करे। इस आशा और विश्वास के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूँ।

[अनुवाद]

श्री श्रीकांत दत्त नरसिंह राज वाडेयर (मैसूर) : सभापति महोदय, मैं पानी की कमी के बारे में बोलना चाहता हूँ जो केवल गांवों में ही नहीं बल्कि इस देश के बड़े-बड़े कस्बों और शहरों में भी है। वास्तव में यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि यद्यपि हम 20वीं सदी के अन्त में हैं लेकिन फिर भी हम विशेषतः गरमी के महीनों में पानी की कमी का सामना कर रहे हैं, गांवों और बड़े-बड़े शहरों में हम देखते हैं कि बहुत लोग पीने तथा अन्य उपयोगी कार्यों के लिए पानी लेने के लिए नलों, हैंड पम्पों और टंकियों के पास लाइन में खड़े रहते हैं। यह एक राष्ट्रीय समस्या बन गई है। इस समस्या के अनेक कारण हैं। प्रमुख कारणों में से एक यह है कि अत्यधिक वन-कटाई से भूमि कटाव के कारण नदियों, बांधों और जलाशयों में गाद जमा होने से पानी की अपर्याप्त सप्लाई होती है। इसकी वजह से पानी के स्तर में काफी कमी हो गई है तथा गरमी के महीनों में जनसंख्या के समक्ष पेयजल की काफी समस्या रहती है। इसलिये मैं शहरी और ग्रामीण विकास मन्त्रियों को बताना चाहता हूँ कि नदियों और जलाशयों से, जिनमें गाद जमा है, बड़े पैमाने पर गाद निकाली जानी चाहिए ताकि आगे पानी के स्तर में कमी न हो सके। जलाशयों, नदियों और बांधों के, नियमित मरम्मत जैसे उपायों से, रिसाव को भी रोका जा सकता है और बाँधों तथा जलाशयों का अनुरक्षण किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त गांवों, कस्बों और बड़े-बड़े शहरों में व्यापक जल वितरण प्रणाली शुरू की जाए। मुहाने वाले क्षेत्रों में विशेष रूप से व्यापक वनरोपण किया जाए ताकि बारहमास पानी की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके।

5.00 म०प०

नदियों, तालाबों और पंपों में से गाद निकालने का काम हाथ में लिया जाना चाहिए। हैंडपंपों और नलों की भी नियमित रूप से देखभाल करनी चाहिए और जल दिन भर उपलब्ध कराया जाना चाहिए। बड़े शहरों में हम देखते हैं कि जल सप्ताह में मात्र दो या तीन दिन आता है। बरसात के मौसम में अनेक नदियों का जल बह जाता है और अधिकतर जल समुद्र में जा मिलता है। इस जल को जल-विभाजक (वाटरशेड) एकत्र करके गर्मियों में उपयोग किया जा सकता है जब जब जल सामान्य स्तर से नीचे चला जाता है। खारे जल का खारापन दूर करने के लिए भी तत्परता दिखाई जाने की आवश्यकता है जिससे लोगों को पेयजल उपलब्ध कराया जा सके। शहरी जल-प्रदाय व्यवस्था को युद्ध स्तर पर हाथ में लिए जाने की आवश्यकता है क्योंकि ज्यादातर शहरी क्षेत्रों में हम देखते हैं कि जल की अत्यधिक कमी है। विशेषकर बंगलौर शहर में जल की बहुत कमी महसूस हो रही है। कावेरी जल-प्रदाय योजना के दो चरण हैं जिसे लागू किया गया है और तीसरे चरण पर भी कार्य चल रहा है, दुर्भाग्यवश अभी भी जल की पूर्ति में अत्यधिक कमी है। अतः मैं मन्त्री महोदय से आग्रह करता हूँ कि वह देखें कि ये परियोजनाएं शीघ्रता-शीघ्र कार्यान्वित की जाएं।

कर्नाटक के उत्तरी जिलों के गाँव और ताल्लुक मुख्यालम की स्थिति बहुत ही खराब है। जिला मुख्यालय भी जैसे—रायपुर, गुलबर्गी और बिदार में भी पूर्ण रूप से पेयजल की सुविधा उपलब्ध नहीं है। दक्षिणी भाग में जल अत्याधिक मात्रा में उपलब्ध होता है लेकिन दुर्भाग्यवश इसे सही तरीके से संचित नहीं किए जाने के कारण ज्यादातर जल व्यर्थ चला जाता है। ज्यादातर तालाब और नदियां भी दूषित हैं। इसके कारण अनेक बिमारियां उत्पन्न होती हैं जैसे जल में क्लोरिन की मात्रा अधिक होने के कारण मस्तिष्क शोथ हो जाता है। अतः मैं माननीय मन्त्री महोदय से आग्रह करूँगा कि इस दिशा में पर्याप्त उपाय किए जाएं।

मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि वे देश की जल सारणी में गिरावट को दूर करने के लिए क्या विचार कर रहे हैं और क्या उनका प्रस्ताव जल स्रोतों को राष्ट्रीय ग्रिड घोषित करने का है जिससे कि एक राज्य के अत्याधिक जल को उस राज्य में भेजा जा सके जहां पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध नहीं है और इस प्रकार लोगों को जल उपलब्ध कराया जा सके।

मैं यह भी जानना चाहूँगा कि वे देश में तालाबों, बाँधों और नदी तलों में से गाद निकालने पर भी गंभीरता से विचार कर रहे हैं और क्या वे नदियों, तालाबों को दूषित होने से रोकने के लिए कदम उठायेंगे, जिसके कारण स्थानीय निवासियों को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। विशेषकर उत्तरी बिहार के कुछ जिलों और मध्य प्रदेश के कुछ जिलों में जल की अत्यधिक कमी है। अतः दूसरे राज्यों के अतिरिक्त जल को जल की कमी वाले राज्यों में भेजना चाहिए और इसे जल-विभाजकों में इकट्ठा कर इन राज्यों में उपयोग किया जाना चाहिए।

कर्नाटक के उत्तरी भाग में, विशेषकर गर्मियों में जल में अम्लीय पदार्थ होते हैं। अतः मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहूँगा कि वह इस समस्या के समाधान के लिए क्या कदम उठायेंगे।

पेयजल के ऊपर एक नेशनल टेक्नोलॉजी मिशन और 20-सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत अनेक योजनाएं बनाई गई हैं। अतः मैं मन्त्री महोदय से आग्रह करता हूँ कि इन योजनाओं को कार्यान्वित किया जाए और अनेक नलकूपों, नलों, तालाबों और लघु जल-प्रदाय योजनाओं को दोबारा शुरू किया जाए जिससे विशेषकर कर्नाटक के लोगों का, पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध कराया जा सके।

मैं मन्त्री महोदय से यह भी आग्रह करूंगा कि कर्नाटक राज्य सरकार से विभिन्न जल-प्रदाय योजनाओं को पूरा करवाया जाय। कावेरी का तीसरा चरण अधूरा है। इसे शीघ्रता से पूरा किया जाना चाहिए। बंगलौर शहर के लिए जल-प्रदाय योजना और मैसूर शहर तक इसका विस्तार करने का कार्य किया जाना चाहिए क्योंकि जिन नए स्थानों पर विस्तार किया गया है वहां पर्याप्त जल-प्रदाय व्यवस्था नहीं है। इसका जनसंख्या पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है।

मैं मन्त्री महोदय से अनेक नहरों के निर्माण कार्य को पूरा करने का भी आग्रह करूंगा। जिससे कि भविष्य में इस समस्या को रोका जा सके।

इसी तरह अनेक पुरानी नहरें हैं जोकि एक समय पेयजल की पूर्ति करती थी। वर्तमान समय में मैं यह अनुभव करता हूँ कि इन नहरों को भी नवीकृत किया जाना चाहिए जिससे की उन लोगों को पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध कराया जा सके जिन्हें इन नहरों के बंद होने के कारण नुकसान उठाना पड़ा है।

शहरी जल-प्रदाय व्यवस्था को युद्ध-स्तर पर लिए जाने की आवश्यकता है और फालतू जल के उपयोग के लिए एक दीर्घावधि योजना विशेषकर बाढ़ के दौरान, बनाये जाने की आवश्यकता है।

औद्योगिकीकरण ने बहुत हद तक क्षति पहुँचाई है और अभी भी उद्योगों में बहुत अधिक मात्रा में जल का उपयोग किया जाता है। अतः उद्योगों को नुकसान पहुँचाये बिना हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि लोगों को पर्याप्त जल उपलब्ध हो सके।

[श्री श्रीकांत दत्त नरसिंह राज वाडियर]

मैं माननीय मंत्री से यह भी अनुरोध करूंगा कि वे कृपया वृक्षारोपण कार्यक्रम की शुरूआत करें क्योंकि अपर्याप्त वर्षा होने का यह एक प्रमुख कारण रहा है तथा यह भूमि कटाव का भी कारण है जिसके कारण अनेक तालाबों, नदियों और बांधों में रेत जम जाती है। देश के अधिकांश भागों में, विशेषकर कर्नाटक में इस कारण जलस्तर घटने लगा है। महोदय, मैं सरकार से यह भी अनुरोध करूंगा कि वह कर्नाटक में नदियों और तालाबों के प्रदूषण को रोकने का शीघ्र उपाय करें मैं आशा करता हूं कि मैंने जिन मुद्दों का जिक्र किया है माननीय मंत्री महोदय उन पर ध्यान देंगे और हमें बतायेंगे कि इस सन्दर्भ में वे क्या उपाय करेंगे। धन्यवाद।

*श्री गोपाल कृष्ण थोटा (काकीनाडा) : सभापति महोदय, स्वतन्त्रता के 42 वर्षों बाद भी गांवों में रहने वाले लोगों को पेयजल उपलब्ध कराने में हम असफल रहे हैं उचित रूप से जल के उपयोग किये जाने में यह सरकार की असफलता दर्शाता है। अभी भी 80 प्रतिशत जल बरबादी हो रही है। सरकार के लिए अपने कार्य निष्पादन का उचित जायजा करने का यही समय है। सरकार को अपनी नीतियों में जो त्रुटियां हैं, उन्हें शीघ्र जान लेने का प्रयास करना चाहिए और उनमें सुधार करने के उपाय करने चाहिए। राष्ट्र के विकास के लिए उचित जल प्रबन्ध आवश्यक है।

न सिर्फ मनुष्य के लिए बल्कि प्रत्येक सजीव प्राणी के जीवन के लिए जल अति आवश्यक है। मनुष्य को जल की आवश्यकता होती है। मवेशियों और अन्य पशुओं को भी जल की आवश्यकता होती है एक सजीव प्राणी के लिए यह प्राथमिक आवश्यकता है। कृषि के लिए भी जल समान रूप से आवश्यक है पन-बिजली के उत्पादन के लिए जल एक आवश्यक संघटक है। इस प्रकार जल का बहुत अधिक महत्त्व है। उद्योगों में भी जल की आवश्यकता पड़ती है। अतः मनुष्यों और पशुओं, कृषि और उद्योगों के लिए जल उपलब्ध कराना बहुत आवश्यक है। इसके लिए उचित जल प्रबन्ध की आवश्यकता है। उचित रूप से जल के उपयोग पर राष्ट्र का विकास बहुत अधिक निर्भर करता है।

विगत काल में जल के उचित उपयोग के लिए डा० के. एल. राव तथा कुछ अन्य प्रख्यात अभियंताओं ने अनेक प्रकार की योजनाओं की सलाह दी है। डा० के. एल. राव ने देश के लिए एक गारलैन्ड नहर पद्धति की सलाह दी है .... (व्यवधान) करीब-करीब सभी व्यक्ति इस योजना से होने वाले लाभ से परिचित हैं। हमारा देश बहुत विशाल है। जब कि देश के कुछ हिस्सों में में भीषण बाढ़ आ जाती है उस समय देश के अन्य भागों में भयंकर सूखा पड़ता है। बाढ़ और सूखा बार-बार होने वाली घटनाएं हैं। कुछ जगहों पर बहुत अधिक जल है और कुछ जगहों पर जल की अत्यधिक कमी हो जाती है। अतः इन प्राकृतिक विपदाओं से देश की रक्षा के लिए डा० के. एल. राव ने 'गारलैन्ड नहर पद्धति' के अन्तर्गत उत्तरी भाग की नदियों को सुदूर दक्षिण की नदियो के साथ जोड़ने का प्रस्ताव रखा है यदि इसे कार्यान्वित किया गया तो यह योजना देश के लिए एक वरदान सिद्ध होगी। ब्रह्मपुत्र जैसी नदियों पर हम नियंत्रण स्थापित कर सकते हैं जिसमें कि प्रत्येक वर्ष बाढ़ आने के कारण भारी नुकसान होता है और इन नदियों के अतिरिक्त जल को हम उन क्षेत्रों में ले जा सकते हैं जहां जल की कमी है। अतः इस योजना से सम्पूर्ण देश

* तेलुगु में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

को लाभ पहुँचेगा। लेकिन अभी तक यह योजना सिर्फ कागजी तौर पर ही है। देश की मुख्य नदियों को जोड़ने की योजना अभी भी एक स्वप्न ही है।

महोदय, आन्ध्र प्रदेश सिर्फ दो जिलों को पेयजल से सम्बन्धित टेक्नोलोजीकल मिशन के अन्तर्गत चुना गया था। आन्ध्र प्रदेश में कम से कम 8 जिले ऐसे हैं जहाँ निरन्तर सूखा पड़ता रहा है। ये सभी आठ जिले सूखे से अत्यन्त पीड़ित है। इन सभी आठ जिलों को इस कार्यक्रम के अन्तर्गत रखा जाना चाहिए। आन्ध्र प्रदेश के व्यापक रूप से नदियों वाला राज्य कहा जाता है। लेकिन त्रासदी यह है कि यद्यपि वहाँ बहुत नदियाँ हैं फिर भी वहाँ निरन्तर जल की कमी है। वास्तव में अन्य राज्यों की अपेक्षा आन्ध्र प्रदेश में जल की अत्यधिक कमी है। गोदावरी एक बहुत ही बड़ी नदी है। दुर्भाग्यवश गोदावरी नदी के जल का उपयोग करने के लिए सरकार की ओर से कोई प्रयत्न नहीं किया गया। वैज्ञानिकों और अभियन्ताओं के मतानुसार नदी के जल के अतिरिक्त समीपवर्ती इलाकों में बहुत मात्रा में भूमिगत जल भी है। इस भूमिगत जल को अभी काम में लाया जाना है। इस क्षेत्र में भूमिगत जल को उपयोग में लाने की प्राथमिक जिम्मेवारी केन्द्र सरकार की बनती है। गोदावरी का अधिकांश जल अभी समुद्र में गिर कर बरबाद हो रहा है। पोलावरम और इच्छमपलनी नामक दो परियोजनाएं गोदावरी नदी पर इसके जल के बेहतर उपयोग के लिए बनाई गयी है। किन्तु दुर्भाग्य से केन्द्र सरकार ने अभी तक इन परियोजनाओं को स्वीकृति नहीं दी है। गोदावरी नदी का सत्तर प्रतिशत से अधिक पानी समुद्र में बेकार जा रहा है। इन परियोजनाओं को क्रियान्वित करने के बाद इस पानी का उपयोग किया जा सकता है। इसलिए मैं इन दो महत्वपूर्ण परियोजनाओं को शीघ्र स्वीकृति देने की मांग करता हूँ। इन परियोजनाओं से न केवल आन्ध्र प्रदेश बल्कि इसके निकटवर्ती राज्यों को भी लाभ पहुँचेगा। इसलिए इन महत्वपूर्ण परियोजनाओं की स्वीकृति में और अधिक विलम्ब नहीं किया जाना चाहिए। महोदय, केन्द्र सरकार द्वारा इन महत्वपूर्ण परियोजनाओं को राष्ट्रीय परियोजनाओं के रूप में लेना चाहिए तथा इन्हें शुरू किया जाना चाहिए। राज्य सरकार के पास इन परियोजनाओं को स्वयं शुरू करने के लिए धन नहीं है।

अब आवंटित धन राशि का दो तिहाई भाग केवल सतही पानी पर खर्च किया जा रहा है। यह उचित नहीं है। भूमिगत जल स्रोत का उपयोग करने के लिए उपलब्ध धन की मात्रा बहुत कम है। हम सब यह जानते हैं कि हमारे पास अत्यधिक मात्रा में भूमिगत जल उपलब्ध है जिसे अभी उपयोग में लाया जाना है। इसलिए भूमिगत जल को काम में लाने के लिए अधिक धन आवंटित किया जाना चाहिए। इस प्रकार हम उन क्षेत्रों के लोगों की सहायता कर सकते हैं जहां सतही पानी नहीं है। देश में नगर और कस्बों का तेजी से विस्तार हो रहा है। शहरी करण भी तेजी से हो रहा है। नगरपालिकाओं, नगर निगमों और पंचायतों के पास लोगों के पीने के पानी की पूर्ति करने के लिए पर्याप्त धन नहीं है। परिणामस्वरूप पीने के पानी की समस्या अधिक और अधिक गंभीर होती जा रही है। अतः पीने का पानी उपलब्ध करने के लिए इन निगमों आदि को पर्याप्त धन आवंटित किया जाना चाहिए। सभी नगरपालिका क्षेत्रों की जनसंख्या स्वतन्त्रता के समय इन क्षेत्रों की जनसंख्या से दोगुनी और कहीं कहीं तो तिगुनी हो गई है। पुरानी योजनाओं के जारी रहते बढ़ी हुई जनसंख्या को पीने का पानी उपलब्ध कराना अत्यधिक कठिन कार्य होता जा रहा है। इन योजनाओं का तेजी से विस्तार किए जाने की आवश्यकता है। जल संसाधन बहुत अधिक हैं किन्तु उनके पास अधिक से अधिक लोगों को पीने के पानी पूर्ति करने

[श्री गोपाल कृष्ण थोटा]

के लिए नई योजना शुरु करने के लिए धन नहीं हैं इसलिए मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि नगरपालिकाओं और पंचायतों को उनकी जनसंख्या के अनुसार पीने का पानी उपलब्ध कराने के लिए कदम उठाने हेतु पर्याप्त धन उपलब्ध कराए ।

अन्त में, महोदय, मैं केन्द्र सरकार से राष्ट्रीय पेय जल बोर्ड स्थापित किये जाने की मांग करता हूं जो देश में हर व्यक्ति को पीने का पानी उपलब्ध कराए जाने के लिए किए जा रहे विभिन्न क्रियाकलापों पर ठीक ढंग से निगरानी रख सके और उनमें समन्वय स्थापित कर सके ।

मुझे बोलने का अवसर दिए जाने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं और अपना भाषण समाप्त करता हूं ।

[हिन्दी]

श्री मोहम्मद अयूब खां (झुन्झुनु): मोहतरम चेयरमैन साहब, मैं भी पानी की समस्या के सम्बन्ध में कुछ कहने के लिए खड़ा हुआ हूँ । राजस्थान का पूरा इलाका इस टाइम पानी की भयंकर समस्या से जूझ रहा है । जो कि राजस्थान में इस वर्ष फसल अच्छी हुई है, कुछ इलाकों को छोड़कर लेकिन पानी इतना ज्यादा नहीं बरसा जिससे जमीन के नीचे पानी जाता और लोगों को पानी की समस्या से राहत मिलती । इस साल पानी की सबसे ज्यादा भयंकर समस्या राजस्थान में है, वहां गांव-गांव में पानी के लिए त्राहि-त्राहि मची हुई है । मेरा आपसे आग्रह है कि राजस्थान के 35 हजार गांवों और 201 कस्बों के लिए अगर अभी से कोई योजना तैयार नहीं की गई और जितनी राशि की राजस्थान सरकार ने मांग की है, वह धनराशि जल्दी से मंजूर नहीं करके भेजी गई तो राजस्थान के लोगों को एक भारी संकट का सामना करना पड़ेगा । मेरे क्षेत्र झुन्झुनू के पास से इन्दिरा गांधी कैनाल गुजरती है, अगर इस इन्दिरा गांधी कैनाल प्रोजैक्ट को भारत सरकार अपने हाथ में नहीं लेगी तो राजस्थान सरकार कभी इसको पूरा नहीं कर पायेगी क्योंकि यह एक बहुत बड़ा प्रोजैक्ट है और राजस्थान सरकार के पास इतने साधन नही है कि वह इसको अच्छे ढंग से पूरा कर पाये । इन्दिरा गांधी कैनाल से पीने का पानी झुन्झुनू के लिए लाया जा सकता है क्योंकि खासकर झुन्झुनू के इलाके में पीने के पानी की भयंकर समस्या है । हमारे क्षेत्र में कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर लोग छः, सात, आठ और दस किलोमीटर तक से पीने का पानी लाते हैं, खारे पानी की वजह से लोगों को काफी दूर तक जाना पड़ता है, अगर इस नहर का पानी पेयजल के लिये झुन्झुनू में लाया जाय तो वहां की समस्या का कुछ समाधान हो सकता है । वहां पर एक खेतड़ी प्रोजैक्ट है जिसमें ढाई मिलियन गैलन पानी जमीन से खींचकर इस्तेमाल किया जाता है, वहां से हरियाणा कैनाल 13 किलोमीटर दूरी पर है अगर उस कैनाल से इस प्रोजैक्ट के लिये पानी ले लिया जाय तो जो पानी जमीन से खींचा जाता है, वह बन्द हो जायेगा तो उससे यह फायदा होगा कि कुओं का लेवल स्तर ऊपर आ जायेगा और लोगों को पीने के पानी में कुछ राहत मिल सकेगी । खेतड़ी और उदयपुरवाटी पहाड़ी क्षेत्र हैं, वहां पानी की सतह बहुत ही नीचे चली गई है तथा ड्रिलिंग मशीन की वहां बहुत प्राब्लम है । पहाड़ी क्षेत्र होने की वजह से वहां पानी की बहुत भयंकर समस्या है । मैं अनुरोध करूंगा कि पहाड़ी क्षेत्र को मद्देनजर रखते हुए जल्दी से जल्दी स्कीम वहां बनाई जाय और लोगों को पीने का पानी मुहैया कराया जाय । यह तभी हो सकेगा जब वहां पर इंदिरा गांधी कैनाल का पानी पहुँचे । मेरे इलाके में ड्रिलिंग मशीन जल्दी से जल्दी पहुँचाई

जाए, ताकि लोगों को सुविधा हो उस इलाके में कुछ लोगों ने ट्यूबवैल के लिये मोटर लगा रखी हैं, जिन स्थानों पर मोटर लगी हुई है और वहां फ्लैट रेट चार हजार रुपये है। वह फ्लैट रेट चार हजार रुपये पे करता है, लेकिन कुंवें से वह सिर्फ दो-तीन घंटे मुश्किल से पानी ले पाता है। इसमें संशोधन होना चाहिये कि जितनी वह मोटर इस्तेमाल करता है, उतना ही फ्लैट रेट उससे लिया जाए। हमारे इलाके में जो नीचे जमीन का पानी है, उसका भी सर्वे होना चाहिए कि किस तरह से वहां लीकेज हो रही है। टैक्नोलाजी मशीन वाले कहते हैं कि यहां पानी का बहाव किसी दूसरे रुप में हो रहा है। उसका भी सर्वे कराया जाए। जहां पर भूमि के नीचे पानी की सतह है, वहां पाताल तोड़ कुवें बनवाये जायें, ताकि लोगों को पानी मिल सके। राजस्थान में पानी की बहुत गम्भीर समस्या है। राजस्थान का मूलधन पशुधन है, यदि यह पशुधन भी खारा पानी पीता है, तो उससे उसको नुकसान होता है। पानी की भयंकर समस्या खास कर मेरे क्षेत्र झुन्झुनू में बहुत है। चिड़ावा और उदयपुरवाटी में एक डार्क जोन घोषित किया हुआ है, यानि भूमि के नीचे पानी नहीं है, लेकिन वास्तव में वहां पानी मौजूद है। ऐसी स्थिति में उनको कूंवा खोदने की सुविधा मिलनी चाहिए। ये लोग उससे वंचित है। मैं आग्रह करूंगा कि उसको डार्क जोन से मुक्त किया जाये, ताकि वहां के किसानों को कुवां खोदने के लिए सरकार तरफ से सहायता मिल सके। पानी के रखरखाव के लिए जगह-जगह टाके और ऐसे बांध होने चाहिए, जिससे बरसात का पानी रुक सके। खासकर उदयपुरवाटी और खेतड़ी के इलाकों में, जो कि पहाड़ी क्षेत्र है, नालों के ऊपर बांध बनाने की स्वीकृति मिलनी चाहिए, तो वहां पानी का स्तर ऊपर आ सकता है। मेरे इलाके में बागोली एक गांव है वहां फारैस्ट की जमीन होने से मिट्टी का बांध नहीं बंध पाता है। उस बांध के न बनने से हजारों आदमी वहां पानी की प्यास से तड़प रहे हैं। अगर वहां इसकी स्वीकृति मिल जाती है, तो लोगों के पानी की समस्या हल हो सकती है और कुछ काश्त के लिये भी पानी मिल सकता है। मेरा आग्रह होगा कि इंदिरा गांधी कैनाल को भारत सरकार अपने हाथ में ले और राजस्थान सरकार ने जो 130 करोड़ रुपये की मांग की है, उसके लिये जल्दी से जल्दी स्वीकृति दिलाई जाए। 45-55 करोड़ रुपया शहरी पानी की समस्या के लिये और 75 करोड़ रुपया ग्रामीण क्षेत्र की पानी की समस्या के लिये मांगा गया है, उसको जल्दी से जल्दी पूरा किया जाये। एक सर्वे टीम के द्वारा जो रिपोर्ट आपके पास पहुंची है, उसका भी बन्दोबस्त हो, ताकि राजस्थान के लोगों को पानी की भयंकर समस्या से बचाया जा सके।

हमारा राजस्थान भयंकर अकाल की लपेट में आया हुआ है। राजस्थान की जनता कभी हमारे प्रधान मंत्री जी के इस एहसान को नहीं भूलेगी कि प्रधान मंत्री जी ने उतनी राशि राजस्थान को दी है, जितनी की पिछले 40 सालों में भी खर्च नहीं हुई। इस कारण राजस्थान का पशुधन भी बच सका है। यदि इस समय पानी की समस्या पर ध्यान नहीं देंगे, तो हमारे यहां एक बहुत बड़ा संकट पैदा हो जायेगा और उस समस्या को दूर करने के लिये राजस्थान सरकार ने जो मांग की है, उसको जल्दी से जल्दी पूरा किया जाये। मेरे इलाके में भी पेयजल की समस्या है, पीने के लिये या कृषि के लिये झुन्झुनू क्षेत्र को पानी इंदिरा गांधी कैनाल से मिले, तो अच्छा रहेगा। राजस्थान के और क्षेत्र जैसे बाड़मेर और जैसलमेर हैं, उसमें भी पानी की बहुत भयंकर समस्या है। हर जिले में यदि प्लान के मुताबिक काम नहीं करेंगे, तो वहां का पशुधन भी पानी की समस्या से परेशान हो जायेगा। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि आप इस ओर ध्यान दें, ताकि वहां की पानी की समस्या का समाधान हो।

[श्री मोहम्मद अयूब खां]

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने के लिये समय दिया।

[अनुवाद]

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : महोदय, देश के अनेक भागों में पीने के पानी की कमी के कारण गंभीर स्थिति उत्पन्न हो गई है। यदि आप विभिन्न समाचार पत्रों में छपे समाचारों को देखें तो स्थिति संकटपूर्ण लगती है। मेरे पास 8 मई, 1989 का हिन्दुस्तान टाइम्स समाचार पत्र है। उन्होंने यह खबर दी है कि कितने राज्यों में संकट की स्थिति बहुत अधिक गम्भीर हो गई है। तमिलनाडु उनमें से एक राज्य है। राज्य के अनेक भागों में पीने के पानी का अत्यधिक अभाव है। उनका कहना है कि सामान्य से भी कम, अर्थात 3 प्रतिशत वर्षा होने के कारण भूमि का जल स्तर काफी नीचे चला गया है उन्होंने यह भी बताया है कि मद्रास और मदुरै शहर में पानी की पूर्ति एक दिन छोड़कर की जाती है न कि प्रतिदिन या सारे दिन के लिए। ऐसा अनेक वर्षों से होता आ रहा है। यह बारहमासी समस्या है पिछले वर्षों में इसका कोई हल नहीं खोजा जा सका है।

उड़ीसा के बारे में भी समाचार है। सम्पूर्ण उड़ीसा में सूखे जैसी स्थिति है। बोलांगीर, कालाहाण्डी, क्योंझर, मयूरभान, कोरापुट, सम्बलपुर, सुन्दरगढ़, और फूलबानी जिले प्रभावित हुए हैं। वहां पानी नहीं है। नदी नालों में पानी नहीं है; तालाबों में पानी नहीं है। नलकूपों से पानी इसलिए नहीं मिल सकता क्योंकि जल स्तर नीचे चला गया है। सभी नगर और कस्बे प्रभावित हैं। लोग अत्यधिक गम्भीर हालत में जी रहे हैं।

बिहार में भी स्थिति का अन्दाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि राज्य की राजधानी पटना में भी पानी का संकट है। सरकारी सूत्रों के अनुसार 840 लाख गैलन पानी की दैनिक आवश्यकता होने पर केवल 350 लाख गैलन की पूर्ति हुई है। रिपोर्ट में धनबाद, गया, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सहरसा- कटिहार, और पूर्णिया जिलों में पानी की बहुत अधिक कमी है।

केरल में भी संकट है। लगातार तीन वर्षों से वहां वर्षा नहीं हो रही है और लोगों को कष्ट हो रहा है। राजस्थान के बारे में मुझसे पहले बोलने वाले माननीय सदस्यों ने बताया ही है। राजस्थान में भी यह बारहमासी समस्या है। जब मानसून न आए तो लोगों की पीने के पानी की न्यूनतम आवश्यकता पूरी करने के लिए हमने पहले क्या-क्या कदम उठाये हैं। मैं ऐसा सुझाव दूंगा जहां सरकार लोगों के हितों की रक्षा के लिए और लोगों को पीने का पानी उपलब्ध कराने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। मानसून न आने पर भी हमें कुछ करना है। वनों की कटाई के कारण ऐसा होता है। हमें वनों की कटाई नहीं करनी चाहिए। आप लोगों का वन-रोपण के लिए कैसे प्रेरित करेंगे ? ऐसी अनेक योजनाएं है। किन्तु उन्हें ईमानदारी से लागू नहीं किया जा रहा है। जब हम देश में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं तो हम पाते हैं कि रोपे गए अनेक वृक्ष सूख चुके हैं और अनेक पत्ते सूख चुके हैं। उनमें जीवन नहीं है यह तो मौत का संकेत है। ऐसी बातें क्यों हो रही है ? उन वृक्षों और पौधों को किसने लगाया था ? वे कौन से प्राधिकारी और एजेंसियों हैं जिन्हें इनमें पानी देने का कार्य करना हैं ? आप कम से कम कुछ भागों में तो पानी दे सकते हैं। किन्तु वृक्षों की देखभाल करने वाला कोई नहीं है और वे इस प्रकार की

लापरवाही के कारण सूख जाते हैं। पर्यावरण के विषय में कम चिन्ता होने, कल्चर (हरित भूमि) की कमी के कारण भी हम कभी-कभी अपनी ही गलतियों से दुख पाते है।

उत्तर प्रदेश के बारे में भी रिपोर्ट है। कानपुर को प्रतिदिन सिर्फ 270 मिलियन लीटर पानी दिया जा रहा है जिससे मजबूरन लोगों को उस पानी का उपयोग करना पड़ रहा है जो पीने योग्य नहीं है। हिमाचल प्रदेश, नागालैंड और कुछ अन्य राज्य भी इससे प्रभावित हुए हैं। मुझे रिपोर्ट मिली है कि मेरे राज्य पश्चिम बंगाल में भी इस वर्ष अधिकतर जिलों में पानी की भयंकर कमी है। कुछ जिलों में 90 प्रतिशत तक वर्षा की कमी है। अनेक स्थानों पर जल-स्तर अपने सामान्य स्तर से 20 फीट नीचे पहुँच गया है। पानी की कमी से सर्वाधिक प्रभावित जिले पुरुलिया, बांकुरा, बीरभूमि, मिदनापुर, बर्दवान, मालदा, पश्चिमी दीनाजपुर, मुर्शिदाबाद, हुगली एवं उत्तरी बंगाल हैं।

1,471 गाँवों अथवा 196 ब्लाकों में 120 लाख व्यक्ति, 32 नगर पालिकायें और चार अधिसूचित क्षेत्र पानी की कमी से बुरी तरह प्रभावित हैं। रबी की फसल पानी की कमी के कारण बुरी तरह नष्ट हो गई है। हमें वहां के राज्य सरकार में विश्वास है। उन्होंने इस मामले को बहुत गम्भीरता से लिया है। राज्य सरकार के मंत्री गाँवों में जा रहे हैं। प्रशासन को इसके लिए तैयार किया गया है। वहां एक पंचायत है तथा वह भी पेयजल उपलब्ध कराने की व्यवस्था में कार्यरत है। जिन स्थानों पर सामान्य नलकूप नहीं है वहां सरकार यह योजना बना रही है कि वहां किस प्रकार से कुयें खोदे जायें जिससे पानी प्राप्त हो सके तथा सरकार ने इसके लिए धन आवंटित किया है। मुझे यह ज्ञात हुआ है कि पीने योग्य पानी के संसाधनों के संवर्धन के लिए 11 करोड़ रुपये दिये जा रहे हैं। मुख्यमन्त्री जी ने 50 लाख रु० मंजूर किए हैं। कुछ और राशि भी दी गई है। यह कोई राजनैतिक प्रश्न नहीं है। वे चाहते हैं कि इस संकट का सामना करने में केन्द्रीय सरकार उनकी मदद करे और उन्होंने केन्द्रीय सरकार से निवेदन किया है कि वह उनकी 11.87 करोड़ रु० की सीमान्त धनराशि जारी करे। यह बात इंसानियत से जुड़ी हुई है इसमें कोई राजनिति शामिल नहीं है। राज्यसभा और केन्द्रीय सरकार दोनों को ही यह देखना चाहिए कि इस विशेष परिस्थित में वह लोगों का साथ किस प्रकार दे सकते हैं। बहुत से क्षेत्रों में पानी की अत्यधिक कमी हो सकती है और वहां पर गहरे नलकूप लगाकर भी पानी नहीं मिल सकता। ऐसे स्थानों पर आपको इस समस्या को अलग ढंग से हल करना होगा। ऐसे भी क्षेत्र हो सकते हैं जहां गहरे नलकूप खोदकर पानी प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन यहां पैसे की बात आती है। क्या कोई ऐसी योजना है। जिसके द्वारा हम तुरन्त यह पता लगा सकें कि यहां पर पानी की अत्यधिक कमी होगी और क्या यहां पर नलकूपों से समस्या हल हो सकती है। इस स्थिति से निपटने के लिए हमें कुछ राशि स्वीकृत करनी चाहिए।

हम कई कारणों से इस पानी की समस्या का सामना कर रहे हैं और हर किसी ने इसका उल्लेख किया है। हमारा 75 प्रतिशत पानी बह जाता है। हम इसका उपयोग नहीं कर सकते। हम इसका उपयोग सही तरह से क्यों नहीं कर पाते। इसका उपयोग करने के लिए हम किस प्रकार अपनी क्षमता को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। प्राचीनकाल में लगभग हजार वर्ष पहले हमारे देश में एक प्रणाली थी जिसके अन्तर्गत प्रत्येक गांव में पीने और खेती करने के लिए टंकियां

[श्री सैफुद्दीन चौधरी]

बनायी जाती थी अब वह परम्परा समाप्त हो गई है। अब हम राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम और जवाहर रोजगार योजना आदि योजनाओं की बात करते हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि कितने गाँवों में नये तालाब खोदे गये है। हमारे देश में कितने गाँवों में पुराने तालाबों को गहरा किया गया है। यह अत्यधिक जीवन्त प्रश्न है। इन तालाबों से न केवल पीने योग्य पानी और सिंचाई के लिए पानी प्राप्त होता है बल्कि इनसे आर्थिक सक्रियता में भी मदद मिलती है हम वहाँ पर मछली पालन शुरू कर सकते है। कुछेक बेरोजगार व्यक्ति रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। मुझे यह जानकर बहुत दुख होता है कि अनेक स्थानों में तालाबों की गहराई कम हो गई हैं। गर्मी की शुरूआत में ही वे सूख जाते हैं। यहां हमें एक तरह से प्रोत्साहन की आवश्यकता है। यह अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इस कार्य में पंचायत महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती है।

कुछेक क्षेत्रों में सिंचाई के लिये हमारे यहाँ नहर प्रणाली की व्यवस्था की गई है। इस सम्बन्ध में विशेषज्ञों ने यह सुझाव दिये हैं कि जल प्रबन्ध के इस दृष्टिकोण को बदलना होगा। कतिपय क्षेत्रों में हमें अलग प्रकार की सिंचाई-व्यवस्था जैसे फुहारे से सिंचाई की व्यवस्था स्थापित करनी होगी जिससे कि पानी के अपव्यय को रोका जा सके। हमारी जनता को पानी का किफायत से उपयोग करने की आदत डालनी होगी।

जब हम पाते है कि देश का काफी बड़ा हिस्सा पेयजल की कमी से पीड़ित है तब हमें यह सोचना पड़ता है कि किस तरह हम अपने लोगों में पानी के सावधानी-पूर्वक उपयोग और उसे बेकार न जाने देने की आदत डालें। हमें इन सभी प्रक्रियाओं का सावधानीपूर्वक अध्ययन करना होगा और देखना होगा कि स्थिति का सामना कैसे किया जाये।

महोदय, प्रशासन की भी कई असफलतायें रही है। कई परियोजनायें हाथ में ली गई। यह सब समयबद्ध परियोजनायें है लेकिन यह कभी समय पर पूरी नहीं हुई। इनमें देरियां हुई है। इन परियोजनाओ का इस्तेमाल पेयजल उपलब्ध कराने में भी हो सकता है। लेकिन यह कभी समय पर पूरी नहीं हुई। यह धन का भारी उपयोग है। 10-12 साल बेकार जाने दिये गये। लोग अभी भी तुकलीफें उठा रहे हैं। मन्त्री महोदय को मालूम है कि कितनी परियोजनाएं समय पर पूरी नहीं हुई। मेरे से पहले राजस्थान से माननीय सदस्य इंदिरा गांधी नहर के बारे में बोले थे। क्या हम सब चाहते हैं कि नहर का काम जल्दी पूरा हो? राजस्थान पानी की कमी वाला राज्य जाना जाता है। इंदिरा गाँधी नहर के पूरा होने से उन्हें काफी मदद मिलेगी। यह हर कोई जानता है। हम इसमें क्या तेजी दिखा रहे हैं? हमें यह देखना चाहिए कि यह परियोजना समय पर पूरा हो।

महोदय, मैं कहूंगा कि हम न केवल वर्षा समय पर न आने के कारण पानी की कमी महसूस करते हैं अपितु इसके अन्य कारण भी हैं। हमने पिछले वर्ष काफी हानि भी उठाई। 1966 से 1988 तक छह बार भयंकर सूखा पड़ा कुछ राज्यों में सूखा तीन साल लगातार पड़ता रहा। लेकिन कुछ समय बाद बारिश भी हो जाती है लेकिन किस तरह का जल प्रबन्ध हो कि हम स्थिति का सामना कर सकें? किस तरह की आकस्मिक योजनाएं बनाई जायें जिससे जब वर्षा हो तो पर्याप्त मात्रा में जल का भंडारण हो सकें? यह अत्यन्त महत्वपूर्ण पहलू है हमारे विशेषज्ञों ने कई सुझाव दिये हैं जैसे गंगा को ब्रह्मपुत्र से जोड़ना। मैं नहीं जानता कि इन सुझावो के बारे में क्या

हुआ। इस बारे में किसी ने कुछ नहीं सुना। उत्तर और दक्षिण की नदियों को जोड़ने के बारे में कई सुझाव हैं। संसाधनों का भी प्रश्न है। लेकिन हमें संसाधन जुटाने होंगे। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है आजादी के 42 सालों बाद लोगों को पेयजल नहीं मिलता, तो 1990 में सब को अच्छे पेयजल देने की तो बात ही क्या है। हम इन सब सुविधाओं को लोगों तक पहुंचाने का दावा कैसे कर सकते हैं ? मैं माननीय मन्त्री द्वारा दिये गये आकड़ों में नहीं जाना चाहता हूं। कितने गांव समस्याग्रस्त गांव है ? कितने गांवों के पास पेयजल के स्रोत नहीं हैं ? यह बताया गया है कि 1,50,000 गांव ऐसे हैं जहां लोगों को पेयजल के लिए 1½ किलोमीटर से भी दूर जाना पड़ता है। हमें यह जानना चाहिए कि लोग किस तरह पानी के लिए तरस रहे हैं। पानी के बगैर कैसे काम चल पायेगा जानवरों की बात तो अभी छोड़ ही दीजिये। जब पानी नहीं होता तो वह मर जाते हैं। अब भी लोग विषाक्त और दूषित जल ले रहे हैं। ये महत्वपूर्ण मसलें है। कुछ वैज्ञानिक पहलुओं के बारे में भी बताया गया है। यह उन्होंने शायद तमिलनाडु और राजस्थान के बारे में कहा है। हमारा जल प्रौद्योगिकी मिशन है। टेलिविजन पर तो यह जीवंत दिखता है। खारेपन को दूर करने का प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है। इस देश में किस तरह का अनुसंधान किया जा रहा है ? आप इसे सस्ता कैसे बनायेंगे ? हमें बताया गया है कि पानी से नमक निकालकर काफी मात्रा में समुद्री जल का इस्तेमाल किया जा सकता है। इस बारे में मुझे ज्ञान नहीं है। कई अन्य राष्ट्र ऐसा कर रहे हैं। प्रौद्योगिकी का मतलब क्या है ? इसे कैसे सस्ता किया जाये ? हमें प्रौद्योगिकी के नवीनीकरण की आवश्यकता है। यदि ऐसी आवश्यकता है तो आप ऐसा कैसे करेंगे ? हमें इस पहलू पर गम्भीरता से विचार करना चाहिए। कई क्षेत्रों में कुछ पहल करने से और ज्यादा प्रावधान करने से पेयजल की कमी को दूर किया जा सकता है और इस ओर तुरन्त कदम उठाये जाने की आवश्यकता है। अगर हम इस स्थिति से ऊबरना चाहते है तो ठोस और दीर्घकालीन योजना बनाने की अवश्यकता है। जल प्रौद्योगिकी मिशन के प्रति मेरी कोई दुर्भावना नहीं है। मैं उसकी सफलता की और सही दिशा में काम करके लोगों को पेयजल की पूर्ति करने में सफलता की कामना करता हूं। हमारी शुभकामनायें उनके साथ हैं ? लेकिन फिर प्रश्न यह है कि कई क्षेत्रों में, विशेषकर वानिकीकरण के क्षेत्र में, लोगों के सहयोग की भी आवश्यकता है। यह बहुत महत्वपूर्ण है। मेरा ऐसा विश्वास है कि आज जो यह आपात स्थिति उभरी है, ऐसी भी राज्य सरकारें हैं जो स्थिति का सामना करने का प्रयत्न कर रहीं है। वे केन्द्रीय सरकार से सहायता की मांग कर सकती हैं। अतः आपको उनकी सहायता करने से पीछे नहीं हटना चाहिए।

श्री ई० अय्यपू रेड्डी (कुरनूल) : हमें एक स्थाई पेयजल बोर्ड का गठन करना चाहिए।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : अय्यपू जी ने सुझाव दिया है कि हमें एक स्थाई राष्ट्रीय पेयजल बोर्ड की स्थापना करनी चाहिए। यह एक बहुत ही अच्छा सुझाव है। शायद वह इसे जल प्रौद्योगिकी मिशन के साथ जोड़ सकें। यह बहुत ही अच्छा सुझाव है हम ऐसे सुझाव के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन मुख्य प्रश्न यह है कि हमें अपने संसाधनों का उपयोग प्रभावी ढंग से करना होगा। वरना जहां पेयजल की समस्या है, क्या आप समझते हैं कि किस तरह अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुँचता है ? किस तरह कृषि की हानि होती है ? आप सिचाई को तो रहने ही दीजिए। फसलों को हानि होती है। उसका असर प्रौद्योगिक उत्पादन पर भी होता है और आखिर में पूरी अर्थव्यवस्था लड़खड़ा जायेगी। जब हम पेयजल की बात करते हैं, तो हम केवल पेयजल की ही नहीं परन्तु अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण प्रश्न की बात करते हैं। मुझे आशा है कि केन्द्र और राज्य सरकारों

[श्री सैफुद्दीन चौधरी]

की मदद से हम कुछ ऐसे कदम उठायेंगे जिससे स्थिति से निबटने में-और इस समस्या से, जो हमारे राष्ट्र में उभरी है, सुलझा पाने में सहायता मिलेगी।

[हिन्दी]

श्री चन्दूलाल चन्द्राकर (दुर्ग) : सभापति महोदय, समूचे देश में पीने के पानी की समस्या बिकराल रूप धारण करती जा रही है। पच्चीस-तीस साल पहले जितना पानी हमारे देश में गिरता था वह अब धीरे-धीरे बहुत कम होता जा रहा है। कई क्षेत्रों में तो कई साल से बारिश नहीं हुई है या हुई भी है तो बहुत कम हुई है। इसके कारण से देश में जहां 30-35 साल पहले नलकूप, ट्यूबवैल नहीं थे या हैंडपम्प नहीं थे वहां अब नलकूप या ट्यूबवैल 30-35 साल के अन्दर हमारे देश के अन्दर 35 लाख से भी अधिक हो गये हैं और करीब 50 लाख से अधिक हैण्डपम्प और कुएं हो गये हैं। इस तरह से हम पहले बारिश के पानी पर निर्भर करते थे और अब हम भूमिगत पानी पर अधिक निर्भर करने लगे हैं। इसकी एक वजह यह भी है कि हमारे देश को चाहे बड़ी नदी हो, चाहे मध्यम नदी हो या छोटी नदी हो उसमें इतना कीचड़- रोड़े-पत्थर इकट्ठे हो गये हैं कि पहले हमारे देश की नदियों की गहराई थी, वह गहराई खत्म होती जा रही है। उदाहरण के लिए दिल्ली में यमुना नदी 1950 में जितनी गहरी थी वह 30-40 साल के अन्दर 12-14 फीट रोड़े पत्थरों और मिट्टी से भर गई है और पानी के रुकने की क्षमता कम हो गई है। हम इस बात को जानते हैं कि हमारे देश में हर साल पानी कम गिर रहा है और चूंकि हमारे जंगल बहुत तेजी से कट रहे हैं इसलिए हो सकता है कि पानी और भी कम गिरे। जो गिरता भी है दो, तीन चार दिन में बहुत बारिश हो जाती है और फिर महीनों तक बारिश नहीं होती है, समय पर बारिश नहीं होती है। मैं समझता हूं इसका एक ही हल है और आप दुनिया में घूम कर देख लें, एक ही हल नजर आयेगा। आप अफरीका में चले जायें, जहां-जहां अंग्रेजों का राज था वहां-वहां उन लोगों ने बांध बनाये और जहां-जहां फ्रांसिसियों का राज था उन लोगों ने वहां बांध नहीं बनाये उन्होंने वहां पर जिसको हम स्टमडैम कहते हैं उसको उन्होंने दूसरा नाम देकर आमतौर पर रेपिड बने होते हैं उदाहरण के लिए आप कांगों नदी को ले लीजिए जो बहां 5 देशों से होकर बहती है। उस अकेली कांगो नदी पर ही 40 से अधिक रेपिडस बने हैं, जिन्हें मैंने स्वयं देखा है और जिन्हें हम स्टॉक डैम कहते हैं। आज हमारे देश में भी फ्रांसिसी तरीके के उन रेपिड्स को बनाने की आवश्यकता है, जिन्हें हम स्टॉक डैम कहते हैं। देश भर में जितनी नदियां हैं, सब पर बांध यदि बनाये जायें तो मैं समझता हूं कि काफी कठिनाइयां आयेंगी, धन भी बहुत चाहिए, उपयोग तो होता ही है, लेकिन उसके साथ साथ लाखों गरीब लोगों और किसानों को उनकी रोजी रोटी और घर से उजाड़ दिया जाता है। हम कहते जरूर है कि उन्हें कहीं बसाया जायेगा हम उन्हें पैसा देंगे, धन देंगे, जमीन देंगे, लेकिन सभापति जी, मैंने कई जगह देखा है, भाखड़ा डैम से लेकर हमारे गांव तक मैं छोटी छोटी नदियों पर जितने डैम बने हैं, कहीं उन्हें बसाया नहीं जाता, बल्कि भगा दिया जाता है। उन आउस्टीज की समस्याओं को कोई समझता नहीं। इस समस्या से बचने का एकमात्र यही उपाय है कि हम अधिक से अधिक स्टाक डैम बनायें। स्टाक डैम उसी आधार पर बनाये जायें, जैसे कांगो नदी पर बने हैं। बड़ी नदियों पर स्टाक डैम पर बनाने में तो काफी खर्चा आयेगा, दूसरी छोटी-छोटी नदियों पर, किसी पर 5 करोड़, किसी पर 4 करोड़, किसी पर 3 करोड़ रुपया खर्च आने की सम्भावना है, लेकिन वह बांध बनाने से सस्ता पड़ेगा। एक-एक

नदी पर आप 25-30 या 40 स्टाक डैम तक बना सकते हैं। उससे पहली बात तो यह है कि पानी का स्तर जो तेजी से नीचे जा रहा है, वह रूक सकेगा बल्कि धीरे-धीरे वह स्तर ऊपर भी आने लगेगा, दूसरी बात यह है कि हमारी नदियों में कटाव के कारण, भू-संरक्षण के कारण रेत मिट्टी, कंकड़, पत्थर, रोड़े बहुत आ रहे हैं, उन्हें हटाने के लिए आवश्यक है कि हम ड्रेजर्स कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया नाम की संस्था बनायें, जैसे नदियों की खुदाई के लिये, स्वेज नहर की खुदाई के लिये बनी हैं, वैसी ही संस्थायें हमें बंगाल के बन्दरगाहों और कलकत्ता के बंदरगाहों के लिये बनाने की आवश्यकता है ताकि उन नदियों की बराबर खुदाई की जाती रहे और उनमें रेत पत्थर कंकड़ आदि इकट्ठा न होने पाये। अतः केन्द्रीय सरकार को देश की हर बड़ी नदी पर स्टाक डैम बनाने का काम अपने हाथ में लेना चाहिए। मैं जानता हूं कि ड्रेजर कार्पोरेशन आफ इण्डिया के गठन में कई हजार करोड़ रुपया खर्च आने की संभावना हैं, यह काम बड़ा मुश्किल भी होता है, लेकिन फिर भी हर साल अकाल पड़ने पर पीने के पानी के लिये, राहत कामों के लिये, सारे देश में जितना पैसा खर्च करते हैं, उससे यह कम महंगा पड़ेगा और साथ साथ लोगों को कठिनाई भी नहीं होगी। उदाहरण के लिये पिछले वर्ष हमारे देश में शताब्दी का सबसे भयंकर अकाल पड़ा, इसमें कोई शक नहीं कि हमारे प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी ने दूरदर्शिता से काम लेते हुए हर राज्य को अधिक से अधिक पैसा उपलब्ध कराया, चाहे वह राजस्थान हो, गुजरात हो, आन्ध्र प्रदेश हो, कर्नाटक हो या जहां जहां भी आवश्यकता महसूस की गयी, हर जगह उन्होंने काफी पैसा दिया, मैं सही फीगर्स तो नहीं बता सकता परन्तु मेरे अन्दाज के अनुसार 5 हजार करोड़ रुपया पिछले वर्ष केन्द्रीय सरकार राहत कार्यों के लिए देना पड़ा, उससे ही हम लोगों को अकाल की विभीषिका से बचाने में सफल हो सके, हमने किसी को भूख से मरने नहीं दिया। जब एक साल में हम 5 हजार करोड़ रुपये की व्यवस्था कर सकते हैं तो एक हजार करोड़ रुपये इनीशियल लगाकर ड्रेजर कार्पोरेशन आफ इण्डिया की स्थापना भी की जा सकती है, बाद में धीरे धीरे उसमें विस्तार होता रहेगा। मैं चाहता हूँ कि देश के हर राज्य में आप ड्रेजर कार्पोरेशन आफ इण्डिया का गठन कीजिये, खास तौर से मध्य प्रदेश में इसकी बहुत आवश्यकता है, जिसकी टापोग्राफी ऐसी है कि उसका बीच का हिस्सा बहुत ऊंचा है, वहीं से अधिकतर नदियां निकलती हैं और बहकर आसपास-पड़ोस के 6 राज्यों में जाती हैं। अच्छी बात है कि उन नदियों के पानी का उपयोग हो जाता है, लेकिन ड्रेजर कार्पोरेशन बना कर यदि मध्य प्रदेश की सभी नदियों पर बांध बना दिये जायें तो पानी को रोका जा सकता है और उससे पीने के पानी की समस्या को हल करने में हमें काफी सहायता मिलेगी। मध्य प्रदेश में पहले 7 जिलों में अकाल था लेकिन आज स्थिति इतनी खराब हो गयी है कि 19-20 या 22 जिलों में पीने के पानी की समस्या पैदा हो गयी है और कुछ जिलों में तो उसने विकराल रूप धारण कर लिया है। मैं दूसरे राज्यों की स्थिति तो ठीक से नहीं बता सकता, कम जानता हूँ, लेकिन हमारे मध्य प्रदेश के 20 जिले इस समस्या से बुरी तरह प्रभावित हैं। इससे निबटने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने केन्द्र से 40-45 या 50 करोड़ रुपया दिये जाने की मांग की है ताकि पीने के पानी की समस्या को हल किया जा सके।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से और हमारे रूरल डवलपमेंट के मिनिस्टर के जरिये से इस बात का अनुरोध करता हूँ कि पीने के पानी की समस्या से जूझने के लिए धन देने में कृपा कर के देरी न करें। जितनी जल्दी पैसा देंगे, उसका लाभ हमें तत्काल, इसी वर्ष मिल जाएगा जिससे मई, जून और जुलाई, इन 3 महीने में पीने के पानी की समस्या बहुत ज्यादा होगी। अभी गांव के लोग कैसा पानी पी रहे हैं, यह आपको मालूम नहीं है। तालाबों का पानी

[श्री चन्दूलाल चन्द्राकर]

पी रहे हैं जिनमें कीड़े पड़े रहते हैं । यहां पर आज रूरल डवलपमेंट मिनिस्टर साहब बैठे हैं और मन्त्री भी बैठे हैं और अन्य सभी भी बैठे हैं. मैं चाहता हूं कि हमारी सरकार हो चाहे और दूसरी सरकार हो, जहां से भी पीने के पानी की समस्या को हल करने की मांग आई है, वहां की सरकार को तत्काल यह धन दें । एक चीज मैं विशेषरूप से कहना चाहता हूँ मध्य प्रदेश के बारे में, वहां के लोग और वहां की सरकार भी कहती है कि बस्तर में इन्द्रावती नदी पर बहुत बड़ा बांध बनाया जाए । उसी प्रकार से नर्मदा नदी पर बहुत बड़ा बांध बनाया जाए ।

सभापति महोदय, मैं बस्तर में इन्दिरावती नदी और नर्मदा नदी दोनों पर बांध बनाए जाने के सम्बन्ध यह कहना चाहता हूँ कि अगर मध्य प्रदेश को आगे आने वाले 50 साल के बाद यदि रेगिस्तान बनाना है, तो आप बांध बनाएं, नहीं तो इन दोनों बांधों को बनाने की योजना को ही तिलांजलि दे दी जाए । इन बांधों की जगह बड़े-बड़े स्टाप डैम बनाइए । इससे पानी की रुकावट होगी और वहां से लिफ्ट कर के पानी लोग ला सकेंगे । इतना ही नहीं नर्मदा नदी के क्षेत्र में साल के बहुत दरख्त हैं । सभापति महोदय शायद आपको ज्ञात होगा, दुनिया में साल के दरख्त सिर्फ तीन देशों-बैंकाक (थाईलैंड), बंगला देश और भारत में है । जो एक साल का 70 वर्ष का पेड़ होता है, वह अपने नीचे एक कुए बराबर पानी इकट्ठा करने की क्षमता रखता है । उसकी खूबी यह है कि वह बरसात में पानी इकट्ठा करता है और गरमियों में पानी को रिलीज करता है । ऐसे बहुत सारे वृक्ष उस क्षेत्र में हैं जिनकी डेढ़ सौ साल की उम्र है । वृक्ष काटना बहुत आसान है, लेकिन लगाता कोई नहीं है । अब मैं यह कर विवाद नहीं बढ़ाना चाहता हूं कि कौन काटता है और कटवाता है और इसका लाभ कौन उठाता है, लेकिन मैं सिर्फ इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि झाड़ काटने से गरीब जनता का बहुत बड़ा नुकसान होता है ।

महोदय, 20, 30 और 40 साल पहले लोग कहते थे कि शुद्ध पानी और शुद्ध हवा मिलना सम्भव है, लेकिन आने वाले दिनों में शुद्ध पानी और हवा सब से कीमती वस्तु होने वाले हैं ।

मैं पुनः निवेदन करना चाहता हूं कि डैजर्ट कार्पोरेशन आफ इंडिया बनाएं और हरेक नदी पर स्टाप डैम बनाएं । इतना ही कह कर मैं जो समय दिया है, उसके लिये आपका धन्यवाद करता हूँ ।

श्री भरत सिंह (बाह्य दिल्ली) : सभापति महोदय, आज यहां पीने के पानों की समस्या पर चर्चा हुई है और इसमें कोई दो राय नही हैं कि दिल्ली में पहले से कितनी आबादी बढ़ गई है और अब यहां पापुलेशन 80 लाख से भी ज्यादा हो गई है और दिल्ली के देहात में डी०डी०ए० ने जमीनें एक्वायर कीं और उसमें आवासीय कालौनियां-रोहिणी, विकासपुरी, पश्चिमपुरी और अन्य तमाम कालौनियां बसाईं लेकिन पानी उतना ही रहा जितना पहले था । इसलिए इन कालोनीज में पीने के पानी की समस्या होती रहती है । इसलिये मैं यह चाहता हूँ कि हमारी दिल्ली का कोटा आप भाखड़ा से लें और मैं यह भी चाहता हूं कि हैदरपुर में जल्दी से जल्दी एक प्लाण्ट लगाया जाए जिस में जमुना का और पानी मिले और वह वह पानी अच्छी तरह से सब लोगों को मिले । इसी प्रकार से महोदय, आप जानते हैं कि दिल्ली में गंगा का पानी भी आता है नई दिल्ली दक्षिण दिल्ली, मेहरौली आदि क्षेत्रों में गंगा का पानी आता है । बाबरपुर की तरफ डी० डी० ए० की कितनी ही कालौनियां बन गई हैं और वहां से आवाज आती है कि पानी की कमी है । गंगा

से पानी और लेकर एक प्लान्ट उधर भी लगाया जाए जिससे दिल्ली में जितनी कालोनीज बनी हैं, उन सबको ठीक तरह से पानी मिले। वैसे मैं अपने प्रधान मन्त्री जी का धन्यवाद करता हूं कि पिछले साल सूखे में इतने ट्यूबवैल लगवाए, इतने हैंड पम्प लगवाए जिससे आज लोग अपना गुजारा कर रहे हैं। जहां पानी की कमी होती है, वहां टैंकरों से पानी भेजते हैं लेकिन बढ़ती हुई आबादी की वजह से दिल्ली में बहुत कम पानी मिलता है। जितनी पुनर्वास कालोनीज इन्दिरा जी ने बताई थीं, उनमें पहले दुगना पानी मिलता था लेकिन आज पानी की कमी की वजह से उनमें आधा पानी मिलता है। झुग्गी-झोंपड़ियों में और अन-अथौराइज्ड कालोनीज में हमने ट्यूबवैल काफी लगवाए लेकिन वह इतना अच्छा पानी नहीं देते हैं जितना गंगा और यमुना का होता है। मेरा निवेदन है कि हैदरपुर प्लान्ट जल्द से जल्द लगाया जाए और एक प्लान्ट देहात में भी या तो गोहाना नहर के पास या नागलोई के आसपास लगाया जाए जिससे हमारी बढ़ती हुई आबादी को ठीक से पानी मिल सके। हम चाहते हैं कि इतनी आबादी को चाहे पहले से कम पानी मिल जाए, लेकिन इतना तो मिल जाए कि लोग स्नान कर लें, खाना बनाकर खा लें। लेकिन कई बार पानी बन्द हो जाता है हम स्नान करने के लिए भी बैठे रहते हैं। हम सोचते हैं कि पानी बंद हो गया, जब पानी जाएगा तो स्नान करेंगे और तब पार्लियामेंट जाएंगे।

आप दिल्ली प्रशासन को ज्यादा से ज्यादा पैसा दें और जल्दी जल्दी वहां लेबर भी भेजें ताकि वह जल्दी से जल्दी और तेजी से काम शुरू कर सकें। पानी ऐसी चीज है, जिसकी इन्सान को बड़ी सख्त जरूरत होती है। हमारे पशु भी हैं और देहात में उनको भी पीने के लिए पानी चाहिए और इसके सहारे ही वे जीते हैं।

आजकल आप जानते हैं कि बारिश है नहीं, गांव में जो पौंड होते हैं जिनको जोहड़ बोलते हैं, वे सूखे गए हैं, उनमें पशुओं के पीने के लिए पानी नहीं है हम चाहते हैं कि नहरों के द्वारा हरियाणा से जो नहर आती हैं खेतों में पानी देते है, हम चाहते हैं कि उससे इन जोहड़ों में भी पानी दें जिससे हमारे पशु अच्छी तरह से पानी पी सकें और ज्यादा से ज्यादा दूध दे सकें और इस तरह से हमारी दूध की सप्लाई भी बढ़ सके।

मैंने इसीलिए रिक्वैस्ट की है कि हमारे वाटर सप्लाई मिनिस्टर दिल्ली को और ज्यादा पैसा दें जिससे हमारे 4 प्लान्ट लग जाएं और पानी भी हमारा बढ़वाएं और हमारा अलग कोटा मंजूर करवाएं जिससे पीने के पानी की दिक्कत दूर हो सके।

सभापति जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने इस विषय पर मुझे बोलने का समय दिया और दिल्ली में पानी की कमी को पूरा करने के लिए हमें शीघ्र प्रयत्न करने चाहिए।

[अनुवाद]

जल-परिवहन परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री० पी० नामग्याल) : महोदय चूंकि अनेक माननीय सदस्य बहस में भाग लेना चाहते हैं, मैं निवेदन करूंगा कि बैठक का समय एक घंटे के लिये बढ़ा दिया जाये।

सभापति महोदय : क्या सभा एक घंटा समय बढ़ाने के लिये सहमत है ?

कुछ माननीय सदस्य : जी हां,

श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर : (बंगलौर दक्षिण) : सभापति महोदय, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण और राष्ट्र की ज्वलंत समस्या पर चर्चा कर रहे हैं। क्योंकि साधारण आदमी यह जानना चहता हैकि क्या यह पुनीत सदन उसके कल्याण के प्रति चिंतित है। पेयजल प्रत्येक प्राणी पशु और पौधे, को जिसमें भी प्राण हो, उसकी आधारभूत आवश्यकता है। हमने राष्ट्रीय जल नीति को स्वीकारा है लेकिन दुर्भाग्यवश हमारे राष्ट्र में पेयजल की कोई नीति नहीं है। आजादी के 42 साल बाद और सात पंचवर्षीय योजनाओं के बावजूद भी हमारे राष्ट्र के एक तिहाई गांव पानी की कमी से कष्ट में हैं।

6.00 म०प०

यह आवश्यक है कि इससे राष्ट्रीय स्तर पर निबटा जाये। हम इस विषय पर यहां चर्चा इस लिये कर रहे हैं क्योंकि यह राज्यों या पंचायतों का विषय नहीं है यह राष्ट्रीय विषय है। पेयजल की समस्या राष्ट्रीय समस्या है। इसलिए यह उचित है कि इस पर हम यहां चर्चा करें और हमारी एक राष्ट्रीय जल नीति होनी चाहिए।

पेयजल की समस्या के अनकों दलों में एक यह है कि लंबित पड़ी सिंचाई परियोजनाओं को जल्दी से पूरा किया जाये। धन की कमी के कारण हमारे राष्ट्र में अनकों सिंचाई परियोजनाएं पूरी नहीं हो पाती। राज्य को प्राप्त धन बहुत सीमित है और वे इन परियोजनाओं को अपने कोष से पूरा नहीं कर सकते और इसीलिए अनेकों परियोजनाएं जो कि 3-4 साल में पूरी हो जानी चाहिए थी 20-30 साल में भी पूरी नहीं हो पायी है। मेरा सुझाव है कि हमारे देश की सभी बड़ी सिंचाई परियोजनाओं को राष्ट्रीय परियोजनाएं समझा जाना चाहिये और इसका उत्तरदायित्व केन्द्र को लेना चाहिए।

हमारे एक तिहाई गांवों में पेयजल उपलब्ध नहीं है कई गांवों में लोगों को विशेशकर सूखे की स्थिति में कई किलोमीटर चल कर पानी लाना पड़ता है। इस बारे में हमने समाचार पत्रों में पढ़ा है और संचार माध्यमों, टेलिविजन आदि पर भी देखा है। विशेषतः राजस्थान, महाराष्ट्र और कर्नाटक में सूखे के दौरान स्थिति बड़ी खराब होती है यह ऐसी समस्या है जिसका युद्ध स्तर पर मुकाबला किया जना चाहिये।

कर्नाटक में लगातार चार वर्षों से सूखे की समस्या है। इसी प्रकार की स्थिति महाराष्ट्र में थी। यदि मैं श्री नजीर साहब का, जो कर्नाटक के ग्रामीण विकास मंत्री थे और जिनकी हाल ही में मृत्यु हुई है तथा जिन्हें श्री पुजारी भी जानते थे, उल्लेख नहीं करूंगा तो मैं अपने कर्तव्य का पालन करने में असफल रहूंगा। उन्होंने कर्नाटक के 55,000 गांवों में पेयजल की व्यवस्था करा कर उल्लेखनीय सेवा की थी। उनके अथक प्रयासों के कारण अधिकांश गांवों को पेयजल की सप्लाई की गई थी। इसीलिये उन्हें 'नीर' साहब कहा जाता है; हमारी भाषा में 'नीर' अर्थ पानी है।

पानी की भारी कमी की यह समस्या उस समय विकट होती है जब भूमिगत जल नहीं होता, तथा पानी का स्तर कम हो जाता है। यह एक गंभीर मसला है। हैण्डपम्पों से भी पानी नहीं निकलता है। पानी का दूसरा कोई स्त्रोत नहीं हैं। जब पानी का स्तर कम हो जाता है। तो क्या किया जाना चाहिये। हमें पानी संरक्षित करने का प्रयास करना चाहिये। केवल एक ही तरीका

हैं कि उन्हें मानसून और वर्षा के पानी पर निर्भर रहना पड़ता है। प्रश्न यह है कि वर्षा का पानी किस प्रकार संरक्षित किया जाये। प्रौद्योगिकी का इतना अधिक विकास हो चुका है। मुझे विश्वास है कि मंत्री महोदय, श्री पुजारी, इस समस्या की तरफ विशेष ध्यान देंगे। ग्रामीण जल आपूर्ति बहुत महत्वपूर्ण है। जब भूमिगत पानी का स्तर कम हो जाता है तो क्या किया जाना चाहिये, इस पर गम्भीरता से विचार किया जाये।

महोदय, मैं शत प्रतिशत शहरी निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधि हूं। कुछ समय तक मैं अपने राज्य में ग्रामीण विकास मंत्री भी रहा हूं। ऐसा प्रतीत होता है कि केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय अकेले दिल्ली के ग्रामीण विकास के लिये है। जनसंख्या का तीस प्रतिशत शहरी क्षेत्रों में है क्या आप किसी ऐसे शहर या कस्बे का उदाहरण उद्धत कर सकते हैं जो पानी की सप्लाई में आत्म-निर्भर हो। मैं देखता हूं कि प्रत्येक क़स्बा, प्रत्येक महानगर अथवा दूसरे शहर विशेषतः गर्मी में पानी की कमी से पीड़ित रहते हैं बंगलौर में भी हम इस कमी का सामना कर रहे हैं। यद्यपि हमने वहां थिप्पा गोंड़ा हाली, काबेरी प्रथम तथा द्वितीत चरण योजनायें शुरू की हैं, लेकिन फिर भी कुछ क्षेत्रों को पर्याप्त पानी नहीं मिलता है। हमारे देश में अत्यधिक असमानता है; जबकि कुछ लोगों को प्रतिदिन 100-150 लीटर पानी मिलता है। तो दूसरे ऐसे भी लोग हैं, जिन्हें प्रतिदिन एक लीटर भी नहीं मिलता है। इस सम्बन्ध में राज्य सरकारें बेहतर कार्य कर रही हैं परन्तु उनके साधन बहुत सीमित हैं। उनके पास पर्याप्त धन नहीं है शहरी विकास मंत्री को देश के प्रत्येक क़स्बे और शहर की तरफ अपना ध्यान देना चाहिये। मैं यह कहना चाहता हूं कि पेयजल को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। ग्रामीण विकास मंत्री ग्रामीण क्षेत्रों की तरफ ध्यान दे रहे हैं।

बंगलौर में पानी योजनाओं पर सैकड़ों करोड़ रुपये खर्च किये जा रहे हैं। हम काफी दिनों से पर्याप्त धनराशि देने के लिये केन्द्रीय सरकार से अनुरोध करते रहे हैं, मेरा विचार है कि मैंने स्वंय अनेक बार अनुरोध किया है; ऐसे अनुरोध नेहरू के समय में भी किये गये थे परन्तु दुर्भाग्य की बात है कि बंगलौर पेयजल योजनां के लिये केन्द्रीय सरकार ने एक पैसा भी मंजूर नहीं किया है। बंगलौर में अनेक उद्योग तथा रक्षा प्रतिष्ठान हैं। अब हमने कावेरी-द्वितीय परियोजना शुरू की है जिसके लिये करोड़ों रुपये की आवश्यकता है परन्तु केन्द्रीय सरकार उसके लिये भी कोई धनराशि नहीं दे रही है। यह केन्द्रीय सरकार की जिम्मेदारी है। पेयजल मूल आवश्यकताओं में से एक है। पानी के बिना मनुष्य एक दिन भी जीवित नही रह सकता।

महोदय, मेरी अन्तिम बात यह है कि हम सुन्दर पार्कों के विकास पर अत्यधिक धन खर्च कर रहे है। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि पार्कों का विकास नहीं किया जाना चाहिये परन्तु मेरी आपत्ति यह है कि इसके लिये साफ अथवा संशोधित पानी का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिये। मैंने पार्कों में तलाशयों की तरह पानी बहता हुआ देखा है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या यह संशोधित पानी है अथवा कच्चा पानी। मेरे विचार से पार्कों में पानी देने के लिये अलग लाईन होनी चाहिये।

मुझे विश्वास है कि मंत्री महोदय इन पहलुओं पर ध्यान देंगे उन्हें सभी बड़े शहरों की तरफ ध्यान देना चाहिये और पेयजल की समस्या का समाधान करना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री राम भगत पासवान (रोसड़ा) : सभापति महोदय, मैं बहुत आभार प्रकट करता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। हालांकि सीरियल में मेरा नाम पहले बोलना चाहिए था लेकिन आपने न्याय किया इसके लिये मैं आपका बहुत-बहुत आभार प्रकट करता हूं।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ रथ (आस्का) : महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। एक माननीय सदस्य ने कहा कि अध्यक्ष पीठ क्रमानुसार चल रहे हैं। मैं आप से जानना चाहता हूं कि क्रम संख्या का क्या मतलब है। नियमों के अनुसार, अध्यक्षपीठ को यह अधिकार है कि वह किसी भी सदस्य को बोलने के लिये बुलायें और उसे अवसर प्रदान करें। सचेतकों द्वारा अध्यक्षपीठ को नामों की सूचना दी जाती है। क्रम संख्या से किस प्रकार चला जा सकता है ? क्या अध्यक्षपीठ द्वारा कुछ सदस्यों के कहे अनुसार कार्य किया जायेगा यह मैं आप से जानना चाहता हूँ।

सभापति महोदय : आप ठीक कहते हैं सूची अध्यक्षपीठ के दिशा-निर्देश के लिये होती है। सामान्यतः हम इसके अनुसार चलते हैं। परन्तु हमें विवेकाधिकार मिला है।

श्री बृजमोहन महन्ती (पुरी) : मुझे विश्वास है कि आपका इतना विवेकाधिकार नहीं है कि आप पुरुष को महिला और महिला को पुरुष बना दें।

सभापति महोदय : मैं इसका दावा नहीं कर रहा हूं।

श्री सोमनाथ रथ : माननीय सदस्य ने अपने अनुभव से यह कहा है।

[हिन्दी]

श्री राम भगत पासवान : मनुष्य को पानी की जितनी आवश्यकता होती है प्रकृति उससे सौ गुना अधिक पानी दे रही है, इसकी जांच करा ली जाय। पानी की जितनी आवश्यकता खेती करने के लिये, पीने के लिये और मवेशियों को पिलाने के लिये है उससे सौ गुना वर्षा का पानी प्रकृति दे रही है लेकिन यह दुर्भाग्य है कि पी० एच० ई० डी० और फ्लड कण्ट्रोल विभाग के लोग अभी तक इस पानी की ऐसी व्यवस्था नहीं कर सके ताकि लोगों को पानी की जो दिक्कत है, वह दूर हो सके। हमारे बिहार का जहां तक प्रश्न है, बिहार में हर साल बाढ़ आती है और दो महीने के बाद वहां सूखा हो जाता है। पानी दरवाजे पर आया था और बह कर चला गया। वहां बहुत सी नदियां हैं, बहुत से बांध बंधे हुए हैं, लेकिन इस प्रकार के बांध बन्धे हुए हैं, जो पानी के बहाव को रोक नहीं सकते हैं। इसलिये सरकार से मेरा आग्रह है कि वह ऐसी व्यवस्था करे कि वहां हर समय पानी पीने के लिये, खेती के लिये, मवेशियों के लिये रहे और वहां स्केयरसिटी न होने पाये।

जहां तक ट्यूबवैल लगाने का प्रश्न है, अभी बहुत से गांव ऐसे हैं, हरिजनों के गांव हैं, अनुसूचित जाति और जनजाति के गांव हैं, वहां पर हमारी सरकार ने बहुत व्यवस्था की है। इसमें सरकार का कोई दोष नहीं है, ऐसे अधिकारी हैं जिन्होंने जहां पर जरूरत नहीं हैं, वहां पर गाड़ दिए हैं और जहां पर जरूरत है, वहां पर नहीं गाड़े हैं। बड़े-बड़े लोगों के यहां गाड़ दिये हैं। इसलिए आपको ऐसी हिदायत देनी चाहिए कि जहां पर पानी की जरूरत है, वहां पर इस प्रकार की व्यवस्था करनी चाहिए। अभी भी हमारे बिहार में सूखा पड़ा हुआ है और हमारे क्षेत्र में बहुत सी महिलायें हैं जिनको पानी लेने के लिए बहुत दूर-दूर जाना पड़ता है। जहां तक मेरे निर्वाचन क्षेत्र का प्रश्न है, वह बाढ़ का क्षेत्र है फिर भी वहां सुखाड़ है। रोसड़ा, हसीनपुर, बहेरी, संघी आदि इलाकों में अभी भी बाढ़ हैं। जब हम लोग अपने क्षेत्रों में जाते हैं, तो लोग कहते हैं कि हमें पानी की जरूरत है। ट्यूबवैल के लिये सैंक्शन है, लेकिन गाड़े नहीं जा रहे हैं। इस तरह की स्थिति वहां पैदा हो रही है और पैसों का सही उपयोग नहीं हो रहा है। यदि इस प्रकार की स्थिति रहेगी और स्केयरसिटी हो जायेगी तो गांव के लोग कहां

तक बर्दाश्त करेंगे। वहां पर हर समय पानी रहे। जितने पोखरे हैं, नदियां हैं, पहले उनका पानी स्वच्छ रहता था। कुवों का पानी भी स्वच्छ रहता था। यह परमामेंट सौल्यूशन है, लेकिन जब से ट्यूबवैल की व्यवस्था हुई है, तब से यह सब बेकार हो गया है। अब उस का कोई पानी पीता नहीं है। पहले कुवों का हाईजैनिक पानी होता था। जितनी भी आपकी ड्राउट स्टेट हैं, जहां पर कुवें हैं, जहां पोखरे हैं, जहां नदियां हैं, जहां नदियों में सिल्ट जमा हो गया है, उनको गहरा किया जाए और कुवों की मरम्मत की जाए, तो यह भी एक परमानेंट सोल्यूशन है। जहां तक मेरे निर्वाचन क्षेत्र का सवाल है, वहां पर दो-तीन स्कीम्स हैं, यदि उनको पूरा कर दिया जाए तो खेती के लिये पानी की स्केयरसिटी नहीं होगी और न पीने के पानी के लिए भी। ये बहुत महत्वपूर्ण योजनायें हैं। वहां पर दो नदियां हैं, कमलाबलान और बागमती नदी और गंडक नदी भी है, जो दूर-दूर तक जा रही हैं और फिर वे सूख जाती हैं। यदि इनको गहरा कर दिया जाए, स्कीम बनी हुई है, पैसा भी सैंगशन है, लेकिन पता नहीं उनको क्यों गहरा नहीं किया जा रहा है। वहां का इतना स्वच्छ जल है कि पीते ही सर्दी भी छूट जाती है। लेकिन उनको गहरा नहीं किया जाता है। कहीं-कहीं पर तो गहरी हैं और कहीं पर गहरी नहीं है। मैं आग्रह करूंगा कि कमलाबलान नदी जो बीच-बीच में सूख जाती है, उसको गहरा किया जाए। इसी प्रकार गंडक और बागमती नदियां हैं जो मेरे क्षेत्र से होकर गुजरती हैं। वहां पर बाढ़ भी हैं, सूखाड़ भी है, अनावृष्टि भी है, अतिवृष्टि भी है, सब चीजें हैं वहां पर। यदि वहां पर पीने के पानी की समस्या को दूर करना है तो आपको नदियों को गहरा करना पड़ेगा। पोखरों को गहरा कर दीजिये। जिन हरिजन और आदिवासी बस्तियों में महिलायें पानी लेने के लिए दूर-दूर जाती हैं, वहां पर मेला सा लग जाता है उन क्षेत्रों को भी आपको देखना होगा। वैसे हमारी सरकार ने अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के लिये बहुत काम किया है और उन लोगों की ओर ध्यान दिया है। जहां कहीं भी पानी की आवश्यकता है वहां के लिए इन्तजाम किया जाए।

मैं यह भी कहना चाहूंगा कि दिल्ली में भी ऐसे मोहल्ले हैं—जैसे कि गुरूद्वारा रकाबगंज, पंतमार्ग और तालकटोरा रोड। इनमें दिल्ली के वाटर सप्लाई द्वारा पानी सप्लाई होता है। लेकिन वहां दो घन्टे सुबह और एक घन्टे रात को पानी आता है। पानी सप्लाई के लिए फोन किया जाता है लेकिन शिकायत नोट करके छोड़ दिया जाता है। पानी सप्लाई नहीं होती है। इस समस्या को भी हल करवाया जाए।

हमारे साउथ बिहार में जमीन में पानी का लेबुल बहुत नीचे चला गया है। वहां पर पानी की अविलम्ब व्यवस्था करने की जरूरत है अधिकारियों से कहा जाये कि वहां पानी की व्यवस्था करने के लिये ट्यूबवेल खोदें और नदियों को गहरा करें ताकि हर समय वहां पानी मिलता रहे।

इन शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ रथ : सम्पूर्ण भारत में पेयजल का संकट है। उड़ीसा के सामने हाल के वर्षों में पेयजल का विकट संकट रहा है। कुछ जिलों में मानसून से पूर्व वर्षा कतई नहीं है। यह 80-90 प्रतिशत से कम है। नदियों में पानी के स्तर में उल्लेखनीय कमी आयी है। महानदी और अन्य नदियों में पानी का बहाव बिल्कुल नहीं है। छोटे और उथले ट्यूबवैल कतई काम नहीं कर रहे हैं। वर्षा के अभाव और चारों तरफ पानी की कमी का प्रभाव फसलों तथा बिजली उत्पादन पर पड़ रहा है।

[श्री सोमनाथ रथ]

कुछ जिलों में केवल पानी ही उपलब्ध नहीं है बल्कि दूषित जल पीने से बीमारी के कारण अनेक लोगों की मृत्यु भी हो गयी है। कुछ जिलों में बीमारी फैल गयी है। समाचार पत्रों में छपा है कि चारादीप में एक बाल्टी पानी 2 रुपए में बिक रहा है। विगत सात महीनों के दौरान अपर्याप्त वर्षा के कारण पानी की भारी कमी हो गयी है। मैं श्री पुजारी को यह बताना चाहता हूं कि उन्हें अकेले संकट ग्रस्त गांवों से निपट कर ही संतुष्ट नहीं होना चाहिए क्योंकि सरकार ने संकट ग्रस्त गांवों को पेयजल की सप्लाई की जिम्मेदारी ली है एक स्थिति यह भी उत्पन्न हो गयी है। कि सभी गांवों में पेयजल की कमी है। सरकार की यह नीति है : सातवीं पंचवर्षीय योजना में परिकल्पना की गयी है कि योजना अवधि के दौरान ग्रामीण जनता को स्वच्छ पेयजल मुहैया करने के प्रयास किये जायेंगे। मैं तीन नारों अर्थात 'सम्पूर्ण ग्रामीण जनता' 'सुरक्षित पेयजल' और 'योजना अवधि के दौरान' पर बल देता हूं। इसलिये ये तीनों बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। यह सच कि सातवीं पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण जल आपूर्ति क्षेत्र के लिये 3454.74 करोड़ रुपये का प्रावधान है। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के लिये 2253.25 करोड़ रुपए और केन्द्र द्वारा चलाये गये त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के लिये 1201.22 करोड़ रुपये का प्रावधान है। इनके अतिरिक्त, दूसरे सामान्य कार्यक्रम भी चलाये गए हैं। बताया गया है कि प्राकृतिक आपदाओं जैसे सूखे के दौरान कुएं खोदने के लिये धन दिया जाता है। परन्तु यह कहने के बावजूद, कि सभी राज्यों को काफी धन दिया गया है, समूचे देश में यह स्थिति क्यों उत्पन्न हो गयी है? उदाहरणार्थ, कहा गया है कि 1981 से लेकर 1986 तक 1,19,171.11 लाख रुपये की कुल धनराशि दी गयी है। मन्त्री महोदय ने 14 मार्च, 1989 को निम्नलिखित कहा है :

> 1988-89 के लिये 32698 संकट ग्रस्त गांवों में सुरक्षित पेयजल की सुविधायें देने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अतिरिक्त, 1988-89 में आंशिक रूप से संकट ग्रस्त 18500 गांवों को पेयजल की सभी सुविधायें दी जायेंगी। पेयजल के सम्बन्ध में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी मिशन का गठन किया गया है ..."

जब ये सब उपाय किये गये हैं तो समूचे देश में पानी की कमी क्यों है? इसका कारण यह है कि ट्यूबवैल काफी गहरे नहीं खोदे जाते हैं जिसके परिणामस्वरूप जब भूमिगत जल का स्तर कम हो जाता है तो ये निष्क्रिय हो जाते हैं। यद्यपि काफी धन खर्च किया गया है लेकिन फिर भी एक विशेष स्तर तक जहां से पानी आता है, ट्यूबवैल नहीं खोदे जाते हैं। जवाब में कहा गया है कि सरकार ने काफी धन दिया है। इस सबके बावजूद भी संकट उत्पन्न हो गया है। ट्यूबवैल उस गहराई तक नहीं खोदे जाते जहां से पानी आना शुरू होता है पानी आने से पहले ही उनकी खुदाई रोक दी जाती है। ठेकेदार और अन्य लोग कोई काम किये बिना रुपये ले जाते हैं। गर्मी के दौरान जब पानी का स्तर नीचे जाने लगता है तो ट्यूबवैल निष्क्रिय हो जाते हैं। इसलिये, यह सुनिश्चित करने के लिये कार्यवाही की जानी चाहिए कि कुएं उस गहराई तक खोदे जाएं ताकि गर्मी में भी पानी उपलब्ध हो सके।

ऐसा प्रतीत होता है कि भारत सरकार ने गांवों को पाइपों के द्वारा पेयजल की सप्लाई के कार्यक्रम को रोक दिया है। यद्यपि नदियां और नाले गांवों के पास से गुजरते हैं, तथापि नीति यह है कि नलकूप केवल गांवों में ही लगाए जाए। क्योंकि हमारे यहां केवल नलकूप ही उपलब्ध हैं इसलिए कुछ गांवों में मीठा जल उपलब्ध नहीं कराया जा सकता लेकिन अगर हम गांवों में नदी और नालों द्वारा जल की पूर्ति करते हैं, तो मीठा जल उपलब्ध कराया जा सकता है और बालू

सतह का फिल्टर के रूप में भी उपयोग किया जा सकता है। अतः मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से आग्रह करता हूँ कि वह इस बात पर पुनः विचार करें कि गांवों में नलकूप तो लगाए ही जाए परन्तु उनके साथ-साथ पाइपों के जरिए पेयजल की पूर्ति भी की जाए।

अर्द्ध-शहरी क्षेत्र के विकासार्थ की आवश्यक सहायता देने हेतु योजनायें केन्द्रीय सरकार द्वारा तैयार की जाती है। लेकिन इस योजना के अन्तर्गत मेरे चुनाव क्षेत्र आस्का में किसी भी शहर को एन० ए० सी० का लाभ नहीं मिला है। अर्द्ध शहरी क्षेत्र के विकास के अन्तर्गत किसी भी योजना को कार्यान्वित करने के लिए उड़ीसा सरकार द्वारा केन्द्रीय सरकार से किसी भी एन० ए० सी० की सिफारिश नहीं की गई है। मेरे प्रश्नों के उत्तर में मन्त्री महोदय ने कहा है कि यह मांग उड़ीसा, सरकार के द्वारा की जानी चाहिए। संसद में लोगों के प्रतिनिधि होने के कारण हम मन्त्री महोदय से बात करते हैं कि किसी भी राज्य के साथ अन्याय नहीं किया जाना चाहिए हम यहां लोगों के हित के लिए बोलते हैं। सरकार को इस संबंध में पहल करनी चाहिए। जब मैं सभा में बोल रहा हूँ तो मेरी बात पर ध्यान दिया जाना चाहिए। सरकार को ऐसा नहीं कहना चाहिए कि सिफारिश राज्य सरकार के द्वारा की जानी चाहिए तब ही हम इस योजना को कार्यान्वित करेंगे। ऐसा कहकर वे उल्टी बात कह रहे हैं। हम जिन लोगों का प्रतिनिधित्व करते है उन्हीं के संबंध में अपने विचार जाहिर करते हैं और इसके लिए कोई अन्य आवेदन पर याचिका देने की आवश्यकता नहीं है जब हम सभा में बोलते हैं तो सम्बन्ध मन्त्री महोदय हमारी बातों का ध्यान में रखते हैं और गैलरी में बैठे अधिकारी भी उनको ध्यान में रखते हैं। उन्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि केन्द्र सरकार की हर योजना राज्य सरकार की सिफारिशों पर ही कार्यान्वित न की जाए बल्कि संसद सदस्यों के आग्रह पर भी कार्यान्वित की जाए अन्यथा, हमारे यहाँ बोलने का कोई अर्थ नहीं रह जाता है। लोक-सभा कोई बातचीत का केन्द्र नहीं है। अतः आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए।

मैं एक बार फिर शहरी विकास मन्त्री महोदय से यह आग्रह करता हूँ कि वह अर्द्ध-शहरी क्षेत्रों के लिए इस योजना के अन्तर्गत उसका चुनाव क्षेत्र के भी पर्याप्त धन उपलब्ध कराएं। उड़ीसा में तालाब सूख गए हैं-- इस बात को दुहराने के लिये मुझे क्षमा करें—और कम गहरे कुएं अनउपयोगी हो चुके हों नलकूपों में जल नहीं आ रहा है और इसी तरह अन्य कुओं में भी जल नहीं है। नदियों में पानी नही है। ऐसी परिस्थिति का सामना युद्ध स्तर पर किया जाना चाहिए। दूषित जल पीने के कारण लोगों की मृत्यू हुई है। बीमारियां फैल रही है। ऐसी परिस्थितियों में मैं श्री पुजारी जी से और शहरी विकास मन्त्री जी से अनुरोध करता हूँ कि वह उड़ीसा सरकार को पर्याप्त धन उपलब्ध कराएं जिससे वह इस स्थिति का सामना कर सकें और यह सुनिश्चित करें कि तालाबों को नया रूप देने के लिये जल की पूर्ति की जाए, नलकूप लगाए जाएं तथा नदी के किनारे बसे हुए गांवों को पाइप के द्वारा जल उपलब्ध कराया जा सके। अगर युद्ध-स्तर पर ये कदम नहीं उठाये गये तो स्थिति बहुत खराब हो सकती है और यह नियन्त्रण से बाहर हो जायेगी। इस तरह और भी मोतें हो सकती है जिन्हें वरीयता के आधार पर इस समय टाला जाना चाहिए।

श्री पीयूष तिरकी (अलीपुरद्वार) : सभापति महोदय, पेयजल की समस्या एक राष्ट्रीय समस्या है और सदन में अनेकों बार इस पर चर्चा हो चुकी है। अब एक फिर इस पर चर्चा हो रही है।

[श्री पीयूष तिरकी]

एक बात मैं इस सदन में कहना चाहता हूं। चुनाव को ध्यान में रखकर हम अनेक मुद्दों, जैसे 'गरीबी हटाओ' और गरीबी उनमूलन इत्यादि मुद्दों को उठा रहे हैं। परन्तु हम इस मुद्दे को भी चुनाव मुद्दे के रूप में क्यों नहीं लेते हैं। चुनाव के लिए "सभी के लिए स्वच्छ पेयजल"-- एक मुद्दा होना चाहिए क्योंकि अपने घरों के पास पेयजल की सुविधा उपलब्ध होने से लोगों पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा।

[हिन्दी]

"पानी का दूसरा नाम प्राण है"

[अनुवाद]

पानी का दूसरा नाम प्राण है। और अगर आप यह कहते है कि हम अपने लोगों को स्वच्छ पेयजल नहीं उपलब्ध करा सकते, तो यह अच्छा नहीं है। गन्दा पानी पीने से अनेक बीमारियां फैल रही है। हम अपने देश में नदियों की पूजा करते हैं विशेषकर पवित्र गंगा की। लेकिन हम अपनी नदियों के प्रदूषित होने की चिंता कभी नहीं करते। हमारी नदियों के किनारे दहन घाट है। नदियों में गन्दी नालियों के मल को डाला जाता है। हम हमेशा भूल जाते हैं कि पवित्र गंगा भी प्रदूषित होती है और उसका जल बिलकुल ही पीने योग्य नहीं रहता। हमारे देश में अनेक उद्योग भी हैं जिनका कचड़ा सम्पूर्ण नदियों में जाता है। सभी नदियां प्रदूषित हो रही है अतः उन उद्योगपतियों पर नियन्त्रण होना चाहिए जो कचड़े को नदियों में फैंकते है और इसका भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि यह कचड़ा तब तक नदी में पहुँच न पाय जब तक इसका शुद्धीकरण नहीं किया जाता। उद्योग-पत्तियों पर भी कुछ नियन्त्रण रखा जाना चाहिए जिससे वे भी इस विषय में कुछ रुचि लें।

यह समस्या सम्पूर्ण भारत-वर्ष में, शहरों में और गांवों में, विद्यमान है। हमारे देश में अनेक गांव हैं। इस रिपोर्ट में यह दर्शाया गया है कि यहां 5,82,791 गांव है। निश्चय ही, यह समझा जा सकता है कि प्रत्येक गांव को पीने का पानी उपलब्ध कराने के लिये कितने धन की आवश्यकता है। अपेक्षित धन का अनुमान लगाया जा सकता है इस रिपोर्ट में यह दर्शाया गया है कि यहां 3,347 समस्याग्रस्त गांव है और उनकी मुख्य समस्या पेयजल की व्यवस्था के बारे में है। अतः उसे बड़ी आसानी से दूर किया जा सकता है और इस बात का पता लगाया जा सकता है कि किस गांव को अब स्वच्छ पेयजल उपलब्ध नहीं कराया गया है। अगर राजनैतिक मंशा हो तो इसे आसानी से सुलझाया जा सकता है क्योंकि राजनैतिक इच्छा दर्शाने से अनेक समस्याओं का समाधान किया जा चुका है। मैं पूछता हूँ कि क्या यह एक राजनैतिक मुद्दा है जैसाकि **गरीबी हटाओ** कार्य-क्रम' का है ? आप यह क्यों नहीं कहते कि अमुक तारीख तक हम देश के सभी लोगों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने में सक्षम होंगे ? सदन के दोनों ओर से सदस्यों ने अपनी इच्छा जाहिर की है कि हमारे गरीब लोगों को स्वच्छ पेयजल मिलना चाहिए।

6.31 म०प०

[श्री सोमनाथ रथ पीठासीन हुए]

मैं सरकार के ध्यान में यह बात लाना चाहता हूँ कि पश्चिम बंगाल के ज्यादातर जिले भयंकर सूखे से प्रभावित हुए हैं। सबसे ज्यादा प्रभावित जिले पुरूलिया, बांकुरा, बीरभूम, मिदना-पुर, वर्दवान, मालदा, पश्चिम दिनाजपुर. मुर्शीदाबाद और हुगली हैं। इससे 196 ब्लॉकों, 32 नगरपालिकाओं और 4 अधिसूचित क्षेत्रों के 14717 गांवों में 129 लाख लोगों पर बुरी तरह से प्रभाव पड़ा है। पश्चिम बंगाल सरकार ने तुरन्त अपने सीमान्त धन के भाग को दिये जाने की मॉग की है जिसकी राशि 11.87 करोड़ रुपये है। यह धन राशी काफी नहीं है इस सम्बन्ध में

भारत सरकार को उदार होना चाहिए और पश्चिम बंगाल के लोगों को पेयजल उपलब्ध कराया जाना चाहिए। पश्चिम बंगाल सरकार ने मात्र 11.87 करोड़ रुपये की धन राशी को तुरन्त दिये जाने की मांग की है। सभी संसाधन केन्द्र सरकार के पास है। राज्य सरकार के अपने संसाधन नहीं हैं और न ही ये कोई धन प्राप्त कर सकती हैं क्योंकि बैंक आदि उनके अधीन नहीं है। हर बार केन्द्र सरकार धन देती है और मन्त्रीगण सूखाग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करते हैं। केन्द्र सरकार को उदार प्रवृत्ति अपनानी चाहिए और यह ध्यान रखना चाहिए कि धन समय पर पहुँचे, विशेषकर पहाड़ी क्षेत्रों में क्योंकि वहां पानी लाने के लिये प्रत्येक दिन एक आदमी नियुक्त किया जाता है। हमारा देश बहुत बड़ा और विशाल है। इससे हमें भयभीत नहीं होना चाहिऐ क्योंकि संसाधन भी काफी विशाल है। यह गरीब लोगों का सम्पन्न देश है अनेक संसाधन हमारे देश में हैं। । हमें उनका प्रयोग करना है। उदाहरण के लिए, ब्रह्मपुत्र गगा परियोजना के बारे में काफी कुछ कहा गया है। ब्रह्मपुत्र नदी का बहुत जल समुद्र में जा रहा है और हम इस जल का सिचाई के लिये या पीने के लिये या अन्य कार्यों के लिए उपयोग करने में असमर्थ रहे है। अतः इन परियोजनाओं को अवश्य आरम्भ किया जाना चाहिए ताकि हम ब्रह्मपुत्र के पानी को पेयजल, सिंचाई और नौवहन तथा अन्य उद्देश्यों के लिये उपयोग कर सकें। अभी हमने पानी के अनेक संसाधनों का पता नहीं लगाया है। हमारा नदी तल ऊँचा होता जा रहा है क्योंकि देश मे पहाड़ियों तथा टीलों से पेड़ अन्धाधुन्ध काटे जा रहे हैं। सामाजिक वानिकी तथा अन्य योजनाएं, जो अन्य मन्त्रालयों के अन्तर्गत आती हैं, उन्हें प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। लोगों का विश्वास प्राप्त किया जाना चाहिए। उन्हें उन ग्रामों का प्रभार सौंपा जाना चाहिए जहां वृक्षारोपण किया जा रहा है। प्रयोग में न लाई गई भूमि को वानिकी के अन्तर्गत लाया जाना चाहिए। केवल ऐसा करके ही हम प्रकृति के प्रकोप जैसे सूखा आदि से बच सकते हैं। किंतु अत्यन्त दुर्भाग्य की बात यह है कि इस बात की चिंता किये बिना कि राष्ट्र को इससे कितनी हानि होगी, हम इस प्रकार अपनी नदियों को गन्दा कर रहे हैं।

मैं पुनः एक बार मन्त्री महोदय से निवेदन करता हूं कि राज्यों को राशि का आवंटन करें ताकि वे उन परियोजनाओं को चला सकें जो कार्यान्वयन के लिए हाथ में ली गई हैं।

*डा० फूलरेणु गुहा (कन्टई) : महोदय, मैं पांच मिनट से अधिक समय नहीं लूंगी। हम आज देश में पेयजल के अभाव पर चर्चा कर रहे हैं। जल और वायु मानव जीवन की दो सर्वाधिक महत्वपूर्ण चीजें हैं। कोई व्यक्ति कुछ दिन खाना खाए बिना जी भी सकता है किंतु पानी के बिना नहीं रह सकता है। पानी के बिना वह बीमार हो जाता है और अधिकतर मामलों में उसकी मृत्यु भी हो जाती है। पानी के बिना हम भोजन तैयार नहीं कर सकते, न नहा सकते हैं और न ही अपने आप को साफ रख सकते हैं, अपने मकानों को भी साफ नहीं कर सकते हैं, गन्दगी इकट्ठी होती है, हमारे शरीर पर फोड़े तथा अन्य चर्म रोग हो जाते हैं। और हम बीमार पड़ जाते हैं। जल के अभाव के कारण कुछ स्थानों पर कुंड, नाले और नदियां तक भी सूख जाते हैं। महोदय, नलकूपों के संबंध में मुझे अन्य स्थानों की स्थिति की जानकारी नही हैं किंतु जिस क्षेत्र से मेरा सम्बन्ध है वहां अनेक नलकूप काम नहीं कर रहे हैं। कुछ दिन काम करने के पश्चात्, यह खराब हो जाते हैं। इसके परिणामस्वरूप, सामान्य स्थिति के दौरान थोड़ा सा पानी उपलब्ध होता है किन्तु सूखे की स्थिति में तो एक बूंद भी नहीं मिलती। महोदय, मेरे चुनाव क्षेत्र में कुछ स्थान ऐसे हैं जिन्हें "नलकूप रहित क्षेत्र" कहा गया है। उन क्षेत्रों में पिछले साढे चार वर्ष में सभी प्रयासों के

*मूलतः बंगला में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

[श्री फूलरेणू गुहा]

बावजूद मैं पेयजल की सप्लाई के लिये कुछ भी नहीं कर पाई हूँ। मुझसे पहले भी जो आए थे, उन्होंने भी प्रयास किए और असफल हुए। जल उपलब्ध न होने के कारण बकरियां, गाय, बैल, भैंस तथा अन्य पालतू पशु कष्ट उठाते हैं और मर जाते हैं। जब तालाब और नदियां सूख जाती हैं तो फसल के उत्पादन पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। जल के अभाव के कारण फसल नष्ट हो जाती है और गम्भीर स्थिति उत्पन्न हो जाती है। किसानों को दुःखद स्थिति का सामना करना पड़ता है। वनस्पति उत्पादन भी प्रभावित होता भी है। जो कुछ उत्पादन होता भी है, वह इतना मँहगा हो जाता है कि सामान्य आदमी उसे नहीं खरीद सकता है। यह साधारण आदमी की क्रय शक्ति से बाहर होता है, और वह हर प्रकार से पीड़ित होता है। पिछले दो दिनों से मैंने पश्चिम बंगाल के समाचार-पत्रों में पढ़ा है कि सम्बन्धित मन्त्री ने कहा है, "मैंने बंगाल को सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित नहीं किया है।" किंतु वित्त मन्त्री ने कहा कि वहां सूखा पड़ा है। वास्तव में पश्चिम बंगाल में सूखा पड़ा है। मैं नहीं जानती कि सम्बन्धित मन्त्री ने ऐसा क्यों कहा है। मैं इस प्रश्न के सम्बन्ध में कुछ नही कहना चाहती हूं। किन्तु मैं जानती हूँ कि पश्चिम बंगाल में सूखा पड़ा है। मैं केन्द्रीय सरकार और पश्चिम बंगाल सरकार से निवेदन करूंगी कि वे सूखे की स्थिति से तेजी से निपटने के लिए शीघ्र बातचीत करें तथा सभी आवश्यक कदम उठायें।

महोदय, जब पानी का अभाव होता है तो सबसे बुरी तरह महिलाएं ही पीड़ित होती हैं। उन्हें बड़ी कठिनाई के साथ बहुत दूर से पानी लाना पड़ता है। सूखे के समय इनकी हालत असहनीय हो जाती है। जो कठिनाइयां उन्हें झेलनी पड़ती हैं वह तो केवल मुझ जैसे लोगों को ही मालूम है, जिन्होंने उनके साथ काम किया है। इसका वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता है। पानी के अभाव की समस्याओं के सम्बन्ध में विस्तार से कहने की आवश्यकता नहीं है। भारत अनेक नदियों और नालों का देश है। पूरे देश में तालाब और टैंक हैं और हमारा समुद्रतट बहुत लम्बा है। किंतु मुझे खेद है कि इन सभी बातों के बावजूद हमें देश भर में पेयजल की कमी है। अतः मैंने पहले भी कई बार कहा है और अब भी दोहराती हूँ कि हमें इस समस्या के समाधान के लिए एक राष्ट्रीय जल नीति तैयार करनी चाहिए। मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करती हूँ कि वे इस पर गम्भीरता पूर्वक विचार करें और जितनी जल्दी हो सके, एक राष्ट्रीय जल नीति तैयार करने के लिए उपाय करें। जब तक ऐसा नहीं किया जाता है, तब तक पानी की कमी की यह समस्या बार-बार जनता के सामने आएगी और जनता को कष्ट होगा। महोदय, इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करती हूं।

[हिन्दी]

श्री बनवारी लाल पुरोहित (नागपुर) : माननीय सभापति महोदय, इस समय सदन में बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो रही है। पीने के पानी की समस्या वास्तव में यह चिन्ता का विषय पूरे राष्ट्र के लिए है। गांव का सवाल हो, या शहरों का सवाल हो, आज पीने के पानी की कमी हर जगह महसूस की जा रही है। मैं आपका ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहूंगा कि हमने देश के स्वतन्त्र होने के बाद में रोटी, कपड़ा और मकान का नारा दिया। रोटी, कपड़ा और मकान जरूरी है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इस रोटी, कपड़ा और मकान से भी ज्यादा जरूरी पीने का पानी और शुद्ध हवा है। इस पर कम ध्यान दिया गया। इसका हमें खेद है, नहीं तो यह परिस्थिति नहीं होती जो आज हमें देखने को मिल रही है। सरकार के अथक प्रयत्नों के बाद भी पीने का पानी जितना लोगों को चाहिए, उतना हम उनके घरों तक नहीं पहुँचा सके हैं।

शहरों में तो इसका मुख्य कारण जनसंख्या का बढ़ना है। इस बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण सरकार ने जो प्रयत्न किया, उसका कोई कारगर असर शहरों में देखने में नहीं आता है। मेरी अपनी कांस्टीट्यूएंसी को लें, नागपुर शहर, जो कि देश के केन्द्र में है, 40 वर्ष पहले उसकी आबादी 4 लाख थी, आज वहां की जनसंख्या 20 लाख के ऊपर हो गई है और सारा मामला

अस्तव्यस्त हो गया है। जनता को पानी महैय्या नहीं हो पा रहा है। अभी हमारे वित्त मंत्री महोदय, महाराष्ट्र गए थे, वे एक प्रोग्राम में जा रहे थे, लोगों को पता लगा कि मंत्री महोदय वहां से गुजरेंगे, वहां की औरतों ने तमाम खाली मटके लेकर मन्त्री महोदय की गाड़ी को घेर लिया और उनको काले झंडे बताए। यह चीज बताती है कि वहां पीने के पानी की समस्या कितनी विकट है और यह समस्या कितनी महत्वपूर्ण है, उसका आप अन्दाजा लगा सकते हैं।

सभापति महोदय, मेरे क्षेत्र के 9 जिले सबसे ज्यादा पीने के पानी की समस्या से ग्रस्त हैं। ये हैं-नागपुर, अकोला, यवतमाल, बुलडाना, अमरावती, गढ़चिरौली चन्द्रपुर भण्डारा, और वासिम। इनके अन्तर्गत जो छोटे-मोटे शहर और गांव हैं, इनमें भी पीने के पानी की बहुत कमी है और आने वाली तीन महीने बहुत कठिनाई से निकलेंगे। इसलिए मेरा अनुरोध है कि सरकार को तुरन्त वारफुटिंग पर, कुछ न कुछ करना चाहिए। मैं तो माननीय मंत्री महोदय से निवेदनक रूंगा कि वे नागपुर 4 बार गए हैं और मैंने तीन महीने पहले भी निवेदन किया था कि गरमी आएगी और हमारे यहां पीने के पानी की बहुत विकट समस्या खड़ी होगी। यही स्थिति आज हो रही हैं। वहां की जो स्कीमें हैं, वे स्टेट से आपको आई हैं, लेकिन वे आज तक पूरी नहीं हुई हैं, उनमें कोई न कोई कमी बनी हुई हैं, कभी वर्ल्ड बैंक के पैसे की बात की जाती है और कभी कुछ और कह दिया जाता है। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि आज ही आपकी तरफ से एक टैलेक्स जाए और आप महाराष्ट्र सरकार के चीफ सैक्रेट्री और अर्बन सैक्रेट्री को तुरन्त बुला करके वार फूटिंग पर इस कार्य को करें और वहां पानी पहुँचाने की व्यवस्था करें।

सभापति महोदय, जिन इलाकों में पानी नहीं है वहां पर पानी दूर-दूर जगहों से लाकर टैंकरों से पहुँचाना था, लेकिन वह वायदा भी हम पूरा नहीं कर पाए हैं और वह सप्लाई भी आज तक चालू नहीं हुई है। इस बारे में मेरा आपसे अनुरोध है कि आप स्टेट के चीफ सैक्रेट्री और चीफ मिनिस्टर से तुरन्त पूछें कि क्या कारण हैं यह काम क्यों नहीं हो पाया है, अगर उनके पास फण्ड्स की कमी है, फण्ड नहीं है, तो आप कृपया उनको यहां से फण्ड दें क्योंकि वहां की गम्भीर समस्या है।

सभापति महोदय, आपने रिमोट एरियाज और गांवों में पानी के लिए जो ट्यूबवैल बनवाने के लिए 50 परसेंट पैसे दिए थे और जिस पैसे से वे ट्यूबवैल बने है, वे काम नहीं कर रहे हैं। इतने कम पैसे में वे ट्यूब वैल बनाए गए हैं, उनके रिसोर्सेस का ठीक से उपयोग होना चाहिए वह नहीं हुआ है। जो ड्रिलिंग ठेकेदार ने की वह पूरी नहीं की, अधूरी की, गहराई तक नहीं की, और उसकी जांच जिन इंजीनियरों को करनी चाहिए थी, वह जांच भी ठीक से पूरी नहीं की गई और उनके बिल पास कर दिए, इसके कारण आज स्थिति यह है कि वे ट्यूब वैल काम नहीं कर रहे हैं। इसलिए मेरा अनुरोध है कि आप ऐसे ठेकेदारों को जिन्होंने काम ठीक नहीं किया और पूरा पैसा ले लिया ब्लैक लिस्ट करिए और इन्जीनियरों के खिलाफ जिन्होंने ठीक से जांच नहीं की, इन्क्वायरी कीजिए और सजा दीजिए। मैं तो यहां तक कहूंगा और आरोप लगाऊंगा कि पिछले 5 साल में जितने भी ट्यूब वैल लगे हैं, इनकी जांच की जाए और दोषी ठेकेदारों और इंजीनियरों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करने के आदेश केन्द्र से दिए जाएं।

मेरा दूसरा निवेदन यह है कि राव साहब का गारलैंड प्रोजेक्ट थां, उसका क्या हुआ? उसको हम इम्पलीमेंट नहीं कर पाये, परन्तु आज हमने जो खर्चा किया है 25-30 सालों का यदि हम उसका हिसाब लगाएं, जितने हजार करोड़ रुपए हम खर्च कर रहे हैं, एक-एक साल में जहां पर अकाल होता है, वहां हम देते हैं, यदि हम पहले से यह खर्चा करते, तो बहुत कम खर्चे में यह समस्या हल हो जाती और आज इतनी विकट समस्या पैदा ही नहीं होती। इसलिए इस पर भी गम्भीरता से प्रयत्न करना होगा। इस पर भी गम्भीरता से सोच विचार करना होगा और राष्ट्रीय स्तर पर सिंचाई के लिए, पानी के लिए, आपको एक बड़ी योजना बनानी होगी। इसके सिवाय इसके और कोई दूसरा पर्याय नहीं है।

सभापति महोदय, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। अमेरिका में एक जमाने में ऐसा मौका आया था कि वहां पच सुपीरियर, मिचिगन, ईरी और ओन्टोरियों झीलों में, जहां नेवीगेशन

[श्री बनवारी लाल पुरोहित]

होता था, वहां पर 6 इंची वाटर लैवल डाउन होने के कारण उन्होंने एक बहुत बड़ा डैम, जिसको अमरीका बर्दाश्त नहीं कर सकता था लेकिन उन्होंने उसे बनाकर झीलों का वाटर लैवल जिस तरह से मेन्टेन करने की कोशिश की है, तो इस तरह हम क्यों नहीं कर सकते हैं ? जहां तक पैसे की रिसोर्सेज का ताल्लुक है, आप जनता से लोन लें, जनता पैसा देने वाली है, भारत का एक-एक नागरिक पैसा देगा लेकिन आप इसके लिए कुछ न कुछ जरूर कीजिए, इतना मेरा आपसे निवेदन है।

श्री अजीज कुरैशी (सतना) : सभापति महोदय, हम पानी की शार्टेज पर चर्चा कर रहे हैं। पानी की कमी के कारण और वहां पर गन्दा पानी सप्लाई हो रहा है, उसके कारण लोग बीमार हो जायेंगे और मर जायेंगे। यहां शहरी विकास मन्त्री मौजूद हैं, मैं उनके ध्यान में लाना चाहता हूं कि एन. डी. एम. सी. जो पानी आम जनता को सप्लाई कर रही हैं, बल्कि मेम्बर पार्लियामेंट को सप्लाई कर रही है शायद उससे लोग बीमार हो जाएंगे। और मर जाएगें कल सुबह मैंने अपने घर 31 केनिंग लेन में जो पीने के पानी का नल खोला तो उसमें मड और कीचड़ सप्लाई हुई एक बूंद पानी सप्लाई नहीं हुआ, जिसके कारण न नहाने का काम हुआ, न खाना बन सका और न बर्तन धुल सके। अगर यह दुर्दशा इस सदन के मेम्बरों की है तो आम आदमी को दिल्ली में कितनी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा होगा ? मैं शासन से पूछना चाहता हूं कि क्या एन. डी. एम. सी. के अधिकारियों पर उनका कोई कन्ट्रोल नहीं है, कोई रूल नहीं है ? क्या उनकी स्थिति बेकाबू हो चुकी है ? सरकार इस ओर ध्यान दे। अगर इस शासन ने ध्यान नहीं दिया तो शायद मेम्बर पार्लियामेंट खुद चाहेंगे कि एन. डी. एम. सी. को ठीक करने के लिए कुछ सोचें और कोई रास्ता बनाएं।

अभी जो बात कही गई है, तो सारे संसार में अन्डर ग्राउन्ड वाटर की सोर्सेज कम हो हो गये है। अगर आप दुनिया की हालत का अन्दाजा करें तो दुनिया में अन्डर ग्राउन्ड वाटर की कमी होती जा रही है।

अभी यहां पर ट्यूबवैल्ज की बात की गई, हमारे योग्य राज्य मंत्री श्री पुजारी जी यहां पर मौजूद हैं जिन्होंने बड़ी सिकलकुली, बड़ी योग्यता से इस देश में लोन मेले आर्गेनाइज किए थे, मैं चाहूंगा कि वह अपनी योग्यता से इस बात को भी दिखलवाएं कि कितना अन्डरग्राउन्ड वाटर हमारे यहां मौजूद है, उसका पूरा सर्वे होने के बाद ही ट्यूबवैल की वहां पर खुदवाई की जाए क्योंकि ट्यूबवैल्ज खोदने में करोड़ों रुपए खर्च किए गए लेकिन उसमें से 50 परसेंट ट्यूबवैल बिल्कुल बेकार हैं, पीने के पानी के काम के नही हैं। मैं चाहूंगा कि जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं, चाहे सरकारी अधिकारी हों, या राजनीतिक नेता हों, उन सब के खिलाफ कार्यवाही की जाए कि यह जनता का करोड़ों रुपए का धन क्यों बर्बाद हुआ ? इस परिस्थिति को देश में कहीं न आने दिया जाए।

मैं अपने चुनाव क्षेत्र सतना की बात करना चाहता हूं वह गरीब और पिछड़ा हुआ क्षेत्र है जहां कोई सरकारी उद्योग नहीं है, केवल बिरला और टाटा के कारखाने हैं। सतना शहर में बिरला जी के कारखाने जो चल रहे हैं, पिछली जो योजना मण्डल की मीटिंग हुई और 20-प्वाइंट प्रोग्राम की मीटिंग हुई तो मैंने यह तय करवाया था कि बिरला जी के कारखानों को पानी न देकर सारा पानी जनता को दिया जाए क्योंकि बिरला जी के कारखाने के लोग ट्यूबवैल खुदवाकर पानी का इन्तजाम कर सकते हैं, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि इस पर आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। बिरला जी के कारखानों को बराबर पानी दिया जा रहा है और लोग वहां परेशान हो रहे हैं। मैं चाहूंगा कि सरकार इस ओर ध्यान दे और ऐसी नीति बनावे कि जहां जहां ऐसे बड़े-बड़े निजी उद्योग मौजूद हैं जिनके पास धनराशि है, साधन हैं उनको पानी न मिले वह अपने लिए पानी का इन्तजाम खुद करें और सारा पानी जनता को दिया जाए। ताकि सतना की जनता को राहत मिल सके और उसे पीने के पानी की कठिनाई से मुक्ति मिल सके।

इसी तरह भोपाल के अन्दर नर्वदा से पानी लाने की योजना बहुत दिनों से पड़ी है मैं चाहूंगा कि सरकार इस ओर ध्यान दे और भोपाल में जो मध्य प्रदेश की राजधानी है वहां पानी उपलब्ध करवाया जाए। आपने मुझे वक्त दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

جناب عزیز قریشی (ستنا): سبھاپتی مہودے ہم پانی کی شارٹیج پر چرچا کر رہے ہیں پانی کمی کے کارن اور جہاں پر گندا پانی سپلائی ہو رہا ہے اس کے کارن لوگ بیمار ہو جائیں گے اور مر جائیں گے۔ یہاں شہری وکاس منتری موجود ہیں میں ان کے دھیان میں لانا چاہتا ہوں تاکہ این ڈی ایم سی جو پانی عام جنتا کو سپلائی کر رہی ہیں بلکہ ممبر پارلیمنٹ کو سپلائی کر رہی ہے شاید اس سے لوگ بیمار ہو جائیں گے اور مر جائیں گے۔ کل صبح میں نے اپنے گھر ۱۴ کیننگ لین میں جو پینے کے پانی کا نل کھولا تو اس میں مٹی اور کیچڑ سپلائی ہوئی ایک بوند پانی سپلائی نہیں ہوا جس کے کارن نہ نہانے کا کام ہوا نہ کھانا بن سکا اور نہ برتن دھل سکے۔ اگر یہ دردشا اس سدن کے ممبر کی ہے تو عام آدمی کو دلی میں کتنی کتنی کٹھنائی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہو گا۔ میں شاسن سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا این ڈی ایم سی کے ادھیکاریوں پر ان کا کوئی کنٹرول نہیں ہے کوئی رول نہیں ہے۔ کیا ان کی استھتی بے قابو ہو چکی ہے۔ سرکار اس اور دھیان دے۔ اگر اس شاسن نے دھیان نہیں کیا تو شاید ممبر پارلیمنٹ خود چاہیں گے کہ این ڈی ایم سی کو ٹھیک کرنے کے لئے کچھ سوچیں اور کوئی راستہ بنائیں

ابھی جو بات کہی گئی ہے تو سارے سنسار میں انڈر گراؤنڈ واٹر کے سورسز کم ہو گئے ہیں۔ اگر آپ دنیا کی حالت کا اندازہ کریں تو پوری دنیا میں انڈر گراؤنڈ واٹر کی کمی ہوتی جا رہی ہے۔

ابھی یہاں ٹیوب ویل کی بات کی گئی ہمارے یوگیہ راجیہ منتری شری بھکاری جی یہاں موجود ہیں جنہوں نے بڑی اسکل فلی بڑی یوگیتا سے اس دیش میں لون میلے آرگنائز کئے تھے میں چاہوں گا کہ وہ اپنی یوگیتا سے اس بات کو بھی دکھلائیں کہ کتنا انڈر گراؤنڈ واٹر ہمارے یہاں موجود ہے اس کا پورا سروے ہونے کے بعد ہی ٹیوب ویل کی وہاں پر کھدائی کی جائے کیونکہ ٹیوب ویل کھودنے میں کروڑوں روپئے خرچ کئے گئے لیکن ان میں سے پچاس پرسینٹ ٹیوب ویل بالکل بیکار ہیں پینے کے پانی کے کام کے نہیں ہیں میں چاہوں گا کہ

جو لوگ اس کے لئے ذمہ دار ہیں چاہے سرکاری ادھیکاری ہوں یا راج نیتک نیتا ہوں ان سب کے خلاف کاروائی کی جائے کہ یہ جنتا کا کروڑوں روپیہ بیکار میں کیوں برباد ہوا۔ اس پرستھتی کو دیش میں کہیں نہ آنے دیا جائے۔

میں اپنے چناؤ چھیتر ستنا کی بات کرنا چاہتا ہوں۔ وہ غریب اور پچھڑا ہوا چھیتر ہے جہاں کوئی سرکاری ادیوگ نہیں ہے کیول برلا اور ٹاٹا کے کارخانے ہیں۔ ستنا شہر میں برلا جی کے کارخانے جو چل رہے ہیں پچھلی جو یوجنا منڈل کی میٹنگ ہوئی اور بیس سوتری پروگرام کی میٹنگ ہوئی تو میں نے یہ طے کروایا تھا کہ برلا جی کے کارخانوں کو پانی نہ دے کر سارا پانی جنتا کو دیا جائے۔ کیونکہ برلا جی کے کارخانے کے لوگ ٹیوب ویل کھدوا کر پانی کا انتظام کر سکتے ہیں لیکن دکھ کی بات ہے کہ اس پر آج تک کوئی کاروائی نہیں ہوئی۔ برلا جی کے کارخانوں کو برابر پانی دیا جا رہا ہے اور لوگ وہاں پریشان ہو رہے ہیں۔ میں چاہوں گا کہ سرکار اس اور دھیان دے اور ایسی نیتی بنائے کہ جہاں جہاں ایسے بڑے بڑے نجی ادیوگ موجود ہیں جن کے پاس دھن راشی ہے سادھن ہیں ان کو پانی نہ ملے وہ اپنے لئے پانی کا انتظام خود کریں اور یہ سارا پانی جنتا کو دیا جائے۔ تاکہ ستنا کی جنتا کو راحت مل سکے اور اسے پینے کے پانی کی کٹھنائی سے مکتی مل سکے۔

اس طرح بھوپال کے اندر نربدا سے پانی لانے کی بات بہت دنوں سے پڑی ہے میں چاہوں گا کہ سرکار اس اور دھیان دے اور بھوپال میں جو مدھیہ پردیش کی راجدھانی ہے وہاں پانی اپلبدھ کروایا جائے۔ آپ نے مجھے وقت دیا اس کے لئے میں آپ کا دھنیہ واد کرتا ہوں۔

[अनुवाद]

प्रो० सैफुद्दीन सोज (बारामूला) : सभापति महोदय, समय की कमी है। किंतु मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हमारी योजना गलत कहां पर हुई है। जवाहर लाल नेहरू के निधन के पश्चात् हमें तीसरी योजना के अन्त में प्राथमिकताओं का पुनः निर्धारण करना चाहिए था जो हमने नहीं किया और मेरे विचार में जवाहर लाल नेहरू ने ठीक ही किया था। यदि वे और अधिक समय तक जीवित रहते तो उन्होंने समस्त ढांचे की पुनरीक्षा की होती और भावी योजनाओं के लिए प्राथमिकताओं का पुनः आबंटन किया होता। हमने गलती की है, विषम विकास किया है, सरकार को बहुत सा श्रेय जाता है, जो भी सरकार थी, क्योंकि हमने विभिन्न क्षेत्रों में बहुत प्रगति की है, किंतु जब हम प्राथमिकताओं की सूचि देखते हैं, यह राष्ट्र के लिए लज्जा की बात है कि स्वतन्त्रता के 41 वर्षों के पश्चात भी हम इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों या कुछ शहरी क्षेत्रों में किस प्रकार पेयजल उपलब्ध कराया जाए ताकि इस समस्या का समाधान किया जाए। मूल आवश्यकताएं खाना, पहनावा, आवास, स्वास्थ्य की देखभाल, शिक्षा तथा पेय जल है। ऊर्जा भी पेय-जल के पश्चात आती है। अतः कहीं पर गलती हो गई है। हम विश्व में हर संभव चीज प्राप्त करना चाहते थे, बहुत सा धन नष्ट हुआ है। मुझे एक बार राष्ट्रीय ग्रामीण बिकास संस्थान, हैदराबाद जाने का अवसर मिला था और मुझे हमारे जल संसाधनों की क्षति को समझने का अवसर मिला था। इसको स्पष्ट करने लिए समय नहीं है। अतः सभापति महोदय, मुझे सीधे ही अपने चुनाव क्षेत्र बारामूला के संबंध में कहना चाहिए जिसमें दो जिले बारामूला और कुपवाडा हैं, और मैं इस सम्मानित सदन को बताना चाहता हूँ कि इन जिलों—बारामूला और कुपवाडा—में 65 प्रतिशत लोगों को पेयजल नहीं मिलता है जिसे आप "शुद्ध जल" कह सकते हैं, और यह राज्य सरकार की लापरवाही के कारण नहीं है, अपितु धन की कमी के कारण है और मैं आपके माध्यम से केन्द्रीय सरकार से निवेदन करता हूं कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र के लिए एक विशेष योजना बनाई जाए क्योंकि वहां शुष्क क्षेत्र हैं जहां पर 65 प्रतिशत जनता को कोई पेयजल नहीं मिलता है। और फिर इसका दूसरा औचित्य भी है क्योंकि जहां तक आपके पूरे सार्वजनिक क्षेत्र का संबंध है, जम्मू-कश्मीर सरकार अभी जम्मू तथा कश्मीर की जनता को अभी तक पर्याप्त धनराशि नहीं मिली है हमारे भाग की प्रतिशतता 0.07 है। अतः हमें इससे अधिक मिलना चाहिए।

दूसरे मैं समस्त देश के लिए एक अखिल भारतीय सर्वेक्षण की मांग करता हूँ। जहां तक पेय जल का सम्बन्ध है, विभिन्न राज्यों का अंशदान निर्धारित करने के लिए अखिल भारतीय सर्वेक्षण किया जाना चाहिए। ऐसा नही है कि इसमें असन्तुलन है। ऐसा तो राष्ट्रीय स्तर पर है। कुछ राज्यों के पास अधिक राशि है क्योंकि इन क्षेत्रों से कुछ स्त्री पुरुष संसद में निर्वाचित होकर आ गए और मन्त्री बन गए और स्वार्थवश अपने निर्वाचन क्षेत्रों का ही पोषण करते रहे हैं।

सभापति महोदय : आपका निर्वाचन क्षेत्र भी तो भारत का एक अंग है।

(व्यवधान)

प्रो० सैफुद्दीन सोज : महोदय, इसमें असंतुलन है। किन्तु एक ही राज्य में कुछ ऐसे क्षेत्र भी है जहां पेयजल ही नहीं है, शहरी क्षेत्रों में जनता को पेयजल की व्यवस्था प्राप्त है। कोई व्यक्ति शहरी क्षेत्रों को और सुविधाएं देने की बात कह रहा था, मैं कहता हूँ कि हमारी ग्रामीण जनता

[श्री सैफुद्दीन सोज]

प्रदूषण तथा अन्य सभी प्रकार की कठिनाइयों से पीड़ित हैं। महोदय अब आप अखिल भारतीय सर्वेक्षण के आधार पर विशेषज्ञों से सलाह लीजिए। मैं नहीं जानता कि क्या मन्त्रालय इस बात की ओर ध्यान दे रहा है कि इस देश में क्या हो रहा है, हमें जल संसाधनों की कितनी कमी है, पानी किस प्रकार व्यर्थ खर्च हो रहा है भारत सरकार से मेरा निवेदन है कि वह इस अखिल भारतीय सर्वेक्षण के आधार पर इस समस्या पर एक श्वेत पत्र जारी करें और देश को यह स्पष्ट करे कि सरकार एक दशक के अन्दर-अन्दर क्या करने जा रही है।

*श्री हरिहर स्वेन (क्योंझार) : सभापति महोदय, हम पेय जल की समस्या पर चर्चा कर रहे हैं। यह वास्तव में बड़ी चिन्ता की बात है कि भारत के अनेक भागों में पेयजल का बहुत अभाव है। अनेक माननीय सदस्यों ने देश के विभिन्न भागों में पेयजल की समस्याओं के संबंध में कहा है। मेरे पास चूंकि समय बहुत कम है अतः मैं विस्तार से नहीं कहूंगा। मैं समस्त भारत के संबंध में नहीं कहना चाहता हूं। मैं अपनी भाषण उड़ीसा में पेयजल तक ही सीमित रखूंगा।

महोदय, पेयजल के अभाव के कारण उड़ीसा में एक गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई है। उड़ीसा के लगभग सभी भागों में यह समस्या है। राज्य के पर्वतीय क्षेत्र जैसे क्योंझर, फूलबनी, कालाहांडी, बोलंगीर और सुन्दरगढ़ में गर्मियों में यह समस्या हर वर्ष उत्पन्न होती है। किंतु इस वर्ष पेयजल की समस्या राज्य के तटवर्ती जिलों में भी बहुत गम्भीर बन गई है। उड़ीसा सरकार ने ग्रामों में पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न प्रकार की व्यवस्था की है। हमारे राज्य में नलकूप, सतही कूप तथा गहरे कूप हैं, इसके अतिरिक्त, कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां लोग नदियों के पानी पर भी निर्भर करते हैं। इन सभी सुविधाओं के बावजूद इस वर्ष हमें पेयजल की गम्भीर समस्या का सामना करना पड़ रहा है। इस वर्ष उड़ीसा में पेयजल के अभाव के अनेक कारण है। पहला कारण यह है कि राज्य में पिछले आठ महीनों में वर्षा ही नहीं हुई। इस से पूर्व केवल कुछ क्षेत्रों में छुट-पुट वर्षा हुई थी। तालाब, नाले, कुए, आदि सूख चुके हैं। बहुत से इलाकों में जल-स्तर कम हो गया है। बहुत पहले खोदे गए कूपों का जनता द्वारा कुशलता पूर्वक रख-रखाव नहीं किया जाता है। दूसरी तथा तीसरी पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान सरकार ने गहरे कूप खोदे थे। अब सरकार उन कूपों की मरम्मत कराने के लिए कोई कदम नहीं उठा रही है। इनमें से अधिकतर कुंए गाद से भरे पड़े हैं। गांव के तालाबों की भी यही हालत है। सरकार ने उड़ीसा समेत सभी राज्यों में समस्या ग्रस्त ग्रामों का पता लगाया था। इन सभी समस्या ग्रस्त ग्रामों को अभी तक पेयजल नहीं किया गया है। केन्द्र द्वारा प्रत्याभूत योजनाओं के अन्तर्गत छठी तथा सातवीं योजना अवधि के दौरान अनेक ग्रामों में नलकूप लगाए गए थे। नलकूप लगाते समय भूमि को अधिक गहरा खोदने के लिए उचित ध्यान नहीं दिया गया। इसके परिणामस्वरूप इन नलकूपों में गर्मी के मौसम से पूर्व भी पानी नहीं आता है।

महोदय, मेरे चुनाव क्षेत्र की हालत और भी खराब है। मैं उड़ीसा के क्योंझर जिले का हूं। यह खनिज पदार्थों में समृद्ध पर्वतीय जिला है। भूमि को अधिक गहरा खोदकर फिर नलकूप लगाना बहुत जरूरी है। क्योंकि कहीं-कहीं पर जल स्तर 40 फीट से 50 फीट तक अथवा उससे भी अधिक नीचे हैं। इस जिले में लगाए गए अधिकतर नलकूप काम नहीं कर रहे हैं। पेयजल कुछ नलकूपों से मिलता है और इसके परिणामस्वरूप यह मानवीय उपभोग के लिए उचित नहीं

*मूलतः उड़िया में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

है । अतः जनता पेयजल के अन्य साधनों पर निर्भर है । सरकार ने नलकूप लगाने के लिए कुछ मानदण्ड निर्धारित किए हैं । एक नलकूप ऐसे प्रत्येक राजस्व आय वाले गांव में लगाया जाना है जिसकी जनसंख्या 250 से 300 के बीच हैं । महोदय, मेरे जिले की स्थिति अलग है । सभी ग्रामों की जनसंख्या अधिक नहीं है । कुछ ग्रामों की जनसंख्या तो 250 से 300 तक भी नहीं है । पर्वतीय जिला होने के कारण लोग इधर-उधर फैले हुए हैं । एक गांव और दूसरे गांव के बीच लगभग 2 से 3 कि० मी० की दूरी है । ऐसे मामलों में एक नलकूप 2 या 3 ग्रामों की जरूरत भी पूरी नही कर पाता है । इसके अतिरिक्त लोगों को एक बाल्टी पानी लाने के लिए 2 से 3 कि० मी० तक चलना पड़ता है । अतः इन मानदण्डों में रिआयत की जानी चाहिए । राजस्व आय वाले गांव प्रत्येक में एक नलकूप लगाया जाना चाहिए । प्रत्येक वार्ड या बस्तों में एक नलकूप लगाया जाना चाहिए केवल तभी हम सभी लोगों को पेयजल उपलब्ध करा सकते हैं । मेरे जिले में बहुत से ग्राम ऐसे हैं जो आगम्य इलाकों में हैं । हम उन ग्रामों में नलकूप नही लगवा सकें हैं । वहां कुए भी नहीं हैं । अतः वह पीने के लिए झरनों के पानी पर निर्भर करते हैं । झरनों का पानी साफ नहीं होता है क्योंकि आजकल यह ज्यादा ही प्रदूषित होता है । जो लोग झरने का पानी पीते हैं, वे जल से उत्पन्न होने वाली विभिन्न बीमारियों के शिकार होते हैं । अधिकतर जनजातीय लोग जल से उत्पन्न होने वाली बीमारियों के शिकार है अतः इन ग्रामों में पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करना अत्यन्त आवश्यक है । ऐसे ग्रामों में प्राथमिकता के तौर पर नलकूप लगाना अत्यन्त आवश्यक है । बहुत से गांव ऐसे हैं जहां सभी समुदायों के लोग रहते हैं उच्च जाति के लोग, हरिजन और आदिवासी एक ही गांव में रहते हैं । मान लीजिए कि उच्च वर्ग में रहने वाले वार्ड में एक नलकूप लगाया जाता है, किंतु ऐसे क्षेत्र में नहीं लगा गया है जहां हरिजन तथा आदिवासी रहते है, ऐसे मामलों में जब लोगों को पेयजल नहीं मिलता है तो वे इस मामले पर आन्दोलन करते हैं । अतः ऐसी सभी बस्तियों में नलकूप लगाना आवश्यक है, वहां हरिजन आदिवासी अथवा उच्च वर्ग के लोग रहते हैं ।

महोदय, यदि वर्तमान सूखे की स्थिति जारी रही और जून तक वर्षा नहीं होती है तो जनता गर्मी के मौसम को सहन नहीं कर सकेगी । यदि प्रत्येक ग्राम को पेयजल उपलब्धता करने को उचित व्यवस्था नहीं की जाती है तो वे कीड़ों की भांति मर जायेंगे । अतः मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि ऐसे बेकार नलकूपों की मरम्मत कराने की शीघ्र व्यवस्था करायें जो पुराने है । मैं सरकार से निवेदन करता हूँ कि राज्य सरकारों को पर्याप्त राशि उपलब्ध करें ताकि वे प्रत्येक व्यक्ति को पेयजल उपलब्ध करा सकें । इन शब्दों के साथ में अपना भाषण समाप्त करता हूँ ।

[हिन्दी]

श्री केयूर भूषण (रायपुर) : आदरणीय सभापति जी, मैं अभी देश की चिन्ता प्रकट न करते हुए केवल अपनी चिन्ता हमारे संवेदनशील मंत्री पुजारी जी के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं । मुझे पूरा विश्वास है कि वे मेरी इस चिन्ता/पीड़ा को गहराई से समझेंगे और उसे हल करने के लिये बराबर कदम उठायेंगे । सारे देश के अन्दर इस वर्ष वर्षा हुई परन्तु दुर्भाग्य से रायपुर संभाग मध्य प्रदेश का ऐसा रहा, जिससे मैं आता हूँ कि इस शताब्दी का सबसे अधिक अकाल की पीड़ा इस वर्ष है । इस वर्ष पूरा संभाग सूखा रहा, वहां के लोगों ने वहां से पलायन भी किया मगर आज वहां स्थिति गम्भीर है, वहां अकाल राहत कार्य व्यापक रुप से खोले गये हैं, मगर पेयजल का संकट अत्यन्त गम्भीर है । हमारे प्रधान मंत्री जी वहां पर गये थे, उस समय वहां के लोगों ने इस

[श्री केयूर भूषण]

चिन्ता को बहुत गहराई के साथ सामने रखा कि हमारे पास रोजी रोटी की समस्या तो हल हो गई है, अकाल राहत कार्य खुलने से वह समस्या पूरी हो गई है मगर पीने के पानी की बड़ी भयंकर स्थिति है। हमारे मुख्य मंत्री जी ने भी निवेदन किया है कि 45 करोड़ दिये जायें, राशि की मांग की है क्योंकि रायपुर के साथ-अन्य जिले भी पड़ते है, उस क्षेत्र में पीने के पा की स्थिति ऐसी हो गयी है कि उसकी तरफ उनका ध्यान जाय। हमारे यहां जो बांध है उसी क पानी हम रायपुर नगर को दे रहे हैं जो द्रुत गति से बढ़ता जा रहा है और आज उसकी आबा करीब 10 लाख है, उसकी आवश्यकता को पूरा करना है और उसी पानी से देश के सब बड़े इस्पात कारखाने भिलाई की आवश्यकता को पूरा करना है, उसमें भी वहां से ही पानी हैं इसे पूरा करने की जिम्मेदारी भी उसी क्षेत्र की है। रायपुर नगर की 22 करोड़ की मांग जिससे हम नगर को पानी दे पायेंगे, यह भी आपको पूरा करना है मेरा आपसे निवेदन है कि आ इस्पात मंत्री को आदेश दें और आप हमारा निवेदन वहां तक पहुंचा दें कि भिलाई के लिये न को पूरा करके अलग से स्वतन्त्र रूप से पानी दिया जा सकता हैं, बांध बनाकर तो स्वतन्त्र रूप उसकी व्यवस्था करें और जितनी जल्दी हो सके आप रिग मशीनों की व्यवस्था करके हमारे दे में भेजें और पैसा भी भेजें ताकि हमारे यहां जो मवेशी मर रहे हैं उनके लिये पानी की व्यव हो जाए और उससे बच सकेंगे।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब सभा सोमवार, 15 मई, 1989 के 11 बजे म. पू. तक के लि स्थगित होती है।

7.00 म० प०

तत्पश्चात लोक सभा सोमवार, 15 मई, 1989/25 वैशाख, 1911 (शक) के ग्यारह बजे म० पू० तक के लिए स्थगित हुई।